

पुस्तकालय

१५

प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

व्याकरण

डॉ. वी. कृष्णास्वामी आयंगर

प्रकाशक प्रभात प्रकाशन २०५ चावडी बाजार दिल्ली ११०००६ /
सर्वाधिकार सुरक्षित / मस्करण प्रथम, १९८३ / मुद्रक रूपाम प्रिंटस
दिल्ली ११००३२ / मूल्य चालीस रुपये

PĀNINIYA VYĀKARAN KI BHŪ MIKĀ
by Dr V Krishna Swamy Iyengar

Rs 40 00

दो शब्द

संसार के व्याकरणों में पाणिनि का स्थान सर्वोच्च है। भारत की समस्त भाषा वैज्ञानिक परंपरा के अमूल्य रत्न हैं महर्षि पाणिनि। उन्होंने आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले 'अष्टाध्यायी' के नाम से एक अत्युत्तम व्याकरण की रचना की। अष्टाध्यायी में लगभग चार हजार सूत्र हैं। प्रत्येक सूत्र व्यापक अव्यय और अनुसंधान का फल है। संसार की किसी भाषा में आज तक किसी विद्वान् ने ऐसा वैज्ञानिक व्याकरण नहीं लिखा। आज के सभी भाषाविज्ञानी पाणिनि की असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं और उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को पहचानते हैं।

पाणिनि के व्याकरण पर कई विद्वानों ने आलोचनात्मक ढंग से विचार किया है। उनमें कात्यायन और पतञ्जलि के नाम प्रमुख हैं। सूत्रकार पाणिनि के समान ही इन दोनों व्याख्याकारों का भी महत्त्व है। इन तीनों का 'संस्कृत व्याकरण का मुनित्रय' कहा जाता है। सिद्धांत कौमदी के लेखक भट्टोजिदीक्षित ने 'मुनित्रय नमस्कृत्य तदुक्ती परिभाष्य च' कहकर इन्हीं मुनियों का स्मरण किया है।

पश्चिम के भाषाविज्ञानी आज भी पाणिनि के अध्ययन में लगे हुए हैं। हम भारतीयों का कर्तव्य है कि विशेष रूप से पाणिनि के व्याकरण का सागोपाग अध्ययन करें। उनकी विश्लेषण पद्धति का रहस्य समझ सकें तो हम अथ भाषाओं के—मुख्य रूप से सभी भारतीय भाषाओं के—वैज्ञानिक व्याकरण तैयार करने में सफल हो सकेंगे।

इस पुस्तक में पाणिनीय व्याकरण के सबंध में कुछ ऐसी बातों का विवेचन किया गया है जिन पर हिंदी में बहुत कम लिखा गया है। लेखक जानता है कि बहुत गंभीर और दुर्लभ है। इसलिए उसका यह दावा नहीं है कि यहाँ विषय के साथ पूरा-याव किया गया है। लेखक का यह प्रयास अभी सफल माना जायेगा जब अथ विद्वानों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वे इस विषय पर और भी अच्छे-प्रथम हिंदी में लिखेंगे।

लेखक ने इतना ध्यान अवश्य रखा है कि कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कही जाय। सस्कृत के विख्यात टीकाकार मत्तिलनाथ के शब्दांश, “नामूल लिख्यते किंचित, नानपेक्षितमुच्यते।”

वि० कृष्णस्वामी अय्यंगर

पाणिनीय व्याकरण की भूमिका

क्रम

पाणिनीय व्याकरण की भूमिका	६
भाषा का स्वरूप	८३
स्फोट का स्वरूप	११२
शब्द के भेद	१४७



पाणिनीय व्याकरण की भूमिका

१ भाषा विज्ञान भाषा का विवेचन करने वाला शास्त्र है। इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है 'भाषा'। अतः सबसे पहले भाषा के स्वरूप पर विचार करना अपेक्षित है।

२ मानव-जीवन में भाषा का महत्त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम सब प्रतिदिन भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि भाषा के बिना हमारे जीवन का स्वरूप कैसा होता। मानव के लिए भाषा एक अमूल्य वरदान है। मानव ने हजारों वर्षों की साधना और तपस्या के फलस्वरूप आज ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। कितनी विद्याएँ विकसित हुई हैं और निरंतर विकास करती जा रही हैं। 'याय, भीमासा आदि कितने प्राचीन शास्त्र हैं। आधुनिक काल में कितनी नवीन शास्त्रों का उदय और विकास हो रहा है—यह सब भाषा का ही तो विकास है। सभ्यता और सस्कृति की आधारशिला भाषा ही है।

३ सक्षेप में कहा जाए तो भाषा के सहार से ही मानव पशुत्व के दर्जे से ऊपर उठकर मानवता की सीढ़ी पर चढ़ने लायक बन पाया है। मानव की समस्त प्रगति का मूल आधार भाषा ही है। यदि भाषा न होती तो मानव समाज किसी प्रकार की उन्नति करने में असमर्थ ही रहता। भाषा के कारण ही मानव ज्ञान-विज्ञान की वातावरण में सुरक्षित और संरक्षण कर सका। पूर्व-संचित ज्ञान को ग्रन्थों के रूप में सुरक्षित कर सका। आज ससार की विविध भाषाओं में कितने ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं! यदि ये ग्रन्थ आज के विद्यार्थियों के लिए प्राप्य नहीं होते तो हम किस क्षेत्र में क्या उन्नति कर सकते? करोड़ों ग्रन्थों का यह साहित्य कितना अमूल्य है! और यह ग्रन्थराशि भाषा का ही तो लिखित, स्थायी और वास्तव में साथकरूप है। भाषा के माध्यम से ही हमारे पूर्वज विचार विमर्श कर सके, खडन मडन की प्रणाली को अपनाकर किसी भी विषय का गभीर विवेचन कर सके। भाषा के बिना जितनी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है! अतएव यह बयन पूर्णतया सत्य है कि सभी शास्त्र भाषा के द्वारा ही विकसित किये गए हैं।

३ मानव जीवन में भाषा के ऐसे आत्यंतिक महत्त्व को बदकाल के श्रेणियों

ने पहचान लिया था। ऋग्वेद के एक मंत्र में भाषा की महत्ता पर खूब प्रकाश डाला गया है। पतञ्जलि के व्याकरण महाभाष्य में भूमिका में ही इस मंत्र को उद्धृत करके भाषा के सदम में इसकी व्याख्या की गयी है। मंत्र के शब्द ये हैं

चत्वारि शृगा त्रयो अस्य पादा
द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।
त्रिधा बद्धो वपमो रोग्बोति
महो देवो मर्त्या आविवेश ॥

(ऋग्वेद, ४ ५८ ३)

३ १ इस मंत्र का शाब्दिक (Literal) अर्थ यही है कि एक वपम (बैल) ऊँचे स्वर में कुछ कह रहा है। यह वपम विलक्षण प्रकार का है। इसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं और सात हाथ हैं। इसे तीन प्रकार से अथवा तीन स्थानों में बाँधा गया है। यह कह रहा है कि महादेव मर्त्याँ में अवतरित हुए हैं। इस स्थूल अर्थ को देखने से ज्ञात होता है कि यह एक प्रहेलिका है। किसी निगूढ अर्थ की व्यञ्जना के लिए ऐसी विचित्र उक्ति का सहारा लिया गया है।

३ २ निरुक्तकार यास्क ने इस मंत्र की व्याख्या याज्ञिक परंपरा के अनुसार की है। भाष्यकार पतञ्जलि ने व्याकरण परंपरा के अनुसार इस मंत्र की भाषा-परक व्याख्या की है। दोनों ही आचार्य प्रामाणिक हैं। हम पतञ्जलि के आधार पर इस मंत्र को भाषा के स्वरूप और महत्त्व का प्रतिपादक प्राचीनतम प्रमाण मानते हैं।

३ ३ यहाँ भाषा को ही 'वपम' कहा गया है। भाषा उपमेय है और वपम उपमान है। आलंकारिकों का कहना है कि जहाँ उपमान और उपमेय का पृथक् उल्लेख होता है तथा उनमें भेदगम सादृश्य का विधान किया जाता है, वहाँ 'उपमा' अलंकार होता है। भाषा वपम के समान है"—इस वाक्य में उपमा का प्रयोग हुआ है। किंतु जहाँ उपमान तथा उपमेय में अभेद का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है।

“तद् रूपकमभेदो य उपमानोपमेययो ।”

इस लक्षण से सिद्ध है कि रूपक में भी उपमान तथा उपमेय का पायक्य से निर्वोचन अपेक्षित है। लेकिन वही वही उपमेय का निर्देश ही नहीं होता। केवल उपमान का ही निर्देश किया जाता है। किंतु साधर्म्य के बल पर उपमान के द्वारा उपमेय की प्रतीति होती है। उपमेय को छिपाना 'निगूढ' कहलाता है। इसका उदाहरण है, “वापी वापि स्फुरति गगन।” यहाँ गगन नाभिका के दृश मध्य का उपमान है। वापी उसकी नाभि का उपमान है। इस तरह के आरोप को भासकारिक परिभाषा में 'अध्यवसान' कहते हैं। इस तरह की उक्ति में रूपक

तिशयोक्ति अलंकार निहित रहता है। कुन्जलानन्द में कहा गया है 'रूपका-तिशयोक्ति स्यात् तिगोर्वाध्यवसानत।' उपर्युक्त मंत्र में उपमेय भाषा का निर्देशन करके उपमान वृषभ का ही ग्रहण करने के कारण इसे रूपकानिशयोक्ति का उदाहरण मान सकते हैं। 'वृषभ' को भाषा का प्रतीक या संकेत मानना चाहिए।

३४ भाषा और वृषभ की तुलना का क्या आधार हो सकता है? 'भाषा' शब्द स्त्रीलिंग है। 'वृषभ' शब्द ता पुल्लिंग है। इन दोनों में कोई समान धर्म नहीं है ता औपम्य की निष्पत्ति कैसे होगी? इस शका के निवारण के लिए भाष्यकार ने 'वृषभ' शब्द की व्युत्पत्ति बताकर उसी के आधार पर समानता की स्थापना की। 'वृष' धातु से 'वृषभ' शब्द बना है। 'वपति इति वृषभ'—वर्षा करनेवाले का वृषभ कहते हैं। वँल जहा खड़ा है वही मूत्र की वर्षा करता है, इसी से उसको 'वृषभ' कहते हैं। वसे यह शब्द योगरूढ है। रूढि के कारण इस शब्द का प्रयोग वँल तक सीमित है। भाषा के मदभ में इस शब्द के योगाथ को ही ग्रहण करना चाहिए। भाषा भी वर्षा करती है। अब वर्षा का अथ लक्षणा के बल से कुछ विस्तृत हो जाता है। वर्षा का इस प्रसंग में अथ है मानव की इच्छा की पूर्ति करना। वक्ता अपनी इच्छा को जब भाषा के माध्यम से प्रकट करता है तभी तो उसकी पूर्ति का प्रयास किया जा सकता है। कुछ इच्छाएँ इमित्तो, संकेतो या हस्त-चालन आदि चेष्टाया में प्रकट की जा सकती हैं किंतु ये संकेत सीमित हैं। इनके द्वारा हर प्रकार की इच्छा का असदिग्ध रूप में प्रकट करना संभव नहीं है। कई भाव या विचार ऐसे सूक्ष्म और जटिल होते हैं कि भाषा के सिवाय उनके प्रकाशन का कोई दूसरा साधन ही नहीं सकता। भाषा तो हमारे हर प्रकार के भाव, विचार या इच्छा को व्यक्त कर सकती है। ऐसा प्रभावशाली तथा उपयोगी साधन और कुछ नहीं है। इसीलिए, 'सर्वान् कामान् वपति इति वृषभ' की व्युत्पत्ति को मानकर भाषा को वृषभ कहते हैं और लौकिक वृषभ (वँल) के साथ उसकी तुलना भी करते हैं। 'भाषा और वृषभ' का लिंगभेद इस रूपकानिशयोक्ति अलंकार की निष्पत्ति में बाधक नहीं हो सकता।

३५ चत्वारि शृगा' का तात्पर्य है कि चार शब्दभेद होते हैं, जो भाषारूपी वृषभ के चार शृग माने जाते हैं। ये शब्दभेद हैं—नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम' के अंतर्गत सत्ता सवनाम तथा विशेषण (Noun, Pronoun and Adjective) का समावेश किया जाता है। क्रिया को पुराने वैयाकरण 'आध्यात' कहते थे। अव्यय का ही दूसरा नाम निपात है। 'उपसर्ग' एक छोटा वग है जिम्में सदस्य परिगणित हैं। इनको अलग वग के रूप में मायता देने का कारण यही है कि य स्वयं किसी निश्चित अथ के वाचक नहीं होते, किंतु जित निया के साथ प्रयुक्त होते हैं, उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन-परिवर्धन कर देते हैं। इन शब्दभेदों

की चर्चा आगे यथास्थान विस्तार से की जाएगी। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि पाश्चात्य परम्परा में जो आठ शब्दभेद (Parts of Speech) स्वीकृत हैं, उनका अतर्भाव उपयुक्त चार वर्गों में हो जाता है। अंग्रेजी व्याकरण के Noun, Pronoun तथा Adjective तो 'नाम' के वर्ग में आते हैं। Verb आख्यात का पर्याय है। Preposition का काम संस्कृत में विभक्ति प्रत्यय करते हैं। 'अधि' आदि कुछ उपसर्ग तथा निपात भी विभक्त्यर्थ का प्रत्यायन करते हैं। अतः Preposition के लिए संस्कृत भाषा में एक स्वतंत्र या अतिरिक्त वर्ग की कल्पना आवश्यक नहीं है। Adverb, Conjunction और Interjection निपाता के ही अन्वय भेद हैं। अंग्रेजी में उपसर्ग के समान कोई वर्ग नहीं है। निया क विशेषार्थ के द्योतक उपसर्ग के लिए अंग्रेजी में एक नया शब्द प्रयुक्त होने लगा है—Pre verb। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य परंपरा के आठ शब्दभेद वैदिक परम्परा के चार शब्दभेदों में ही अंतर्भूत हैं।

३६ चार शब्दभेदों की एक और व्याख्या भी की गयी है। 'वाच' के चार भेद होते हैं—परा, पश्यती, मध्यमा और वैखरी। एक अर्थ ऋचा में कहा गया है—“चत्वारि वाक परिमिता पदानि।” यह व्याख्या भी परम्परानुगत ही है। परा आदि की चर्चा भी आगे की जाएगी। पतञ्जलि ने इस मंत्र की व्याख्या में लिखा—“चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाता च।” उनके वाक्य में अंतिम पद चकार का क्या अर्थ है? चकार तो समुच्चयाधिक के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन इस वाक्य में वह किसका, किसके साथ समुच्चय कर रहा है? 'नामाख्यातोपसर्गनिपाता'—यह एक चतुष्पद द्वंद्व है। इस द्वंद्व से अभिहित चार प्रकार के शब्दों का अर्थ किसी के साथ समुच्चय चकार से प्रतीत होता है। अर्थात् यह चकार प्रकृत सदम में निरर्थक लगता है। अतः अर्वाचीन युग के महान् वैयाकरण नागेश भट्ट ने भाष्यकार के उपर्युक्त वाक्य की व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि परा आदि वाणी के चार भेद भी यहाँ विवक्षित हैं। उन्हीं का समुच्चय बताने के लिए भाष्य में चकार प्रयुक्त है।

३७ त्रयो अस्य पादा। वैदिक भाषा में पूर्वरूप संधि से रहित प्रयोग भी खूब पाये जाते हैं। 'त्रयो अस्य' ऐसा ही एक उदाहरण है। इस बल के तीन पाद होते हैं। ये पाद हैं काल के तीन भेद। भूत, भविष्यत् और वर्तमान की ही भाषारूपी वृत्त के तीन पाद कहा गया है।

३८ द्वे शीघ्रौ। इस बल के दो सिर हैं। भाष्यकार ने शीघ्र का अर्थ प्रधान बताया है। भाषा के दो प्रधान या मुख्य स्वरूप हैं। एक स्वरूप नित्य है, उसकी उत्पत्ति विकार या विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती। वह शब्दशून्य है, जो अनादि निघन है। वैयाकरण 'स्फोट' को स्वीकार करते हैं। स्फोट स ही अर्थ का मान होना है—'स्फुटति अथ अस्मात् इति स्फाट।' स्फाट नित्य होता है। भाषा

का दूसरा रूप अनित्य है। यह ध्वन्यात्मक रूप है। ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। हम जब ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तब उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। उच्चारण के तुरत बाद ध्वनियों का विनाश हो जाता है। उत्पत्ति और विनाश के बीच में ध्वनियों की क्षणिक सत्ता प्रत्यक्ष है। अतः भाषा के इस ध्वन्यात्मक रूप को अनित्य कहना प्रामाणिक है। स्फोट तथा ध्वनि भाषा के दो रूप हैं। इन्हीं को वृषभ व दा सिर कहा गया।

३६ सप्त हस्तासो अस्म्य। 'हस्तास' वैदिक रूप है। यह 'हस्त' शब्द का प्रथमा बहुवचन है। इस वृषभ के सात हाथ होते हैं। मातृ विभक्तियों को ही हाथ के रूप में स्वीकार किया गया है। सङ्कृत भाषा में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सात विभक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक विभक्ति में तीन वचन होते हैं। अतः विभक्ति-प्रत्यया की संख्या इक्कीस है। किंतु विभक्तियाँ तो सात ही मानी जाती हैं। कारक छह हैं। किंतु कारक और विभक्ति में मौलिक अंतर है। 'सप्त हस्तास' में इसलिए विभक्तियों का ही उल्लेख मानना उचित है।

३१० त्रिधा बद्ध। पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या में लिखा कि भाषारूपी वृषभ तीन स्थानों में बाँधा गया है। यह ध्वनियों के उच्चारण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी विचार की अभिव्यक्ति के लिए वाक्य का उच्चारण करते हैं, तब वास्तव में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे मन में किसी बात को व्यक्त करने की इच्छा पैदा होती है। इस प्रक्रिया को 'पाणिनीय शिक्षा' में निम्नांकित शब्दों में स्पष्ट किया गया है

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्
मनो युङ्क्ते विवक्षया।
मनः काष्ठाग्निमाहृति
स प्रेरयति माहृतम् ॥

इसका अर्थ है कि आत्मा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वस्तुव्यय या विवक्षित अर्थों का मकलन करता है। हम निश्चय करते हैं कि हम क्या कहना चाहिए। यह हमारा कथ्य—विषयवस्तु—ही अर्थ है। तब आत्मा मन को वताता है कि इस अर्थ का शब्द के माध्यम से प्रकाशन किया जाय। जा मा की प्रेरणा से मन सक्रिय होता है जो वह हमारे शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि का प्रेरित करता है। 'अग्नि' यहाँ तब अथवा शक्ति के लिए प्रयुक्त है। इस अग्नि से प्रेरित होकर शरीर के भीतर की वायु उत्क्षेपित होती है। इसी वायु से उच्चारण की क्रिया संपन्न होती है। वायु का प्रथम उद्गम स्थान ऊपर है। वहाँ से ऊपर चलकर वायु कंठ में प्रवेश करती है। अतः कंठ द्वितीय स्थान है। कंठ के ऊपर का जो भाग है और जिसमें तालु आदि विभिन्न उच्चारण-स्थान बने हुए हैं, उसे हम 'शिरस'

बहुते हैं। इसी का 'मूर्धा' का नाम भी दिया जाता है। यह तीसरा स्थान है। इन तीनों स्थानों में वायु की गति से ध्वनियों का उच्चारण होता है। 'त्रिपु म्थानपु वद्ध उरसि वठे शिरसि।' भाष्यकार इन शब्दा में उच्चारण की प्रक्रिया को समझाते हैं।

३११ यह धपम उच्च स्वर से घ्रापणा करता है (रोरवीति) कि महान्व मर्त्यो म अवतरित हुए। महान् देव का अर्थ है परमात्मा। व्याकरण की दृष्टि में शब्दब्रह्म ही परतत्त्व है। हम तो मरणधर्मासाधारण श्रेणी के मनुष्य हैं। "जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः।" "इदं भस्मात् शरीरम्।" एम मर्त्यो म परमात्मा का अवतार या अनुप्रवेश कैसे हो सकता है? पतञ्जलि ने कहा कि 'महता देवेन न साम्यं यथा स्यात्।' उनका मत है कि व्याकरण का अध्ययन करके शब्दा का सही प्रयोग करें तो हम परमात्म साम्य के अधिकारी हो सकते हैं। यह परमात्म साम्य क्या है? इस सुन्दर उक्ति का तात्पर्य है कि मानव में भाषा के माध्यम से देवी शक्ति का विकास किया जा सकता है।

मानव का जीवन अल्पकालिक है। उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। फिर भी मानव न भाषा की सहायता से कितना विकास किया है! आज ससार में कितनी विद्याएँ विकसित हुई हैं! कितना ज्ञान मानव ने अर्जित किया है! और इस अमूल्य ज्ञान भण्डार की प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। विद्वान् निरंतर ज्ञान की साधना में लग हुए हैं। इसी ज्ञान के आधार पर मानवीय सस्कृति का भय निमाण हो रहा है। यही देवी शक्ति का विकास या मर्त्यो मे परमात्मा का अनुप्रवेश है।

हर आदमी जब जन्म लेता है तब भौतिक रूप में वह केवल पशु ही जाना है। आहार निद्रा आदि में मानव और पशु के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है

'आहार निद्रा भय मधुन तु
सामाद्यमेतत् पशुभिनरानाम।'

किंतु मानव के पास एक अमूल्य संपत्ति है—भाषा। मानव प्रयत्न से भाषा को अर्जित करता है। इस भाषा के माध्यम से वह ज्ञान भण्डार पर अधिकार कर लेता है। वह सभ्य और सस्कृत बनकर उत्तम जीवन बिताने लगता है। पशुत्व से ऊपर उठकर देवत्व के सोपान पर कदम रखने की श्रमना प्राप्त करता है। भाषा ही उस पशुत्व के शाप से मुक्ति दिलाकर देवत्व का वरदान दे सकती है। इसी भाषामूलक विकास का परमात्मा का अनुप्रवेश कहा गया है।

३१२ ऋचा में भाषा का महत्त्व पूर्वोक्त रूपकातिशयोक्ति के जरिये बताया गया है। इसीको सस्कृत के एक विख्यात आलंकारिक आचार्य दंडी ने 'काव्यादर्श

म अपनी शली म दुहराया है

इदमघ तम कृत्स्न जायेत भ्रुवनत्रयम ।
यदि शब्दाह्वय ज्योतिरासत्सारान न दीप्यते ॥

दडी का कहना है कि शब्द एक विलक्षण ज्योति है। इस प्रसंग में शब्द का अर्थ भाषा है। भाषारूपी ज्योति के कारण सार ससार म—तीना लोका म—प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश का अर्थ असदिग्ध ज्ञान है। अधकार में पदाद्य प्रकाशित नहीं हात। जल्प प्रकाश की स्थिति में पदार्थों का ज्ञान अस्पष्ट या सदिग्ध रहता है। जहाँ पर्याप्त प्रकाश का प्रवृद्ध है वहाँ पदार्थों का स्पष्ट और असदिग्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीना लोका में समस्त पदार्थों को उदभासित करने वाला प्रकाश भाषारूपी ज्योति से ही उपलब्ध होता है। इस ज्योति के अभाव में तो साग ससार अधकार में विनीन हो जायेगा। किसीको किसी विषय का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। समस्त विद्याओं का उच्छेद हो जायेगा।

मूय आदि ज्योतिपुजों से वाह्य अधकार का निवारण होता है। किंतु अज्ञानरूपी आंतरिक अधकार का निवारण करने की क्षमता एकमात्र भाषा में ही निहित है। अनएव भारतीय मनीषियों ने वाणी को 'सरस्वती देवी' के रूप में मा यत्ता दी और उसकी उपासना को कर्तव्य माना "वाचमुपास्व" भाषा की देवी वास्तव में समस्त विद्याओं की देवी है दडी ने इसीलिए कायादश कं जारभ में मंगलाचरण के रूप में विद्या की देवी वाणी की स्तुति की है

चतुर्मुखमुखाम्भोज
वन - हस - वधूमम ।
मानसे रमता नित्य
सवशुक्ला सरस्वती ॥

वाणी जादि भाषा के ही पर्याय हैं। अमरकाश की पक्ति है— 'गोर्वाग् वाणी सरस्वती ।' इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय आचार्य भाषा को कितना महत्त्व देते थे। यह जघविश्वास की बात नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का महत्त्व पहचानने के कारण ही उसे देवी का स्थान दिया गया है।

४ भाषा हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्त्व रखती है। समस्त लोकव्यवहार भाषा पर ही आधारित है। अशिक्षित लोग भी अपना काम भाषा के द्वारा ही चलाते हैं। उनकी भाषा भले ही शिष्टसम्मत न हो व व्याकरण की सूक्ष्म बातों से भले ही अनभिज्ञ हो, किंतु भाषा के बिना उनका व्यवहार नहीं चल सकता। दडी कहते हैं

इह शिष्टानुशिष्टानाम्
शिष्टानामपि सवया ।
याचामेय प्रसादेन
लोकादात्ता प्रयन्ते ॥

(काम्यादश)

शिष्टानुशिष्टानाम्' का अर्थ है ऐसे शब्द, जो शिष्ट समाज के द्वारा स्वीकृत तथा ब्याकरणों के नियमों से प्रमाणित हैं—'पाणिनिप्रभृतिभिः शास्त्रकारै-
रवाख्यातानामित्यय ।' इस शब्दों से मानव भाषा का निर्माण होता है । यही शिष्टपरिगृहीत माहित्विक या प्राथमिक भाषा है । शिष्टानाम्' का अर्थ है ऐसे शब्द जो इस मानव भाषा में नहीं आते । यह दूसरा वर्ग बहुत व्यापक है, इसमें मानव के अतिरिक्त समस्त भाषारूपा का समावेश किया जा सकता है । बोलियाँ, आचलिक या प्रादेशिक प्रयोग अपशब्द आदि समस्त भाषाई सामग्री का इसी वर्ग में स्थान देना चाहिए । ऐसे शिष्टतन्मत्त या उममे भिन्न प्रकार के शब्दों से ही लौक-व्यवहार प्रचलित हो रहा है ।

ऐसी महत्त्वपूर्ण भाषा के विषय में हम क्या जानते हैं ? भाषा की जानकारी कितनी प्राप्त करते हैं ? हम तो बचपन से ही भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं । बच्चे बड़ा की नकल करके भाषा सीखते हैं । अनुकरण के द्वारा भाषा का शिक्षण सरलता से प्राप्त होता है । भाषा अनायास—हमारे प्रयत्न के बिना—संप्राप्त या अधिगत नहीं होती । भाषा तो अर्जित की जाती है । मानव मस्तिष्क में ऐसी एक विलक्षण शक्ति निहित है कि वह भाषा को अर्जित कर सकता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकता है । भाषा-अधिगत या शिक्षण की प्रक्रिया का आरम्भ शैशवावस्था से ही माना जाता है और जीवन पथत यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है । भाषा शिक्षण का अंत कभी नहीं हो सकता । भाषा की शब्द-संपत्ति अनन्त है । इन शब्दों के विविध प्रकार के समा-योजनों से निर्मित होने वाले वाक्यों की कोई इयत्ता या सीमा नहीं है । भाषा में वाक्यों का भंडार अक्षय है अनन्त है । हम ऐसे वाक्यों का भी सहज रूप से निर्माण कर सकते हैं जो इससे पहले कभी प्रयुक्त नहीं हुए थे । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य रचना के स्वीकृत नियमों के आधार पर हम सवया नवीन एवं मौलिक उद्भावना कर सकते हैं । अतएव भाषा की सभावनाएँ वास्तव में असीमित होती हैं व पनातीत होती हैं । यह प्रत्यक्ष सत्य है कि हम भाषा की इस असीम संपत्ति का एक अल्प अंश ही काम में लाते हैं— 'सुरीय वाचो मनुष्या वदति ।' इसका अर्थ है कि हम भाषा के अक्षय भंडार के एक देश का ही उपयोग कर पाते हैं । कोई व्यक्ति सौ साल तक जीवित रहता है और जीवन के अंत तक भाषा का

प्रयोग करता रहता है, तो भी वह भाषा के कितने अंश का उपयोग कर पाता है ? करोड़ों व्यक्ति एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भी सब मिलकर सामूहिक रूप से क्या भाषा के समस्त शब्दों को समाप्त कर देना है ? समस्त मानवजाति अनन्त काल तक प्रयोग कर सके, इतनी बड़ी संख्या में शब्दों की अभय निधि भाषा के भंडार में सुरक्षित है। तो क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हम अपनी भाषा के विषय में पूर्ण ज्ञान रखते हैं ?

४१ कुछ लोग केवल अपनी मातृभाषा का जानते हैं। उन्हें किसी अन्य भाषा का परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। कुछ लोग अपनी किसी आवश्यकता के कारण अन्य भाषा भी सीखते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विविध कारणों से अन्य भाषा शिक्षण में रुचि लेनी पड़ती है। आज के भारत में लोग अंग्रेजी सीखते हैं। राष्ट्रभाषा और संप्रदाय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण भारत के अहिंदी क्षेत्रों के विद्यार्थी हिंदी सीखते हैं। विदेशी छात्र भी काफी संख्या में हिंदी सीखने लग गए हैं। उत्तर भारत के कुछ लोग सांस्कृतिक तथा साहित्यिक आदान प्रदान की दृष्टि से दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखते हैं। सांस्कृतिक एकता की रक्षा के लिए तथा प्राचीन भारत का यथार्थ परिचय देने के लिए कुछ लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार लाखों करोड़ों लोग विविध उद्देश्यों से प्रेरित होकर अपनी मातृभाषा से भिन्न एक या अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर भी इनमें से कितने लोग यह दावा कर सकते हैं कि हमने इस या उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है ?

अपनी मातृभाषा के संबंध में भी लोगों को कितना ज्ञान होता है ? कई लोग भाषा सीखने में इतने सफल होते हैं कि एक साथ कई भाषाओं पर अच्छा अधिकार रखते हैं। फिर भी क्या उन्हें भाषा के संबंध में स्पष्ट अंतर्दृष्टि और पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है ? खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम भाषा का व्यवहार करते हैं, किंतु उसकी प्रकृति, स्वरूप या रहस्य को हम नहीं जानते। पूर्ण ज्ञान की आशा करना तो दूर की बात है किंतु भाषा का निकट परिचय रखने पर भी हम उसके संबंध में सामान्य ज्ञान प्राप्त नहीं करते, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, हमारे मन में जिज्ञासा ही नहीं उठती, इसीलिए भाषा के गंभीर विवेचन एवं विश्लेषण की दिशा में हम कुछ नहीं करते। काम चलाऊ ज्ञान पाकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक कुछ जानने की कामना या उत्कंठा के अभाव में हमारा ज्ञान बहुत ही निम्न स्तर का रह जाता है।

४२ हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है। हम अपनी रूचि के अनुसार विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को तैयार करते हैं। पेटरसो का आस्वादन करते हैं। हम सामान्य रूप से यह जानते हैं कि प्राण धारण के लिए भोजन अनिवार्य है। किंतु कितने लोग जानते हैं कि

से शरीर का पोषण कैसे होता है ? हम जो रोटी चावल आदि खाते हैं इस भाग्य सामग्री से शरीर का निर्वाह के लिए आवश्यक रक्त, मांस, हड्डी आदि का निर्माण किस प्रकार होता है ? हमारे पेट में पहुँचने के बाद भोजन का क्या होता है ? जो लोग शरीर विज्ञान के अध्ययन या वैद्यशास्त्र के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कैसे निष्पन्न होती है। साधारण लोग तो भूख लगने पर खाना खाते हैं वे भोजन से प्राप्त हानिकारक लाभ का तो अवश्य पाते हैं, किंतु उस प्रक्रिया का रहस्य को नहीं जानते। इसी प्रकार हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भाषा का प्रयोग तो करते हैं किंतु भाषा का अमरी स्वरूप को या उसका अंतरण रहस्य को हम नहीं जानते।

४३ ऋग्वेद का एक मंत्र भाषा का इस गहन तत्त्व की व्याख्या करता है

उत त्व परयन न ददश याचम
उत त्व शृण्वन न शृणोत्येनाम् ।
उतो त्वस्म तव विसर्त्रे
जायेव पत्य उशती मुवासा ॥

(ऋग्वेद, १० ७१-४)

इसका सरल अर्थ है कि वाद भाषा का देखकर भी नहीं देखता। अर्थात् उसका भाषादेशन अपूर्ण है। किंचित ज्ञान प्राप्त होत से हम कह सकते हैं कि हम भाषा को जानते हैं। पूर्ण ज्ञान के अभाव का कारण हम यह भी मानन का तयार हैं कि हम भाषा को नहीं जानते। कोई भाषा को सुनकर भी नहीं सुनता। यहाँ सुनन का अर्थ केवल श्रवण नहीं, अपितु समझना है। श्रवणपूर्वक अर्थ-ज्ञान को 'श्रवण का रूप में कहा गया है। हम भाषा के कुछ शब्दों या वाक्यों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करते हैं किंतु सभी शब्दों और वाक्यों का अर्थ हम समझ नहीं पाते। भाषा एक जटिल व्यवस्था है, उसके अंतर्गत कई व्यवस्थाएँ काम कर रही हैं। एक तो भाषा की ध्वनि व्यवस्था है। ध्वनिया का ज्ञान भाषा ज्ञान का मूल आधार है। इस ज्ञान के बिना हम ध्वनिया का मही उच्चारण नहीं कर सकते तथा दूसरों के उच्चारण का सुनकर पहचान नहीं सकते। दूसरी रूपव्यवस्था है। प्रत्येक शब्द के कई रूप होने हैं उनमें सूक्ष्म अर्थभेद विद्यमान रहता है। भाषा की रूपात्मक संरचना का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो तो फिर उस भाषा में व्यवहार करने की क्षमता प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरी वाक्य व्यवस्था है। वाक्य के घटक पदों का क्रम किस प्रकार का है ? एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध कैसे स्थापित होता है ? अविधि के नियम क्या हैं ? वाक्य व्यवस्था का अंतर्गत ऐसी कई बातों का विवेचन अभीष्ट है। इसका ज्ञान नहीं हो तो फिर हम अपने विचारों का संप्रपण कैसे कर सकते हैं या दूसरों के विचारों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं ? चौथी

अय-व्यवस्था (Semantic System) है। प्रत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। इस अर्थ की व्याप्ति तथा सीमा को भली भाँति जानने पर ही हम उस शब्द का सही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा विस्तृत, गभीर और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा का गहन अध्ययन करना अपेक्षित है। हम तो सतही ज्ञान पाकर उसीसे अपना काम चला लेते हैं। अतएव मग्न म कहा गया है कि हम दण्डक भी नहीं देखते, मुनकर भी नहीं मुनते। सक्षेप म इसका तात्पर्य है कि हम अल्प ज्ञान से सतुष्ट होकर पर्याप्त शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते।

४४ किंतु कुछ लोगो के मन में जिज्ञासा प्रबल होती है। वे जधूरे ज्ञान से सतुष्ट नहीं हात। उनके सामने कई पश्न आ खडे हात हैं। इन प्रश्ना का उत्तर खोज निकालने के प्रयत्न म उन जिज्ञासुआ को भाषा सबधी अनेकानक तथ्या का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई भक्त अपनी तपस्या और साधना से भगवान् का साक्षात्कार कर सकता है, उसी प्रकार व भाषा के यथाय स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। "तव विसल्ले ।"—भाषा ऐसे साधको के सामने अपना स्वरूप खोलकर प्रकट कर देती है। भाषाविज्ञानी या व्याकरण वाणी की उपासना करनेवाला भक्त है। भाषा ही उसकी आराध्य देवी है। भाषा के मम को समझने के लिए वह निरंतर प्रयत्न करता है। यही उसकी तपस्या है। इस तपस्या का ही यह परिणाम होता है कि वह भाषा के अतरंग को पहचान लेता है। भाषा में निहित व्यवस्था के दर्शन कर लेता है और उस व्यवस्था की व्याख्या कर सकता है।

४५ मग्न इस बात पर बल दे रहा है कि विश्लेषण या विवचन का प्रयास करना भाषातत्त्व-दर्शन के लिए अत्यावश्यक है। पल्लवग्राही पांडित्य से इस काय म कोई लाभ नहीं होगा। भाषा की समस्त उपलब्ध सामग्री का प्रामाणिक सकलन, शास्त्रीय पद्धति से उस सामग्री का सूक्ष्म विवेचन और समाहित उत्तरा का परीक्षण पुनरीक्षण आदि उपायो से भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर ही हम अपनी भाषा का सही ज्ञान प्राप्त हा सकता है। ऐसा अध्ययन करने के लिए जब मानव ने पहला प्रयत्न किया, तब भाषा विज्ञान या व्याकरण का आरम्भ हुआ।

५ बहिव साहित्य म यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल म भाषा का व्यवहार ता हो रहा था पर उसका विवचन विश्लेषण नहीं हुआ था। इस विश्लेषण का ही नाम 'व्याकरण' है। तब भाषा अव्याकृत ग्ही थी। इसम कुछ विद्वानो को भाषा विश्लेषण की आवश्यकता प्रतीत हुई। उहान 'इद्र नामक एक श्रेष्ठ विद्वान् स प्राथना की कि आप भाषा का विवचन प्रस्तुत कीजिए। इद्र भाषा के ममज्ञ विद्वान् थे। उन्होंने भाषा का रहस्य उदघाटित करत हुए एक 'व्याकरण'

का प्रणयन किया।

वद के वाक्य निम्न प्रकार के हैं

याग य परच्यव्याहृताऽवदत ।

ते देवा इन्द्रमयुवन ।

इमां नो याच व्याकृविति ।

तामिन्द्रो मध्यतोऽत्रक्रम्य व्याकरोत ॥

(तैत्तिरीय संहिता, ६-५ ७)

य 'इन्द्र' कौन थे ? इनके काल, देश, प्रय आदि के बारे में आज हम कुछ नहीं जानते। परंपरा मानती है कि एक ऐंद्र व्याकरण था। आज तो यह प्रय लुप्त हो चुका है। जनश्रुति के अनुसार तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण 'तोलवाप्पियम्' ऐंद्र व्याकरण में प्रभावित है। 'तोलवाप्पियम्' की रचना दो हजार वर्ष पूर्व हुई। अतः यह संभव है कि उस समय तक ऐंद्र व्याकरण का प्रचार रहा हो। विदु पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहीं एक व्याकरण के रूप में इन्द्र का स्मरण नहीं किया। इस नकारात्मक साक्ष्य से कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। इतना ही असंदिग्ध रूप में कहा जा सकता है कि इन्द्र नाम के एक आचार्य संहृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे।

५१ पाणिनि ने अष्टाध्यायी में दस आचार्यों के नाम निर्देशपूर्वक स्मरण किया है। इससे प्रमाणित होता है कि पाणिनि से पूर्व ही संहृत में व्याकरण की एक समृद्ध परम्परा का विकास हो चुका था। इनमें से दस आचार्यों का उल्लेख यास्क ने अपन निरुक्त में किया है। ये आचार्य हैं शाकटायन और गार्ग्य। शाकटायन व्युत्पत्तिवादी थे। उनका मिथ्यात्व था कि संहृत भाषा के सभी नामपद आद्यात या धातु से व्युत्पन्न हुए हैं। यही 'निरुक्त' का भी निष्कर्ष है। यास्क ने लिखा है—

सर्वाणि नामानि आद्यातजानि इति शाकटायन ।" इसके विपरीत गार्ग्य का मत था कि कुछ शब्द व्युत्पन्न हैं तो कुछ अ-व्युत्पन्न भी हैं। गार्ग्य के साथ कुछ अन्य वैयाकरण भी इसी विचार के पक्ष में थे। यास्क ने कहा है, 'न सर्वाणोति गार्ग्य वैयाकरणानाञ्चके।" यास्क के इस कथन से हम अनुमान कर सकते हैं कि तब तत्र व्याकरण के कुछ संप्रदाय (Schools) बन चुके थे। गार्ग्य आदि कुछ वैयाकरण अ-व्युत्पत्ति पक्ष का समर्थन कर रहे थे शाकटायन आदि कुछ अन्य वैयाकरण व्युत्पत्ति पक्ष की स्थापना करने में लगे थे।

५२ रोचक बात तो यह है कि अव्युत्पत्ति पक्ष के आचार्य भी मानते थे कि कई शब्द व्युत्पन्न हैं (न सर्वाणोति गार्ग्य)। आचार्य गार्ग्य का कहना था कि सभी शब्द व्युत्पन्न नहीं हैं। भाषा में उपलब्ध समस्त शब्दों को व्युत्पन्न कहना

तो आग्रह की बात होगी। इस अतिवाद का गार्ग्य ने खडन किया। लेकिन यह भी तो अतिवाद का ही एक दूसरा रूप होता यदि गार्ग्य कहते कि सभी शब्द अव्युत्पन्न हैं। व्युत्पत्तिवादी आचार्य अव्युत्पन्न शब्दों का निषेध करते हैं। प्रत्यक् शब्द की व्युत्पत्ति बतलाने का वे प्रयास करते हैं, किंतु अव्युत्पत्तिवादी आचार्य भी व्युत्पन्न शब्दों का निषेध नहीं करते। वे तो स्वीकार करते हैं कि कई शब्द आख्यात (धातु) से निष्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गार्ग्य व्युत्पत्ति के विरोधी नहीं हैं। शाकटायन और गार्ग्य में व्युत्पत्ति के विषय में ऐकमत्य है। अंतर केवल इतना है कि शाकटायन अतिवादी हैं और गार्ग्य इस प्रकार के आग्रह से मुक्त हैं।

५३ 'व्युत्पत्ति' का अर्थ क्या है? यह शब्द दो उपसर्गों से युक्त 'पद धातु से निष्पन्न है। वि + उत + पद + ति = व्युत्पत्ति। इसका अर्थ है प्रवृत्ति प्रत्यय-विभाग के आधार पर शब्द की निष्पत्ति। 'पद' एक धातु है। इसके बाद कितने प्रत्यय जुड़ा है। इस प्रकार हम इस शब्द में एक प्रवृत्ति (मूल शब्द) और एक प्रत्यय का अस्तित्व पहचानते हैं। धातु का अर्थ क्या है? उसमें जुड़नेवाले प्रत्यय का अर्थ क्या है? इस प्रत्यय को जोड़ने पर प्रवृत्ति में क्या ध्वन्यात्मक परिवर्तन होता है? उपसर्गों के योग से धातु के अर्थ में किस प्रकार की विशेषता का आधान होता है? यही 'व्युत्पत्ति' का क्षेत्र है। इस प्रकार की चर्चा करके, व्युत्पत्ति का आधार पर शब्द का अर्थ निणय करना निरुक्त या निवचन का काम है। इस विवेचन से पता होता है कि निरुक्त व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण उपजीव्य शास्त्र है। उसी का अवलंबन लेकर निरुक्त की प्रवृत्ति होती है। व्याकरण के बिना निरुक्त का निर्माण करना संभव नहीं है। अतएव यास्क ने स्वीकार किया है कि निरुक्त व्याकरण का पूरक है, उसीका एक विस्तारण (Extension) है—'व्याकरणस्य वात्सल्यम्।' 'कृत्स्न' का अर्थ है समग्र, संपूर्ण। व्याकरण की पूर्णता निरुक्त से की जाती है। यही यास्क का भाव है। उनके ग्रंथ का परिशीलन करने से प्रमाणित होता है कि व्याकरण का व्यापक भाग नहीं है तो निरुक्त का विचार करने की क्षमता प्राप्त नहीं है। सत्यी।

५४ शास्त्रकारों ने माना है कि वद के छह अंग होने हैं। अमरकाश आदि ग्रंथों में इन अंगों की सूची दी गयी है

“शिक्षा व्याकरण छन्दो
निरुक्त ज्योतिष तथा।
कल्प चेति षडङ्गानि
वेदस्याहमनीयिण ॥

इनमें से ज्योतिष और कल्प भाषा से संबंधित नहीं हैं। बाकी चारों अंग—

शिक्षा 'व्याकरण निरुक्त और छ'—भाषा सही सबधित है। इन चारों का भाषा विज्ञान का अंग कह सकते हैं। इनमें छ' पद्य की भाषा तक सीमित है और वर्णों की सख्या, मात्रा तथा गुणलाघव की चर्चा करता है। भाषा के अर्थ तथा से उसका सबध नहीं है। बितु शिक्षा आदि तीनों अंग भाषा के विश्लेषण के लिए अतिव्याप्त हैं। इनमें व्याकरण प्रधान है। शिक्षा और निरुक्त उसीके पोषक और पूरक अंग हैं। शिक्षा का अर्थ है ध्वनि विज्ञान। यह व्याकरण की आधारभूत है। निरुक्त तो व्याकरण का ही व्युत्पत्तिररक अनुप्रयोग है। व्याकरण का कोश विज्ञान के साथ जाडनेवाली बड़ी निरुक्त है। अतः यह मानना तबसगत है कि निरुक्त से पहले व्याकरण का विकास हुआ। यास्व का ग्रन्थ स्वयं ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है।

६ ऋग्वेद संहिता में निवचन अथवा व्युत्पत्ति प्रदर्शन के कई उदाहरण मिलते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में ऋषिभाषा ने व्युत्पत्ति के सबध में मौलिक चिन्तन किया था और धातु प्रत्यय उनके योग होने वाले रूपांतर आदि की कल्पना की थी। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं

- | | |
|---|------------|
| (१) एवा वसिस्तुवीर्या ऋतजा
द्रविणस्युद्रविणसश्चकान । | (१० ६४ १६) |
| (२) स्तोतव्या महते मधम । | (१-११ ३) |
| (३) गायति त्वा गायत्रिणोऽवत्पर्कमरिण । | (१ १० १) |
| (४) अचन्त्यक मदिरस्य पीतये । | (१-१६६-७) |
| (५) समिध्यमान प्रथमानुधर्मा समवतुभिरव्यते विश्ववार । | (३ १७ १) |

'निरुक्त मीमासा' के लेखक श्री शिवनारायण शास्त्री ने 'भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका' नामक पुस्तक में वैदिक साहित्य में उपलब्ध व्युत्पत्तियों की एक काफी बड़ी सूची प्रस्तुत की है। उन्होंने ऋग्वेद से निवचन के १४६ (एक सौ छियालीस) उदाहरण संकलित करके दिए हैं। इस पुस्तक में श्री शास्त्रीजी के दो लेख द्रष्टव्य हैं (१) ऋग्वेद संहिता में व्युत्पत्ति चिन्तन (पृष्ठ २४ ११७), (२) ऋग्वेदतर वैदिक वाङ्मय में व्युत्पत्ति चिन्तन (पृष्ठ ११८-१५२)। इस प्रकार काफी विस्तार के साथ श्री शास्त्रीजी ने सैकड़ों उदाहरण देकर व्युत्पत्ति विज्ञान

१ 'भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका'—प्रथम संस्करण सन् १९७२ प्रकाशक—नेशनल पब्लिशिंग हाउस दरियागंज दिल्ली ६ संपादक—डा० भोलानाथ तिवारी डा० गणेश लाल चतुर्वेदी डा० भगवति ।

जो प्रारंभिक विकास का चित्रण किया है। वैदिक ऋषिया का व्युत्पत्ति के विषय में इतना जान रहा है कि व्याकरण के विकास के बिना इसकी कल्पना तक करना कठिन है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेदिक ग्रंथों में प्रमाणित होता है कि संस्कृत भाषा का वनानिक अध्ययन वैदिक काल में ही काफी आगे बढ़ चुका था।

६१ यास्क ने व्युत्पत्ति का निरूपण करने के लिए भाषा में होनेवाले रूप-स्वनिमोय विकारों का (Morphophonemic changes) अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। लोप, आगम और आदेश के उदाहरण देकर बताया है कि ऐसे विकारों का प्रामाणिक नाम प्राप्त करना व्युत्पत्ति के प्रतिपादन के लिए अनिवार्य है। काशिकावृत्ति के लेखक जयादित्य ने भी इसी प्रकार वृत्ति विकारों के अध्ययन का महत्त्व बताया है

वर्णागमो वणविषयश्च द्वौ चापरो वण विकार नाशौ घातोस्तदर्थ्यातिशयेन तदुच्यते पञ्चविध निरूपतम् ॥

Purchased with the aid of the Govt of India Scheme of Financial Assistance to the year 393/19

यास्क ने इन विकारों के जो उदाहरण दिखाए हैं उनकी परीक्षा करने में जात होता है कि शब्द रचना की प्रक्रिया का गूढ़ रहस्य यास्क की समझ में आ चुका था। उन्होंने लिखा है

(१) "प्रत्तभवत्तमिति घात्वादी एव शिष्येते । अयाप्यस्तेनिवृत्तिस्थानेष्वदि-लोपो भवति—स्त सतीति । अयाप्यतलोपो भवति—गत्वा, गतमिति । अयाप्युपधालोपो भवति—जग्मतु जग्मुरिति । अयापि वणलोपो भवति—तत्त्वा यामीति । अयापि द्विवणलोप —तृच इति ।

(२) अयापि उपधाविकारा भवति—राजा, दण्डीति । अयापि आदि-व्यापत्तिभवति—ज्योतिषमो विदुर्बाध इति । अयाप्याद्यतविषययो भवति—स्तोत्रा, रज्जू सिकता तद्विवति । अयापि अतव्यापत्तिभवति—ओघो मेघो नाघो गाघा वधूमध्विति । अयापि वर्णोपजन —आस्थत द्वारो, भरुजेति ॥"

६२ यास्क ने 'प्रत्तम् अवत्तम्' में आदि ध्वनि का शेष बताया है। 'घात्वादी एव शिष्येते ।' इन रूपों की रचना पर विचार करने दें। प्र + दा + त = प्रत्त । अव + दा + त = अवत्त । यह 'दा' धातु का भूतकालिक क्तप्रत्यायत (Past Participle) रूप है। यास्क का कहना है कि 'प्र' और 'अव' के बाद 'दा' धातु का प्रथम वण दकार तो बचता है, किंतु उसके द्वितीय वण 'आ' का लोप हो जाता है। 'जा'कार के लोप के बाद धातु का रूप 'द' रह जाता है। 'द्वार' धोप है, किंतु परवर्ती तकार अधोप है। अतः परवर्ती वण के प्रभाव से दकार भी अधोप बन जाता है, त में बदल जाता है। इस प्रकार प्रत्तम् और अवत्तम् में आदि

वण का शेष और उसका अधोपीकरण हुआ है। इन शब्दों में दा' तरह' व' विकार हुए हैं। 'दा' धातु व' आकार का लोप तो किसी विशिष्ट उपसर्ग या प्रत्यय के योग में ही संभव है। अथवा 'ददाति', 'दानम्', 'दाता' आदि में आकार श्रुद्धमान रहता है, उसका लोप नहीं होता। अतः यह विकार रूपस्वामीय (Morphologically Conditioned or Morphophonemic) है। आकार व' सार व' बाद दकार का अधोपीकरण प्रत्यय, उपसर्ग आदि रूपात्मक तत्त्वों पर आधारित न होकर केवल वर्णाश्रित तथा वर्णनिमित्तक (Phonologically Conditioned) है। ऐसे विकार का नाम है 'सधि'। यह 'चत्वं सधि का उदाहरण है।

६२१ यास्क ने बताया कि इन शब्दों में धातु के आकार का लोप है—यही आदि शेष का तात्पर्य है। किंतु पाणिनि ने दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की। उनका सूत्र है— अच उपसर्गात् त' (७४४७)। इस सूत्र का अर्थ है अजत उपसर्ग के बाद आन वाले 'दा' धातु व' अच् के स्थान पर तकार का आदेश होता है यदि तकारादि कित् प्रत्यय लगा हों। इस प्रकार 'दा' के आकार के स्थान में तकार का आदेश हुआ। कृत प्रत्यय है 'त'। धातु के दकार का चत्वं करने से वह भी 'त' हो गया। तो एक साथ तीन तकारों का संयोग हुआ जाता है। तीनों में से एक तकार का लोप किया जाता है—(१) शरो क्षरि सवर्णौ।" तब 'प्रत्तम्' आदि द्वितकारक रूपों की निष्पत्ति होती है।

६२२ आकारान्त धातुओं में आकार का लोप एक विरपरिचित और बहुप्रचलित प्रक्रिया है। इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है— 'आतो लाप इटि च। जलद फलप्रदम् यथादा आदि शब्दों में दा धातु के बाद आद्यधातु व' कित् प्रत्यय लगता है तो आकार का लोप हुआ जाता है। अथवा भी आकार का लोप देखा जा सकता है—'शनाभ्यन्तयोरात् ।' शीणति, ददति। कहने का तात्पर्य है कि आकार का लोप संस्कृत की रूप रचना प्रक्रिया में एक साधारण बात है। अतएव यास्क ने 'प्रत्तम्' आदि में भी ऐसे लोप की कल्पना की। पाणिनि ने यहाँ कुछ जटिलता को अपनाया। जब यास्क के अनुसार लोप और चत्व इन दो कार्यों (Operations) से रूपनिष्पत्ति हो रही है, तब पाणिनि के अनुसार तीन काय अपक्षित हैं—आदेश चत्व और लोप। लोप को छोड़ना संभव नहीं है। यास्क की प्रक्रिया अधिक सरल मालूम होती है।

६२३ यास्क ने आदिलोप के दो उदाहरण दिए—स्त, सति। ये अस् धातु के लट लकार (वर्तमान काल) के प्रथम पुरुष के द्विवचन-बहुवचन के रूप हैं। लट लकार के रूपों की तालिका नीचे प्रस्तुत है

		घातु 'अस (पत भुवि)	
		वनमान काल—	लट लृकार
पुं०	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्र० पु०	अस्ति	सु	सन्ति
म० पु०	असि	स्य	स्युः
उ० पु०	अस्मि	स्व	स्म

इन रूपा का देखने से स्पष्ट होता है कि एकवचन में अत का अकार श्रुण-माण रहता है किंतु द्विवचन और बहुवचन में उसका लोप हो जाता है। जिन प्रत्ययों के योग में अकार का लोप होता है, उनको यास्क ने 'निवृत्ति-स्थान' का नाम दिया है। निवृत्ति का अर्थ है वचन का लोप। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यास्क सस्कृत की रूपरचना (morphology) के सिद्धांतों को जानते थे।

६२४ इसी प्रकार 'शनम्' विकरण प्रत्यय के भी अकार का लोप होता है। रघादिगण की त्रियाओ में सावधातुक लकारों में 'शनम्' प्रत्यय जुड़ता है। इसमें शकार तथा मकार का इत्सना के कारण लोप हो जाता है 'न' बचता है। यह प्रत्यय मित् होने के कारण घातु के स्वरो में अंतिम स्वर के बाद लगता है— "मिदचोऽत्यात् पर ।" रघ् + ति । 'न' 'रघ्' में लकार के बाद जुड़ता है। र्घ् + न् + घ् + ति = रघ्नघि । यह एकवचन का रूप है। द्विवचन और बहुवचन में न के अकार का लोप हो जाता है—रघ्, र्घ् + ति । अतएव पाणिनि न इन दो बातों को मिलाकर एक सूत्र बनाया— "शनसोरल्लोप ।" यास्क के उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि वे ऐसे 'अल्लोप' (अकार का लोप) को जानते थे। हाँ, इतना अवश्य है कि पाणिनि की तरह यास्क ने अकार-लोप का नियम नहीं बताया।

६२५ यास्क ने अत लोप की चर्चा करते ही उदाहरण दिए—गत्वा, गतम्। ये शब्द 'गम्' घातु से निष्पन्न हैं। यह घातु मकारांत है। गमन, आगम, निगम, आगामी आदि शब्दों में मकार का श्रवण होता है, किंतु कई शब्दों में मकार का लोप हो जाता है। पाणिनि ने इसका नियम बताया— "अनुदात्तोपदेशवन्नतितनात्यादीनामनुनासिक लोपो षलि विडति ।" 'गम्' घातु अनुदात्तोपदेश है अत एलादि क्त या क्ति प्रत्यय परे होने पर 'गम्' के अनुनासिक मकार का लोप होता है। गम्यते इत्यादि में लोप नहीं होता, क्योंकि 'य' प्रत्यय 'ङित्' होने पर भी एलादि नहीं है। गत्वा आदि में भी लोप नहीं होता, क्योंकि 'नच या तासि' प्रत्यय एलादि तो है किंतु वट् क्ति नहीं है। गत्वा में पूर्व-वालिक त्रियायक प्रत्यय क्त्वा आया है, जो क्त्वादि ओर क्ति है। 'गतम्'

म वन प्रत्यय लगा है। यह भी झलादि और कित है। मत इन दोनों रूपों में मकार लुप्त हुआ है। पाणिनि ने इतने लक्ष्य का विवचन करने के लिए पूर्वोक्त नियम की स्थापना की। यास्क इन उदाहरणों से परिचित थे। इससे प्रमाणित है कि व्युत्पत्ति विज्ञान की सन्तुष्टि सीमा से बाहर भी व्याकरण की सामान्य प्रक्रिया को ब जानते थे।

६२६ उपधा लोप के दो उदाहरण यास्क ने दिए हैं—जग्मतु, जग्मु। किमी शब्द (रूप = morph) के उपात्य वण को उपधा कहते हैं—'अलोऽन्त्यात् पूव उपधा'—यह एक पारिभाषिक सज्ञा है। जग्मतु 'लिट्' लकार के प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप है। 'जग्मु' बहुवचन का रूप है। 'लिट्' लकार परोक्ष भूत के अर्थ में विहित है—'परोक्षे लिट्'। यह लकार आघघातुक है। इस लकार में कोई विकरण प्रत्यय नहीं लगता। किंतु लिट् में घातु का द्वित्व होता है—'लिटि घातो रनभ्यासस्य'। द्वित्व के बाद पूर्वघट में ववग के स्थान पर चवग का आदेश होता है—'कुहो च्'। पूर्वघट के पहले 'हल्' (व्यजन) को छोड़कर बाकी हल्-वर्णों का लोप होता है—'हलादि शेष'। अतुस् द्विवचन का प्रत्यय है। गम् + अतुस् = (द्विव) गम् + गम् + अतुस् = (अभ्यास में मकार का लोप तथा 'ग' के स्थान पर 'ज' का आदेश) ज + गम् + अतुस्। इस स्थिति में द्वित्व के उत्तर घट में 'गम्' की उपधा का—अकार का—लोप हो जाता है। 'ज + ग् + अतुस्'—जग्मतुस्—जग्मतु। यही प्रक्रिया बहुवचन में भी पायी जाती है। गम् + उत्स = जग्म् + उत्स = जग्मुस् = जग्मु। 'लिट्' लकार के द्विवचन तथा बहुवचन प्रत्यय 'कित' माने जाते हैं—'असमयोगात् लिट् कित'। कित या झित अजादि प्रत्यय के योग में 'गम्' घातु की उपधा का लोप विहित है—'गम्-हन जन-खन घसा लोप किञ्च्यनञि'। पाणिनि ने इस सूत्र में बताया है कि एक मकारात् (गम्) तीन नकारात् (हन, जन और खन) और एक मकारात् (घस) घातु की उपधा का कुछ विशिष्ट प्रत्ययों के योग में लोप होता है। यास्क इस तरह का नियम तो नहीं बताते, किंतु उपधा लोप के उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। 'गत्वा', 'गन्तम्' में मकार का लोप बताया। जग्मतु-जग्मु में उपधा लोप की चर्चा की। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वे शब्दों की आंतरिक रचना या रूप निष्पत्ति के स्थूल नियमों का ज्ञान रखते हैं?

६२७ 'तत्त्वा यामि' में यास्क ने वण-लोप बताया, टीकाकारों ने बताया है कि यहाँ 'यामि' का मूल रूप है 'याचामि'। याच घातु का लट् लकार उत्तम-पुरुष एकवचन का रूप है। 'याचामि' में चकार का लोप कर लिया। यह लोप उच्चारण-सौकर्य की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। चकार से पूर्ववर्ती तथा परवर्ती आ-कार च के व्यवधान के कारण सुरक्षित थे। चकार के हटा देने पर ये दोनों आकार मिलकर सवण दीर्घ की प्रक्रिया से एक ही आकार में परिणत

हो गए। इसी मायता के कारण यास्क ने इस शब्द में वणलोप' की स्थिति का बयान किया। हाँ, यह भी समभव है कि 'घा' अक्षर का (Syllable) ही लोप मान लें। प्राकृतों के विकास में इस प्रकार के वणलाप के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। सस्कृत के 'अक्षि' का विकास हिंदी में 'आख' के रूप में और 'हस्त' का विकास 'हाथ' के रूप में हुआ है। यहाँ भी वणलोप हुआ है। ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान के विद्वान् इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। यास्क के इस उदाहरण से भाषाविवेचन की सूक्ष्म दृष्टि का पता चलता है। किंतु यह ऐतिहासिक व्याकरण का क्षेत्र है।

६२८ 'तृच' शब्द में यास्क ने द्विवणलोप की स्थिति मानी। यह शब्द एक समास है—त्रि=ऋच=तृच। समास में पूर्वपद इकारात् है—त्रि। इसमें तीन वण हैं—त्+र+इ। अब समासावस्था में केवल तकार का श्रवण होता है, रेफ और इकार का लोप हो जाता है। द्विवणलाप के बाद निष्पन्न रूप है—तृच'। यहाँ लाप नहीं होता तो यणादेश हो जाता। तब पूर्वपद में तीन व्यंजना का संयोग रहता—त+र+य्। स्पष्ट है कि ऐसे त्रि-व्यंजन संयोग का उच्चारण कठिन है, अतः उच्चारण-सौकर्य की दृष्टि से द्विवणलोप का स्वीकार किया। पाणिनि ने भी कुछ ऐसे शब्दों को सकलित किया जिनकी रूप निष्पत्ति व्याकरण के सामान्य नियमों से साधित नहीं हो पाती। प्रत्यय शब्द की निष्पत्ति के लिए अलग-अलग नियम बनाना भी कठिन है। अतः उन्होंने ऐसे शब्दों को एक 'गण' में रखकर कहा कि इस गण में पठित शब्दों को इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए—
"पपोदरादीनि यथोपदिष्टम्।" यास्क का वाक्य पाणिनि के सूत्र की भूमिका तयार कर रहा है।

६२९ यास्क ने बताया कि राजा, दडी आदि शब्दों में उपधा का विकार देख सकते हैं। 'राजन्' और 'दडिन्' दोनों नकारात् प्रातिपदिक हैं। प्रथमा एकवचन में इनके रूप बनते हैं—'राजा', 'दडी'। प्रथमा एकवचन का प्रत्यय है 'सु'। उसका उकार इत् है, सिफ सकार बचता है। राम हरि शम्भु, बधू आदि अजत प्रातिपदिकों में यही प्रत्यय विसर्ग के रूप में दिखाई देता है। किंतु हलत् प्रातिपदिका में इस प्रत्यय का लोप होता है—हलङ् यावन्मा दीर्घात् सुतिस्य-पूर्वत् हल।' राजन्+स्=राजन्→राजान्→राजा। दडिन्+स्=दडिन्→दडीन्→दडी। दोनों शब्दों में उपधा का दीर्घ हुआ है। राजन्' शब्द में पाँच रूपों में अकार का दीर्घ होता है—राजा, राजानी राजान, राजानम् राजानी। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन तथा द्वितीया के एकवचन और द्विवचन 'सवनामस्थान' कहलाते हैं 'सुडनपुमवस्य'। सवनामस्थान के योग में नकारात् प्रातिपदिक की उपधा का दीर्घ विहित है—'सवनामस्थाने चासबुद्धौ।' सबुद्धि का अर्थ है संबोधन प्रथमा का एकवचन। सबुद्धि में उपधा दीर्घ नहीं होता—हे राजन्। इन्' से अतः होनेवाले शब्दों में 'सु' प्रत्यय (प्रथमा एकवचन) में ही दीर्घ का

विधान है—“इन्-हन्-पूपायम्णा शो”, “सो च”। दृष्टो। ‘अयत्र दीघ नहीं मिलता— दडिनी, दडिन’ इत्यादि। यास्क न प्रातिपदिक और सुप के योग में होने वाले इस विचार की चर्चा करके व्याकरण पान का और एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। यह भी व्युत्पत्ति विज्ञान से बाहर का—रूप-रचना प्रक्रिया का—क्षेत्र है।

६२१० “अद्यापि वर्णोपजन” कहकर यास्क न आगम के उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है—आस्थत’। यह दिवादि गण की प्रिया ‘अम (असु क्षेपणे) के लुङ् लकार का रूप है। “अस्यतिवक्तिरुपातिभ्योऽङ्”, “आडजादीनाम्” इन सूत्रों से विकरणप्रत्यय ‘अङ्’ तथा ‘आट्’ का विधान किया गया है। आट एक आगम है। टित होने के कारण वह धातु से पूर्व (आद्य-तो टकितो) जुड़ता है आ+अस्+अ+ति। यहाँ ‘अम’ धातु में अत म ‘य’कार का आगम विहित है—‘अस्यते थुक्’। कित्वाद तावयव। इस तरह यकार के आगम से रूप बना—‘आस्थत’।

६२११ उपयुक्त उदाहरणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि यास्क व्याकरण का काफी गभीर और विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही निरुक्त की रचना में प्रवृत्त हुए। उनका ग्रथ ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है। हाँ, व्याकरण की सीमा के भीतर रहकर जहाँ शब्दों का निवचन करना संभव नहीं हुआ, वहाँ यास्क न व्याकरण की परवाह न करते हुए स्वतंत्र ढंग से व्युत्पत्ति का प्रदशन किया है। किंतु यह प्रवृत्ति व्याकरण की उपेक्षा करने की नहीं है, अपितु यह केवल इस बात का संकेत है कि व्याकरण से भाषा के समस्त शब्दों की व्याख्या नहीं हो सकती। ऐसे अनियमित (Irregular) तथा अन-वार्यात शब्दों का निवचन करना निरुक्त’ की विशेषता है। अतः निरुक्त व्याकरण का पूरक है, वह व्याकरण का ही किंचित् विस्तार है। इस दृष्टि से हम निरुक्त का व्याकरण की एक विशिष्ट शाखा के रूप में मानना देते हैं।

७ यहाँ संक्षेप में ‘निरुक्त’ ग्रंथ का परिचय देना आवश्यक है। यह निघट्ट’ की व्याख्या है। निघट्टु ससार का सर्वप्रथम शब्दकोश है। बर्दिक शब्दों का संकलन करके निघट्टु बनाया गया। ऋग्वेद ससार का पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद से पूर्व किसी भाषा में कोई ग्रंथ निर्मित नहीं हुआ था। कुछ श्रद्धालु सांग मानते हैं कि वेद अनादि तथा अपौरुषेय हैं। किसी व्यक्ति ने वेद की रचना नहीं की। सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेदों का उपदेश दिया। श्वेताश्वतर उपनिषद् का मत कहता है कि ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि की और उस वेदों का पान दिया—‘यो ब्रह्माण विदधाति पूव, यो व वेदाश्च प्रहिपोति तम्म।’ किंतु यह तो श्रद्धा और विश्वास की बात है। हम यह मानकर चलें कि बसिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों ने वेद-मंत्रों का प्रणयन किया। ये ऋषि विभिन्न काल-खंडों में विभिन्न देशों में हुए थे। इनकी रचनाओं का संकलन ही ‘वेद’ है। ऋग्वेद में

दस हजार से अधिक ऋचाओं का सकलन किया गया है। ऋग्वेद एक व्यक्ति की रचना नहीं है। कई ऋषियों द्वारा प्रणीत अनेक मन्त्रों का सकलन ही ऋग्वेद के नाम से विख्यात है। अतः इस वेद की भाषा में कालवृत्त परिवर्तन के उदाहरण काफी संख्या में मिलते हैं। लगभग एक हजार वर्षों के दीर्घ काल में इस वेद के विभिन्न भागों की रचना हुई। अतः ऋग्वेद के एक भाग की भाषा दूसरे भाग की भाषा में भिन्न प्रतीत होती है। कई शब्द पहले प्रचलित थे, किंतु परवर्ती काल में उनका प्रचलन बंद हो गया और कुछ नये शब्द प्रयुक्त होने लगे। धीरे-धीरे भाषा-व्यवहार में परिवर्तन होता रहा। अब उत्तर वैदिक काल में वेदभाषा की व्याख्या करना कठिन होना लगा। शब्दों का सही अर्थ जानने के लिए परिश्रम करना पड़ा। ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों ने विचार किया कि जिन शब्दों का अर्थ हम काफी विचार-विमर्श के बाद निश्चित करते हैं उनका एक सूची तैयार कर दें ता आगामी पीढ़ी के लिए यह एक महान उपकार होगा। ऐसे विद्वानों ने वेदों के कुछ कठिन शब्दों का चयन करके एक पर्याय-कोश के रूप में संग्रह किया। अनायासक तथा सदिग्धायक शब्दों का अर्थ निगम्य करके उनको सूचीबद्ध रूप में प्रस्तुत करना कोशविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास था। ऐसे कई निघण्टु रचित हुए। यास्क ने कई आचार्यों का नामोल्लेख करते हुए विभिन्न प्रसंगों में उनके मतों की चर्चा की है। “इति नैष्वता” कहकर एक निरुक्त-संप्रदाय का भी जिक्र किया है। यास्क के वचनों से प्रमाणित होता है कि उनसे पूर्व भी कई इस प्रकार के शब्दकोश निर्मित हुए थे, ऐसे कोशों का ‘निघण्टु’ कहते थे। कोशविज्ञान के अध्ययता को ‘नैषण्टुक’ कहते थे। निघण्टु की व्याख्या का नाम ‘निरुक्त’ है।

७१ आचार्य शाकपूणि का नाम यास्क ने स्मरण किया है। स्कंद स्वामी और आत्मानन्द की टीका में उपलब्ध संकेतों से यह प्रमाणित होता है कि शाकपूणि ने एक निघण्टु की रचना की और उसकी व्याख्या ‘निरुक्त’ के नाम से की थी। किंतु आज दुर्भाग्य से शाकपूणि का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कई अर्थ ‘निघण्टु’ ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। आज दो निघण्टु ग्रंथ उपलब्ध हैं—(१) कौत्सव्य आचार्य का निघण्टु और (२) वह ‘निघण्टु’ जिस पर यास्क ने अपनी प्रसिद्ध व्याख्या लिखी है।

७२ यास्क ने अपने ग्रंथ के आरम्भ में लिखा है—“सामान्नाय सामान्नात । स व्याख्यातव्य ।” इसमें पता चलता है कि व्याख्येय शब्दकोश को वे ‘सामान्नाय’ के नाम से जानते हैं। सामान्नाय वेद का पर्याय है। वैदिक शब्दों के कोशों को इसलिए ‘सामान्नाय’ कहना उचित ही है। फिर यास्क ने कहा—‘तस्मिन् सामान्नाय निघण्टव इत्याक्षते ।’ कोश में संकलित शब्दों को ‘निघण्टु’ कहते हैं। नि-पूवक ‘गम्’ घातु का अर्थ है, संकलन करना। यास्क ने व्याख्या की है

“निघण्टव कस्मात् ? निगमा इमे भवति छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य

समाम्नाता । ते निगन्तव एव सन्तो निगमनात् निघटय उच्यन्ते इति औपमयव ।”
(निघन्त, ११)

७३ दुर्गा ने अपनी टीका में स्पष्ट किया है कि कोश में संकलित हान याग्य शब्दों की कोई सीमा नहीं है। अतः कुछ ही शब्दों का संकलन किया गया है। किंतु निरवत में ऐसे प्रसंग प्राप्त शब्दों की भी व्याख्या की गयी है, जो कोश में संकलित नहीं है। दुर्गाचार्य की टीका में ये शब्द द्रष्टव्य हैं

(१) 'नहि समाम्नानार्हणामन्तोऽस्ति ।
तेषा सर्वेषां समाम्नानां शास्त्रात् एव न स्यात् ।”

(२) निघन्तप्रसक्तानां च मृगवर्णदक्षिणालक्ष्मीनिघन्तुभद्राद्य
शब्दप्रभृतीनामवमाद्यानां निघन्तानुपदेशात् ज्ञायते असमा-
म्नातव्याख्यानमपि अत्राभिमतमिति ।’

(दुर्गाचार्यकृत टीका, पृ० ५)

७४ 'निघन्तु' ग्रंथ के तीन खंड या कांड हैं। पहला खंड है 'नैघण्टुक कांड'। इसमें १३४१ (तेरह सौ इकतासीस) पद संकलित हैं। इस कांड में तीन अप्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कई ऐसे खंड हैं जिनमें एकाधवाचक (पर्यायवाची) शब्दों का संकलन हुआ है। नैगम कांड दूसरा है। इसमें पदों की संख्या २७६ (दो सौ उयासी) है। इस कांड में अनकायक तथा अनात-व्युत्पत्तिक शब्दों का संग्रहीत है। तीसरा है देवतकांड। इसमें १५१ (एक सौ इक्यावन) देवतानाम संकलित हैं। इस प्रकार निघन्तु में संकलित शब्दों की संख्या १७७१ (सत्रह सौ इकहत्तर) है। इन शब्दों में नामपदों की संख्या सबसे अधिक है—१४१६ (चौदह सौ सोलह) नाम हैं। आख्याता की संख्या ३१३ (तीन सौ तेरह) है। ३६ (उनतासीस) निपात और तीन उपसर्ग, संकलित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निघन्तु में संकलित शब्दों की संख्या दो हजार से भी कम है। यह एक अत्यंत लघुकाय शब्दकोश है।

७५ यास्क ने ही निघन्तु के संकलन का उद्देश्य इन शब्दों में बताया है

“साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयो बभूवुः । तेष्वरभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः । उपस्थायां ग्लायन्ताऽवरं विल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समांनसिपुः, वेदेषु वेदाङ्गानि च । (निघन्त, १-२०) इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में ऋषि अपनी तपस्या की शक्ति से उपदेश के बिना ही स्वयं मन्त्रों का साक्षात्कार करते थे—ऋषिदशनात् । धर्म का मूल प्रमाण वेद ही है। अतः सभी प्रमाण वेदमूलक हैं। इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थ स्मृति' के वर्ग में आते हैं। वे श्रुति' पर आधारित होने के कारण परतत्र प्रमाण हैं। श्रुति प्रमाणात्तर-निरपक्ष होने से स्वतंत्र प्रमाण हैं। अतः मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने धर्म का साक्षात्कार कर लिया

था। उनके बाद आनेवाले ऋषि स्वतंत्र रूप से द्रष्टा नहीं थे। उन्होंने तो पूर्वजों के उपदेश से मन्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके बाद की पीढ़ी में आनेवाले पूज्य रूप से वेदों को ग्रहण करने में असमर्थ थे। वेद तो अति विस्तृत हैं, पुरुषों की आयु अत्यल्प है। उपदेशाय ग्लायत का यही भाव है कि अल्पबुद्धि तथा अन्पायु पुरुषों को उपदेश देना कठिन है तथा उनके लिए ऐसे उपदेश का पूरा लाभ उठाना भी कठिन है। इस प्रकार के लोगों के हिताय 'निघटु' के रूप में यह समाम्नाय ग्रथित हुआ। कई विद्वान निघटु का भी यास्कवृत्त मानते हैं। कुछ लोगो का विचार है कि इस ग्रथ समाप्तासिपु के द्वारा यास्क ने निघटु का भिन्नकतक बताया है। 'समाप्तासिपु' शब्द बहुवचन में है। अतः प्रतीत होता है कि कई आचार्यों ने अलग अलग शब्द-सूचियाँ तैयार की थीं। अतः यास्क ने, अथवा और किसी आचार्य ने, इन शब्दसूचियों को संकलित करके एक ग्रथ का रूप दिया। यह शब्द व्याख्या के बिना स्पष्ट नहीं हो सकते थे। कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति अज्ञात थी। ऐसे पदों का अनुवर्तन-संस्कार कहा गया है। कुछ शब्द अनवाचक थे। यह भी बताना आवश्यक था कि ये शब्द वेद में कहाँ, किस सन्दर्भ में प्रयुक्त हैं। इसलिए यास्क ने इन शब्दों की व्याख्या करने के लिए 'निरक्त' की रचना की। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 'निरक्त' बोध-विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान तथा अथ विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कृति है और व्याकरण के साथ इस शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है।

८ शिक्षा छह वेदांगों में एक है। वह ध्वनि विज्ञान का पर्याय है। उच्चारण प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा में किया गया है। 'भारतीय भाषाविज्ञान की भूमिका' में शिक्षा तथा प्रातिशास्त्र पर दो निबंध (पृ० २१६ से २२७ तक) संकलित हैं। डा० भोलानाथ तिवारी ने लिखा है "वेदों के उच्चारण में अशुद्धि न होने देने के लिए शिक्षा-ग्रंथों की आवश्यकता का अनुभव हुआ था और पाणिनि स्वयं इनकी रचना की गयी थी। शिक्षा-ग्रंथ कुल कितने थे—यह कहना तो कठिन है, किंतु आजकल लगभग ८० शिक्षा ग्रंथ मिलते हैं" (भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका, पृ० २१६)। डा० तिवारी ने कुछ शिक्षाग्रंथों की नामावली दे रखी है। इनमें से कई ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित हैं और पुस्तक भंडारों में हस्त-लिखित प्रतिष्ठों के रूप में ही उपलब्ध हैं। कुछ नाम इस प्रकार हैं—पानवन्क्य शिक्षा, लोमशी शिक्षा, नारदीय शिक्षा आदि। यह देखकर आश्चर्य होता है कि कितने ऋषियों और आचार्यों ने ध्वनि विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। एलेन जस पाश्चात्य विद्वान भारतीय आचार्यों के इस महान् कार्य की मुक्ति कठम प्रशंसा करते हैं।

९ पाणिनि के नाम से एक शिक्षा प्राप्त होती है। इस शिक्षा के अंत में पाणिनि की प्रशंसा में कुछ पद्य दिये गए हैं। एक पद्य उद्धृत करते हैं

येनाक्षर - समाम्नाय
मधिगम्य महेश्वरात् ।
कृत्स्न व्याकरण प्रोक्त
तस्मै पाणिनये नम ॥

(पाणिनीय शिखा, ५७)

इसका अर्थ है कि पाणिनि ने महेश्वर से चतुदश सूत्रों के रूप में अक्षर समाम्नाय को प्राप्त करके उसीके आधार पर संपूर्ण व्याकरण की रचना की। ऐसे महान् वैयाकरण को प्रणाम। स्पष्ट है कि यह पाणिनि की रचना नहीं है, किंतु पाणिनीय परंपरा के किसी आचार्य ने यह ग्रंथ बनाया होगा। इतना तो निर्विवाद है कि यदि इस प्रकार की शिक्षा का आधार नहीं होता तो अष्टाध्यायी के समान वैज्ञानिक व्याकरण की रचना करना संभव न होता। पाणिनि के कई सूत्रों में अच् अक इत्यादि प्रत्याहारों का उपयोग किया गया है। माहेश्वर सूत्रों में उपदिष्ट षण् ही इन प्रत्याहारों से सूचित होते हैं। 'अइउण्'—यह पहला माहेश्वर सूत्र है। इसमें तीन स्वर गृहीत हैं—अ, इ और उ। तीनों ह्रस्व हैं। अतः अण, अक, अच् अश आदि प्रत्याहारों में ह्रस्व स्वर तो गृहीत हो सकते हैं। दीर्घ और प्लुत का ग्रहण कैसे होगा? माहेश्वर सूत्रों में इन स्वरों के दीर्घ तथा प्लुत उपदिष्ट नहीं हैं। सवर्णदीर्घ का विधायक सूत्र है—'अक् सवर्णो दीर्घः।' यदि दीर्घ 'जाकार' 'अक्' में गृहीत नहीं है तो 'विद्या—आलय' में सधिनसे हो सकती है? इस कठिनाई के निवारण के लिए पाणिनि ने व्यवस्था दी कि 'अण' तथा 'उदित' सवर्णों का भी ग्रहण करते हैं—'अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्ययः।' अब 'सवर्ण' की परिभाषा देना आवश्यक है। पाणिनि ने कहा कि जिन दावर्णों के उच्चारण-स्थान तथा प्रयत्न समान हैं वे आपस में 'सवर्ण' कहलाते हैं—'तुत्यास्य प्रयत्न सवर्णम्।' यह 'सवर्ण' संज्ञा पाणिनीय व्याकरण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इस संज्ञा का अर्थ समझने के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित है। कठ किन्तु ध्वनियों का स्थान है? विवृत प्रयत्न किसका है? इस ज्ञान को 'स्थानप्रयत्न विवेक' कहते हैं। इस विवेक के बिना अष्टाध्यायी का साधक अध्ययन ही नहीं सकता। अष्टाध्यायी में वही स्थान और प्रयत्न का उपदेश नहीं किया गया। पाणिनि यह मानकर चले हैं कि व्याकरण का विद्यार्थी शिक्षा का ज्ञान लेकर आया है। इसी अर्थ में हम शिक्षा को 'व्याकरण की आधार शिला' मानते हैं। शिक्षा व्याकरण का प्रथम अंग है।

८ २ शब्दा का सही उच्चारण भाषा-व्यवहार की सफलता के लिए एक आवश्यक घटक है। ध्वनियों का गलत उच्चारण करें तो शब्द का रूप ही बदल जाता है। 'अग्नि' का अर्थ है धागा। यहाँ शकार तालव्य है। प्रमाद से तालव्य के स्थान पर दंत्य सकार का उच्चारण करें, तो शब्द 'अश्व' न होकर 'अस्व' होगा।

‘अस्व’ का अर्थ है निघन । ‘स्व शब्द अनेकायक है, उसका एक अर्थ है घन’ । अमरकाश में लिखा गया है—“स्वो ज्ञातावात्मनि स्व श्रिप्वात्मीये स्वोऽस्त्रिया घन ।” न विद्यते स्व यस्य स = अस्व । यह नञ् पूर्वपद बहुव्रीहि समास है । गरीब के अर्थ में ‘अस्व’ शब्द का प्रयोग ठीक है । उच्चारण की गलती के कारण, अश्व के स्थान पर अस्व का या अस्व के स्थान पर अश्व का बोध हो सकता है । विवक्षित अर्थ की प्रतीति में बाधा पड़ना ही एक दोष है । कभी कभी उच्चारण-दोष के कारण अर्थ का अनर्थ हो सकता है । शिव के स्थान पर शव का उच्चारण करें तो अनर्थ कथो नहीं होगा ! किसी प्राचीन कवि ने कहा है कि यदि अर्थ विद्याभा का अध्ययन करने की शक्ति या अवसर नहीं है तो भी कम से-कम व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध उच्चारण के कारण अनर्थ की प्राप्ति होगी—

मद्यपि बहु नाधीये
तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् ।
श्वजन श्वजनी मा भूत
सकल शकल, ससृत शकृत ॥

श्वजन श्वजन, सकल शकल, ससृत शकृत आदि ‘यूनितम शब्दयुग्म (minimal Pairs)’ हैं, जिनमें सिर्फ स श का भेद है । तालव्य शकार के कारण एक अर्थ का बाध जाना है तो दत्य सकार के कारण दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है । ऐसे कई शब्दयुग्म दिये जा सकते हैं । कल काल, कण काण, मन मान, सम साम आदि में केवल ह्रस्व और दीघ का भेद है । कर खर में अल्पप्राण और महाप्राण का भेद है । कर गर में अधोप और सधोप के भेद के कारण अर्थभेद होता है । संस्कृत में तो उदात्त आदि स्वर (accent) भी अर्थ की दृष्टि से भेदक थे । वदिक भाषा में स्वर का महत्त्व निर्विवाद है । लौकिक संस्कृत में स्वर की भेदकता समाप्त हो गयी है । पाणिनीय शिक्षा में बताया गया है कि स्वर-दोष के कारण वज्रासुर इंद्र का हृता घनने के बजाय उसका वध्य बन गया । अतः वण या स्वर (उदात्तादि) में दोष होता वह शब्द अपने विवक्षित अर्थ से प्रच्युत होकर अनभोष्ट अर्थात्तर का उपस्थित कर देता है । इस प्रकार अनर्थ का प्रतिपादन करने से वह शब्द प्रयोक्ता के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है । इस वाक्य रूप वज्र कहते हैं । ऐसे दोषों से वचन का पूरा प्रयास करना चाहिए

दुष्ट शब्द स्वरतो वणतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह ।
स वामवज्रो यजमान हिनस्ति
यथेद्रशत्रु स्वरतोऽपराधात् ॥

अतः शिक्षा व्याकरण के एक अनिवाय अंग के रूप में ग्राह्य है।

८३ शिक्षा ग्रथों के अलावा कुछ अन्य ग्रथ भी ऐम प्राप्त हुए हैं जिनमें ध्वनि विज्ञान की चर्चा की गयी है। इन ग्रथों को 'प्रातिशाख्य' कहते हैं। वेदों की कई शाखाएँ हो गयी हैं। विभिन्न शाखाओं में उच्चारण या पाठ की कुछ विशेषताएँ भी हैं। एक रावक उदाहरण पतञ्जलि ने महाभाष्य में दिया है। एकार तथा ओकार का सस्वृत में ह्रस्व रूप नहीं मिलता। माहेश्वर सूत्रों में इनके दीर्घ रूप ही गृहीत हुए हैं। पतञ्जलि ने कहा उठाया है कि सात्यमुद्रि तथा राणायनीय शाखाओं में ह्रस्व एकार तथा ह्रस्व ओकार भी मिलता है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इन वर्णों के ह्रस्व नहीं होते? फिर शका के समाधान में कहा कि यह तो उम शाखा की एक विशेषता है। अथवा 'ए' और 'ओ' के ह्रस्व रूप कहीं नहीं हैं। अतः वर्णसमाप्नाय में दीर्घ का पाठ उचित है।

नत च भो ष्टोत्ताना सात्यमुद्रिराणायनीया अधमेकारम् अधमोकारं चाधीयते, सुजाते एश्वसूनुते, अध्वर्यो ओद्विमि सुतम शूक्रते एयद यजतते एयत इति।

पारिपदकृतिरेषा तत्र भवताम्। नत्र हि लोके न अयस्मिन् वेदे अध एकारोऽथ ओकारो वास्ति।"

(महाभाष्य पम्पशाह्निक पृ० ११२-११३)

'पारिपद' शब्द की व्याख्या में उद्योतकार नागश ने लिखा कि वेद की किसी शाखा के अध्ययताओं का वग परिपत् या पपद् है उस वग की कृति पारिपद कृति है—

'शाखाविशेषाध्यायिना समवाय परिपत् पपद् वा। तत्र भवा कृतिरित्यथ।'
(वही, पृ० ११३)

इस प्रकार कई शाखाओं में उच्चारण के कुछ भेद पाये जाते हैं। उनका निरूपण करने के कारण इन ग्रथों को 'प्रातिशाख्य' कहते हैं।

८४ प्रातिशाख्य ग्रथों में मधि की भी चर्चा की गयी है। अतः इनमें शिक्षा तथा व्याकरण का मिश्रण पाया जाता है। उपलब्ध प्रातिशाख्यों की संख्या पंद्रह से अधिक नहीं है। शिक्षा तथा प्रातिशाख्य का संबंध क्या है? शिक्षा के आधार पर प्रातिशाख्य बन या प्रातिशाख्य पर आधारित होकर शिक्षा ग्रथ बन? आज ये समस्त ग्रथ जिस रूप में उपलब्ध हैं उसका परिशीलन करने से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रथम ज्ञानोपाश्रित है। अतः कालकृत पूर्वोक्तों के विषय में कोई नियम देना सम्भव नहीं है। हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि शिक्षा और प्रातिशाख्य के सम्बन्ध में व्याकरण की भूमिका तयार करने वाले सहामक ग्रथ हैं। शिक्षा और निरुक्त को हम 'व्याकरण के ही दो अंग मानते हैं 'प्रधान च पठसु अणेषु 'व्याकरणम्।' पतञ्जलि का यह वाक्य अकाट्य तथ्य पर

आधारित है। व्याकरण तो अय विद्याओ के विकास के लिए भी आवश्यक है। अतएव शास्त्रप्रेमी विद्वान् एककठ होकर स्वीकार करते हैं कि व्याकरण सब विद्या उपकारक है

काणाद पाणिनीय च
सधशास्त्रोपकारकम् ।

ध्वयालोपकार आनदवधन ने तो कहा है

'प्रथमे हि विद्वानो वैयाकरणा ।' यह एक स्वयसिद्ध तथ्य है कि व्याकरण समस्त विद्याओ का मूल है।

८५ यास्क ने यहा तक कहा है कि जो व्याकरण का नाता नहीं है, उसे निरुक्त का उपदेश देना व्यथ है। उनका वाक्य है

नक्षपदानि निव्रूपात् न अवयाकरणाय, न अनुपस नाय अनिद विटे वा ।
(निरुक्त, अ० २ पाद १ खड ३)

इसकी व्याख्या म दुर्गाचाय ने लिखा है

यस्तावदवयाकरणस्तस्म न निववतद्योऽय समाभ्नाय । नहि असौ अलक्षणज्ञत्वात् ध्युत्पाद्य निरुच्यमानमेतद् बुध्येत, ततो व्यथ एव भ्रम स्यात् ।

(दुर्गाचायटीका पृ० १३६)

६ निघट्ट की व्याख्या करने के लिए यास्क का धातु प्रकृति प्रत्यय, लोप, आदेश, आगम, निवृत्ति-स्थान, सप्रसारण आदि की चर्चा करनी पड़ी। उ होने इस प्रकार व्याकरणशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है कि हम उनसे पूर्ववर्ती वैयाकरणा के योगदान का असदिग्ध प्रमाण मिलता है। स्वय पाणिनि ने भी दस आचार्यों के नाम अष्टाध्यायी के सूत्रा म उदघत किय हैं। कुछ अय वयाकरण भी हुए हैं। भाष्यकार न कहा है कि सतत' शब्द म कुछ आचार्यों ने मकार लोप का विधान किया था—“समो वा लोपमेके।” पाणिनि ने एसा विधान नहीं किया। उनका एक सूत्र है—‘अपरस्परा क्रियासातत्य ।’ इस सूत्र म ‘सातत्य’ शब्द प्रयुक्त है सततस्य भाव सातत्यम। इस प्रयोग स नात होता है कि ‘सतत’ शब्द म मकार का लोप पाणिनि की भी अभीष्ट था। ‘आडो नाऽ-स्त्रियाम’, इस सूत्र मे पाणिनि न ‘आड्’ प्रत्यय का निर्देश किया। किंतु उनके ‘सुप’ प्रत्यया की सूची मे तृतीया एकवचन का प्रत्यय टा’ है, आड्’ नहीं। टीका-कार बताते हैं कि पाणिनि ने पूर्वाचार्यों के द्वारा गृहीत आड्’ का यहाँ उल्लेख किया है—‘आडिति टासना प्राचाम् ।’ इसी प्रकार एक अय सूत्र म पाणिनि ने ‘ओड्’ प्रत्यय का निर्देश किया है—‘ओड् आप ।’ उनकी सूची मे यह प्रत्यय नहीं है। प्रथमा के द्विवचन म ‘ओ’ प्रत्यय है और द्वितीया के द्विवचन मे ओट’ प्रत्यय है। यह ‘ओड्’ तो पूर्वाचार्यों स उक्त प्रत्यय है। इन उल्लेखो से इतना ता स्पष्ट

होता है कि पाणिनि पर भी पूर्ववर्ती व्याकरणों का प्रबल सस्कार पडा था।

६१ पाणिनि व कुछ पारिभाषिक शब्द उही के द्वारा कल्पित है। व नवथा निरर्थक है। पाणिनि द्वारा सन्केतित अथ को ग्रहण करने पर ही व शास्त्र मे साथव बनत है। य शब्द प्राय एकाक्षर होते हैं। कुछ उदाहरण यही प्रस्तुत किये जाते हैं

- (१) अचाऽत्यादि टि ।
- (२) दाघा घु अदाप ।
- (३) ज्योपो घि असखि ।
- (४) यचि भम ।

किंतु इसके विपरीत कुछ पारिभाषिक शब्द अनेकाक्षर हैं तथा य शब्द स्वतंत्र रूप से कुछ अर्थ देते ह। ऐसे शब्दों का 'महासज्ञा' कहत हैं। जैसे,

- (१) अथवदघातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् ।
- (२) शि सवनामस्थानम् ।
- (३) सर्वादीनि सवनामानि ।
- (४) इग यण सप्रसारणम् ।

भाष्यकार ने कहा कि ये अवयव सज्ञाएँ है। ये सज्ञाएँ व्याकरणिक परंपरा मे गृहीत हो चुकी थी। अतएव पाणिनि ने भी लाघव की उमेक्षा करके परंपरा प्राप्त सज्ञाओं को ग्रहण कर लिया।

६२ 'आड', 'ओड' आदि प्रत्यय पूर्ववर्ती व्याकरण मे उक्त थे। इससे प्रमाणित हाता है कि पूर्वाचाय अनुबध-व्यवस्था से परिचित थे। पाणिनि ने कुछ वर्णों को 'इत्त' कहा है—'उपदेशेऽजनुनासिक इत्त।' उपदेश म जो अच (स्वर) अनुनासिक है उसे इत्त' कहत है। 'तस्य लाप'—इत्त वर्ण का लोप हो जाता है। इसका अर्थ है कि इत्तनक वर्ण रूप-रचना की प्रक्रिया (morphological process) म भागी नहीं होता। तो फिर ऐसे एक वर्ण का उच्चारण क्यों करें, क्यों उसका लोप विधान करें? उस वर्ण का उच्चारण ही न करें, तो क्या हानि है? उत्तर यही है कि यह वर्ण किसी विशेष प्रयोजन का संकेत देता है और ऐसा संकेत देना ही इसकी सायकता का आधार है। उदाहरण के लिए एघ घातु को लें। पाणिनि ने घातु-पाठ म इसे अकारात् रूप म निर्दिष्ट किया। 'एघ' म अंतिम अकार अनुदात्त और अनुनासिक है। अनुनासिक होने के कारण वह 'इत्त' बनता है। अनुदात्त इत्त आत्मनेपद का संकेत करता है—'अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। एघते एघेते, एघते।' 'ज्योपात् कतरि परस्मपदम्'—जो घातु अनुदात्तेत् या स्वरितेत् नहा है, उसम परस्मपद प्रत्यय लगते हैं—भवति, भवत, भवति। स्वरित इत्त हा तो उस घातु म परस्मपद तथा आत्मनेपद दोनों प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। त्रियाफल क्तू गामी हो तो आत्मनेपद प्राप्त है—'स्वरितञित क्तभिप्राये

क्रियाफले ।" वह परगामी है तो परस्मैपद प्राप्त है । अतः ये धातु उभयपदी कहलाते हैं । यजति, यजत, यजति—यह परस्मैपद का रूप है । यजते, यजेते, यजते—यह आत्मनेपद का रूप है । यह सारी पद व्यवस्था 'इत' की व्यवस्था पर आधारित है । 'इत' का ही दूसरा नाम 'अनुबध' है । 'ओङ्' 'आङ्' आदि म पूर्वाचार्यों ने भी हकार को अनुबध के रूप में रखा था । पाणिनि ने अपनी व्यवस्था में 'ओ' (प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन) और 'आ' (तृतीया के एकवचन) को 'डित' बनाना अनुचित समझा, क्योंकि 'डित' प्रत्यय हो, तो 'धि' (इकारात् अथवा उकारात्) सज्ञक शब्दों का 'गुण' प्राप्त होता है— 'घेडिति ।' 'हरि' तथा 'शभु' शब्दों को लें । ये दोनों 'धि' सन्तक हैं— "शेषो घ्यमखि ।" चतुर्थी एकवचन का प्रत्यय है 'ङे' । यह डित् है । इस प्रत्यय का आदि डकार इत होता है— "लशक्वतद्धिते ।" डित् प्रत्यय के कारण 'गुण' होता है, इकार का एकार तथा उकार का ओकार होता है । 'हरे + ए', 'शभो + ए' । एचोऽयवायाव । हरये, शभवे । पाणिनि ने देखा कि 'ओ' तथा 'आ' को डित बनाने पर यहाँ भी गुण की प्राप्ति होगी । वह तो अनिष्ट है । हरि + ओ = हरी । शभु + ओ = शभू । प्रथमा या द्वितीया के द्विवचन में पूर्वसवण दीघ होता है— "प्रथमयो पूर्वसवण ।" गुण नहीं होता । तृतीया एकवचन में 'आ' के स्थान पर 'ना' का प्रयोग होता है "आङो नाऽस्त्रियाम् ।" हरि + आ → हरि—ना → हरिणा । शभु + आ → शभुना । यहाँ भी गुण नहीं होता । अतः पाणिनि ने 'ओ' तथा 'आ' को डित नहीं बनाया । प्रथमा का द्विवचन 'ओ' निरनुबधक है । द्वितीया का द्विवचन 'ओट' है । टकार को इत किया है । इससे प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन में भेद करना संभव है । इस टकार के अनुबध के कारण 'सुट्' प्रत्याहार की रचना संभव है । सवनाम-स्थान सज्ञा के लिए 'सुट्' प्रत्याहार अपेक्षित है— "सुडनपुसकस्य" । सवनामस्थान प्रत्यया में नकारात् प्रातिपदिकों की उपधा—अकार—का दीघ विहित है— "सवनामस्थाने चासबुद्धौ ।" राजा, राजानी राजान राजानम् राजानी—य पाँच प्रत्यय (प्रथमा के तीन वचन और द्वितीया के दो वचन) सुट् प्रत्याहार में आते हैं । अत्र दीघ की प्राप्ति नहीं है । सवनामस्थानों को छोड़कर अय प्रत्ययों के योग में प्रातिपदिक का ही पद सना प्राप्त होती है— "स्वादिष्व-सवनामस्थाने" इस पदसना के कारण नकारात् प्रातिपदिकों के नकार का लोप होता है— "न लोप प्रातिपदिका तस्य ।" राजन् + भिस = राजभिस = राजभि । ऐसे हजारों रूपों की निष्पत्ति के लिए 'सुट्' प्रत्याहार अपेक्षित है । अतः पाणिनि ने द्वितीया के द्विवचन को 'टित्' बनाया । पाणिनि ने तो अपनी आवश्यकता के अनुसार सशाघन कर लिया, किन्तु यह रोचक तथ्य उभरकर सामने आया कि अनुबध व्यवस्था का सूत्रपात पाणिनि से पूर्व ही हो चुका था ।

६३ 'मनुष्य' एव तद्धित प्रत्यय है । यह स्वत्व (Possession) के अर्थ में

की। टीका, टीका की टीका, फिर उसकी भी टीका इस क्रम से पाणिनीय व्याकरण पर विपुल साहित्य का निमाण हुआ। भट्टोजिदीक्षित ने छात्रा की सुविधा के लिए अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम को बदलकर एक सरल ग्रंथ बनाया— व्याकरण विद्या 'तकौमुदी'। संक्षेप में इसे 'कौमुदी' कह सकते हैं। कौमुदी में दीक्षितजी ने अष्टाध्यायी के समस्त मूलों की यथा-प्रसंग व्याख्या की और लक्ष्य में लक्षण का समावयव करके व्याकरण के छात्रों का महान उपकार किया। दीक्षितजी ने स्वयं कौमुदी की एक व्याख्या 'प्रीठ मनोरमा' के नाम से लिखी। कौमुदी पर तत्त्व-वाचिनी, बालमनोरमा आदि अनेक टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। भट्टोजिदीक्षित का एक और विशालकाय ग्रंथ है— 'शब्दकौस्तुभ' जिसमें महाभाष्य की पद्धति से अष्टाध्यायी की व्याख्या की गयी है। भक्त हरि ने व्याकरण के दार्शनिक पक्ष की मीमांसा में एक अद्भुत ग्रंथ लिखा— 'वाक्यपदीयम्'। इस ग्रंथ से प्रेरणा लेकर कई लेखकों ने दार्शनिक पक्ष में सङ्घटित ग्रंथ लिखे। 'वैयाकरण भूषणसार' आदि ग्रंथ इसी वर्ग में आते हैं। नागेश के ग्रंथ 'शब्द-दुशेखर' 'मजूपा' 'परिभाषे-दुशेखर' आदि संस्कृत व्याकरण के बहुमूल्य रत्न हैं। व्याकरण के विविध पक्षों पर इतना अधिक साहित्य आज उपलब्ध है कि देखकर विद्वान लोग चकित रह जाते हैं। एलेन का उद्गार है— 'पाणिनीय व्याकरण संप्रदाय में उपलब्ध ग्रंथों की संख्या १५०० (डेढ़ हजार) से भी अधिक है। इन सब ग्रंथों का विधिवत् अध्ययन करने के लिए एक पुरुषायुष्य पर्याप्त नहीं है। पाणिनि की अष्टाध्यायी की व्याख्या करने के लिए विपुल परिमाण में ग्रंथों की रचना हुई है। आज भी भारतीय तथा विदेशी विद्वान् पाणिनि के अध्ययन में लगे हुए हैं। इस स्थिति में हम अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करते हुए बिन शब्दों में अष्टाध्यायी का मूल्यांकन करें? इतना ही कहना उचित है कि अष्टाध्यायी पाणिनि की प्रतिभा का एक अभूतपूर्व चमत्कार है।'

१०२ व्याकरण के प्रयाजना में एक है लघु। लघु का अर्थ है लाघव। व्याकरण के नियम आकार में छोटे हैं और उनकी संख्या सीमित है—यही लाघव का तात्पर्य है। किसी भाषा के व्याकरण में यदि दस लाख नियम दिए जाते हैं तो वह व्याकरण किसी काम का नहीं है। दस लाख नियमों को जानने, उनके उदाहरण प्रत्युदाहरण आदि का समझना तथा भाषा व्यवहार में उन नियमों का काया-व्ययन करने के लिए किसके पास समय होगा? किसकी इतनी धारणा शक्ति होगी? जहाँ तक हमें सके, कम से-कम नियमों से भाषा का रहस्य का समझना का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भाष्यकार ने लाघव को व्याकरण का एक प्रमुख प्रयाजन कहा— "रक्षोहागमसध्वस-दहा प्रयाजनम्। × × लघव अल्प व्याकरणम्" (पस्पशाह्निक)। किंतु लाघव का अर्थ यह नहीं होता कि आवश्यक नियमों का प्रतिपादन नहीं किया जाय, तब तो व्याकरण

स भाषा ज्ञान की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी। ऐसा व्याकरण अपूर्ण होगा। अपूर्णता के दोष से बचकर लाघव का लक्ष्य प्राप्त करना ही वैयाकरण की सफलता की कसौटी है। कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ को भरने का प्रयास लाघव के लिए ही किया जाता है। पाणिनि सम्प्रदाय में वैयाकरणों में यह उक्ति प्रचलित है कि सूत्र में यदि आधी भाषा का भी लाघव सिद्ध हो तो य पुत्र जन्म से होने वाला हृष्य अनुभव करते हैं—'अधमाशालाघवनं पुत्रोत्सवमयं न वैयाकरणाः।' वण्य समाप्ताय का आधार ग्रहण करने का कारण पाणिनि अष्टाध्यायी में लाघव की रक्षा कर सका। यह सत्य है कि पाणिनि ने लगभग चार हजार सूत्र बनाये, किंतु इस सत्या के कारण गौरव का दाप प्राप्त नहीं होता। इन सूत्रों में एक भी ऐसा नहीं है जिसे छोड़ने पर भी काम चल सके। सस्कृत भाषा की रूप रचना काफी जटिल है। गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण, लोप, आगम आदि की ऐसी परस्पर सापेक्ष व्यवस्था है कि उसको ठीक तरह से समझाने के लिए इतने सूत्र नियम अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं। इनमें से किसी नियम को हटा देना अपूर्णता के दोष का कारण बनगा। अतः पाणिनि के चार हजार सूत्र निम्नतम (minimum) आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हा, कुछ सूत्रों का निराकरण कात्यायन और पतञ्जलि ने किया है। इससे क्या सिद्ध होता है? चार हजार सूत्रों के विशाल ग्रंथ में यदि हम किसी प्रकार सौ सूत्रों का प्रत्याख्यान कर देते हैं, तो क्या इससे लाघव की सिद्धि होती है? तीन हजार नौ सौ सूत्र स्वीकृत हों, तो क्या गौरव का दोष नहीं होगा? और, कात्यायन या पतञ्जलि ने इन सूत्रों का प्रत्याख्यान किस लिए किया? क्या लाघव के लिए प्रत्याख्यान किया गया है? प्रत्याख्यान का कारण कुछ और है। चार हजार सूत्र तो सस्कृत भाषा की संरचना के बनाविक अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। यह भी लाघव ही है, जो अपूर्णता से मुक्त होने के कारण ही ग्रहण बन सका है।

१०३ इस लाघव की सिद्धि में वण्य समाप्ताय का पात्र क्या है? कुछ उदाहरण। पर विचार करने से इस बात का स्पष्टता के साथ समझना शक्य होगा।

१०३१ सस्कृत में सधि' होती है। दो वण्यों के सहभाव के कारण कभी कभी वण्य-विकार उत्पन्न होता है। इस विकार को सधि' कहते हैं। उदा०—सूय + उदय = सूयोदय। यहाँ अकार का बाद उकार आया तो इन दोनों वण्यों के स्थान में 'ओ' कार आदेश हो गया। इस गुण सधि' कहते हैं।

१०३२ कहीं कहीं कोई विकार नहीं होता। सूयस्य + रश्मय। समान करें तो रूप बनता है—सूयरश्मय। समान के कारण यहाँ कोई विकार नहीं हुआ है। 'गुरुकुलम', 'राजकुमारी' 'देशभक्ति' आदि कई उदाहरण हैं। इनमें सधि नहीं है।

१०३३ अब हम एक वाक्य पर विचार करें। ददा + अत्र = देवा

अत्र । इस उदाहरण में इतना ता स्पष्ट दीघता है कि 'देवा' में जो विसर्ग था, उसका लोप हो गया । लोप का विधायक सूत्र है—'लोप शाकत्यस्य' । इस लोप के बाद यहाँ सवर्ण-दीर्घ संधि प्राप्त है । वह संधि नहीं हाती—'देवा अत्र' में दीर्घ जाकार और उसके बाद का लृस्व अकार ज्या क-स्था बन रहते हैं । उनका सवर्ण लोप नहीं होता । विद्या + अभ्यास' तो दीर्घ संधि के कारण विद्याभ्यास' बन जाना है । उसी प्रकार देवा + अत्र' 'देवात्र' नहीं बनता । लोप के बाद स्वरसंधि का निषेध करना अभीष्ट है ।

१०३४ इसी प्रकार, देवा + इमे' का रूप बनता है—'देवा इम' । 'जना - उत्तिष्ठति = जना उत्तिष्ठति' । मम सखाय + एते = मम सखाय एते' । नरा + हसति = नरा हसति' । इन सभी पद बंधों में प्रथम पद के अंत में विसर्ग है । किंतु उसका लोप कर दते हैं । देवा इम में गुण प्राप्त है । 'जना उत्तिष्ठति' में भी आकार के बाद उकार हान से गुण प्राप्त है । 'मम सखाय एते' में वृद्धि प्राप्त है । लोप के कारण गुण वृद्धि आदि मधिया की प्रवृत्ति नहीं है ।

१०३५ अब इन सभी उदाहरणों पर विचार करने के बाद ब्याकरणको बताना चाहिए कि लोप का नियम क्या है ? किस परिस्थिति में विसर्ग का लोप होता है ? फिर, लोप के बाद के क्या संधि निषेध करना उचित होगा ? 'गौरी' शब्द में प्रातिपदिक (nominal stem) ईकारांत है । उसके बाद प्रथमा एक वचन का प्रत्यय सु' लगा—गौरी + नु । प्रत्यय का उकार अनुनासिक है, अतः वह 'इत्' बनता है— उपदेशे अनुनासिक इत् । 'इत्' सज्ञा के कारण उकार का नाप हा जाता है—'तस्य लोप ।' गौरी + स् । जत्र स्त्री प्रत्ययांत गौरी शब्द के बाद जान के कारण स का लोप हाता है—'हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सुनिस्य पृक्त हल ।' गौरी + इयम = गौरीयम । लोप के बाद भी यहाँ सवर्ण दीर्घ हो गया है । गौरी + अत्र = गौयत्र । यहाँ ईकार के स्थान में यकार हुआ, यह 'यण संधि का उदाहरण है । इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या सामान्य रूप से लोप के बाद स्वर-संधि का निषेध करना उचित होगा ? यदि 'गौरीयम', गौयत्र आदि में लोप के बाद भी संधि करना ठीक है, तो उसी प्रकार 'देवा अत्र, देवा इमे, देवा उत्तिष्ठति, देवा एते' आदि में सवर्णदीर्घ, गुण मधि आदि करने में क्या बाधा है ? पाणिनि के सामने यह समस्या आयी ।

१०३६ पाणिनि ने लोप का नियम बताया— "लोप शाकत्यस्य" (८३१६) ।

अष्टाध्यायी में यह अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में उनीसवा सूत्र है । इसके पूर्व के दो सूत्र इस प्रकार हैं—

- (i) भोभगोअघो अपूबस्य योऽसि । (८३१७)
- (ii) ध्योलघुप्रपत्नतर शाकटायनस्य । (८३-१८)

इन सूत्रों के बाद प्रकृत सूत्र 'लोप शाकल्पस्य' आया है। अतः पूर्व सूत्रों से कुछ आवश्यक पदों का उधार लेकर (सूत्रांतर से पदा को लेना 'अनुवृत्ति' है—सूत्रत्वन्ष्ट पद सूत्रांतरादनुवृत्तनीयम् ।) इस सूत्र की व्याख्या की जाती है—

“अवणपूर्वयो पदातयो यवयो वा लोप अशि परे।” (सिद्धांतकौमुदी)

इस वाक्य का अर्थ है— पदा न यकार और वकार के पूर्व अवण हा और उनका बाद (परे) 'अश वण हो, तो उनका लोप विकल्प से होता है।' इस सूत्र में आचार्य शाकल्प का नाम लिया गया है। व लोप का समर्थन करते हैं। कुछ अन्य आचार्यों के मत से यहाँ लोप नहीं होता। अतः विकल्प फलित है।

१०३७ यह 'अश वया है' यह एक प्रत्याहार है। संक्षिप्त संकेत (abbreviation) को इस शास्त्र में 'प्रत्याहार' कहते हैं। माहेश्वर सूत्र नीचे दिए जाते हैं—

अइउण । ऋलक । एओड । ऐऔच । ह्यवरट । लण । अमडणनम । सभज । घढघघ । जवगडदग । खफछठयचटतव । कपय् । शपसर् । हल । य चीन्ह माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों के अन्त्य व्यंजन इत् हैं—'हल'त्यम्। कोई पूर्ववर्ती वण परवर्ती 'इत' से जुड़कर प्रत्याहार बन सकता है— 'जादिर'यन न सहता ।' यह प्रत्याहार पूर्ववर्ती वण का और उससे लेकर इत् तक बीच में पठने वाले समस्त वर्णों का संकेत या पारिभाषिक संज्ञा है। उदाहरण के लिए 'अक्' एक प्रत्याहार है। अकार परवर्ती इत् 'क्' से मिलकर अक् प्रत्याहार का रूप धारण कर लेता है। अकार का तथा बीच में पठने वाले इ उ ऋ तथा ल का संकेत है। 'अइउण' सूत्र का णकार भी इस प्रत्याहार में प्रविष्ट है, किंतु 'इत' संज्ञक वण हान के कारण प्रत्याहार में उसका ग्रहण नहीं होता—

प्रत्याहारप्विना न ग्रहणम् । —परवर्ती वण का पूर्ववर्ती इत के साथ प्रत्याहार नहीं कर सकते। 'लक्' प्रत्याहार नहीं बन सकता। लण के लकार को 'ऋलक्' के क से मिलाकर प्रत्याहार बनने की अनुमति नहीं है। परवर्ती इत के साथ ही प्रत्याहार हो सकता है। प्रत्याहार के अंत में 'इत' होना जरूरी है। 'अम' प्रत्याहार नहीं हो सकता। 'सभज' में भकार इत नहीं है। इस पद्धति के अनुसार अण प्रत्याहार बना है। 'अइउण' के आकार के साथ 'जवगडदग' के शकार (इत) को मिलाकर अण बनाया गया है। अतः, अइउण लृ ए ओ ऐ औ ह्यवर ल ऋ म ङ ण न न भ घ ढ ध ज व ग ड द—इन २६ (उनतीस) वर्णों का ग्रहण इस प्रत्याहार में होता है। पहले नौ स्वर हैं। दसवाँ हकार है। उसका बाद चार अक्षर हैं, फिर पाचों वर्णों के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वण हैं, जिनकी संख्या पंद्रह है। इन २६ वर्णों में एक परवर्ती होगा, ता लोप होगा। अथर्व लोप नहीं हाना। दवा + कथयति । दवा + चरन्ति । जना + छादसा ।

नरा + पिबति । नरा + शेरते—इन पद युग्मों में लोप की प्रमदित नहीं है, क्योंकि परवर्ती वण 'अश' प्रत्याहार के अन्तगत नहीं है । 'देवा + हसति । नरा + भक्षयति । जना — गच्छति । मगा + धावति । बालका + मोदते । पण्डिता + बोधयति । नृपा + जयति—इन पदयुग्मों में लोप होता है क्योंकि परवर्ती वण 'अश' प्रत्याहार के अन्तगत है । 'अश' प्रत्याहार का प्रयोग न करे, तो इस नियम को 'लघु रूप' में प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे । प्रत्याहार को छोड़ दें ता यो कहना पड़ेगा—“यदि कोई स्वर अ तस्य वग का ततीय, चतुथ या पचम वण अथवा हकार परवर्ती हो, तो लोप हागा ।” 'अश' प्रत्याहार के कारण नियम की रचना में 'लाघव' मिला ।

१० ३ ८ पदात्त यकार अथवा वकार का लोप होता है । पदात्त न हो, ता उसका लोप नहीं होता । अयम । सायम । नावान । भवानी । इन शब्दों में यकार तथा वकार के पूर्व अवण है । जार वाद में 'अश' वण भी है । किन्तु इन शब्दों के यकार और वकार पद के मध्य में हैं, पदात्त नहीं हैं, अतः यहाँ लोप की प्राप्ति नहीं है ।

१० ३ ९ यकार या वकार के पूर्व अवण हा तो लाप होता है । यदि अवण से भिन्न कोई स्वर या व्यंजन हो, तो वहाँ लाप नहीं होता । दधि + अत्र = दध्यत्र, मधु + अत्र = मध्वत्र । यहाँ 'यण' संधि के कारण इकार के स्थान में यकार तथा उकार के स्थान में वकार हुआ है— 'इको यणचि ।' दध्य + अत्र में पहला पद है दध्य' । यहाँ यकार पदात्त है । 'मध्व + अत्र' में पहला पद है 'मध्व' । यहाँ वकार पदात्त है । परवर्ती अकार तो 'अश' है ही किन्तु यकार तथा वकार से पूर्व घकार है, अवण नहीं । अतः पदात्त होने पर भी इन उदाहरणों में यकार और वकार का लोप नहीं होता ।

१० ३ १० सूत्र में पाणिनि ने अपूर्वस्व' कहा है । “भोमगोअघाअपूर्वस्य यो णि ।” अपूर्व का अर्थ है— 'ज पूर्वो यस्मात्त म ।' यहाँ जिस 'ज' का उच्चारण किया गया है, वह तो ह्रस्व है । किन्तु इस ह्रस्व अकार से ह्रस्व दीघ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक तथा अननुनासिक—सभी प्रकार के अकारों का ग्रहण विवक्षित है । अकार का स्थान कण्ठ है प्रयत्न विवक्षित है । अतः सभी अकार परस्पर सवण हैं—“तुल्याम्यप्रयत्न सवणम् ।” पाणिनीय व्याकरण में अण (अकार का 'लण' सूत्र के णकार के साथ प्रत्याहार किया है—अत्रव अण परेण णकारेण ।) मवणों के ग्राहक जनत हैं—“अणुदित सवणस्य चाप्रत्ययः ।” अतः पदात्त यकार और वकार के पूर्व अकार ह्रस्व हा या दीघ हो उदात्त हो या अनुदात्त, इससे कोई अंतर नहीं पडता । 'राम + इति = राम इति । राम + एष = राम एष ।' इन उदाहरणों में पदात्त यकार से पूर्व का अकार ह्रस्व है । 'देवा + इति = देवा इति । देवा + एते = देवा एते । इन उदाहरणों में यकार का पूर्व

वर्ती आकार दीघ है। सवत्र यकार का लोप हुआ है। सवर्णों का ग्रहण बनाने वाला सूत्र है ग्रहणकशास्त्र। उसमें 'जष' प्रत्याहार निर्दिष्ट है। अतः यह लाघव भी वण समाप्त्य के आधार पर ही सिद्ध हुआ है।

१० ३ ११ अब तक लोप का उदाहरण दिया है, उनमें सवत्र 'राम, दवा, नरा, जना' आदि शब्दों में विसर्ग ही दिखाया गया है। किंतु पाणिनि के मूल में यकार और वकार के लोप का विधान किया गया है। विसर्ग लोप की चर्चा तो नहीं की गयी। अतः पाठकों को शक हो सकती है कि "लोप शाकल्यस्य" इस सूत्र से विहित लोप के ये उदाहरण कस हो सकते हैं? इस शक का उत्तर है कि पूर्वोक्त इन सभी उदाहरणों में वस्तुतः यकार का ही लोप हुआ है। 'राम, दवा, जना' आदि शब्दों—को हम विसर्गात् रूप में लिखते हैं। किंतु ये पद मूल रूप में विसर्गात् नहीं हैं। इनका रूप सकारात् है। प्रथमा एकवचन का प्रत्यय 'स' (सकार) है। अतः 'रामस' मूल रूप है। प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय है 'अस'। अतः बहुवचन के शब्द भी मूलतः सकारात् हैं। देवास, जनास, नरान, मगास इत्यादि। किंतु पदात् सकार के स्थान पर रेफ का आदेश विहित है—“ससजुपो रु”। इसे 'रुत्व कहते हैं। हरिगच्छति गुर्वदति' [हरिस + गच्छति = हरिर गच्छति। गुर्वस + दति = गुरुर दति] इत्यादि में रेफ का ही श्रवण होता है। किंतु पदात् रेफ के बाद किसी वण का उच्चारण नहीं हो, तो रेफ का स्थान पर विसर्ग होता है—'खरवसानयोर्विसर्जनीयः।' इस कारण से सकारात् पदों का विसर्गात् बनाकर लिखा जाता है। किंतु पदात् के मूल रूप में विसर्ग नहीं रहता, वे सकारात् हैं।

१० ३ १२ यकार और वकार का लोप बताने में पाणिनि का एक और अभिप्राय लक्षित होता है। नीचे एक वाक्य उद्धृत कर रहे हैं, जिसमें पतञ्जलि ने भाष्य के पस्पशाह्निक में दिया है—

'तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितं व नापभाषितं व म्लेच्छा ह वा एप यदप-
शब्दः।'

इस वाक्य में 'म्लेच्छा ह वा एप' पर विचार करें। इस अंश में चार पद हैं—
म्लेच्छ ह वा, एप। इस वाक्य का अर्थ है कि अपशब्द को म्लेच्छ कहते हैं। व + एप = वा एप'। यहाँ क्या विकार हुआ? 'व' अव्यय है। उसका जतिम स्वर ऐकार है। ऐकार के बाद एप का ऐकार आया है। एचोऽयत्रायव।—
ऐकार के बाद अच (स्वर) हो तो उसका स्थान पर आय' का आदेश होता है।
न + अक = नायक। इसी प्रकार व + एप = वाय + एप। आयादेश के बाद
वाय पद यकारात् बना। इस पदात् यकार से पूर्व दीघ आकार है। परवर्ती वण
ऐकार 'अश' में आता है। अतः यकार का लोप हुआ है—“म्लेच्छो ह वा एप।”

उसके स्थान में उच्च होता है। एपस + अत्र → एपत्र + अत्र ... एप + उ + अत्र। 'एप + उ'—यह गुण होता है—'एपा। "एउ पदा तादति।' पदात्त एकार तथा आवार के बाद ह्रस्वाकार होता है—एपा, अत्र। एप उदाहरण सँकड़ों मिलते हैं—रामाज्यम मगापि इत्यादि। उच्च का नियम भी 'हण प्रत्याहार के आधार पर बना है।

१०३१५ मन्वृत म पदान्त विसर्ग की स्थिति का शास्त्रिय निरूपण एक जटिल प्रश्न है। विसर्ग में पूर्व ह्रस्व अकार होता है तो उसकी स्थिति भिन्न होती है। परवर्ती वग भी ह्रस्व अकार है तो 'भा' का श्रवण होता है। राम + अयम = रामाज्यम। परवर्ती वण ह्रस्व अकार में भिन्न कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप होगा है। राम + आगम = राम आगत। राम + इति = राम इति। राम + उवाच = राम उवाच। परवर्ती वण ह्रा हो तो 'ओ' कार आता है। राम + हसति = रामो हसति। राम + गच्छति = रामो गच्छति। राम + जयति = रामा जयति इत्यादि। परवर्ती वर्ण ककार या खकार है तो विसर्ग ही रहता है या उसके स्थान पर जिह्वामूलीय आता है। राम करानि' अथवा 'राम करोति'। चकार या छकार परवर्ती है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार का उच्चारण होता है। राम + चरति = रामश्चरति। राम + छात्र = रामश्छात्र। परवर्ती वण टकार या ठकार है तो पकार—मूधम—का आदेश आता है। राम + टीकते = रामष्टीकते। परवर्ती वण तकार या थकार है तो दत्त सकार ही रहता है—राम + तत्र = रामस्तत्र। पकार या फकार पर म हो तो विसर्ग ही रहता है या उसके स्थान पर उपध्मानीय आता है। राम + पचति = रामो पचति अथवा राम पचति। वभ - फलति = वृक्षं फलति अथवा वभ फलति। परवर्ती वण श प अथवा स है तो विसर्ग के स्थान पर ऋम स श प स का आदेश होता है अथवा विसर्ग ही रहता है। राम + शेते = रामश्शेते अथवा राम शेते। बालक + पठ = बालकप पठ अथवा बालक पठ। राम + साधु = रामस साधु अथवा राम साधु। परवर्ती श प स (शर) व पूर्व खर् (वग के प्रथम तथा द्वितीय वण और श, प स) हा तो विसर्ग ही रहता है। घनाघात क्षाभण। राम क्षुध्यति। श्रेष्ठ स्तक। परवर्ती वर्णों में पहला शर् और बाद का खर हो तो विसर्ग का विकल्प से लोप होता है। राम + स्थाता = राम स्थाता अथवा रामस स्थाता अथवा राम स्थाता। यदि विसर्ग से पूर्व दीर्घ आकार हो तो अश' वण (परवर्ती) के योग में विसर्ग का लोप होता है। यह लोप 'जच' के सामंता विकल्पक है किंतु 'हल' के साथ नित्य है। देवा + इति = देवा इति अथवा देवा इति। नरा + एते = नरा एते अथवा नरा एते। बालका + गच्छति = बालका गच्छति। यदि विसर्ग से पूर्व अकार स भिन्न और कोई स्वर हो तो 'जग' (परवर्ती) के योग में विसर्ग के स्थान पर रफ का श्रवण होता है। हरि + अयम = हरिरयम। लक्ष्मी +

आगता = लक्ष्मीरागता । वधू + एता = वधूरेता । देवै + अपि = देवरपि । तं + ष्टम = तंष्टम । गुरु + भापते = गुरुभापित । नदी + मानयति = नदी मानयति । किंतु जब परवर्ती वण खर् होगा तब पूर्वोक्त व्यवस्था क अनुसार जिह्वामूलीय आदि आदेश होंग । नदी पश्यति, नदी पश्यति । हरि करोति, हरि करोति । गुरु कथयति गुरु कथयति इत्यादि । इन समस्त विकारा की व्यवस्था वैचानिक ढंग से बतान का काम पाणिनि ने निम्नलिखित कुछ सूत्रों के द्वारा किया—

- १ अतो रोरप्लुता दप्लुते ।
- २ हशि च ।
- ३ भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ।
- ४ लोप शाक्त्यस्य ।
- ५ हलि सर्वेषाम् ।
- ६ कुप्वो ष् क षो च ।
- ७ विसजनीयस्य स ।
- ८ स्तो इचुना इचु ।
- ९ ष्टुना ष्टु ।
- १० वा शरि ।
- ११ शपरे विसजनीय ।
- १२ ससञ्जुषो ष ।
- १३ स्रस्वसानयोविसजनीय ।

इन सूत्रों के अलावा वार्तिककार ने अपनी ओर से एक नियम बताया—

१४ “शपरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्य ।”

१० ३ १६ विसर्ग की स्थिति का सामान्य निरूपण करने के लिए उपयुक्त चौदह नियम आवश्यक हुए । किंतु कहीं सत्त्व (सकार) होता है तो कहीं पत्व होता है । नमस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार आदि शब्दों में सत्त्व होता है । आविष्कार, निष्प्रत्यय, सपिष्काम्यति इत्यादि शब्दों में पत्व होता है । ऐसे विशिष्ट प्रयोगों की सिद्धि के लिए विशेष नियम बनाने की आवश्यकता थी । अतः पाणिनि ने सत्त्व तथा पत्व की व्यवस्था कुछ सूत्रों में बतायी— ‘(१) साञ्जदादौ । (२) इण प । (३) नमस्पुरसोगत्यो । (४) इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य’ इत्यादि सूत्रों का निरूपण किया । इससे सिद्ध होता है कि ससृज्ज भाषा का वैचानिक वर्णन करने में वण सामान्य के आधार पर प्रत्याहारों की रचना के कारण पाणिनि को ‘लाघन’ प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिली ।

१० ३ १७ अब एक और प्रश्न रह गया । ‘देवा एते राम इनि, नरा अपि इत्यादि में लोप के बाद स्वर-सन्धि (गुण, शीघ्र वद्धि) क्या नहीं आती ?

पाणिनि ने कही ऐसा निषेधायक नियम नहीं बनाया कि लोप के बाद संधि नहीं होगी। 'गौरीयम् नद्यपि' इत्यादि में लोप ('सु' प्रत्यय लोप) के बाद संधि काय हुआ है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें? पाणिनि ने इसका भी एक अपूर्व (unprecedented) उपाय खोज निकाला। उन्होंने एक विशेष सूत्र की रचना की—“पूर्वनामिद्धम्।” इसे अधिकार-सूत्र कहते हैं। 'अधिकार' का अर्थ यह होता है कि यह सूत्र परवर्ती सूत्रों में अतिरिक्त होकर एकवाक्यता से अर्थ देता है। स्वरितनाधिकार। कुछ सूत्रों में कुछ शब्दों की ही 'अनुवृत्ति' की जाती है। उदाहरण के लिए, 'ए चो ऽयवायाव' इस सूत्र में इतना ही बताया गया है कि एच के स्थान पर अय' आदि आदेश होते हैं। किंतु यह नहीं बताया गया कि ये आदेश किस स्थिति में होते हैं? आदेश का निमित्त क्या है? तब, 'इको यणचि' इस पूर्व सूत्र से 'अचि' की अनुवृत्ति कर लेते हैं। अब वाक्य पूरा होता है और उसका अर्थ बनता है—'अच वण परवर्ती हो तो एच के स्थान पर अयादि आदेश हात हैं।' ऐसी अनुवृत्ति एक या एकाधिक पदों की होती है। किंतु अधिकार तो पूरे सूत्र का होना है। 'प्रत्यय' एक अधिकार सूत्र है। यह तृतीयाध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इसके बाद का सूत्र है—“पर च।” यह तृतीयाध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है। ये दोनों सूत्र पंचमाध्याय की समाप्ति तक प्रत्येक सूत्र के साथ अतिरिक्त होते हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्याय में जो कुछ विहित है, उसे 'प्रत्यय' की सहायता प्राप्त होती है और वह धातु या प्रातिपदिक (प्रकृति = stem) के बाद ही लगता है। इसी प्रकार 'अगस्य' एक अधिकार सूत्र है। यह षष्ठ्याध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र है। सप्तमाध्याय की समाप्ति तक प्रत्येक सूत्र में 'अगस्य' उपस्थित होता है, अतः इस अधिकार कहते हैं। इन अधिकार सूत्रों की सहायता तक होती है? कुछ स्थानों में पाणिनि ने परवर्ती सीमा का भी निर्देश किया है—“प्रागरीश्वराननिपाता।” अधिरीश्वरे तक यह 'निपाता' का अधिकार रहेगा। कुछ स्थानों में सीमा का निर्देश सूत्रकार ने नहीं दिया। वहाँ परंपरागत व्याख्यान ही प्रमाण माना जाता है—“याट्यान्ता विशेषपत्तिपत्तिनहि सन्नेहादलक्षणम्।” भाष्यकार की 'याख्या' का ही हम निष्पायक प्रमाण मानते हैं। 'पूर्वनामिद्धम्' का अधिकार अष्टमाध्याय के अंत तक—“तस्मिन्परिसमाप्तिं पयत—बताया गया है। यह सूत्र अष्टमाध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है ८२१। अतः यह अष्टमाध्याय के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पादों के प्रत्येक सूत्र में सबद्ध होता है और एक वाक्यता से अर्थ देता है।

१०३१८ पूर्व असिद्धम्। सूत्र में केवल दो शब्द हैं। पूर्व = पूर्व शास्त्र के विषय में। 'असिद्धम्' अर्थात् अज्ञात प्रत्यय है जो सप्तमी के अर्थ में विहित है। असिद्धम् = अविद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है उसको अविद्यमान समझना चाहिए।

किसको असिद्ध (inoperative, to be ignored) मानना चाहिए? 'पूर्व' के सामर्थ्य से मालूम होता है कि 'पर' को असिद्ध मानना चाहिए—“पूर्वस्मिन् शास्त्र क्तव्ये पर शास्त्रमसिद्ध स्यात् ।” यहाँ पूर्व शास्त्र का क्या अर्थ हो सकता है? अब तक अष्टाध्यायी ग्रन्थ के सात अध्याय और अष्टम अध्याय का प्रथम पाद पूरा हो चुका है। यही 'सपाद सप्ताध्यायी' यहाँ पूर्व शास्त्र है। इस ग्रन्थ में अभी तीन पाद (अष्टमाध्याय क द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) बचे हैं। यह 'त्रिपादी परशास्त्र' है। सपाद सप्ताध्यायी क किमी शास्त्र (सूत्र) से यण, दीर्घ, गुण आदि कोई व्याकरणिक कार्य करना है तो त्रिपादी के शास्त्र असिद्ध माने जाएँगे। उनकी या तो प्रवृत्ति नहीं होगी या पहले प्रवृत्त हुए हैं तो उनके द्वारा निष्पन्न कार्य का अनिष्पन्न माना जायगा। त्रिपादी में भी पूर्वशास्त्र के विषय में परशास्त्र असिद्ध है। सिद्धांतकौमुदी में भट्टाजिदीपित ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा—“अधिकारोऽयम् । तेन सपाद-सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति पर शास्त्रमसिद्धम् ।” (सूत्र १२, प० ५)।

१०३१६ “लोप शाकल्पस्य” । (८३-१६) यह सूत्र त्रिपादी में है। “पूर्वशास्त्रमसिद्धम्” का अधिकार इस लोप विधायक सूत्र में भी उपस्थित होता है। यह शास्त्र पूर्वशास्त्र के विषय में असिद्ध है। यहाँ, ८३१६ की दृष्टि से ‘पूर्व’ का अर्थ क्या है? “वृद्धिरादौ च” (११-१) में लेकर ‘व्योलघुप्रयत्नतर शाकटायनस्य’ (८-३१८) तक में सब सूत्र ‘लोप शाकल्पस्य’ (८३१६) की दृष्टि से पूर्व शास्त्र है। अतः, ११-१ से लेकर ८३-१८ तक के किमी सूत्र से कोई कार्य (वृद्धि, लोप आदि को ही यहाँ कार्य कहते हैं) करना चाहते हैं, तो लोपविधायक शास्त्र ही असिद्ध बन जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? देवाय् + इति। इस अवस्था में गुण की प्राप्ति नहीं है क्योंकि दवा क जाकार तथा ‘इति’ के इकार के बीच में यकार व्यवधान कर रहा है। ‘लोप शाकल्पस्य’ से यकार का लोप किया—दवा इति। अब आकार और इकार के बीच में व्यवधान न होने के कारण गुण प्राप्त है। गुण का विधायक सूत्र है—‘आद गुण’। यह पष्ठाध्याय के प्रथम पाद में ८७वाँ सूत्र है (६-१ ८७)। इस सूत्र के विषय में लोप शास्त्र असिद्ध है। अर्थात् यकार का लोप होने के बाद भी गुणविधायक सूत्र की दृष्टि से ‘आ’ और ‘इ’ के बीच ‘य’ का व्यवधान है। अतः गुण नहीं होता। ‘वृद्धिरादौ च’ (६-१ ८८), ‘इवा यणचि’ (६१७७) “अक् सवर्णे दीघः” (६-१ १०१) आदि सूत्र भी पष्ठाध्याय के प्रथम पाद में ही हैं। उनकी दृष्टि से लोप शास्त्र असिद्ध है। अतः “लोप शाकल्पस्य” से विहित लोप के बाद गुण, दीर्घ आदि स्वरसन्धि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

१०३२० ‘गौरी’ शब्द में ‘सु’ प्रत्यय का लोप हुआ है। इस लोप का विधायक सूत्र है—“हल्ङ्वाभ्यो दीर्घति सुतिस्व पवत् हल्” (६-१ ६८)। यह

सून पष्ठाध्याय के प्रथम पाठ में है। त्रिगणो का नहीं है। अतः स्वर-सधि व सप्तम में यह निड ही है, असिद्ध नहीं है। ता गुलाप व बाद भी यण् आन्ति सधि काय होते हैं। गौरी + एपा = गौर्येपा। यही यणादेश हुआ। गौरा + इयम = गौरीयम्। यहाँ मवण दोष हुआ। इसी प्रकार 'राजा' में भी हलद्वयादि मूत्र स गुलाप एान के कारण उनके बाद सधि करन में कोई बाधा नहीं होनी। राजा + अयम = राजायम। मत्रपदोष। राजा + इति = राजति। गुण। राजा + एव = राजैव। इन प्रकार के विभिन्न लक्ष्यों की सिद्धि के लिए पाणिनि ने कुछ नियमों का त्रिगणो से पूर्व वन या और कुछ अन्य नियमों का त्रिगणो में स्थान दिया। लापव के लिए ही उनका एना विभाजन करा पडा। इस लापव' का प्राप्त करन के लिए वण नमाम्नाय का आधार ग्रहण करना अनिवार्य था।

१०४ पाणिनि ने अष्ठाध्यायी की रचना में पर्याप्त जागरूकता से काम लिया है। हम अनुमान नहीं कर सकते कि इस एक शास्त्र ग्रन्थ के निर्माण के लिए ग्रन्थकार का कितनी विभिन्न प्रकारों की बातों पर ध्यान—अवधान—रचना पडना है। अवधान की कमी हुई तो ग्रन्थ रचना में व्यवधान जरूर पडेगा। एक उदाहरण में हम इसे समझ सकते हैं। 'अनडुह' एक प्रातिपदिक है। यह हकारात है। प्रथमा एक वचन में इसका रूप होता है—'अनडवान।' इसके अर्थ में नीचे दिया जा रहा है—

प्रातिपदिक 'अनडुह'

विभक्ति	ए० व०	द्वि० व०	बहु० व०
प्रथमा	अनडवान	अनडवाही	अनडवाह
सबोधन	हे अनडवन	ह	हे ,
द्वितीया	अनडवाहम्	अनडवाही	अनडुह
तृतीया	अनडुहा	अनडुह्म्याम	अनडुदभि
चतुर्थी	अनडुहे		अनडुदभ्य
पंचमी	अनडुह		,
षष्ठी	,	अनडुहो	अनडुहाम
सप्तमी	अनडुहि	अनडुहो	अनडुत्सु

पाणिनि ने देखा कि प्रथमा विभक्ति के तीनों तथा द्वितीया के दो वचनों में इस प्रातिपदिक के अंतिम हकार में पूर्व आकार का ध्वनि हो रहा है। सबोधनात्मक प्रथमा के एकवचन में हकार से पूर्व दीर्घ का नहीं किंतु ह्रस्व अकार ही पाया जाता है। द्वितीया बहुवचन में लेकर सप्तमी बहुवचन तक ऐसा कोई आगम (addition) नहीं होता। 'अनडुदभ्याम' आदि में प्रत्ययों के योग के

कारण प्रातिपदिक का हकार दकार के रूप में परिवर्तित पाया जाता है। इनके चारों लक्ष्य व (data) परीक्षण से मालूम होती है। अब इन लक्ष्यों के अनुसार नियमों की रचना करनी है।

१०४१ पहले देखें कि हकार का दकार किस परिवर्तन से होता है। विभक्तियाँ सात हैं। प्रत्येक विभक्ति में तीन वचन हैं। उन विभक्तियों में प्रत्ययों की संख्या इक्कीस है। इनमें प्रथमा का द्विवचन और द्विवचन (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ) से आरम्भ होता है अजादि हैं। द्वितीया का तीना प्रथम वचन है। तृतीया वचन और पचमी के एकवचन अजादि हैं। षष्ठी व तृतीया वचन है। सप्तमी के एकवचन और द्विवचन दोनों अजादि हैं। अष्टम व नवम वचन अजादि हैं। बाकी आठ प्रत्यय—(१) प्रथमा का एकवचन (२) द्वितीया वचन (३) तृतीया वचन (४) पचमी के द्विवचन और बहुवचन और (५) सप्तमी का एकवचन अजादि हैं। इनमें न देखा कि हलादि प्रत्ययों के योग में ही अनुस्वार के प्रयोग का दकार बनता है, अन्यत्र हकार ही रहता है। ता उहोंने यह नियम बनाया— अनुस्वार प्रत्यय-बहुवचन। (८२७२)

'सु' का लोप करने के बाद यही लुप्तप्रत्ययात् पद हाता है—'सुप्तिङतपम् ।' प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्ययान्त माना में बाधा नहीं है—'प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् ।' अतः अनडवान् नकारात् पद है। पदात्त नकार का लोप विहित है—'न लोप प्रातिपदिकान्तस्य ।' जहाँ प्रातिपदिक ही लुप्तप्रत्ययात् होने से 'पद' बन जाता है वहाँ नकार का लोप प्राप्त है। 'अनडवान्' में लोप दृष्ट नहीं है। इसके लिए क्या उपाय किया जाय ? पाणिनि ने कहा कि 'ह्रस्व ह्रस्वकारकस्यान्तं नकारात् आदेशः नही करते। ह्रस्व से पूर्व नकार का आगम करते हैं। इससे क्या होगा ? देखिए। अनडुह् + स = (आगम आगम) अनडवाह् + स = (नुमागम) अनडवाह् + स। नुमागम का विधानक सूत्र है—'सावनडुह्' (७.१.८२)। इस नुमागम के कारण 'दत्व' नहीं होना। ह्रस्व यदि भूत से 'स' (प्रत्यय) का लोप हो जाता है। अतः यह रूप बनता है—'अनडवाह्'। यही पद है। पद के अन्त में नकार और ह्रस्व का समागम है। संयोगात् पद के अन्तिम वर्ण का लोप होता है—'संयोगात्तस्य लोपः' (८-२.२३)। इसमें ह्रस्व का लोप करते हैं। अनडवान् । इस स्थिति में नलोप प्रातिपदिकान्तस्य' (८-२.७) इस सूत्र से नकार का लोप प्राप्त है। किंतु न लोप का शास्त्र ८-२-७ पूर्वशास्त्र है। संयोगात्तलोप का शास्त्र = २-२३ परशास्त्र है। पूर्वशास्त्रम् । त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति पर शास्त्रमसिद्धं स्यात् । नलोप शास्त्र की दृष्टि से संयोगान्तलोप शास्त्र असिद्ध है। अतः न लोप शास्त्र की दृष्टि में यह पद ह्रस्वकारक नकारात् नहीं है। तान लोप नहीं होता। इस प्रकार नकारान्त रूप की सिद्धि हो सकती है। इतना ध्यान रखकर पाणिनि ने 'सावनडुह्' के द्वारा नुमागम का विधान किया। भट्टोजिदीक्षित ने संक्षेप में इस बात पर प्रकाश डाला है—'संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् नलोपो न ।' (सिद्धांतकीमुदी सूत्र ३३२, पृष्ठ ८०)।

१०४४ किंतु कोई भी मानव परिपूर्ण नहीं हो सकता। पाणिनि भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं। उनसे भी असावधानी के कारण कुछ गलतियाँ हो गयीं। कुछ बातें उनके ध्यान में नहीं रहीं। कहीं कहीं तो कुछ आवश्यक सूचना देना भी वे भूल गये। ऐसी कमियाँ को दूर करना आवश्यक था। साथ ही, पाणिनि ने जो कुछ कहा था उसकी व्याख्या करने की भी आवश्यकता थी। पाणिनि के गूढ़ आशय को साधारण पाठक समझ नहीं पाता, उसकी मदद के लिए स्पष्टीकरण देना भी अपेक्षित था। संक्षेप में अष्टाध्यायी का एक समीक्षात्मक अध्ययन करना आवश्यक था। कई आचार्यों ने पाणिनीय सूत्रों की समीक्षा प्रस्तुत की है। ऐसी समीक्षा को भी वे सूत्रों के समान ही सारगर्भित किंतु सक्षिप्त वाक्यों में व्यक्त करते थे। इन्हें 'वार्तिक' कहते हैं। वस्तुतः भव वार्तिकम्। मूलतः ये वार्तिक व्याख्या करने की दृष्टि से ही लिखे गए हैं। मूल ग्रंथ की बातों का विशद विवेचन करना उससे प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करके सम्भावित शकाओं

का युक्तियुक्त समाधान प्रस्तुत करना और मूल ग्रथकार के तात्पर्य पर प्रकाश डालना वास्तविक का पहला काम है। इसे 'उक्त का चिंतन' कहते हैं। अष्टाध्यायी पर लिखे गये अधिकांश वास्तविक इसी कोटि के हैं। ग्रथकार ने यदि कोई बात छोड़ दी है और उसको जाड़ना आवश्यक है तो वास्तविकार उस नयी बात को स्वयं जोड़कर ग्रथ को अपूर्णता के दाप से प्रचाता है। यह 'अनुक्त का चिंतन' है—सूत्रकारेण यदनुक्तं किंतु लक्ष्यसिद्धायमवश्यं चकतव्यं तस्यापि चिंतनं वास्तविकारणं क्रियते। एक तीसरी स्थिति भी हानी है। मूलकार ने कुछ 'गलत' कहा है उसका निराकरण करना अपेक्षित है। उसक स्थान पर सही बात का प्रतिपादन करना चाहिए। यह 'दुरुक्त का चिंतन' है। उक्तानुक्तदुरुक्तचिंतनं वास्तविकम्।" ऐसे वास्तविकों के द्वारा पाणिनी की जालोचना करने वाले आचार्यों ने कात्यायन सयप्रमुख हैं। आपको 'वररुचि' का नाम से भी जानते हैं। एक पाचीन श्लोक में इसी नाम से आपका उल्लेख हुआ है—

वाक्यकार वररुचि
भाष्यकार पतञ्जलिम् ।
पाणिनिं सूत्रकारं च
प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ।

१०४५ पाणिनी की अमावधानी या प्रमाद का एक उदाहरण अब प्रस्तुत किया जाता है। सयागातस्य लाप । इस सूत्र की चर्चा पहले हो चुकी है। यहाँ पाणिनी ने एक छोटी-सी बात पर ध्यान नहीं दिया। उ हान पठ्ठाध्याय में एक सूत्र लिखकर यणादश का विधान किया— 'इका यणचि ।' 'पत्यु, मत्य वध्व, कर्त्ता जादि पदों में प्रातिपदिक और प्रत्यय के योग में यणादश हुआ है। पति + उस = पत्यु । मति + ए = मत्य । वधु + अम् = वध्व । क्तृ + आ = कर्त्ता । यहाँ यणादश करने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठना । किंतु जहाँ इक् (इ, उ, ऋ, ए) पदांत हैं और पदांतरम्य अच् के कारण उनके स्थान में यण् (य, व, र, ल) का आदेश होता है, वहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है। कुछ उदाहरण लीजिए । सुधी + उपास्य = सुधुपास्य । मधु + अरि = मध्वरि । घात + अश = घात्रश । ये सब समास हैं। समास का पहला पद 'पूर्व पद' कहलाता है और अंतिम पद का 'उत्तरपद' कहते हैं। अर्थात् समास के सभी घटक 'पद' ही हात हैं। समासात्गत पदों में 'सुप' प्रत्यय का लोप विहित है— "सुपाधातुप्रातिपदिकयो ।" किंतु सुप का लोप हान पर भी सुव तत्त्व की क्षति नहीं होती— प्रत्यय लाप प्रत्ययलक्षणम् ।" अतः समान के घटक शब्द लुप्तविभक्तिक पद ही मान जाते हैं। यणादश के बाद इन समासों के पूर्वपद संयोगात् बन जाते हैं। सुध्य, मध्व और घात्र—ये संयोगात् पद हैं। इनके अंतिम व्यंजन का तीन प्राप्त्वं है—

‘सयोगात्तस्य लोपः ।’ ‘मत्या, वध्वा, घात्रा’ आदि म य व-र पदात्त नहीं हैं। अतः यहाँ लोप की प्राप्ति नहीं है। किंतु ‘सुधुपास्य’ आदि म पदान्त सयोग की स्थिति म लोप दुर्गर है। यह लाप समास के अभाव म भी प्राप्त है। इति + आह = इत्याह। गोरो + उवाच = गौयुवाच। मधु + अस्ति = मध्वस्ति। वत + इदम = वन्नदम। य व्यस्त प्रयोग है। यणादेश स पूव की स्थिति म ‘इति, गोरी, मधु और ‘कत’ अज्ञात पद हैं। यणादेश के बाद य सयोगात्त बन जात है। अतः यहाँ भी लाप प्राप्त है।

१०४६ पाणिनि ने स्वयं अपन गूत्रा म यणादेश से सहित शब्दों का प्रयोग किया है—(१) व्याहरति मग। (२) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्। (३) इन्मा-
ऽवादेश शनुदात्तस्ततीयादी। (४) आत्मनपदेव्यपतरस्याम् (५) ओ पुयण्य-
पर। यहाँ सयोगात्तलाप नहीं किया गया। इससे प्रमाणित होता है कि पाणिनि यह जानत था कि यणादेश के बाद सयोगात्तलोप नहीं होता। किंतु नियम बनात समय यह बात उनका ध्यान म नहीं थी। यही प्रमाद है। कात्यायन न इस कमी का दूर करना चाहा, अतः उ हानं वाचिक लिखा—“यण प्रतिषेधो वाच्यः।” इसका अर्थ है—सयोगात्तलोप यण् का नहीं हाता, इस आशय का एक तिषेध-
नियम बनाना है। स्पष्ट है कि कात्यायन न यहाँ रचनात्मक ढंग स—शास्त्र की गरिमा की रक्षा के लिए—एक सशोधन का सुझाव दिया है। यह अनुकृतचित्तन का एक उदाहरण है।

१०४७ पाणिनि का एक सूत्र है—इद्रवरणभवशवरुद्रमडहिमारथ्य-
यवयवनमातुलाचार्याणामानुक (४-१४६)। यह सूत्र स्त्री प्रत्यय प्रकरण म पठित है। इस स पूव का सूत्र है—पुयोगादाख्यायाम् (४१४८)। पुयोग का अर्थ है पति का संबन्ध। अर्थात् यह स्त्रीप्रत्यय पत्नी के अर्थ म विहित है। पत्नी के अर्थ म पति (पुरुष) वाचक शब्द म ‘डीप’ प्रत्यय जुडता है। ‘डीप म डकार और पकार इत हैं। कवल ई वचता है गोपस्य स्त्री गोपी। माप + ई = गोपी। गोपालक (अहीर) की पत्नी को ‘गोपी’ कहत हैं। ‘इद्रु’ आदि शब्दों म ‘डीप’ प्रत्यय के साथ ‘जानुक’ आगम भी लगता है। आनुक म ककार इत है। उकार अनुनासिक है अतः वह भी इत है। कित्त्व स यह सूचना मिलती है कि यह आगम इद्र आदि शब्दों क जत म जुडता है—आद्यन्तो टकित्तौ। इद्रस्य स्त्री = इद्र + इ = इद्र + आन + ई = इद्रानी = इद्राणी। इद्र की पत्नी शची को इद्राणी कहते ह।

१०४७१ इस सूत्र म कुल बारह शब्द पठित है। इद्र और वरण दो अदिक देवता हैं। भव शव, रुद्र और मड—य चारो शिव के पर्याय है। मातुल माता क भाई—मामा—का कहत है। आचार्य ता गुट का पदाय है। य सभी शब्द पुरुषवाचक है। इद्राणी = शची। वरुणानी = वरुण की पत्नी। शिव की पत्नी

पावती को 'भवानी, श्यामी, रद्राणी' या 'मडानी' कह सकते हैं। मामा की पत्नी को 'मातुलानी' कहते हैं। इन आठ शब्दों में पुयोग-लक्षण ङीष् का प्रयोग उपपन्न है। बाकी चार शब्द हैं—हिम, अरण्य, यव, यवन। इनमें हिम और अरण्य' शब्द नपुमर्कलिंग हैं तथा अचेतन अर्थ के वाचक हैं। यहाँ पुयाग की उपपत्ति नहीं है। 'यव' शब्द पुलिग है यह धा य विशेष का वाचक है। अतः यहाँ भी पुयाग की उपपत्ति नहीं है। 'यव' एक वग के मनुष्य का वाचक है। किंतु इस शब्द में पुयोग के अर्थ में आनुक' आगम नहीं होता। यवन की स्त्रीता यवना' हाती है। पुयोग-लक्षण ङीष् तो प्रवृत्त है, आनुक' नहीं।

१० ८७२ आचार्य' शब्द में आनुक' आगम करने के बाद नकार का णत्व प्राप्त होता है— रपाभ्यां ना ण समानपदे। अटकुञ्चाह नुम्भयवायपि।" किंतु आचार्यानी'—एमा णत्व रहित रूप ही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार उपाध्यायानी' शब्द भी प्रयुक्त है। मूत्र में उपाध्याय शब्द पठित नहीं है। इस शब्द में आनुक' आगम संकल्पित है। उपाध्यायानी' की तरह उपाध्यायी' शब्द भी मिलता है। य शब्द उपाध्याय (अध्यापक) की पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जो स्त्री अध्यापक की पत्नी नहीं है किंतु स्वयं अध्यापन का कार्य करती है उसे भी उपाध्यायी कहते हैं। इस अर्थ में उपाध्याया' (टाप प्रत्ययात् रूप) शब्द भी प्रचलित है। उपाध्यायानी' में आनुक' के कारण हम जानते हैं कि यह उपाध्याय की पत्नी का वाचक है। जो अध्यापन करती है वह उपाध्यायानी' तभी हो सकती है जब उसका पति भी अध्यापक हो और हम केवल पुयोग की विवक्षा करें। यदि अध्यापन करने वाली स्त्री अविवाहित है या उसका पति अध्यापक नहीं है तो केवल अध्यापन-क्रिया के कारण उस स्त्री को 'उपाध्यायानी' नहीं कह सकते। इसी प्रकार उपाध्याया' शब्द से उस स्त्री का बोध होता है जो अध्यापन कार्य करती है। क्रियायोग से स्त्रीत्व में टाप प्रत्यय से यह रूप बना है। जो अध्यापन नहीं करती, वह स्त्री अध्यापक की पत्नी हान पर भी उपाध्याया' नहीं है। 'उपाध्यायी' शब्द के दो अर्थ होते हैं—(१) अध्यापिका, (२) अध्यापक की पत्नी।

१० ४७३ मूत्र में 'मातुल' शब्द पठित है। मातुल की स्त्री 'मातुलानी' तो होती है किंतु इसी अर्थ में मातुली शब्द भी प्रयुक्त है। अर्थात्, यहाँ 'आनुक' संकल्पित है। मातुल और उपाध्याय—इन दोनों में आनुक' संकल्पित है, यह एक समानता है।

१० ४७४ हिम' और 'अरण्य' शब्द का स्त्रीलिंग रूप भाषा में मिलता है। १. मपात् अधिक् हा तो उसे 'हिमानी' कहते हैं। अरण्य बड़ा हो तो वही 'अरण्यानी' है। इन शब्दों में पुयोग के अभाव में भी ङीष् और आनुक' महत्ता के अर्थ में उपलब्ध हैं। यह शक्य व्यय है कि अचेतन अर्थ के वाचक शब्द स्त्रीलिंग

कैसे हो सकते हैं? सस्युत म लिंगव्यवस्था प्रयोग पर ही आधारित है। जीवविज्ञान क लिंग (biological sex) स इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह लिंग अर्थात्प्रित न होकर शाब्दात्प्रित (grammatical gender) है। स्त्रीत्व लोकात्। अतः स्त्री लिंग मे डीप प्रत्यय का प्रयोग उपपन्न है।

१०४७५ 'यव' शब्द म डीप तथा आनुक् स दोप विशेष का बोध होता है। जा वास्तव म यव नहीं है किन्तु आद्युति म यव के समान है, उम 'यवानी' कहते हैं। स्त्रीत्व लोकात्। 'तत्त्ववोधिनी' टीका के लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं—

'जात्यन्तरमेव अनेन अभिधीयते। अयमेव चास्य दोषो यस्मात् स्वीयवत्वजातेरभावेपि तदाकारानुष्ठीति।' (तत्त्ववोधिनी, सू० ५०५, पृ० १२५)

१०४७६ यवन की स्त्री का ता 'यवनी' कहत हैं। तो फिर 'यवनानी' का क्या अर्थ है? यहा आनुक् क कारण यवना की लिपि का बोध होता है। यवना की लिपि का 'यवनानी' कहते हैं।

१०४७७ अय और 'क्षत्रिय य दो शब्द भी इसी प्रसंग म विचारणीय हैं। अय' शब्द क दा अर्थ पाणिनि न स्वयं बताय हैं—“अय स्वामिवैश्ययो” (३१-१०३)। मालिक एव व्यापारी को 'अय' कहत हैं। क्षत्रिय ता जातिवाचक शब्द है। पुयाम के अर्थ म 'डीप प्रत्यय होन स इन शब्दा क रूप बनत हैं—अर्या, क्षत्रिया। मालिक या वैश्य की स्त्री को 'अर्या' कहत है। क्षत्रिय की स्त्री क्षत्रिया है। इन शब्दो स यह मालूम नहीं होता कि यह स्त्री स्वयं किस जाति की है। यदि पुयोग की विवक्षा न करें और केवल स्त्रीत्व की विवक्षा करें तो इन शब्दा के दो रूप उपलब्ध हैं—(१) अर्याणी, अया। (२) क्षत्रियाणी क्षत्रिया। जो स्वयं सपत्ति की स्वामिनी है या स्वयं वैश्य जाति की है उसे 'अर्याणी' या 'अर्या' कहते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय जाति की स्त्री को 'क्षत्रियाणी' या 'क्षत्रिया' कहते हैं। पाणिनि क सूत्र म इन बातो का उल्लेख नहीं हुआ। वार्तिककार ने देखा कि यह अनुक्ति (omission) एक दोष है। इस दोष का निराकरण करना चाहिए। अतः य वार्तिक लिखे गये— हिमारण्ययोमहत्त्वं। यवाद् दोषे। यवनात् लिप्याम। मातु लोपाध्याययोरानुग वा। या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा डीप वाच्य। आचार्या दणत्व च। अयक्षत्रियाभ्या वा स्वायें” (सिद्धांतकौमुदी सूत्र ५०५, पृष्ठ १२५)। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि यहा वार्तिककार दोषदर्शन के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, किन्तु भाषा मे उपलब्ध तथ्यो के आधार पर, अनुक्त' का चिंतन करके, पाणिनि की कमी का दूर करने का ही प्रयास कर रहे हैं। व 'पूरक' का काम कर रहे हैं, दूषक का नहीं। अनुक्त चिंतन के ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं।

१०४८ दुष्कृत का अर्थ है दोषपूर्ण कथन। दोष कई प्रकार क हो सकते

हैं। किसी नियम का निर्माण करते समय सब आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा नियम बनाया चाहिए जिसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति का दोष प्रसक्त न हो। लक्ष्य का देखकर उसका अनुसार सामान्य (उत्सर्ग) और विशेष (अपवाद) नियम की रचना करनी चाहिए। अपवाद का विषय में उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती—'प्रकल्प्य चापवादविषय तत उत्सर्गोऽभिनिविशत। इसका एक उदाहरण देना उचित होगा। पाणिनि का सूत्र है—'वद्विराचि। इसका अर्थ है कि अकार के बाद 'अच्' (ए ओ, ऐ औ) आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि होगी। 'वद्विरादच्' आ ए और औ—इन तीन वर्णों को वृद्धि' कहते हैं। तस्य+एव=तस्यैव। गगा+ओप=गगोप। लेकिन यहाँ विचारणीय है कि अकार के बाद अच् हो तो गुण का विधान किया गया है—'आद गुणः।' एच तो अच् का ही एक अक्षर है। अतः वृद्धि क सभी उदाहरणों में गुण भी प्राप्त है। तो यही मानना पड़ता है कि वृद्धि गुण का अपवाद है—'यन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यत स तस्य अपवादा भवति। अपवादा बाधक होते हैं और उत्सर्ग बाध्य होते हैं। इस बाध्य बाधकभाव का कारण गुण को देवाकर यहाँ वृद्धि प्रवृत्त हाती है। विद्या+अभ्यास' इत्यादि में सवर्ण दीर्घ ('एक सवर्ण दीर्घ') गुण का बाधक है। किंतु जब अकारात् उत्सर्ग के बाद एडादि धातु आता है तब पररूप हाता है। 'एडि पररूपम्। प्र+एजत=प्रेजत। उप+आपति=उपोपति। यह पररूप गुण का अपवाद है। इस पररूप का भी अपवाद मिलता है। प्र+एति=प्रति। उप+एति=उपति। उप+एधते=उपैधत। यहाँ पररूप नहीं, वृद्धि ही होती है। इसका सूत्र है—'एत्येधत्प्रूठसु। किंतु 'उप+इत=उपत' होता है। प्र+इदिधत=प्रेदिधत। इन उदाहरणों में गुण हुआ है। 'इत्' 'इण्' धातु का ही रूप है। यह लट लकार में प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप है अथवा भूतकालिक क्तप्रत्यात विशेषण का पुलिग में प्रथमा एकवचन का रूप है। 'इदिधत्' 'एध' धातु का रूप है। 'एध' धातु का णिजत् (प्रेषणाथक, causative) रूप 'एधय' है। लुङ लकार का प्रथम पुरुष के एकवचन में 'इदिधत्' रूप बनता है। पूरा वाक्य है—'मा भवान् प्रेदिधत।'—आप मन बढ़ाइए। 'माड' निषेधाथक अव्यय है। उसी के कारण विध्यय में लुङ का प्रयोग किया जाता है—'माडि लुङ'। वैसे 'एध' धातु के पूर्व लुङ लकार में आट' आगम प्राप्त है—'लुङ् लड लूड् डवडुदात्त। आडजादीनाम्।' माड के कारण आडागम नहीं हाता—'न माड योगे'। इस प्रकार 'एध' धातु का यह रूप इका रादि बन गया। उपेत, प्रेदिधत आदि में प्राप्त वृद्धि के निवारण के लिए सूत्र की व्याख्या में यह जोड़ना पड़ा कि जब 'एति (इण् धातु) और 'एधति' (एध धातु) एजादि हा तभी वदधि होती है अ यत्र नहीं। 'इत्' 'इण्' धातु का रूप तो है, एजादि नहीं है। 'इदिधत्' 'एध' धातु का ही रूप है, यह भी इकारादि है, एजादि

नहीं है। वृद्धिरचि' सूत्र से 'एचि' की अनुवृत्ति करके, 'एत्येधत्यूठसु' का उक्त विशेषण बनाते हैं। "यस्मिन् विधिस्तदावल्ग्रहणे।"—इस परिभाषा से 'एचि' का अर्थ एजादि' लेना चाहिए। यह विशेषण ऊठ'(यह सप्रसारण है। बाह ऊठ। विश्व + बाह + अम = विश्व + ऊह + अस = वृद्धि का कारण, विश्वोह।) में अचित नहीं होता, क्योंकि ऊठ का एजादित्व असंभव है। अतः यह विशेषण एति और एधति में ही अचित होता है। इस व्याख्या का ही फल है कि 'उपेत' इत्यादि में गुण का समर्थन किया जा सकता है। यदि यहाँ 'एजादि-व' विशेषण नहीं दत्त, तो यह 'दुरुक्त' का उदाहरण बन जाता। भट्टाजिगीक्षित में लिखा है—

“एत्येधत्यूठसु (६१८६) अवर्णात् एजाद्यो एत्येधत्यो ऊठि च परे वृद्धि-रेकादेन स्यात्। पररूपगुणापवादः। उपति। उपधत्ते। प्रष्ठीह। एजाद्योरिति किम्? उपेत। मा भवान् प्रदिधत्।” (सिद्धांतकौमुदी, सूत्र ७३, पं० १६)।

१०४८१ किंतु कहीं कहीं पाणिनि ने जो नियम बनाया उसमें अद्यापि या अति-यापति का दोष आ गया है। इस दुरुक्त का सशोधन वास्तिककार ने किया। दुरुक्त का एक उदाहरण है— कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि'। इन सूत्र का अर्थ है कि कास तथा प्रत्ययात् धातुजा के लिट लकार में आम' प्रत्यय जुड़ता है किंतु यह विधि मन्त्र में लागू नहीं होती। 'प्रत्ययात् धातु' का अर्थ क्या है? कुछ धातु तो पाणिनीय धातुपाठ में पठित हैं। वे प्रत्ययान्त नहीं हैं। किंतु इनमें प्ररपाथक णिच इच्छायक सन, त्रियासमभिहारायक य- आदि प्रत्ययात् का जाड़ दें तो ये ही प्रत्ययात् धातु बन जाते हैं—सनाद्यन्ता धातवः। 'भू' धातु मत्तायक है। इसका रूप बनता है— भवति'। सन्त रूप है— वृभूपति' यह त रूप है— बोभूयत'। यद् लुगत् रूप है— बोभवीति। णिजत् रूप है— भावयति। 'भू' धातु का लिट लकार का रूप है— वभूव।' यहाँ 'आम्' प्रत्यय नहीं हुआ। वृभूपति' आदि प्रत्ययात् रूपों के लिट लकार में आम प्रवृत्त होता है— वृभूपामाम् वृभूपावभूव, वृभूपाचकार। इसी प्रकार वाम्भूयामात्, बोभवामास, वाम्भावयामास आदि रूप बनते हैं। अतः प्रत्ययान्त धातुओं के लिए 'आम' का विधान उचित ही है।

१०४८२ किंतु इस विधि में अद्यापि दोष है। चकास—दीप्तौ (१०७५) दरिद्रा—दुगती (१०७३)। ये धातु प्रत्ययात् नहीं हैं। किंतु इनके साथ लिट में 'आम्' प्रत्यय का प्रयोग होता है। चकासा चकार। दरिद्रामान्। अतः वास्तिककार ने सशोधन प्रस्तावित किया है कि अनकाच् धातु के लिए 'आम्' का विधान किया जाय— कास्यनेकाच् आम वक्तव्य। प्रत्ययात् के स्थान पर 'अनेकाच्' कहना उचित है। सिद्धांतकौमुदी में लिखा है—

'वास्तव्यादामभने निटि' (२१३५)। वामघातो प्रत्ययात्तस्य च अम
स्यात् निटि न तु मने । "वास्पनेकाजग्रहण वतव्यम् ।" मूत्रे प्रत्ययग्रहणमपनीय
सम्भाननवाच इति वाच्यमित्यथ (मूत्र २३०६ प्र०३६३) । प्रत्ययान् घातु—
गोपाय जिनाम, वीभूय आदि—प्रायः अन्वाच ही हात है किंतु वह अन्वाच
घातु प्रत्ययान् नहीं होता। अन् अव्याप्ति के निवारण के लिए वास्तविकार का
यह प्रस्तावित सहायन मूल्यवान् है। भाष्यकार न भी इसका स्वीकार कर लिया
है। दृक्कृत चिन्तन का यह एक उदाहरण है।

१०४८३ दृक्कृत का एक और प्रकार है। कोई नियम व्यय है—
उभय बिना भी वाम चल सकता है। एनी स्थिति में उस नियम का प्रत्याख्यान
(निवारण, रद्द करना) ही उचित है। पाणिनि का एक सूत्र है— दीधीववी
दान् । यह सूत्र गुण और वृद्धि के निषेध के लिए पाणिनि न बनाया। 'दीधी' और
ववी दा घातु है। इट् एक आगम है जो वन' से आरम्भ होने वाला आघघातुक
प्रत्यय के आदि में जुड़ना है— "आघघातुकस्येडवला" । किस घातु के साथ
ईडाग्न होना है और किसके साथ नहीं होना? किस प्रत्यय के साथ यह आगम
प्राप्त है और किसके साथ नहीं? मन्वृत्त भाषा में इस आगम की व्यवस्था अत्यंत
जटिल है। मन्वृत्तमाध्याय के द्वितीय पाद में पाणिनि ने इस आगम के संवध में
विस्तार न चचा की है। इट् में टकार इत् है केवल इकार वचता है। इस
इकार की वृद्धि तो वही प्रसक्त नहीं है किंतु भविता आदि में गुण की प्राप्ति
दिखाता है। सूत्रकार ने इट् के गुण का निषेध किया है।

१०४८४ आदीध्यन्म् । अदिचनम् । इन शब्दों में गुण प्राप्त है आ
उपसर्ग है। 'दीधी' और 'विवी' घातुक नाय ल्युट् प्रत्यय जुड़ा है। ल्युट् में प्रथम
सकार तथा अन्तिम टकार इत हैं— "लशक्वतद्धिते हलन्त्यम्" । यु वचता है।
उसके स्थान पर 'अन्' का आदेश विहित है— 'सुवारनाका' । यह अन् प्रत्यय
आघघातुक है अन् घातु के इकार का गुण प्राप्त होना है— सावघातुनाघघातु
कया । इसी प्रकार आदीध्यक आद्व्यक संवद्धि प्राप्त है। यशक्त्त-
वाचक 'ण्डुन प्रत्यय से निष्पन्न है। 'वुन' में णकार और लकार इत् है। 'वु'
वचता है और उसके स्थान पर 'अक्' आदेश होता है। 'सुवारनाकी' । यह प्रत्यय
गिन है। जन घातु के अन्तिम अच् की वृद्धि प्राप्त है— अच् अङ्गिति । अच् घातुआ
में ल्युट् के याग में गुण तथा ष्वल् के याग में वृद्धि के दर्शन होते हैं। दर्शन
स्वयं गुण का उदाहरण है। दृश + जन = दर्शन । 'पुग' + लघूपधस्य च" । इस मूल
से गुण हुआ । चयनम् । चि + अन् = चे + अन् = चयन । स्मरणम् । स्म + अन्
= स्मर् + अन् = स्मरण । यथा 'सावघातुकाघघातुकया' से गुण हुआ । नायक ।
नी + ष्वल् = नी + वु = नी + अक् = न + अक् = नायक । पावक । पू + ष्वल्
= पू + वु = पी + अक् = पावक । कारकम् । कृ + अक् = कारक । यथा 'जघी-

त्रिणिति' सूत्र से वृद्धि हुई। इसी प्रकार दीधी वही म भी गुण और वृद्धि प्राप्त है। अतः पाणिनि ने उनका निषेध किया।

१०४८५ इट' का गुण कैसे प्राप्त होना है? एक उदाहरण लेकर विचार करना लाभकारी होगा। भू धातु का लुट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन है—'भविता'। इस रूप की निष्पत्ति पर ध्यान देना है। 'लुट' लकार में विकरण-प्रत्यय तासि लगता है—'म्यतासी ललुटा ।' इस प्रत्यय का अंतिम इकार इत है प्रत्यय का रूप सकारात् है—तास । यह आधधातुक प्रत्यय है। तकार 'वत्' प्रत्याहार में जाता है, अतः इडागम होता है—'आधधातुकस्य ङ वलाद'। भू + इतास + लुट । ताम प्रत्यय के कारण 'भू' के उकार का गुण होता है—'साव-धातुकाधधातुक्वा'। भू + इतास + लुट = भा + इतास = भवितास् + लुट । लुट के स्थान पर तिप् आत्तिट् प्रत्यय विहित है। किंतु लुट लकार में प्रथम पुरुष के तीनों वचनों (तिप् तस, क्षि) के स्थान पर अम से 'डा', री' और 'रस — य तीन आदेश हात हैं। प्रथम पुरुष के एकवचन में 'डा' प्रत्यय आता है। भवितास + डा। इस प्रत्यय का प्रथम वण डकार इत है—'चुटू'। ङित् प्रत्यय के योग में 'भ सनक् षट्' के 'टि' का लोप विहित है। 'डा' प्रत्यय 'स्वादि' सूची में नहीं है। अतः 'भवितास' का भ सना तो प्राप्त नहीं होती। किंतु 'डा' प्रत्यय में डकार की इत करने से क्या लाभ है? ङित्व तो टिलोप के लिए ही है। 'ङित्वसामर्थ्यादभस्यापि टलोप'। 'भवितास' में 'आस' को 'टि' मानते हैं—'अचोऽत्यादि टि ।' उसका लाप करने पर रूप बनता है—'भविता'।

१०४८६ भू धातु इस शब्द का मूल रूप (Root) है उसके साथ 'लुट' लकार का प्रत्यय 'आ' जुड़ता है। इस प्रत्यय की दृष्टि से 'भू अग (Stem) है। लेकिन विकरण प्रत्यय 'तास' को जोड़ने के बाद, 'भवितास' अग बन जाता है। 'यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम' — इस लक्षण के आधार पर तासप्रत्यय या त रूप को अग मानते हैं। इस अग के 'टि' (आस) का लोप करने पर भवित् वचता है। अब यही अग है। इस अग में इकार उपधा है। अतः 'डा' प्रत्यय के कारण यद्वा लघूपधगुण प्राप्त है—'पुगतलघूपधस्य च'। इस रूप को छाड दें तो अयत्र—प्रथम पुरुष के द्विवचन तथा बहुवचन में और मध्यम या उत्तम पुरुष के तीनों वचना में—गुण की प्राप्ति नहीं है। 'लुट लकार में 'भू' (परस्मपदी) धातु के रूप निम्न प्रकार है—

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम	भविता	भवितारौ	भवितार
मध्यम	भवितासि	भवितास्थ	भवितास्थ
उत्तम	भवितास्मि	भवितास्व	भवितास्म

आत्मनपदो धातु के रूप यो हैं—

	“एध”	वृद्धौ । लुट ।	
पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम	एधिता	एधितारो	एधितार
मध्यम	एधितास	एधितासाथे	एधिताद्य
उत्तम	एधिताहे	एधितास्वहे	एधितास्महे

उपर्युक्त रूपों को देखन स स्पष्ट होता है कि सिर्फ प्रथम पुरुष एकवचन में ही ऐसी स्थिति पैदा होती है कि अग इगुपध बनजाता है। अथवा ‘तास’ प्रत्यय का टिलोप नहीं होता। वही-वही तास के सकार का लोप होता है—भवितास +सि=भवितासि। भवितास् +रो=भवितारो। एधितास +ध्वे=एधिता-द्ये। ‘नासस्त्योलोप’। “रि च”। “धि च”। फिर भी अग आकारान रहता है। अत इट का इकार उपधा नहीं हो सकता। केवल प्रथम पुरुष के एकवचन में टिलोप के कारण अग तकारान्त बनता है और वहा इट का इकार उपधा के रूप में विद्यमान है। उसी का गुण प्राप्त है।

१०४८७ इट के गुण की प्राप्ति केवल लुट लकार तक ही सीमित नहीं है। ‘लुङ्’ (भूतकाल) लकार में भी यही दोष प्रसक्त है। ऐधिष्ट। ‘एध’ धातु के लुङ् लकार में प्रथम पुरुष का एकवचन है। महा विकरण प्रत्यय है सिच्’। इसमें इकार और चकार इत हैं। केवल सकार वचता है। यह आधधातुक प्रत्यय है। अत इडागम हाता है। ऐध +इस +त। ‘त’ प्रत्यय की दृष्टि में ‘ऐधिस’ अग है। किंतु यह कहा जा सकता है कि सभी आत्मनपद प्रत्यय—त, आताम थ, यास् आयाम्, ध्वम, इ, वहि, महि—इत हैं। पाणिनि का कहना है कि जा सावधातुक प्रत्यय अपित् (जिनमें पकार इत नहीं है) हैं, उन्हें इत मानना चाहिए—सावधातुकमपित्’। इत प्रत्यय के याग में गुण का निषेध किया गया है—‘किटिति च’। अत आत्मनपद में गुण की प्राप्ति का दोष नहीं है। किंतु परस्मपद प्रत्ययों की सूची में—तिप तस, पि, सिप थम थ, मिप वम, मस—तीन प्रत्यय पित् हैं। ये हैं तिप सिप और मिप्। ये तीनों एकवचन हैं। तिप् प्रथम पुरुष का, सिप् मध्यम का और मिप् उत्तम का एकवचन है। लुङ् लकार में प्रत्यय व इकार का लोप विहित है—‘इत च’। इकार का लोप करन पर, ‘तिप् का रूप ‘त’ और ‘सिप्’ का ‘स्’ बनता है। एक ही वचन का प्रत्यय ‘अपृक्त’ कहलाता है—‘अपृक्त एवाल प्रत्यय’। इस अपृक्त का ‘ईट’ आगम हाता है—‘अरिति सिचोऽपृक्त’। यदि सिच् का इडागम और अपृक्त का ईडागम होता है, तब सिच् का सकार दोनों आगमों के बीच में रहता है। इस स्थिति में मिप् का लोप हो

जाता है—“इट ईटि”। उदाहरण है—‘आतीत’। ‘अत=सातत्यगमने’ इस धातु का लुङ प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ‘आतीत’। आत + इम + ईत = आतीत। मध्यम एकवचन का रूप है—‘आती’। ‘आत + इस + ईस = आतीस = आतीर = आती’। उत्तम पुरुष एकवचन म ‘मिप वे स्यात् पर अम’ आदेश होता है—‘तसथस्यमिपा ता त ताम ।’ ‘अम’ तो दा वर्णों का प्रत्यय है, अत ईडागम नहीं होता। आत + इस + अम = (पत्व) आतिपम। आतीत्, आती, आतिपम’—इन तीनों रूपों में इट का गुण प्राप्त है। गुण शास्त्र सपाद सप्ताध्यायी में है। इट ईटि अष्टमाध्याय के द्वितीय पाद (८ २-२८) में है। पूव त्रासिद्धम्—अत सिज् लोप से पूव ही लघूपधगुण प्राप्त है।

१०४८८ यहाँ एक प्रासंगिक शर्का हो सकती है। इट ईटि’ त्रिपादी में है। ता फिर सिज् लोप के बाद ‘आति + इत’ और आति + ईस’ में सवर्ण-दीघ कस होगा ? “अक् सवर्ण दीघ ’—यह सूत्र तो पठ्याध्याय के प्रथम पाठ में है। इस कठिनाई का निवारण वार्तिककार ने किया। उन्होंने कहा—‘सिज् लोप एकादेशे सिद्धो वाच्य ।’ एकादेश (सवर्णदीघ) के विषय में इस लोप को सिद्ध ही मानना चाहिए। पाणिनि ने इस कठिनाई पर ध्यान नहीं दिया था। इस प्रमाद’ पर विचार करके वार्तिककार ने यह सशोधन प्रस्तुत किया है। ‘आतीत, अला-वोत’ जैसे कई क्रिया रूपा में ‘इट’ का गुण प्राप्त है। ‘दीधी, ववी इन धातुरूपा में वही गुण और वही वृद्धि प्राप्त है। इस संभावना पर विचार करके पाणिनि ने गुण वृद्धि के निषेध के लिए सूत्र बनाया— ‘दीधीववीटाम’।

१०४८९ वार्तिककार ने इस सूत्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दीधी और ‘ववी’ ये दोनों धातु वृद्धि ससृष्ट में ही पाये जाते हैं। लाकभापा ने इनका प्रयोग नहीं होता। ‘दीधीट = दीप्तिदवनयो । ववीट वतिना तुल्य ।’ अदादि गण में ये धातु पठित है। (१०७७ १०७८) दोनों आत्मनपदी हैं—दीधीते, ववीते। भट्टोजिदीक्षित ने ‘दीधीट्’ धातु का प्रतीक लेकर लिखा है—‘एतदादय पञ्च धातव छादसा’ (कौमुदी पृ० ३६६)। उनका मत है कि दीधीट ववीट पस सस्ति, वश—ये पांच धातु छा दस हैं। किंतु वश का प्रयोग लौकिक ससृष्ट में भी मिलता है—“वष्टिभागुरिरत्लोपम । वार्तिककार और भाष्यकार का वचन इस बात का जकाटय प्रमाण है कि दीधी’ और ‘ववी छादस ही हैं।

१०४८१० लोक भाषा में यह संभावना रहती है कि कई शब्द किसी पूव वर्ती ग्रथ में प्रयुक्त नहीं भी हो, पर वे शास्त्रविहित होने के कारण प्रयोगाह हैं। प्रयोगाह शब्दों की सिद्धि के लिए शास्त्रकार को जागरूकतापूर्वक नियमों का निर्माण करना चाहिए। लोकभाषा के शब्द तो असंख्यात हैं। अत उनका अवा-रुधान करते समय समस्त प्रकार की संभावित स्थितियों पर ध्यान रखना अपेक्षित है। छद (दद) में २२सकी आवश्यकता नहीं है। वदो में जो रूप प्रयुक्त है,

केवल उही का अवान्वयान करना पर्याप्त है। अप्रयुक्त किंतु प्रयोगाह शब्दा की न्ययि वद म ता नही है। आदीघ्यनम, आदीघ्यक आदघ्यनम आदघ्यक' आदि रूप जिनम गुण और वृद्धि प्राप्त हैं और उनका निषेध करना पड रहा है— वद म कही प्रयुक्त नहीं हैं। अप्रयुक्त रूपों की चिन्ता करना व्यय है। अत यह निषेध मूत्र अनावश्यक है।

१०४८११ वार्तिककार न बताया वद म 'दीधी' घातु का गुणसहित रूप मिलता है प्रजापतिर्वै यत्किञ्चन मनसादीघेत् ।" 'होत्राय वृत कृपयन्-दीघेत । अदीघमुदाशरणे वतास ।" शास्त्रकार को प्रयोग के आधार पर नियम बनाना है। इस दृष्टानुविधान कहत हैं। जब गुणसहित रूप उपलब्ध है, तब गुण का निषेध करना असंगत और अप्रामाणिक है। देवीङ् घातु का कोई उदाहरण नहीं दिया गया। अत इन दोनों घातुओं का गुण निषेध व्यय है। वार्तिककार ने अपना मत युक्तिसंगत रूप में इन शब्दा म प्रकट किया—

"दीधीवेद्यो छदोविषयत्वान् दृष्टानुविधित्वाच्च छदसि छदसि अदीघे ददीघ्युरिति च गुणदशनादप्रतिषेध ।" (महाभाष्य ११६, पृ० २३२)

१०४८१२ भाष्यप्रदीप म कथत न इस वार्तिक की व्याख्या म स्पष्ट किया है— भाषायामतयो प्रयोगाभावात् ।" ये दोनों घातु लौकिक सस्वृत में उपलब्ध नहीं हैं। अप्रयुक्त भी हैं प्रयोगानह भी हैं "दृष्टानुविधित्वाच्च छदसि ।" इसका अभिप्राय क्या है? क्या वार्तिककार कहत है कि छद में ही दृष्ट प्रयोगों का अवान्वयान होना है? तो क्या लोक भाषा म अप्रयुक्त शब्दों का भी अवान्वयान हो सकता है? यह शका उठाकर कथत न कहा कि लोक भाषा म भी दृष्ट प्रयोगों का अवान्वयान किया जाता है। प्रथम वार्तिक "सिद्धे शब्दायसवधे" में इसी का प्रतिपादन किया गया है। यदि तत्र और वद दोनों म दृष्टानुविधि को स्वीकार करत हैं तो दृष्टानुविधिवाच्च छदसि" के द्वारा किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है? कथत का उत्तर है कि छद में जो दृष्ट है उसीका अवान्वयान किया जाता है। परात्प रूप म उनका संकेत है कि लोक म दृष्ट के साथ अदृष्ट का भी अवान्वयान होता है। कथत के शब्द हैं—

'यद्यपि भाषायामपि दृष्टमेवानुविधीयते, 'सिद्धे शब्दायसवधे' इति न्यायात्, तथापि आदीघ्यनमित्यादि प्रयोग छदसि नास्ति । दृष्टस्यैव छदस्यनु-विधानमित्यथ न तु छदस्येव दृष्टानुविधानमिति ।'

(भाष्यप्रदीप ११-६, प० २३२)

कथत कहना चाहत हैं कि लोक और वेद दोनों म दृष्ट का ही अनुविधान किया जा सकता है। किसी कल्पित शब्द का अवान्वयान शास्त्र का काम नहीं है। किंतु एक मौलिक अंतर है। लोकभाषा असीमित है। करोड़ों व्यक्ति भाषा का

व्यवहार करते हैं। लाखों वर्षों से व्यवहार करते आ रहे हैं। अतः किसी धातु या प्रातिपदिक का प्रयोग लोकभाषा में किसी रूपविशेष तक सीमित नहीं है। शब्दा के समस्त सभावित रूप— शिष्टपरिगृहीत होने के कारण प्रयोगाह हैं। प्रयोगाह रूपों का अ-वाच्यान करना ही चाहिए। किंतु वद में किसी धातु या प्रातिपदिक के समस्त रूपों का प्रयोग दृष्ट नहीं है। आदीध्यनम् आदि रूप वद में प्रयुक्त नहीं हैं। अतः जो दृष्ट नहीं है उसका अ-वाच्यान अनपेक्षित है। लोक में भू धातु को लें। वस लकारों में तीन पुरुषों में, तीन वचना में, क्तिरि और भाव प्रयोग में, णिञ् त, यट्-त, यङ्लुग त, स नत आदि रूपों में, विविध उपसर्गों के साथ, वृद्ध त रूप में और भी अनेक प्रकार के सभावित रूपों में इस धातु का प्रयोग हो सकता है और होता है। जब 'भू' धातु के कृदन्त रूप को लेते हैं, तब वह प्रातिपदिक बनता है। फिर उसके रूप लिंग, वचन तथा विभक्ति के कारण बहुधा भिन्न हो सकते हैं। भाव भव, भूति, भावना, भावो भाविनी, प्रभू, स्वयम् भू भूमि—ऐसे शब्दों की सख्या कितनी होगी? क्या ये सभी रूप वद में मिलते हैं? कुछ रूप मिलते हैं कुछ नहीं मिलते। लोक में सब रूप प्राप्त हैं। कुछ तो मिलते हैं उनके पूर्वप्रयोग दृष्ट है। कुछ दृष्ट न होने पर भी मिल सकते हैं। भाष्यकार ने किसी दूसरे प्रसंग में कहा है कि शब्दों का प्रयोग-क्षेत्र अति विस्तृत है। प्रयोग की खोज करनी चाहिए—'उपलब्धो यत्न नियताम्। महान् शब्दस्य प्रयोगविषय' (परमशाब्दिक, पृ० ६२)। अतः लोकभाषा में शिष्टसमत किसी रूप की उपेक्षा करना असंभव है। कैंयट के इस गूढ़ भाव का नागशंभु ने स्पष्ट किया है—

“दृष्टस्थवेति । भाषाया तु सप्रति प्रयोगे अदृष्टस्यापि व्याकरणातरानुसारेण शिष्टप्रयोगादिना वा अवगतसाधुत्वस्यापि जनुविधानमित्यथ ।”

(प्रदीपोदघोत १ १ ६, पृ० २३२)

१० ४ ८ १२ 'अदीघेत्', 'अदीघयु'—ये दो गुणसहित प्रयोग छ द म उपलब्ध हुए। किंतु 'दीघीड' धातु द्वित है। 'अनुदात्तद्वित आत्मनपदम्'। यहाँ परस्मैपद प्रत्यय प्रयुक्त है। इसकी उपपत्ति क्या है? कैंयट ने कहा कि वद में परस्मैपद आत्मनपद का व्यत्यय भी पाया जाता है। पाणिनि ने इस आशय का एक सूत्र लिखा—'यत्यया बहुलम्' (३ १ ८५)। इसकी व्याख्या में कहा गया है—'सुप् तिङ् परस्मैपद आत्मनपद, लिंग, पुरुष, काल वण स्वर वृत्त प्रत्यय यङ् आदि प्रत्यय तथा विकरण प्रत्यय का व्यत्यय पाणिनि को अभीष्ट है। इसीलिए बहुलम् कहा गया है। इस अर्थ का श्लोक है—

सुप्तिङ्प्रहतिङ्गनराणा

शास्त्रहलच रवरक्त यदां च ।

व्यत्ययमिच्छति गार्प्रकृदेपा,

सोपि च सिध्यति बाहुलकेन ।

इस व्यत्यय के विविध उदाहरण भट्टाजितीयोक्तित १ कीमुदी म प्रदर्शित किय हैं (मिद्वातकीमुदी, सूत्र ३४३^३, पृ० ५६२) काशिया म भी बताया गया है— 'बहुलग्रहण मवविध्यध्यभिचारायम् ।' (३१८५) अत यहाँ व्यत्यय से परस्म-पद का प्रयोग किया गया है ।

१०४८१४ वात्तिककार न फिर एक शका उठायो कि यदि गुण का निषेध नहीं करें, तो 'दीध्यत्' कस सिद्ध हाता है ? गुण हान पर अयादश स 'दीध्यत्' बनता । इस शका के समाधान म कहा— 'दीध्यदिति इयन व्यत्ययन' । 'इयन् विकरण प्रत्यय विहित है— दिवादिभ्य इयन । दीधी घातु तो अदादि गण म पठिन है । अत 'कतरि शप म 'शप' और अदिप्रभतिभ्य शप स उसका लाप प्राप्त है । किंतु व्यत्यय से यहाँ विकरण प्रत्यय श्यन् कर सकत है । यह प्रत्यय शित होन के कारण सवघातुक है । अपित होन स डित माना जाता है— 'तिट् शित सावघातुकम् । मावघातुकमपित ।' अत यहाँ गुण की प्राप्ति नहीं है । दीधी + य = दीध्य । यहाँ ईकार का लाप कस हो गया ? यकारादि प्रत्यय क याग म दीधी, ववी के ईकार का लोप विहित है— 'यीवणयोर्दीधी वव्या' (७४५३) । नागशभट्ट न पूर्वोक्त वात्तिक का पाठांतर भी दिया है— 'शा व्यत्ययन ।' तुलादिभ्य श । यह विकरण प्रत्यय श अपित डित है । दीधी + अ । डित्व के कारण गुण नहीं होता । 'एरने काचाऽसयागपूर्वस्य' । (६-४-८२) । यणादेश होता है । दीध्यत् । इस प्रकार वात्तिककार न सिद्ध किया कि दीधी तथा ववी म गुण का निषेध करना न केवल व्यथ है, अपितु उपलब्ध प्रयोगों के विपरीत होने के कारण अप्रामाणिक भी है ।

१०४८१५ वात्तिककार न इस सूत्र म 'दीधी और 'वेधी' घातुआ की चषा करके अपना निणय दिया कि इनके विषय म गुण निषेध की आवश्यकता नहीं है । किंतु उन्होंने 'इट' क विषय म कुछ नहीं कहा । भाष्यकार ने वात्तिक की अवतारिका म ही कह दिया— 'अय योग शकयोऽक्तुम ।' सपूण सूत्र का प्रत्याख्यान करना उनको अभीष्ट मालूम होता है । सूत्र का प्रत्याख्यान करे तो 'कणिता, आतिपम' इत्यादि म प्राप्त लघवधगुण का निवारण कसे हागा ? भाष्यकार ने कहा कि इडागम का इकार अविकृत रहता है । उसका काइ आदश नहीं होता । ऐसा नियम हम स्वीकार कर लेत हैं । इस नियम क कारण 'इट' क स्थान पर गुण नहीं हो सकता । नियम स गुण की त्रिवृत्ति सिद्ध होन से इस सूत्र

मे गुणनिषेध क लिए 'इट्' का ग्रहण करना अपेक्षित नहीं है।

१०४८१६ ऐम नियम को मानने का आधार क्या है? भाष्यकार का क्या है कि 'आघघातुकस्यड वलादे' सूत्र में 'इट्' शब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि "नड वशि कृति"—इस पूर्व सूत्र से 'इट्' की अनुवृत्ति की जा सकती है। अतः द्वारा 'इट्' शब्द का प्रयोग करने का हम यही तात्पर्य समझते हैं कि 'इट् इडेव भवति न कचिद विकारमाप्नाति।' इट् तो 'इट्' ही रहता है, उसका कोई विकार नहीं होगा। द्वितीय इङ्ग्रहण के आधार पर हम यह नियम बना सकते हैं। लेकिन इस नियम को स्वीकार करने पर एक और बाधा उपस्थित होती है। पढ़ने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को पिपठी 'कहते हैं'। पठितु मिच्छति इति पिपठी। इस रूप की निष्पत्ति 'पठ घातु से होती है। इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय का विधान है। पठ + सन। यह सन प्रत्ययात् (इच्छाषक, desiderative) घातु है— सनाद्यन्ता घातव । 'सन प्रत्यय के कारण घातु का द्वित्व हाता है—'सनयडो ।' पठ + पठ + सन। द्वित्व के पूर्व खड (इसे अभ्यास' कहते हैं) में पहला हल यचता है ठकार का लोप होता है— हलादि शेष । प + पठ + सन। अभ्यास में अकार का इकार होता है—'सयत' । पि + पठ + सन। सन प्रत्यय का इडागम हाता है। पिपठ + इस। कर्ता के अर्थ में क्विप् प्रत्यय और उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार एक सकारात् प्रातिपदिक बनता है—'पिपठिसु'। प्रथमा एकवचन में 'सु प्रत्यय लगता है— पिपठिस + स ।' हल त प्रातिपदिक के बाद 'स' का लोप विहित है। 'पिपठिस ।' अब यह एक सुबत पद है। पदात्त सकार का रत्व होता है— ससजुपा रु ।' पिपठिर् । अब उपधाभूत इकार का दीघ होता है—'वोरपघाया दीघ इक् ।' पिपठीर । पदात्त रफ विराम में विसर्ग बनता है—'पिपठी । अब शका यह है कि यह इकार 'इट्' है। उसका दीघ कैसे हो सकता है? आपन यह नियम बनाया कि 'इट्' का कोई विकार नहीं होता। किंतु पिपठी में इट् का दीघ हुआ है। इसकी उपपत्ति क्या है?

१०४८१७ भाष्यकार ने शका के समाधान में कहा कि इस नियम के द्वारा अग काय (अगाधिकार में विहित काय) का ही निषेध करना अभीष्ट है। 'वोरपघाया' (८२-७६) अगाधिकार (६-४-१ से सप्तमाध्याय की समाप्ति तक अगाधिकार है।) से बहिर्भूत है। जत उपयुक्त नियम से त्रयादिक विधि से प्राप्त दीघ का निषेध नहीं होता। 'श-कीस्तुभ न भटटोजिदीभित न दिज्या है कि अगाधिकार में निहित दीघत्व की भी प्राप्ति संभव है। पिपठीपि ब्राह्मण मुनानि । यही "स-तमदृत सयोगस्य (६४-१०) सूत्र से उपधा का दीघत्व होता है। आपका नियम इस दीघ का बाधक बनता है। दीक्षितजी ने निम्न विया है कि नियम भाष्यकार ने बताया, जत "पिपठीपि"—एता शेष महिन रूप

अप्रामाणिक है। भाष्य प्रामाण्य से हम मानते हैं कि 'पिपिठिपि'—ऐसा दीर्घरहित रूप ही ग्राह्य है। उद्घात के लेखक नागशभट्ट का मत है कि नियम की कल्पना एकदशयुक्त है। यह भाष्यकार का सिद्धांत नहीं है। इस विवचन के बाद हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सूत्र 'इ' का ग्रहण सायक है। "इट इडेव भवति"—एक नियम की कल्पना तो प्रौढिवाद मात्र है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि दुरवन का चिंतन वात्तिककार न समय के साथ किया है।

१०४६ एक और उदाहरण पर भी विचार करें। पाणिनि ने सवणसना का विधान या किया है—'तुत्यास्यप्रयत्न सवणम (११६)। टीकाकारों ने बताया कि 'आस्य' शब्द का अर्थ है 'तालु-आदि स्थान। आस्ये भवमास्यम्। शरीरावयवाद्यत। भाष्यकार ने इसी अर्थ में कहा कि यह लौकिक आस्य (मुख) नहीं है, अपितु तद्धिता त है। 'प्रयत्न' शब्द का अर्थ आभ्यन्तर यत्न बताया। स्थान और आभ्यन्तर यत्न तुल्य ही तो ऐसे वण एक दूसरे के सवण मान जाते हैं। इस सवणसना के सम्यक् ज्ञान के लिए उच्चारण-स्थान तथा आभ्यन्तर प्रयत्न का ज्ञान अपेक्षित है। शिक्षा ग्रंथों में इस विषय का निरूपण किया गया है। उन ग्रंथों के आधार पर कौमुदी में स्थान प्रयत्न विवक दिया गया है।

१०४६१ आभ्यन्तर प्रयत्न के विषय में आचार्यों के दो मत हैं। कुछ आचार्य आभ्यन्तर प्रयत्न के चार भेद मानते हैं—स्पृष्ट ईपत्स्पृष्ट, विवृत और सवृत। 'क' से लेकर 'म' तक के पञ्चीस वर्गीय व्यंजनों का प्रयत्न है 'स्पृष्ट'। "तत्र स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम्।" "कादयो मावसाना स्पर्शा।" इस प्रयत्न के कारण ही इन वर्णों को 'स्पर्श' कहा जाता है। य र ल, व—ये चार अतस्य वण हैं। इनका प्रयत्न ईपत्स्पृष्ट है। श, ष, स ह—य चार ऊष्म वण हैं। ऊष्म वर्णों और स्वरो का प्रयत्न विवृत है। ह्रस्व अकार का प्रयत्न सवृत है—'ईपत्स्पृष्टमन्तस्थानाम्। विवृतमूष्मणा स्वराणा च।' (कौमुदी)

१०४६२ अकार और हकार का स्थान कठ है। इकार और शकार का स्थान तालु है। ऋकार और एकार का स्थान मूर्धा है। लृकार और मकार का स्थान दंत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अ, इ, ऋ, ल—इन चार स्वरा के साथ ह, श, ष, स—इन चार ऊष्म वर्णों की स्थान तथा प्रयत्न की दृष्टि में समानता है। इन स्वरो के ऊष्म वण सवण होते हैं। अ, इ, श, ऋ, ए तथा ल म की सवणता प्राप्त है। अकार का प्रयत्न सवृत है। किंतु प्रश्रिया की स्थिति में अकार का विवृत ही मानना चाहिए। 'अ इ उ ण्' सूत्र में उपात्त अकार विवृत ही है। अ यथा उससे आकार का ग्रहण नहीं हो सकता। वात्तिककार ने इस बात को स्पष्ट किया है—'अकारस्य विवृतापदश आकारग्रहणाय। धातु पाठ म, प्रत्यय म, गणपाठ म और अयत्र उपदश म ह्रस्व अकार विवृत ही है। शास्त्रीय प्रश्रिया के अंत में विवृत के स्थान पर सवृत का आदेश विहित है—

“अ अ’ (८-४-६८) । अत अ ह म प्रयत्न साम्य है ।

१० ४ ६ ३ यदि स्वर तथा ऊष्म वर्णों में सवणता का मान लें तो क्या दोष है ? ‘सवण’ सजा के कारण ऊष्म वर्ण भी ‘अच्’ प्रत्याहार म समिलित हो जायेंगे । तब कई प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं । ‘अच्’ प्रत्याहार म कौन-कौन वर्ण है ? अ इ उ, ऋल ए ओ और ए औ—य नौ वर्ण इस प्रत्याहार में हैं । अब दीघ या प्लुत को अच् कैसे कहें ? आ ई आदि दीघ तथा प्लुत वर्ण अक्षरसमाभ्याय म नहीं हैं । किंतु य अक्षरसमाभ्याय म पठित अ, इ, उ आदि के सवण हैं । “अणु-दित सवणस्य चाप्रत्यय ।” अ, इ, उ आदि वर्ण अपने सवणों के ग्राहक होते हैं । अत आ’ आदि दीघ और प्लुत भी ‘अच्’ प्रत्याहार म समिलित किये जाते हैं । यदि ऊष्म वर्ण स्वरा के सवण हों, तो वे भी ‘अच्’ प्रत्याहार के अतगत मान लिये जायेंगे । ऐसी स्थिति म, दधि + हरति’ म यण प्राप्त है । हकार अच् है । ‘इको यणचि । दधि + शीतलम’ म सवण दीघ प्राप्त है । क्याकि, शकार इकार का सवण है— ‘अच् सवणो दीघ ।’ इसी प्रकार, ‘दधि + पष्ठम ‘दधि + सा द्रम आदि म यण प्राप्त है । विश्वपा + भिस । यहाँ ‘भिस’ प्रत्यय के पूर्व जो प्रातिपदिक है उसे पद मानते हैं । ‘स्वादिष्वसवनामस्थाने ।” पदान्त म हकार का ढकार विहित है— ‘हा ङ ।’ हकार से सवणत्व के आधार पर आकार का भी ग्रहण हो, तो आकार को भी ढत्व प्राप्त होता है । एस और भी अनेक दोषों का कल्पना की जा सकती है । इन दोषों के निवारण के लिए पाणिनि न ‘अच्’ और हल के सवणत्व का निषेध किया—“नाञ्जली” । (१ १-१०) स्थान और प्रयत्न की समानता के बावजूद अच् और हल म सवणता नहीं मानी जाती । इस निषेध के कारण पूर्वोक्त समस्त दोषों का निराकरण हो जाता है ।

१० ४ ६ ४ इस सूत्र पर विचार करते हुए वाचिककार ने पहले सवणत्व से प्राप्त दोष को बताया— तत्र सवणलोपे दोष । परशशतानि कार्याणि । इस उदाहरण म शकार का द्वित्व हो सकता है । द्वित्व करने पर तीन शकार होते हैं । उनम मध्यवर्ती शकार का लोप विहित है— ‘झरो झरि सवणो’ (८ ४ ६५) । ‘हल’ के बाद आनेवाले शर का लोप विकल्प से होता है यदि उसके बाद सवण शर हो । यदि शकार ‘अच्’ माना जाय तो यह पाक्षिक लोप प्राप्त नहीं होगा । भाष्यकार का वाक्य है—“तत्र सवणलोपे दोषो भवति । परशशतानि कार्याणि । झरो झरि सवणो इति लोपो न प्राप्नोति ।” (पृ० २६२) शकार को अच् कस कहें ? शकार और इकार सवण हैं । अत इकार से गृहीत शकार भी ‘अच्’ हो सकता है । यदि शकार को किसी रूप म ‘अच्’ मानते हैं तो उसे ‘हल’ भी मानना चाहिए । ‘हल’ प्रत्याहार में तो शकार है ही । अत शकार और शकार का सवणत्व भी खतरे म पड सकता है । भाष्यकार ने बताया है—

‘अज्जलो प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सवणसज्ञाया प्रतिषेध प्राप्नोति । किं कारणम् ? अज्जलत्वात् । अच् चव हि शकारो हल च । कथं तावदचत्वम् ? इकार सवणग्रहणेन शकारमपि गृह्णाति इत्येवमत्रत्वम् । हलषु चोपदेशात् हलत्वम् ।’

(महाभाष्य, १ १-१०, पृ० २६२)

१० ४ ६ ५ इस शका का समाधान करत हुए वात्तिककार न स्वयं कहा— “सिद्धमनच्त्वात्” । इसका तात्पर्य है कि शकार कदापि अच् नहीं हो सकता । इसलिए भवणलोप में कोई दोष नहीं है । शकार अच् क्यों नहीं हो सकता ? क्योंकि इकार और शकार में प्रयत्न भेद है । वात्तिककार इस वातिक से यह संकेत कर रहे हैं कि आभ्यन्तर प्रयत्न के पांच भेद होते हैं । ऊम वर्णों का प्रयत्न ईपद्विवृत है और स्वरो का विवृत है । जिस प्रकार स्पश वर्णों का प्रयत्न स्पृष्ट और अतस्था का ईपत्स्पृष्ट है और इस भेद के कारण स्पश और अतस्थ भवण नहीं हात, उसी प्रकार ईपद्विवृत और विवृत में भेद हान के कारण ऊम चण और स्वर भी सवण नहीं हात । इकार सवणता के अभाव में शकार का ग्रहण नहीं कर सकता । अतः ऊम का अच् मानना कदापि संभव नहीं है । वात्तिककार का यह अभिप्राय है । भाष्यकार न इसका स्पष्ट किया—

सिद्धमेतत् । कथम् ? अनच्त्वात् । कथमनचत्वम् ? स्पृष्ट करण स्पर्शानाम् । ईपत्स्पृष्टमतस्थानाम् । विवृतमूष्मणाम् । ईपदित्येवानुवतते । स्वराणां च विवृतम् । ईपदिति निवृत्तम् । (महाभाष्य, १- १०, पृ० २६३)

यहां परोक्ष रूप से वात्तिककार न नाज्जली सूत्र का प्रयाख्यान किया है । जब और हल् में सवणत्व की प्राप्ति कहा है ? अच् का प्रयत्न विवृत है । हल का प्रयत्न विवृत कदापि नहीं । स्पश है तो उसका प्रयत्न ‘स्पृष्ट’ है । अतस्य है तो उसका प्रयत्न ‘ईपत्स्पृष्ट’ है । ऊम है तो उसका प्रयत्न ‘ईपद्विवृत’ है । इस प्रकार प्रयत्नभेद स्पष्ट है । अतः सवणत्व की प्राप्ति ही नहीं है । इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सवणत्वनिषेधाथक यह सूत्र यथ है । कथं न ऐसी व्याख्या की—

“सूत्रप्रत्याख्यानसाधारणमुक्तम् । प्रयत्नभेदादज्जलो सवणसज्ञाया प्राप्ति रेवे नास्तीत्यय ।

(भाष्यप्रदीप, प० २६३)

१० ४ ६ ६ वात्तिककार न एक अर्थ प्रकार का भी समाधान प्रस्तुत किया है—‘वाक्यापरिसमाप्तिर्वा’ । वाक्य की अपरिसमाप्ति के कारण भी इस दाप का निराकरण सिद्ध है । वाक्य की अपरिसमाप्ति का अर्थ क्या है ? भाष्यकार

इसकी व्याख्या करते हैं—सर्वप्रथम वणसमाध्याय में वणों का उपसर्ग हुआ। इसका बाद ही 'हल'मम सूत्र से इत्सना की प्रवृत्ति होती है। उपदेशक अभाव में इत्सना विधायक सूत्र की प्रवृत्ति असंभव है। इत्सना की प्रवृत्ति के बाद ही प्रत्याहार की रचना संभव है। प्रत्याहार की निष्पत्ति 'आदिरत्येन सत्ना' सूत्र में होती है। इस सूत्र में इत्ता एक पद घटका है। अतः 'इत्' के जान के बिना प्रत्याहार का जान संभव नहीं है। प्रत्याहार के बाद ही सवण सना की निष्पत्ति जाना है। सवण सना के जान के बाद 'अणुदित् सवणस्य चाप्रत्यय' से सवणसनात्त्व की सिद्धि होती है। सवणसना का जान नाज्जलो सूत्र में जिना नहा हो सकता है। इस प्रकार वणसमाध्याय से लेकर ग्रहणक शास्त्र (अणुदित् सूत्र) तक सभी वाक्य सम्मिलित होकर—इस एकवाक्यता कहते हैं—अथ इत है। सवणसनात्त्व की सिद्धि के बाद अथ 'इका यणति' इत्यादि में 'अणु' सवणों का ग्राहक बन सकता है। 'नाज्जलो सूत्र' में 'अथ प्रत्याहार म व ही वण गहीत हात है' का वणसमाध्याय में पठित है। अतः 'अच' में यहाँ इकार का गृहीत है। किन्तु उमम सवणत्व के आधार पर शकार का ग्रहण नहीं हो सकता। वाक्याथ का निष्पत्ति क्रमिक है। अतः नाज्जलो सूत्र की व्याख्या के समय में सवणसनात्त्व शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। भाष्यकार ने इस तक का या प्रस्तुत किया है—

वर्णानामुपदेशस्तावत् । उपदेशोत्तरकाला इत्सना । इत्सनात्तरकाल 'आदिरत्येन सहेता' इति प्रत्याहारः । प्रत्याहारोत्तरकाला सवणसना । सवणसनात्तरकाल 'अणुदित् सवणस्य चाप्रत्यय' इति सवणग्रहणम् । एतेन सर्वेण समुद्विनत वाक्येन अथ इत् सवर्णानां ग्रहणं भवति । न चात्रेकार शकार गृह्णाति ।

(महाभाष्य, १-१ १०, पृ० २६५)

१०४६७ भाष्यकार का यह कथन, कि प्रत्याहार के बाद सवण सना की निष्पत्ति होती है, कस उचित होगा? 'अणुदित् सवणस्य'—इस सूत्र में तो 'सवण' पद घटका है। अतः इस सूत्र (ग्रहणक शास्त्र) की प्रवृत्ति सवण सना पर निर्भर है। 'घटकपदायनान घटितपदायनानस्य हेतु'। किन्तु सवण सना विधायक सूत्र में प्रत्याहार का निर्देश नहीं है। तुल्यास्य प्रयत्न सवणम'। यहाँ तो प्रत्याहार का ज्ञान अपेक्षित नहीं है। तो कसे कहा जाता है—'प्रत्याहारोत्तरकाला सवण सना'? इस शका का उत्तर कथन दिया है। उनका कहना है कि 'तुल्यास्य' सूत्र अकेला ही सवणसना की निष्पत्ति नहीं कर सकता। निषेध स्थल का जान भी अपेक्षित है 'प्रकल्प्य चापवादविषय तत उत्सर्गो भिन्विशते'—अपवाद के विषय को छोड़कर जहाँ ही उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है। 'नाज्जलो' अपवाद है। तुल्यास्य सूत्र उत्सर्ग है। अतः नाज्जलो का वाक्याथ जब तक निष्पन्न नहीं होता तब तक तुल्यास्य का वाक्याथ भी निष्पन्न नहीं हो

सकता। 'नाज्जली' में अच्' और 'हल्' दोनों प्रत्याहार हैं। अतः यह कहना उचित ही है कि सवण सज्ञा की निष्पत्ति प्रत्याहार पर आधारित है। कैपट के शब्द है—

“अस्मिन् हि सूत्रे निष्पत्ते सति अपवाद विषयपरिहारेण इष्टे विषये सवण सज्ञा प्रवर्तते, न तु एतत्सूत्रनिष्पत्त्यवस्थायाम्।” (प्रदीप, पृ० २६३)

१०४६८ वस्तुतः आभ्यन्तर प्रयत्न के पाच भेद मानना आवश्यक है। ङम वर्णों का प्रयत्न ईपद्विवृत है। स्वरो का विवृत है। प्रयत्न भेद के कारण स्वर तथा शल की सवणतः प्राप्त नहीं है। इस सरल माग का परित्याग करें तो और प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं। वाक्यापरिसमाप्ति के तत्काल से सिद्ध हुआ कि 'नाज्जली' में 'अच्' केवल वण सभाम्नायस्थ वर्णों का बोधक है। तो अ, इ, उ, ऋ—य चार ह्रस्व वण ही यहाँ 'अच्' में सगृहीत है। दीघ तथा प्लुत सगृहीत नहीं हो सकन। इस स्थिति में आकार और हकार का सवणत्व प्राप्त होता है। ई—श, ऋ—प का भी सवणत्व दुर्वार है। सवणत्व का स्वीकार करें, तो 'विश्वपाभि' 'कुमारी शेते' इत्यादि में दाप प्रसक्त है। विश्वपाभि। यहाँ हकार से आकार का ग्रहण होने के कारण आकार के स्थान पर ढत्व प्राप्त होता है—“हो ढ।” हकार 'अण' प्रत्याहार में आता है। यह 'अण' प्रत्याहार लण्' सूत्र के णकार से बना है—'अर्णवाण परेण णकारेण। अतः हकार भी सवण ग्राहक है। 'कुमारी शेते'। ईकार और शकार सवण है। अब सवण दीघ।” यहाँ सवण दीघ प्राप्त होता है। भट्टोजिदीक्षित ने कहा है कि नाज्जली सूत्र में आकार का प्रक्षेप करते हैं। उनका आशय है—“नाज्जली। इस सूत्र में पदच्छेद या करते हैं—न, आज्जली। आच् च हल् च आज्जली। यह आच क्या है? आ-अच=आच्। आकारसहित अच् इत्यथ। आकारसहित अच और हल् सवण नहीं होते। ऐसी व्याख्या करन से हकार और आकार का सवणत्व नहीं होता। 'विश्वपाभि' में ढत्व की प्राप्ति का दोष नहीं है।” फिर भी यह शका गनी रहती है कि 'कुमारी शेते' में सवण दीघ क्यों नहीं होता? दीक्षितजी का तर्क है कि 'अच सवण दीघ' में 'इको षणचि से अचि की अनुवृत्ति करते हैं। 'अच सवण अचि परे दीघ स्यात्। ईकार और शकार सवण ता है। किंतु शकार अच् नहीं है। अतः 'कुमारी शेते' में सवण दीघ की प्राप्ति नहीं है। कौमुदी में लिखा है—'अचि विम ? कुमारी शेते।’ (सू० ८५, पृ० २१) शब्दकौस्तुभ में दीक्षितजी ने आकार और हकार की सवणता में कई दोषों की उदभावना की। 'मालामु'। यहाँ पत्व की प्राप्ति है। 'अपदात्तस्य मूध य। इण का। आदेश प्रत्यययो।’ हकार इण प्रत्याहार में आता है। तत्सवण होने के कारण दीघ आकार भी 'इण्' है। सकता है। इण परत्वात् पत्व प्राप्त है। 'वागाशी'—यहाँ पूवमवण प्राप्त है। अया होपतरम्याम्। 'गासीध्वम्' में 'इण पीध्व' सूत्र में मूध-मादेश प्राप्त

है— 'गासीडम" यह धनिष्ट रूप प्रसक्त हाता है। ऐसे कई दोषों की आपत्ति दिखाकर दीक्षितजी न बनाया कि "सवर्णेणग्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणात्"— इस वार्तिक के अनुसार जाति पक्ष का आश्रयण करने से हकार आकार का ग्रहण नहीं बन सकता। उनका दूसरा तक आकार प्रश्लेष का है। इस प्रश्लेष का प्रमाण क्या है? 'कालसमय वलासु तुमुन'—एसे सूत्रों में आकार के बाद सकार का पत्व नहीं किया गया। पाणिनि के ऐसे प्रयोग ही उक्त प्रश्लेष का सबेद दत्त हैं। दीक्षितजी न एक तीसरा तक यह दिया है कि शिक्षा के अनुसार आकार अधिक विवत है। अतः हकार और आकार में प्रयत्नभेद विद्यमान है। शब्द 'कौस्तुभ म अइउण' सूत्र की 'यादया म उहोन' शिक्षा के वाक्य उदघटत किये— 'विवृतकरणे स्वरा, स्तेभ्य ए ओ विवततरो, ताभ्या म औ ताभ्यामप्याकार । सवृत्तोकार ।' (शब्दकौस्तुभ, पृ० ८२) अतः म दीक्षितजी न भाष्यकार को प्रमाण मानकर सिद्धांत की बात कही है कि ऊष्मवर्ण ईपद्विवृत होते हैं, अतः प्रयत्न भेद के कारण सवर्णत्व की प्राप्ति नहीं है। तो 'नाज्जलो' सूत्र की कोई उपयोगिता नहीं है— "भाष्यमते तु ऊष्मणामीपदविवतताभ्युपगमेन सावर्ण्यं प्रसक्तितरव नास्ताति सूत्रप्रत्याख्यानात् सकलमनाविलम ।"

(शब्दकौस्तुभ, १११० पृ० २६६)

इस विवचन से स्पष्ट है कि वार्तिककार किसी आग्रह या द्वेष के कारण सूत्रों का प्रत्याख्यान नहीं करते। अपितु, पाणिनीय व्याकरण को सब प्रकार के सभावित दोषों से बचकर परिनिष्ठित बनाना ही वार्तिककार का लक्ष्य है।

१०४१० अधिकांश वार्तिक सूत्रकार के आशय की व्याख्या के लिए ही प्रवृत्त हैं। दोषदशन की इच्छा से प्रेरित नहीं हैं। उदाहरण के लिए अइउण सूत्र पर विचार करते हुए वार्तिककार कहते हैं कि यहाँ जो अकार पठित है उसे विवत अकार के रूप में ग्रहण करना अभीष्ट है। यह सवृत नहीं है। "अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणात् । यदि यह सवृत होता तो इस अकार से दीघ तथा प्लुत आकार का ग्रहण संभव नहीं होता। यह विवत है आकार भी विवत है। अतः दोनों सवर्ण बनते हैं। सवर्णत्व के आधार पर अकार से आकार का ग्रहण हो सकता है। विवृतोपदेश का प्रयोजन बताकर सूत्र की व्याख्या करना यहाँ वार्तिक का लक्ष्य है। अतएव भाष्यकार ने कहा— विवतस्य उपदिश्य मानस्य प्रयोजनमवाख्यायते। (महाभाष्य, पृ० ८२)।

१०४१०१ पाणिनि का पहला सूत्र है— 'वद्विरादैच' (११-१) इस पर कात्यायन ने विचार किया। पहले पाणिनि के भाषाप्रयोग पर ही पाठक के मन में शका उत्पन्न होती है। एच एक पद है। यहाँ चकार पठित है। चो कु । चकार का ककार प्राप्त है जम वाच्' का वाक्' हाता है। तो यहाँ भी कुत्व से एच का रूप ऐक क्या नहीं हुआ? कुत्व कस्मात् न भवति, चो कु,

पदत्वति।" 'पदस्य' (८ १-१६) एक अधिकार सूत्र है। यह अधिकार अपदान्तस्य मूधय' (८ ३ ५५) तक चलता है। 'चो कु (८ २ ३०) इस अधिकार के क्षेत्र में है। अतः पदान्त चकार के स्थान में ककार का आदेश प्राप्त है। इस शका का उत्तर है—'यहाँ 'ऐच्' भ है। अतः चकार पदात्त नहीं है। इसलिए कुत्व नहीं होता।' जब किसी प्रातिपदिक के बाद यकारादि या अजादि स्वादि प्रत्यय लगता है तब उसे 'भ' कहते हैं—'यच्चि भम।' किंतु यहाँ तो 'ऐच्' प्रथमा एक वचन में है। इसका प्रत्यय स है। यह तो सवनाम स्थान है, तथा ह्लादि भी। अतः प्रथमा एकवचन में भ सना की प्राप्ति कस होगी? उत्तर है कि छद (वद) में ऐसे स्थानों में भी 'भ' सना विहित है—'अयस्मयादीनिच्छादसि। (१-४-२०) अर्थात् इन शब्दों में 'पद सज्ञा एव भ सज्ञा लक्ष्यानुरोध से व्यवस्थित है। अब एक और शका उठती है—'यह तो वद के लिए व्यवस्था बतायी गयी है। किंतु हम यहाँ पाणिनि के सूत्र पर विचार कर रहे हैं। वेद के सबंध में उक्त नियम का सूत्र भाषा के विषय में उल्लेख करने से क्या लाभ?' तब भाष्यकार अपना मत व्यक्त करते हैं—'छदोवत् सूत्राणि।' यह भाष्यकार की 'इष्टि' है। कयट न कहा—'इष्टि चेष छदावदिति। (प्रदीप, पृ० १६२) नागश्च न इमं और स्पष्ट किया—'ननु छदसि विहितस्य सूत्रे कथं प्रवृत्तिरत आह—इष्टिरिति। तथा च भाष्यकारोऽपि दशात् सूत्रेषु छद कायप्रवृत्तिरिति भावः।' (उद्धोत पृ० १६२)

१० ४ १० २ भाष्यकार कहते हैं कि पाणिनीय सूत्रों का सहितापाठ भी होता है। हमने अपनी सुविधा के लिए सूत्रों का पृथक्करण कर लिया है। वृद्धि-रादौ गुण। अदेट् गुण। इन सूत्रों का रूप सहितापाठ में ऐसा है—'वृद्धि-रादौ गुण।' यहाँ 'ऐच' के चकार के स्थान पर जइत्व से जकार हुआ है। जइत्व का सूत्र है—'झलाजशोऽते।' पदात्त में स्थित झल के स्थान पर जश विहित है। यदि 'ऐच' को 'भ' मानते हैं तो जइत्व नहीं हो सकता। जइत्व ता अभीष्ट है। उसकी सिद्धि के लिए 'ऐच' को पद मान लेते हैं, तो 'कुत्व' का कारण कैसे करेंगे? उभयथा सकट है। जइत्व के लिए पद सना अपेक्षित है तो कुत्व-निवृत्ति के लिए भसना अपेक्षित है। अब वाचिककार ने इस समस्या का समाधान किया है—'उभयसज्ञा यपिच्छदासि।' वेद में लक्ष्य के अनुरूप भसज्ञा तथा पदसज्ञा की स्थिति मानना चाहिए। अतः यहाँ कुत्वनिवृत्ति के लिए भसना जइत्व के लिए पदसज्ञा—दोनों का आश्रयण करना उचित है। इस वाचिक की याख्या में भाष्यकार कहते हैं—'उभयसज्ञा यपि छदासि दृश्यते। तद्यथा—स सुष्टुभास ऋक्वता गणेन।' पदत्वात् कुत्व, भत्वात् जइत्व न भवति।' (पृ० १६२) 'ऋक्वता' में 'ऋच' प्रातिपदिक चकारात्त है। पदसज्ञा मानकर कुत्व करने से 'ऋक्' बन गया। 'वत्' प्रत्यय के कारण पदसज्ञा निबाध है—'स्वादिप्त्व ।'

सवनामस्थाने ।” तो फिर जइत्व क्या नहीं होता ? भसना को मानन के कारण जइत्व नहीं होता । इसी प्रकार यहाँ भी व्यवस्था हो सकती है । अतः दतना ही है कि प्रकृत सूत्र में पदसना के कारण जइत्व तो हाता है, किंतु भसना के कारण कुत्व नहीं होता । ‘एवमिहापि पठ्वाज जइत्व, भत्वान् कुत्व न भविष्यति ।’ (महाभाष्य, १ १ १ प० १६२)

१०४१०३ यद्यपि ‘छन्दोवत् सूत्राणि’ भाष्यकार का वचन है, तथापि यह वचन वार्तिक की अवतारिका के रूप में आया है । भाष्यकार तो वार्तिक की पठभूमि बता रहे हैं । कात्यायन यह मानकर चल रहे हैं कि सूत्र छन्द के समान होता है । इस ‘अतिदेश’ के बावजूद समस्या का हल प्राप्त नहीं होता । भसना को माने ता कुत्व की निवृत्ति सिद्ध है । लेकिन जइत्व की उत्पत्ति क्या होगी ? पदसना का मानें तो कुत्व की निवृत्ति के लिए क्या करें ? यह सकट वार्तिक का जम देता है— ‘उभयसना यपि छन्दासि ।’ इसमें सन्देह नहीं है कि यह वार्तिक है । भट्टोजिदीक्षित ने ‘शब्दकोस्तुभ म स्पष्ट कहा—

“छन्दसि विहितस्य सूत्रे क्व प्रवृत्तिरित्याशङ्क्य ‘छन्दोवत् सूत्राणि भवन्तीति भाष्यम् । इष्टिरिय भाष्यकृत । × × × सज्ञाद्वयसमावेशस्तु उभयसना यपीति वक्तव्यमिति वार्तिकवचनात् ।”

(शब्दकोस्तुभ, १ १ १ पृ० १६१)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कात्यायन एक आदेश व्याख्याकार के रूप में पाणिनीय प्रयोग का साधुत्व समर्थित कर रहे हैं । उनकी आलोचनात्मक दृष्टि पाणिनि का खडन करने के लिए नहीं अपितु आलोच्य विषय का मवागीण परीक्षण करने के लिए तथा दोषपरिमाजन के लिए जागरूक रहती है । यह उक्त चिंतन का एक उदाहरण है ।

१०४१०४ प्रगृह्य सना का विधायक एक सूत्र है—‘शे’ । (१ १-१३) ‘शे’ एक प्रत्यय है । वदभाषा में सुप्रत्यय के स्थान में विकल्प से इस आदेश का विधान किया गया है । इसमें प्रथम शकार इत है—‘लशक्वतद्धिते ।’ केवल एकार वचता है । शित्वात् सर्वादेश । अस्मद् + भ्यस । ‘भ्यम’ के स्थान में शे का आदेश । अस्मद् + ए । शेपो लोप । अस्मे । यह प्रगृह्य है । प्रगृह्य होने के कारण प्रकृतिभाव होता है अयादि संधि नहीं होती । अस्मे इन्द्रावहस्पती । युष्मे इति । दीक्षितजी ने लिखा है कि पदपाठ के समय प्रगृह्यसना के कारण संधि नहीं होती । त्वे इति । इस सूत्र में एक शका होती है कि जिसको प्रगृह्य सना बतायी जा रही है वह एक प्रत्यय ही है या किसी शब्द में ‘शे’ अक्षर (syllable) होगा तो उसको भी प्रगृह्य सना अभीष्ट है ? कुशे, काश वशे आदि कई शब्दों में श — शकार और एकार का समुदाय—मिलता है । ये सप्तमी एक वचन हैं । अकारान्त प्रातिपदिक का सप्तम्येकवचन का रूप एकारान्त हो जाता है । सप्तमी का प्रत्यय इ

हे। ज + इ = ए। गुण हो जाता है। तो इन सप्तम्यत पदो म प्राप्त 'शे' की प्रगल्भ सत्ता क्यों नहीं होती? हम कैसे जानें कि सूत्रकार सुवादेश 'शे' का ही प्रगल्भ मानत है? वार्तिककार न इस शका का समाधान किया है—'शे अथव-दग्रहणम्। एक परिभाषा (Rule of interpretation) है—'अथवदग्रहणे नानथकस्य ग्रहणम्।' इसका अर्थ है कि जहा साथक इकाई का ग्रहण सभव है, वहा उमीकी विवक्षा बी जाती है, निरर्थक इकाई की नहीं। 'शे' दो प्रकार के हैं—एक साथक है जो सुवादश है। दूसरा 'काशे' आदि शब्दा का घटक एक अक्षर है, जो स्वयं निरर्थक है। उक्त परिभाषा मे हम निणय कर सकते हैं कि प्रकृत मूत्र म साथक 'शे'—सुवादश—का ही ग्रहण अभीष्ट है। भाष्यकार न एक और उदाहरण प्रस्तुत किया—'हरिशे'। यहा मत्वर्थीय 'श' प्रत्यय प्रयुक्त है। 'लामादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलच ।' (५-२-१००) लामादिगण के शब्दा म श प्रत्यय लगता है। वध्रु हरि आदि शब्द इस गण म पठित हैं। (काशिका, उत्तराध, पृ० ६८) लोमानि अस्य सतीति लोमश । एव हरिश, वध्रुश । मत्त्वमेकवचन मे रूप वनते है—हरिशे, लोमशे इत्यादि। यहा 'शे' निरर्थक नहीं है। 'श' तो मत्वर्थीय (Possessive) प्रत्यय है, 'इ' अधिकरणाथक प्रत्यय है। अत 'शे' साथक है। ता इसे भी प्रगल्भ मानना पडेगा? भाष्यकार का उत्तर है कि यहाँ भी 'शे' का कोई अर्थ नहीं है। 'श' और 'इ' दोनो प्रत्यय साथक है। कि-तु प्रत्ययसमुदाय 'शे' का अर्थ नहीं है—'एकोऽत्र विभक्त्यर्थेनाथवान्, अपरस्मिन्वदधितार्थेन। समुदायाऽनथक ।' (महाभाष्य, १-१ १३, पृ० २८०) यदि दोनो प्रत्यय साथक हैं, तो प्रत्ययसमुदाय कैसे निरर्थक हो सकता है? कैयट ने इसका उपपादन किया। "दश दाडिमानि पडपूया अधगोरुकमेतत कुमार्या स्फपट्टतस्य पिता प्रतिशीन ॥" यह एक पद समुदाय है। यहा प्रत्येक पद साथक है। कि-तु पदो का एक-दूसर से सबध नहीं है। अत इमे समुदायाथशूय होने के कारण वाक्य नहीं मानते। तात्पर्य यह है कि साथक पदो का समुदाय भी परस्पर सबध के अभाव मे—अनचित्ताथक होने के कारण—निरर्थक बन जाता है। 'श' प्रत्यय साथक है। इसी प्रकार सप्तमी का एक वचन 'इ' प्रत्यय भी साथक है। कि-तु इन दोनो प्रत्ययों के अर्थ परस्परान्वित नहीं हैं। श प्रत्यय का अर्थ प्रातिपदिकाथ मे अचित है। शप्रत्ययात् प्रकृत्यथ तथा सप्तम्यय का सबध होता है। कि-तु तद्धिताथ म विभक्त्यथ का अर्थ नहीं होता। अत 'शे' समुदाय का हम अर्थवान् नहीं कह सकते। "अथवदग्रहणे नानथकस्य ग्रहणम्।" इस प्रकार भाष्य म वार्तिक का भाव बतलाया गया है। यह भी उक्त चितन का—वार्तिककार के द्वारा सूत्रकार के समर्थन का—ही उदाहरण है।

१० ४ ११ भाष्यकार पतजलि भी कात्यायन आदि वार्तिककारो के समान त्त्व निणय के लिए ही प्रवृत्त हैं। अत उन पर भी पशपात का दापारापण

उचित नहीं है। वाचिककार का खडन करना या सूत्रकार का हर प्रकार से समथन करना उनका लक्ष्य नहीं है। आलोच्य विषय का समग्र परिशीलन करके अवाधित तथ्यों पर प्रकाश डालना ही उनका लक्ष्य है। कहीं कहीं वाचिककार न सून की आलोचना नहीं की। वहा भी भाष्यकार अपनी ओर से सूत्र का विवचन करत हैं। कहीं-कहीं सूत्रकार के अभिप्राय से सहमत न होन के कारण मूल का प्रत्याख्यान कर देते है। यहा सिफ एक उदाहरण पर विचार किया जाएगा।

१०४१११ 'सर्वादीनि सवनामानि'। (११-२६) सर्वादि एक गण है। इस गण म पठित शब्द 'सवनामसज्ञ' होते है। 'विश्व' शब्द भी इस गण म पठित है। 'विश्वे विश्वस्मै' आदि म सवनामकाय हुआ है। 'जस शो, 'सवनाम्न-स्मै' आदि आदेश हुए हैं। किन्तु विश्व प्रिय यस्य स—विश्वप्रिय अथवा प्रियविश्व, तस्मै प्रियविश्वाय—यहा सवनाम सज्ञा अभीष्ट नहीं है। सवनाम सज्ञा होती तो 'स्म' आदेश प्राप्त होता, तो रूप बनता—'प्रियविश्वस्मै'। इसी प्रकार, त्वक पिता यस्य स = त्वत्कपितृक अहक पिता यस्य म—मत्क-पितृक"—य रूप इष्ट है। सवनाम सज्ञा हाती तो 'अकच्' प्रत्यय हाता—'अव्ययसवनाम्नामकच प्राक् टे ।" मन=अकच ('टि' से पूव जाडन स) मकत्। त्वत्+अकच्—त्वक्त्। सज्ञा के न हान पर 'क्' प्रत्यय लगता ह तो 'त्वत्कपितृक' 'मत्कपितृक'—ये रूप सिद्ध होते हैं। ऐसे लक्ष्य की सिद्धि के लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया—'न बहुव्रीहौ'। (११-२८) बहुव्रीहि समास म सवनाम सज्ञा नहीं होगी। इस निषेध के कारण, प्रियविश्वाय 'त्वत्कपितृक' आदि रूप सिद्ध हीत हैं।

१०४११२ इस सूत्र पर विचार करत हुए भाष्यकार न पट्टली शका यह की कि 'प्रियविश्वाय' यह रूप सिद्ध नहीं हो मकता। बहुव्रीहि समास म सवनाम का पूवनिपात विहित है। अत 'विश्वप्रियाय' रूप बनता है। सवनाम का समास का पूवपद कर दन पर सवनामसज्ञाहेतुक शीभाव स्नाया देशादि काय प्रवृत्त नहीं हा सकते। तो भाष्यकार ने कहा कि प्रिय शब्द का पूवनिपात विकल्प म होता है—'इद चापि उदाहरणम। प्रिय विश्वाय। ननु चोक्त विश्वप्रियायनि भवि-तव्यमिति। वदयत्येतत्—वा प्रियस्य'ति। (भाष्य, पृ० ३३५) इसी प्रकार 'मत्कपितृक' इत्यादि म अकच की व्यावृत्ति के लिए बहुव्रीहि समास म सवनाम का पयोग पूवपद के रूप म हो या उत्तरपद के रूप म, उसम सज्ञा का निषेध करना आवश्यक प्रतीत होता है। पूवपद मे शीभावादि काय न होन पर भी सर्व-नामत्व प्रयुक्त स्वर तथा अकच प्रत्यय के कारण अतर पठ सकता है। 'स्वाङ्ग शिष्टामदत्तानाम ॥ (फिटसूत्र २६ सिद्धातकीमुदी, पृ० ६२५) इस फिट सूत्र म सवनामो का आद्युदात्तत्व विहित है। तत्त्वबोधिनी (पृ० ६२४) म कहा गया है कि फिट सूत्र अपाणिनीय है। किन्तु भाष्यकार ने इन सूत्रा की प्रामाणिकता

स्वीकार की है। भाष्यप्रामाण्य के कारण पाणिनीय व्याकरण में फिट सूत्रा के अनुसार स्वर व्यवस्था स्वीकृत होती है। 'शिट सवनाम वा कहत है। पूर्वाचार्यो के द्वारा यह सत्ता व्यवहृत थी। सवनाम सत्ता होगी तो आद्युदात्त स्वर होगा। अथवा 'फिपोत्त उदात्त स अत्तादात्त हागा। प्रातिपदिक को 'फिप' कहत है। इस प्रकार स्वर में अंतर पड सकता है।

१०४१३ अक्च् प्रत्यय सवनाम मे विहित है। अय प्रातिपदिको म क प्रत्यय लगता है। 'क' और 'अक्च' में क्या अंतर है? अकारात् प्रातिपदिको म 'क' और 'अक्' दोनों में कोई अंतर नहीं। किंतु हलत शब्दों में अंतर खरूर पडता है। 'मत्' तकारात् है। 'क' प्रत्यय तकार क बाद होगा—'मत्क'। 'अक्च्' तो अकार से पूव लगेगा—'म् + अक् + अत्' (टे प्राक्) = मक्त्। इस प्रकार रूप भेद स्पष्ट है। भाष्यकार न कहा है—'क चेदानी वाक्चो-विशेष ? व्यञ्जनात्पु विशेष । (भाष्य, पृ० ३३५) इकारात् शब्दों में भी अंतर स्पष्ट है। द्वि + क = द्विक। अक्च् का रूप होगा—'द्व् + अक् + इ = द्विकि। कयट न लिखा है—

"व्यञ्जनात्तेष्विति । उपलक्षणमेतत् । द्विकि पुत्रो द्विकिपुत्र इत्यत्रापि विशेष-दशनात् ।"

(भाष्यप्रदीप, पृ० ३३५)

अतः म भाष्यकार न अपना मतव्य प्रकट किया है कि बहुव्रीहि समास में सवनाम सत्ता अभीष्ट है। आद्युदात्त स्वर तथा अक्च् प्रत्यय साधु हैं। उनका निषेध नहीं करना चाहिए। त्वकत्पितृक, मक्त्पितृक — ऐसे रूप ही अभीष्ट हैं। भाष्य क शब्द हैं—

'गोन्दोष आह—'अक्च स्वरो तु क्तव्यो प्रत्यङ्ग मुक्तसशयो ।' त्वकत्पितृको मक्त्पितृक इत्येव भवितव्यम् ।" (महाभाष्य, प० ३३६)

इसका तात्पर्य है कि पाणिनि का प्रकृत सूत्र 'न बहुव्रीहो' निरर्थक है। यह सूत्र का प्रत्याख्या है। पाणिनि का मत ठीक नहीं है। भाष्यकार का वचन ही अंतिम प्रमाण है। इस बात को कयट न स्पष्ट किया—

"सूत्रप्रत्याख्यान भेतत् । यथोत्तर हि मुनित्रयस्य प्रामाण्यम् ।"

(वही, पृ० ३३६)

शब्दकौस्तुभ में दीक्षितजी न भी ऐसी व्यवस्था दी—'भाष्ये तु त्वकत्पितृक इत्याद्यव रूप स्वीकृत्य इदं सूत्रं प्रत्याख्यातम् । ××× यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यात् भाष्योक्त्या एव व्यवस्था इति अवघेयम् ।' (शब्दकौस्तुभ, १-१ २८ प० २०)

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाष्यकार भी लक्ष्यानुरोध से सूत्र का प्रत्याख्या कर देते हैं।

१०४१२ पतञ्जलि का व्याकरण महाभाष्य प्रश्नोत्तर की शली में लिखा गया है। यद्यपि यह व्याकरण शास्त्र का अतिप्रौढ ग्रंथ है, फिर भी इसकी भाषा आश्चर्यजनक ढंग से सरल है। सस्कृत के सरल गद्य में पतञ्जलि न शास्त्र की मुत्थिया को सुलझाया है। ग्रंथ का प्रारम्भ इन शब्दों से हुआ है—

“अथ शब्दानुशासनम् । अथेत्ययं शब्दोऽधिकाराय प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् । केपा शब्दानाम् ? लौकिकानां वदिकानां च ।”

(महाभाष्य, पत्रशाह्निक)

आचार्य भक्त हरि ने महाभाष्य पर एक टीका लिखी। उस टीका के कुछ अंश प्रकाशित हैं। संपूर्ण महाभाष्य पर कैंपट ने ‘भाष्य प्रदीप’ के नाम से याख्या लिखी है। प्राचीन व्याकरणों में कैंपट का नाम विशेष आदर का पात्र है। प्रदीप के प्रारम्भिक पद्यों से ज्ञात होता है कि ये कैंपट के पुत्र थे। इनके गुरु का नाम था महेश्वर।

“पदधाक्य प्रमाणानां
 पारयातस्य धीमतः ।
 गुरो महेश्वरस्यापि
 कत्वा चरणवदनम् ॥४॥
 महाभाष्याणवाचार
 पारीण विवतिप्लवम् ।
 यथागमं विधास्येऽहं
 कयटो जयटात्मज ॥५॥

सिद्धांत कौमुदी’ के लेखक प्रख्यात व्याकरण भट्टोजिदीक्षित ने महाभाष्य के ही आधार पर उसी क्रम से सूत्रों की व्याख्या करते हुए ‘शब्दकौस्तुभ’ नामक एक विशाल ग्रंथ की रचना की। इनके बाद जानवाल नागेश भट्ट उच्चकोटि के व्याकरण थे। उनके ग्रंथ ‘शब्ददुशेखर’ ‘परिभाषेदुशेखर’ ‘मजूपा’ आदि विद्वत्समाज में ममादर से गृहीत हैं। इन ग्रंथों के लघु संस्करण भी उपलब्ध हैं— लघु शब्ददुशेखर तथा परम लघुमजूपा। नागेश ने भाष्यप्रदीप पर उदद्योत’ के नाम से व्याख्या लिखी है।

१०५ सस्कृत व्याकरण के विकास के साथ ही अथ भारतीय भाषाओं में भी व्याकरण का विकास होने लगा। तमिल भाषा में बहुत पहले भाषा वैज्ञानिक चिंतन का आरम्भ हुआ। तमिल का सब प्रथम व्याकरण ग्रंथ है—‘तोलकाप्पियम’। यह लगभग दो हजार वर्ष पूर्व की रचना है। सस्कृत में पाणिनीय अष्टाध्यायी का जो स्थान है वही तमिल में ‘तोलकाप्पियम’ का है। तोल शब्द का अर्थ है पुराण। ‘काप्पियम’ सस्कृत के ‘काव्य’ का ही रूपांतर है। वस्तुतः इस ग्रंथ में व्याकरण के साथ काव्यशास्त्र का भी समावेश किया गया है। इस ग्रंथ में

तीन अधिकार' या प्रकरण हैं। पहला ध्वनि प्रकरण है। दूसरा 'पद प्रकरण' है, जिसमें रूपविज्ञान की चर्चा की गयी है। तीसरा 'वाच्य शास्त्र प्रकरण' है। संस्कृत के कुछ आलोचकारों ने अपने ग्रंथों में वाच्यशास्त्र के सदृश में कुछ व्याकरणिक वाता की भी चर्चा की है। भामहू के काव्यालंकार में, वामन की काव्यालंकार मूत्र वृत्ति में तथा रुद्रट के काव्यालंकार में व्याकरण की भी प्रासंगिक चर्चा की गयी है। तोलकाप्पियम में व्याकरण प्रधान है, काव्यशास्त्र उसके साथ अनुपगिक रूप में आया है।

१०५१ कन्नड के प्रथम व्याकरण नागवर्मा ने भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। उसने कणाटक काव्यावलोकन' नामक अपने ग्रंथ में प्रथम खंड का नाम 'शादस्मृति' रखा और उसमें कन्नड का व्याकरण प्रस्तुत किया। नागवर्मा ने साथ ही 'भाषाभूषण' के नाम से कन्नड का एक संक्षिप्त व्याकरण संस्कृत भाषा के माध्यम से पाणिनीय शैली के सूत्रों में लिखा। काव्यावलोकन प्रमुखतः काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तमिल और कन्नड में इस प्रकार के व्याकरण ग्रंथों की परंपरा चल पड़ी।

१०५२ तेलुगु, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में भी इसी प्रकार प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ निर्मित हुए। भारतीय भाषाओं के व्याकरण की रचना में पाश्चात्य विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण एक विदेशी विद्वान की रचना है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान (Comparative philology) की उत्पत्ति के बाद तो इस दिशा में बहुत कार्य किया गया। कालह्वेल ने द्राविड भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण प्रस्तुत किया। आधुनिक काल के प्रारंभ तक भारतीय भाषाओं के व्याकरण ग्रंथ संस्कृत के व्याकरण की पद्धति से प्रभावित थे। किंतु आधुनिक भाषा विज्ञान के संपर्क में आने के बाद भारतीय विद्वान भी नये प्रकार के चिंतन में लगे हुए हैं। कई भारतीय भाषाएँ अब तक उपेक्षित थीं। अज्ञ विद्वान उनके अध्ययन विवेचन में प्रवृत्त हुए हैं।

१०५३ किंतु आज भी हम यह नहीं कह सकते कि भाषा विश्लेषण का कार्य हमने पूरा कर लिया है और हमने भाषा के समस्त तथ्यों का आत्मसात कर लिया है। ऐसा दावा कोई भाषा विज्ञानी नहीं कर सकता। आज भी भाषा विश्लेषण का प्रयास किया जा रहा है, अज्ञान तथ्यों की खोज हो रही है। अनुसंधान का कार्य निरंतर चल रहा है। इस सदृश में यह बात कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि आधुनिक युग में नवीन अनुसंधान की जितनी आवश्यकता है उतनी ही प्राचीन ज्ञान के आकलन और सरक्षण की भी है। प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का सम्बन्ध आज उपेक्षित है। रूप मंडक वृत्ति के कारण नवीन ज्ञान की उपेक्षा करना उचित नहीं है। इसी प्रकार नवीनता के मोह के कारण

१०४१२ पतञ्जलि का व्याकरण महाभाष्य प्रश्नोत्तर की शली में लिखा गया है। यद्यपि यह व्याकरण शास्त्र का अतिप्रौढ ग्रन्थ है फिर भी इसकी भाषा आश्चर्यजनक ढंग से सरल है। संस्कृत के सरल गद्य में पतञ्जलि न शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाया है। ग्रन्थ का प्रारम्भ इन शब्दों से हुआ है—

“अथ शब्दानुशासनम् । अथेत्ययं शब्दोऽधिकाराय प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं घेदितव्यम् । केपा शब्दानाम् ? लौकिकानां वदिकानां च ।”

(महाभाष्य, पस्पशाह्निक)

आचार्य भट्ट हरिन महाभाष्य पर एक टीका लिखी। उस टीका के कुछ अंश प्रकाशित हैं। संपूर्ण महाभाष्य पर कैयट न ‘भाष्य प्रदीप’ के नाम से व्याख्या लिखी है। प्राचीन व्याकरणों में कैयट का नाम विशेष जादर का पान है। प्रदीप के प्रारम्भिक पद्यों से ज्ञात होता है कि ये कैयट के पुत्र थे। इनके गुरु का नाम था महेश्वर।

“पदवाक्य प्रमाणानां
पार यातस्य धीमतः ।
गुरो महेश्वरस्यापि
कत्वा चरणवदनम् ॥४॥

महाभष्याणवाचार
पारीण विवतिप्लवम् ।
यथागम विधास्येऽह
कयटो जयटात्मज ॥५॥

सिद्धांत कौमुदी के लेखक प्रत्यात व्याकरण भट्टोजिदीक्षित न महाभाष्य के ही आधार पर उसी क्रम से सूत्रों की व्याख्या करते हुए ‘शब्दकौस्तुभ’ नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना की। इनके बाद आनेवाले नागेश भट्ट उच्च काटि के व्याकरण थे। उनके ग्रन्थ ‘शब्ददुशेखर’ ‘परिभाषेदुशेखर’ ‘मजूपा’ आदि विद्वत्समाज में ममादर से गहीत हैं। इन ग्रन्थों के लघु संस्करण भी उपलब्ध हैं— लघु शब्ददुशेखर तथा परम लघुमञ्जूपा। नागेश ने भाष्यप्रदीप पर ‘उदघोत’ के नाम से व्याख्या लिखी है।

१०५ संस्कृत व्याकरण के विकास के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी व्याकरण का विकास होना लगा। तमिल भाषा में बहुत पहले भाषा वैज्ञानिक वित्तन का आरम्भ हुआ। तमिल का सब प्रथम व्याकरण ग्रन्थ है— ‘तोलकाप्पियम्’। यह लगभग दो हजार वर्ष पूर्व की रचना है। संस्कृत में पाणिनीय अष्टाध्यायी का जो स्थान है, वही तमिल में ‘तोलकाप्पियम्’ का है। ‘तोल’ शब्द का अर्थ है पुराना। ‘काप्पियम्’ संस्कृत के ‘काव्य’ का ही रूपांतर है। वस्तुतः इस ग्रन्थ में व्याकरण के साथ काव्यशास्त्र का भी समावेश किया गया है। इस ग्रन्थ में

तीन अधिकार' या प्रकरण हैं। पहला ध्वनि प्रकरण है। दूसरा 'पद प्रकरण' है, जिसमें रूपविज्ञान की चर्चा की गयी है। तीसरा 'वाच्य शास्त्र प्रकरण' है। सत्वृत व कुछ आलंकारिको न अपने ग्रथा म वाच्यशास्त्र के सदभ मे कुछ व्याकरणिक वाता की भी चर्चा की है। भामह के वाचालकार म, वामन की वाचालकार सुन वक्ति म तथा रुद्रट के वाचालकार म व्याकरण की भी प्रासंगिक चर्चा की गयी है। तोल्काप्पियम' म व्याकरण प्रधान है, काव्यशास्त्र उनके माय आनुपगिक रूप म आया है।

१०५१ कन्नड के प्रथम व्याकरण नागवमान भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण विद्या है। उसने 'कर्णाटक वाच्यवलोकन' नामक अपन ग्रथ म प्रथम खंड का नाम "शब्दमति" रखा और उसम कन्नड का व्याकरण प्रस्तुत किया। नागवमान साथ ही 'भाषाभूषणम' के नाम से कन्नड का एक मक्षिप्त व्याकरण सम्पन्न भाषा के माध्यम से पाणिनीय शैली के सूत्रा म लिखा। वाच्यवलोकन प्रमुखत वाच्य शास्त्रीय ग्रथ है। तमिल और कन्नड म इस प्रकार के व्याकरण ग्रथा की परंपरा चल पडी।

१०५२ तेलुगु, मराठी हिंदी आदि भाषाओ मे भी इसी प्रकार प्रामाणिक व्याकरण ग्रथ निर्मित हुए। भारतीय भाषाओ के व्याकरण की रचना म पाश्चात्य विद्वानो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी का सब प्रथम व्याकरण एक विदेशी विद्वान की रचना है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान (Comparative philology) की उत्पत्ति के बाद तो इस दिशा म बहुत काय किया गया। कालडवेल न द्राविड भाषाओ का तुलनात्मक व्याकरण प्रस्तुत किया। आधुनिक काल के प्रारंभ तक भारतीय भाषाओ के व्याकरण ग्रथ संस्कृत के व्याकरण की पद्धति से प्रभावित थे। किंतु आधुनिक भाषा विज्ञान के संपर्क म आन के बाद भारतीय विद्वान भी गये प्रकार के चिंतन मे लगे हुए हैं। कई भारतीय भाषाएं अब तक उपेक्षित थीं। अब विद्वान उनके अध्ययन विवचन म प्रवृत्त हुए हैं।

१०५३ किंतु आज भी हम यह नहीं कह सकते कि भाषा विश्लेषण का काय हमन पूरा कर लिया है और हमने भाषा के समस्त तथ्यो को आत्मसात कर लिया है। ऐसा दावा कोई भाषा विज्ञानी नहीं कर सकता। आज भी भाषा-विश्लेषण का प्रयास किया जा रहा है, अज्ञात तथ्यो की खोज हो रही है। अनुसंधान का काय निरंतर चल रहा है। इस सदभ म यह बात कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि आधुनिक युग म नवीन अनुसंधान की जितनी आवश्यकता है उतनी ही प्राचीन ज्ञान के आकलन और सरक्षण की भी है। प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का समन्वय आज अपेक्षित है। कूप मडूक वक्ति के कारण नवीन ज्ञान की उपेक्षा करना उचित नहीं है। इसी प्रकार नवीनता के मोह के कारण

प्राचीन ज्ञान की उपेक्षा करना भी मूर्खता ही है। अतएव आधुनिक काल के भाषाविज्ञानी पाणिनि का अध्ययन करते हैं। भारतीय भाषाविज्ञानियों का यह कतव्य है कि वे पाणिनि का नाम लेने मात्र से सतुष्ट न हों, बल्कि स्वयं भी उसके व्याकरण का अध्ययन करें। हम अपने प्राचीन ज्ञान के समृद्ध भंडार का पूरा उपयोग करना चाहिए। इस दृष्टि से पाणिनि का अध्ययन आज भी लाभदायक हो सकता है।

दूसरा अध्याय भाषा का स्वरूप

१ भारतीय आचार्यों ने भाषा के स्वरूप पर काफी गहराई से विचार किया है। एक दृष्टि तो श्रद्धा और आस्था की है। मानव जीवन में भाषा का सर्वाधिक महत्त्व है। भाषा की उपयोगिता इतनी व्यापक है कि वह हमारे जीवन के जग-जग में ओत प्रोत है। उपनिषद् की यह घोषणा है—

“यद् व वाङ् नामविष्यत् न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापविष्यत्, न सत्यं नानृतं, न साधु नासाधु, न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञ, वागेव एतत् सव विज्ञापयति, वाचमुपास्वेति।”

(छांदोग्य, ७ २ ६)

वाक्य भाषा नहीं होती तात्पर्य और अधम सत्य और असत्य, साधु और असाधु आदि का भेद ही ज्ञात नहीं हो सकता। भाषा के बिना मानव का सामाजिक व्यवहार संभव नहीं है। अतएव भारतीय सस्कृति ने भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से वाक्य को एक दैवता का स्थान दे दिया। वह देवी सरस्वती है, ब्रह्मा की पत्नी है, समस्त विद्याशा की जननी है। विद्यानाथ ने लिखा— ‘दारान् पद्मभुव वन्द गिरा देवताम् ॥’ अमरकोश की पंक्ति है— ‘गोवाग वाणी सरस्वती ।’ इस वाणी में लक्ष्मी का निवास है। ऋग्वेद का मंत्र कहता है—

“सक्तुमिव तितउना पुनन्तो
यत्र धीरा मनसा वाचमन्त ।
अत्रा सखाय सख्यानि जानते
भद्र या लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥’

(महाभाष्य, पश्यशाब्दिक म उद्धृत)

२ यह तो हुई श्रद्धा की दृष्टि। दूसरी दृष्टि है वैज्ञानिक परीक्षण की। भाषा के अन्तर्ग प्रहिरग का स्वरूप जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक काल से ही प्रयास किया था। “उतत्व पश्यन् न ददश वाचं मुत्तत्त्व शण्वन् न शणोत्येनाम् ।” जो भाषा के वाच्य पक्ष को ही जानते हैं वे वस्तुतः वाच्य को नहीं जानते। अतएव इस मंत्र में कहा गया कि देखते हुए भी वे वाक्य का नहीं देखते,

सुनते हुए भी नहीं सुनत। अर्थात् हम भाषा का प्रयाग तो करते हैं, किंतु भाषा के मम को—उसके अंतरंग को—नहीं जानते। उतो त्वस्मै तव विसस्त्रे, जायेव पत्य उशती सुवासा।” कोई भाषाविद् ऐसा साहसी शोधकर्ता होता है कि उसके प्रयासों से भाषा के रहस्य एक-एक करके खुलने लगते हैं। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय, उपसर्ग आदि का पृथक्करण होता है। भाषा एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के स्वरूप को जानने पर हम भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। किसी भाषा की अतनिहित व्यवस्था को समझने के लिए शोध की आवश्यकता है। यही वाणी की उपासना है, ज्ञानाथ तपस्या है। भारतीय आचार्यों ने ऐसी विशुद्ध वचानिक दृष्टि से भाषा का गभीर विवेचन किया है।

३ सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भाषा क्या है? सामान्य दृष्टि से विचार करने वाले शायद इस प्रश्न को निरर्थक समझेंगे। भाषा शब्दों या वाक्यों का समूह है। इसमें विचार करने योग्य क्या रहस्य की बात है? किंतु यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। वाक्य किस प्रकार बनते हैं? व ता शब्दों के समुदाय हैं। किसी भ्रम विशेष में अवस्थित तथा एक तात्पर्य से सघटित शब्दों का ही तो वाक्य कहते हैं। य शब्द क्या हैं? ध्वनियों के गुच्छ ही भ्रम विशेष में आबद्ध होकर शब्द कहलाते हैं। तो हम इस परिणाम पर पहुँचे कि भाषा ध्वनियों की एक व्यवस्था है। इन ध्वनियों का अर्थ से क्या संबंध है? ध्वनि से अर्थ का बाध कस उत्पन्न होता है? किस अर्थ में किस ध्वनि का प्रयोग करना चाहिए? क्या प्रत्येक ध्वनि का कुछ अर्थ होता है? ध्वनियों का सीमित है, किंतु उनसे प्रतिपाद्यमान अर्थ वस्तुतः अनंत है। सीमित ध्वनियों के द्वारा अनंत अर्थों का प्रकाशन किस प्रकार किया जाता है? शब्द में जो अर्थ बाधन की क्षमता है, उसका आधार क्या है? कुछ शब्द साधक हैं तो कुछ निरर्थक क्या होते हैं? अर्थ का निणय करने के लिए कौन सा साधन है? शब्द और अपशब्द का भेद क्या है? इस प्रकार के कई प्रश्न जिज्ञासु के मन में उठते हैं।

४ ऐसे समस्त प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर देने का प्रयास शास्त्रकारों ने किया है। मीमांसा दर्शन वाक्य विचार के लिए ही प्रवृत्त हुआ। वदा व दा भाग हैं—कमकाठ और पानकाठ। कमकाठ को पूर्व भाग कहते हैं। इसमें यत्, तप आदि विविध कर्मों का निरूपण किया गया है। इस काठ को व्याख्या के लिए महर्षि जमिनि ने एक शास्त्र का प्रवचन किया, जिसे पूर्वमीमांसा या ‘कर्ममीमांसा’ कहते हैं। अथा तो धर्मजिज्ञासा मीमांसा का प्रथम सूत्र है। द्वादश अध्यायों का यह एक महान् शास्त्र है। इसमें वद वाक्यों का तात्पर्य निणय किया गया है। इसी कारण से मीमांसा को भारतीय परम्परा में ‘वाक्य’ शास्त्र कहा जाता है। महर्षि वादरायण ने वदा व उत्तर भाग—इसी को उपनिषद्, ज्ञानकाठ या वदात कहते हैं—पर व्याख्या करने के लिए ब्रह्मसूत्रों की रचना की। यह ग्रन्थ चार

अध्यायो म विभक्त है। इसे उत्तरमीमासा, ब्रह्ममीमासा या शारीरक मीमासा कहते हैं। यह दशन भी ब्रह्मवाक्यो की व्याख्या के लिए प्रवृत्त हुआ। इन दोनों प्रकार के मीमासाशास्त्रो म वाक्य' का विवेचन किया गया है। भाषा सबधी कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रश्नो का उत्तर मीमासा म प्राप्त होता है। भाषा विज्ञान के विद्यार्थी को मीमासा से उपयुक्त सामग्री का सकलन करना चाहिए।

५ भाषा पर विचार करने वाला एक और शास्त्र है 'यायदशन'। यहा 'याय' के अतगत यशेषिक का भी समाहार विवक्षित है। याय को 'तकशास्त्र' भी कहते हैं। तात्त्विक और नैयायिक पर्याय हैं। तकशास्त्र म चार प्रमाण स्वीकार किए गए हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान और शब्द। इन प्रमाणा के विषय म ब्रह्मवाक्य विवेचन करने के ही कारण भारतीय परम्परा मे याय को 'प्रमाण की सत्ता दी गयी। चार प्रमाणो म अतिम है शब्द। अतः 'यायशास्त्र के आचार्यों ने शब्द प्रमाण का विस्तृत विवेचन किया है। आप्तवाक्य शब्द। आप्तस्तु यथाथ वचना।' इस प्रकार शब्द का स्वरूप बतलाकर शब्द की शक्तिया, शक्तिप्राहक प्रमाण जादि विविध विषयो का सागापाग विवेचन किया गया है। "युत्पत्तिवाद", 'शब्दशक्तिप्रवाशिका आदि प्रौढ ग्रथा म शब्दतन्त्र का निरूपण हुआ है। आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्यार्थी को याय दशन के विविधग्रथा म बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

६ भाषा का ही एक विशिष्ट रूप है 'काव्य भाषा'। काव्य भाषा म सौंदर्य तत्त्व प्रमुख रहता है। इस सौंदर्य के उपकरण क्या हैं? गुण अलकार आदि पर इसी दृष्टि से विचार किया गया है। भारतीय परम्परा म, काव्य भाषा के स्वरूप पर विचार करने वाले शास्त्र का नाम है 'अलकार शास्त्र'। इस शास्त्र के विद्वानो को 'आलकारिक' कहते हैं। आधुनिक भाषा मे इसे 'काव्य शास्त्र' कहते हैं। भरत मुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक आलकारिको की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। अलकार शास्त्र मे कई संप्रदायो का विकास हुआ। सबप्रथम अलकार संप्रदाय ही है। वस्तुतः य अलकार क्या हैं? अभिधाविच्छित्तविशेषा एव अलकारा।" अभिधा के कुछ राशक प्रकार ही अलकार कहलाते हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, ताद्रूप्य रूपक अभेद रूपक, समासोक्ति, परिकर, परिकराच्छु र आदि अलकार अभिधा पर ही आधारित है। वही केवल अभिधा का प्रताप है, ता वही उसके साथ लक्षणा का भी सयोग है। शब्द की एक तीसरी शक्ति है 'यञ्जना'। इसी क आधार पर ध्वनिसंप्रदाय की स्थापना हुई। ध्वनिसंप्रदाय के प्रख्यात लेखक आचार्य आनन्द-वर्धन ने ध्वनितत्त्व की विस्तृत व्याख्या करके यह घोषणा की—'वा यस्यात्मा ध्वनि।' ध्वनि के तीन भेद माने गए— वस्तु अलकार और रस। इनमे रस को ही प्रधान मानते हैं। अतएव 'साहित्यदपण' के लेखक विश्वनाथ ने कहा— 'वाक्य रसात्मक काव्यम।' यह रस व्यंग्य ही होता है। स्वशब्दाच्यत्व का रस

दोष कहते हैं। इस प्रकार रस सिद्धांत की आधारशिला व्यजनावृत्ति ठहरती है। अलंकार शास्त्र में काव्य भाषा का मार्मिक विवेचन किया गया है। भाषा विज्ञान की एक नयी शाखा शली विज्ञान तो अलंकार शास्त्र का ही एक अंग है। अथर्वविज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान आदि अन्य शाखाओं का भी अलंकार शास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध है, अतः हम निःसंकोच होकर कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान की पर्याप्त सामग्री अलंकार शास्त्र के ग्रंथों में प्राप्त होती है।

७ व्याकरण तो मुख्य रूप से भाषा का ही विवेचन करता है। प्राचीन परम्परा में व्याकरण को 'पद' कहते हैं। इस शास्त्र का दूसरा नाम है 'शब्द-शास्त्र'। वैयाकरणा को 'शब्दवित्' या 'शास्त्रिक' भी कहते हैं। पतञ्जलि ने महाभाष्य का आरंभ इन शब्दों से किया है—

“अथ शब्दानुशासनम् । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् ।”

व्याकरण को उन्होंने शब्दानुशासन कहा। शब्द दो प्रकार के होते हैं—वदिक तथा लौकिक। दोनों में समानताएँ भी हैं और अंतर भी। कुछ प्रयोग केवल वैदिक शब्दों का अध्ययन किया गया था। प्रातिशाख्य इसके उदाहरण हैं। कुछ ग्रंथों में लौकिक शब्दों का ही विवेचन किया गया था। अतः पाणिनीय व्याकरण के विषय में जिज्ञासा हुई—‘वेद्या शब्दानाम्?’ आपके व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों का विवेचन होगा? पतञ्जलि का उत्तर है—‘वदिकानां लौकिकानाञ्च । हमारा यह व्याकरण वदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के समस्त शब्दों का विवेचन करता है। ध्यान देने की बात है कि पतञ्जलि बार-बार “शब्द शब्द” का प्रयोग कर रहे हैं। ‘मिद्धे शब्दाथ सर्वथे लोकताऽथप्रयुक्तं शब्दप्रयोगं शास्त्रेण धमनियम् ।’ ‘शब्दानुशासनं मिदानी कर्तव्यम् । तत्कथं कर्तव्यम् ? किं शब्दापदेशं कर्तव्यम् ?’ (पृ० ३६) ‘एकैकस्य शब्दस्य बहवोऽपि भ्रंशाः ।’ (पृ० ४१) ‘कथं तर्हीमं शब्दा प्रतिपत्तव्या ?’ (पृ० ४३) ‘सति च शब्दा अप्रयुक्ताः ।’ (पृ० ४८) ‘यथैव शब्दज्ञानं धमं, एवमपशब्दज्ञानंऽप्यधमं ।’ (पृ० ६३) “शब्देऽनुत्थे” (पृ० ६६) यह भी कहा गया है कि एक भी शब्द को सही ढंग में जानकर सही रूप में उसका प्रयोग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है—“एकं शब्दं सम्यग ज्ञानं सुष्ठु प्रयुक्तं स्वर्गं लोके कामधुग् भवति ।” इस प्रकार के वचनों से प्रतीत होता है कि व्याकरण में केवल शब्द यानी पद (Word) पर विचार किया जाता है। अर्थात् यह पद रचना (Morphology) का—रूप विज्ञान का—शास्त्र है। मीमांसा में वाक्य का विचार करते हैं तो व्याकरण में केवल पदों का विचार करते हैं। एही धारणा उक्त वाक्यों को देखने से बनती है।

८ किंतु सत्य यह है कि व्याकरण में पद रचना के साथ वाक्य रचना पर भी विचार किया गया है। पाणिनि ने लकारार्थं तथा विभक्त्यर्थ पर विस्तार से विचार किया है। सात विभक्तियाँ हैं। इनके विविध अर्थ होते हैं। कुछ

(२) बभूव — 'कुतूरोपिनाम बभूव १४४६

(३) बभूव — 'गापवम बभूव १४६०

(४) गभूव — 'बभूवमभिभूवित तप्रदातम् १६३२

(५) अतः — 'प्रथमसायनाशाम १४२४

(६) अधिवारण — 'आपारोपिवारणम् १४६५

एह कारक असाध्य है। अतएव प्रथमाभाष्य क पदुपसा म कारका का विचार करके विभक्तिया का विधान द्वितीय अध्याय क तृतीय पा म दूगरे प्रकरण म किया है। बिभूवत रूप गह्य है। कारक विभक्ति का अर्थ है। पानिनि ३ म अ का बहुल रूप्यट किया है।

८० विभक्ति प्रकरण 'अभिहित (२३१) दूग अधिवारण म आरभ हाया है। 'बभूव द्वितीया (२३०) आदि गुणा स विभक्तियो क विविध अर्थ यथाय गय है। विभक्तिया का अर्थ कयल कारक ही तही हाता। कारकतर अर्थ मे भी विभक्तिया का प्रयोग हाता है। पट्टी का अर्थ सबध है— पट्टी जेय। (२-३५०) 'कानिका' वृत्ति म लिखा है—'कर्मा निभ्योऽय, प्रातिपदिकापथ्यतिरिक्त रणस्यामि गक्यादि अर्थ, तत पट्टी विभक्ति-भवति। राज पुण्य पना पा, पितु पुत्र।' (कानिका, पूर्वाध पृ० १२६) कुछ विभक्तियो बिभी प्रत्यय या प्रातिपदिक क याग क कारण प्राप्त होनी है। य कारकायक तही हाता। पदांतर सबध क कारण प्राप्त विभक्ति को 'उपपद-विभक्ति (morphologically conditioned) कहत है। कुछ उदाहरण तीस प्रस्तुत रिय जात है—

(१) अन्तरातरेण युक्ते। २-३-४ द्वितीया विहित है। 'अन्तरा त्वां च

मां च षमण्डलु ।" "अतरेण पुटपकार न किञ्चित् सम्भ्यतः।" (काशिका, पृ० ११६)

(२) नम स्वरित स्वाहास्वघातमयद्वयोगाच्च । (२३ १६)

'नम आदि शब्दों का योग म चतुर्थी विहित है। नमा दवम्भ । स्वरित प्रजाम्भ । स्वाहाजनये । स्वघा पितम्भ । अल मल्ला मल्लाय । यपदजनय । (काशिका, पूर्वाध पृ० १२१ १२२)

(३) सहयुक्तेऽप्रधाने । (२-३-१६)

तृतीया विहित है। पुत्रेण सह आगत पिता । (काशिका पृ० १०२)

(४) षष्ठी हतुप्रयोगे । (२ ३-०६)

"अनस्य हेतोर्यसति ।" (वही, पृ० १२४)

८२१ कुछ विभक्तिना प्रत्यय निमित्तक हैं। किसी विशेष प्रत्यय के कारण कोई विभक्ति प्राप्त होती है। केवल प्रत्यय का तो प्रयोग नहीं हो सकता—
'न क्वला प्रवृत्ति प्रयाक्तव्या नापि प्रत्यय । प्रत्ययान्न पद ही प्रयागाह है । अन प्रत्ययनिमित्तक विभक्ति को भी एक प्रकार से उपपदविभक्ति का नाम ही रखा सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं—

(१) षष्ठीयतस्यप्रत्ययेन । (१२ ३-३०)

दक्षिणतो ग्रामस्य । उत्तरतो ग्रामस्य । 'अतसुच्' प्रत्ययात्त पद के कारण यहाँ षष्ठी प्रयुक्त है।

(काशिका, पृ० १२५)

(२) एनपा द्वितीया । (२ ३ ३१)

दक्षिणेन ग्रामम् । उत्तरेण ग्रामम् । 'एनप् प्रत्ययात्त पद के कारण यहाँ द्वितीया प्रयुक्त है। (वही, पृ० १२५)

८२२ द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में कुल तिहत्तर (७३) सूत्र हैं। ये सभी सूत्र विभक्ति विधानाथ ही हैं। कारक प्रकरण के सूत्रों की सख्या तत्तौस है। इस प्रकार एक सौ स भी अधिक सूत्रों में पाणिनि न विभक्त्यथ का निरूपण किया है। यह प्रकरण रूपरचना या प्रक्रिया के लिए नहीं बना। किस प्रत्यय का रूप क्या होता है? कहा उसका रूपांतर होता है? प्रत्यय के कारण प्रवृत्ति (प्रातिपदिक) में क्या विकार उत्पन्न होता है? यह पदरचना की बात है। प्रथमा अध्याय के कारक प्रकरण में तथा द्वितीयाध्याय के विभक्ति प्रकरण में पदरचना की प्रक्रिया के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। वे बातें अगाधिकार में—षष्ठा अध्याय के चतुर्थ पाद से लेकर सप्तमाध्याय की समाप्ति तक—बतायी गयी हैं। कुछ संधि की बातें भी षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में उक्त हैं। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं—

१ हलङ्वाभ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्त हल । (६ १ ६८)

- २ एङ ह्रस्वात् स बुद्धे (६-१ ६६)
- ३ ओतोऽन्नासो । (६-१ ६३)
- ४ प्रथमयो पूर्वसवण । (६ १ १०२)
- ५ तस्माच्छसो न पुति । (६ १-१०३)
- ६ अमि पूव । (६ १-१०७)
- ७ एरनेकाचोऽसयोगपूर्वस्य (६-४-८२)
- ८ टाडसिडसामिनात्स्या । (७ १-१०)
- ९ स्वयानपुसकात् । (७ १-२०)
- १० साम जाकम । (७ १ ३०)
- ११ अट्टन आ विभक्तौ । (७ २ ८४)
- १२ जराया जरसयतरस्याम् । (७ २ १०१)
- १३ इदोऽम पुति । (७ २-१११)
- १४ अम्वायनद्योह स्व । (७ २ १०७)
- १५ आडो नाऽस्त्रियाम् । (७ ३-१२०)

इत्यादि, इसमें विषय विभाग स्पष्ट होता है। पष्ठ और सप्तम अध्याय व सूत्रों में पद रचना (morphology) की चर्चा की गयी है। प्रथम और द्वितीय अध्याय के उपयुक्त सूत्रों में वाक्य रचना (Syntax) की चर्चा की गई है। अतः यह कहना गलत है कि पाणिनि ने वाक्य रचना की उपेक्षा की। उन्होंने वाक्य शब्द का भी प्रयोग किया है।

(१) वाक्या दे रामन्त्रितस्यासूयासयतिक्पो कुत्सन भर्तन्नेपु । (८ १ ८)

(२) वाक्यस्थ टे प्लुत उदात्त । (८ २ ८२)

वाक्य के मन्त्र में नियम बनाकर दिए हैं।

८ ३ ससृत्त म 'धातु आ के रूप तिङ् प्रत्यया से निष्पन्न हात है। य 'तिङ् प्रत्यय लकारों के आदेश हाते है। काल तथा वृत्ति (Tense, Mood, Aspect) के विविध अर्थों में लकार प्रयुक्त हात है। लकार दस हैं—लट लिट, लुट लट लेट लोट लड लिङ लुङ जोर लड। इस सूची को देखने से मान्य होना है कि ये सब पारिभाषिक शब्द एक ही वर्ण लकार' में अकार जादि स्वरो का तथा 'ट' अथवा ड अनुबन्ध को जोड़कर जनाये गये हैं। कुछ लकार टित हैं, इनकी सख्या छह है। कुछ अय लकार डित है इनकी सख्या चार है। अतः कुल लकारों की सख्या दस है। इनमें 'लेट' सिर्फ वद में ही उपलब्ध है। बाकी लकारों के रूप लोके तथा वददाना में प्रयुक्त हैं। पाणिनि ने तृतीय अध्याय में इन लकारों के विविध अर्थों की व्याख्या की है। यहाँ भी दो प्रकार के विभक्त पाये जाते हैं। कुछ सूत्र लकार के स्थान पर जान वाले प्रत्ययों के विकार आदि रूपस्वनिर्णय परिवर्तनों का विधान करते हैं। ऐसे कुछ सूत्र तृतीय अध्याय में हैं, कुछ पष्ठ

अध्याय में, कुछ सप्तम अध्याय में तथा कुछ अष्टम अध्याय में। पाणिनि ने अपनी सुविधा के अनुसार इन सूत्रों को विभिन्न प्रकारणों में रखा है। कुछ अग वाय है, अतः अगाधिकार में उनका स्थान दिया। कुछ नियम पत्व तथा णत्व में संबंधित हैं। उन्हें अष्टमाध्याय में स्थान मिला। 'इडागम' सस्त्रुत की एक जटिल समस्या है। उसका विवचन सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में किया गया है, कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं।

(१) तनाय अध्याय के सूत्र —

- १ स्यतात्तील्लुटो । (३ १ ३३)
- २ कज्र चानुप्रयुज्यते लिटि । (३ १ ४०)
- इटितो वा । (३-१-५७)
- ४ टित आत्मनपदाना टेट । (३-४ ७६)
- ५ लिटस्तन्नयोरेशिरेच् । (३ ४ ८१)

(२) षष्ठ अध्याय के सूत्र —

- १ सप्रसारणाच्च । (६-१-१०८)
- २ सुट कात पूव । (६-१ १३५)
- ३ सहिवहोरोदवणस्म । (६ ३ ११२)
- ४ अज्जनगमा सनि । (६ ४-१६)
- ५ दशसञ्जस्वञ्जां शपि । (६ ४ २५)

(३) सप्तम अध्याय के सूत्र —

- १ लोपस्त आत्मनेपदेषु । (७ १ ४१)
- २ णे मुचादीनाम् । (७-१ ५६)
- ३ नाम्यस्ताच्छतु । (७ १-७८)
- ४ सिचि वृद्धि परस्मपदेषु । (७ २ १)
- ५ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् । (७ २ १०)
- ६ ऋतो भारद्वाजस्य । (७ २ ६३)

(४) अष्टम अध्याय के सूत्र —

- १ कृपो री ल । (८ २ १८)
- २ इट ईटि । (८ २ २८)
- ३ सयोगादेशतो धातोमणवत् । (८ २-४३)
- ४ शासिवसिघसीना च । (८ ३ ६०)
- ५ सिवादीना वाऽड व्यवायेपि । (८-३ ७१)
- ६ नितदोभ्या स्नाते कौशले । (८ ३ ८६)
- ७ हिनुमीना । (८ ४ १५)
- ८ आनि लोट । (८ ४-१६) इत्यादि।

८३१ तिङ् प्रत्यया के दो वग हैं। एक वग के प्रत्ययो को परस्मैपद' कहते हैं। दूसरे वग के प्रत्यय 'आत्मनेपद' हैं। पाणिनीय धातुपाठ में लगभग दो हजार धातु सकलित हैं। इनमें से कुछ परस्मैपदी हैं। उनके साथ आत्मनेपद प्रत्यया का प्रयोग नहीं होता। कुछ धातु आत्मनेपदी हैं। व कभी परस्मैपदा न नहीं होते। कुछ धातु उभयपदी हैं। कभी ये आत्मनेपदा'त होते हैं तो कभी परस्मैपदा'त। स्वरितभित कत्रभिप्राय क्रियाफले।" 'अनुदा तडित आत्मनेपदम।' 'शेषात् कतरि परस्मैपदम। किंतु कुछ धातु स्वयं परस्मैपदी होते हुए भी किसी उपसर्ग के योग से या अर्थविशेष के कारण आत्मनेपदी होते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

१ नेविश । (१३१७)

२ विपराम्या जे । (१३-१६)

३ समवप्रविभ्य स्थ । (१-३-२२)

इत्यादि। इसी प्रकार कुछ आत्मनेपदी धातु उपसर्ग के योग में परस्मैपदी बन जाते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हैं—

१ व्याड परिभ्यो रम । (१-३ ८३)

२ निगरणचलनार्येभ्य च । (१३ ८७)

३ लुटि च ष्लूप । (१-३ ६३)

८३२ पद-व्यवस्था का प्रथम सूत्र है—“अनुदात्तडित आत्मनेपदम।” (१३ १२)। इस सूत्र से लेकर पादात्त (१-३ ६३) तक ८२ (बयासी) सूत्रों में पाणिनि ने परस्मैपद तथा आत्मनेपद की व्यवस्था बतायी है। यह केवल पद-रचना के स्तर की बात नहीं है। यह तो पदसमूह (Phrase) के स्तर की बात है। वाक्य स्तर की संरचना पर भी पद विधान के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ दो सूत्रों पर विचार किया जाएगा। ये सूत्र निम्न प्रकार के हैं—

१ समस्ततीयायुक्तात् । (१३-५४)

२ दाण च साचेच्चतुर्थ्यै । (१३ ५५)

पहले सूत्र का अर्थ है कि सम उपसर्ग से युक्त 'चर' धातु यदि तृतीया-युक्त हो तो आत्मनेपद लेता है। तृतीया यहाँ विभक्ति ही विवक्षित है। 'चर' धातु है। उपसर्ग के साथ उसका संबन्ध हो सकता है। 'सचार आदि इस उपसर्ग योग का उदाहरण है। किंतु तृतीया तो सुब विभक्ति है। धातु का तृतीया से योग कब संभव है? वक्तिकार बताते हैं कि यहाँ अर्थद्वारक संबन्ध विवक्षित है। तृतीया विभक्ति का अर्थ के साथ 'चरति' क्रिया का संबन्ध है। 'तृतीयायुक्तात्' इमो अर्थद्वारक संबन्ध का संकेत करता है। आत्मनेपद का उदाहरण है— जगता सचरत। स्पष्ट है कि यहाँ आत्मनेपद का विधान वाक्य स्तर की संरचना पर आधारित है। काशिका में इस सूत्र की व्याख्या या की गयी है—

“सपूर्वात् चरते ततीयायुक्तात् आत्मनेपद भवति । तृतीयेति ततीया विभक्तिर्गुह्यते । तथा चरतेरथद्वारको योग । अन्वेन सचरते । ततीयायुक्तादिति किम् ? “उभौ लोको सचरसि इमं चामु च देवल ।” यद्यप्यत्र तदययोग सभवति, तृतीया तु व श्रूयते इति प्रत्युदाहरण भवति ।’

(काशिका, पूर्वार्ध ५० ५७)

८३३ इसके पूर्वसूत्र में भी ‘चर’ धातु के आत्मनेपद का विधान किया गया है । ‘उद चर सकमकात् । (१-३ ५३) । यदि ‘चर’ धातु ‘उत् उपसर्ग के साथ युक्त हो और सकमक रह ता आत्मनेपद प्रत्यय लेगा । गुरुवचनमुच्चरते । यहा उच्चरते का अर्थ है उल्लघन करना । उपसर्ग के कारण इस अथविशेष में धातु का प्रयोग होता है । उल्लघन के अर्थ में सकमकता भी स्पष्ट है । अतः यहा आत्मनेपद प्रवृत्त है । काशिका’ में लिखा है—

“शेषात् कतरि परस्मपदे प्राप्ते उत्पूर्वात् चरते सकमकप्रिधावचनात् आत्मनेपद भवति । गेहमुच्चरते । कुटुम्बमुच्चरते । गुरुवचनमुच्चरते । उत्कम्प गच्छतीत्यथ । सकमकादिति किम् ? बाध्यमुच्चरति ।”

(काशिका १-३ ५३, ५० ५७)

८३४ दूसरा सूत्र है दाण् धातु के सवध में । दाण्—दान । यह परस्मपदी है । ‘सम्’ उपसर्ग से युक्त दाण् धातु यदि तृतीया-युक्त है तो वह आत्मनेपदी बनता है । सूत्रकार ने एक और शत लगायी है— सा चेत चतुर्थ्यर्थे ।’ कवल ततीया का योग पर्याप्त नहीं है । तृतीया का प्रयोग चतुर्थी के अर्थ में किया जाय तो उस विशेष स्थिति में आत्मनेपद विहित है । चतुर्थी का अर्थ है संप्रदान । इस अर्थ में ततीया का विधान नहीं हुआ, तो प्रयोग किस आधार पर होगा ? पाणिनि ने सूत्र में यह सक्त तो दिया ही है कि चतुर्थी के अर्थ में ततीया का प्रयोग कभी कभी होता है । वार्तिककार ने बताया है कि अशिष्ट (असभ्य) व्यवहार के सदर्भ में संप्रदान के अर्थ में तृतीया होती है । सिर्फ ऐसी स्थिति में दाण् का आत्मनेपद होता है । उदाहरण है—दास्या सयच्छते । कामुक दासी को धन देता है । यहा दास्या में ततीया है । अतः ‘सयच्छते’ में आत्मनेपद का प्रयोग हुआ । पाणिना सम्प्रयच्छति । हाथ में (धन) देता है । यहाँ ‘पाणिना तृतीया में है । किंतु ततीया का अर्थ यहाँ कारण है, संप्रदान नहीं । अतः इस वाक्य में परस्मपद ही प्रयुक्त है । काशिका’ के शब्द हैं—

“दाण्—दाने” परस्मपदी । तत् सपूर्वात् तृतीयायुक्तात् आत्मनेपद भवति, सा चेत ततीया चतुर्थ्यर्थे भवति । क्यं पुन ततीया चतुर्थ्यर्थे स्यात् ? वक्तव्यमेव एतत् । “अशिष्टव्यवहारे ततीया चतुर्थ्यर्थे भवतीति वक्तव्यम् ।’ दास्या सम्प्रयच्छते । वपत्या सम्प्रयच्छते । कामुकं सन् दास्यं ददातीत्यय । चतुर्थ्यर्थे इति किम् ? पाणिना सम्प्रयच्छति ।” (काशिका, पूर्वार्ध, १-३ ५५ ५० ५७)

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पाणिनीय व्याकरण विभक्त्यर्थ लकाराद्य, पद-यवस्था आदि शेषों के अंतर्गत वाक्यरचना (Syntax) का भी निरूपण करता है। तो उसे 'शब्दशास्त्र' अथवा 'शब्दानुशासन' क्या कहते हैं? इस प्रसंग में 'शब्द' भाषा का ही पर्याय है। ध्वनि, नाम, आप्यात प्रत्यय, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि भाषा के सभी अंग 'शब्द' की सीमा में समाहित होते हैं। शब्द का अर्थ इतना व्यापक है। अतः भाषा की 'वाक्या विवेचना करने वाले शास्त्र का शब्दशास्त्र तथा इस शास्त्र के विद्वान को शाब्दिक' कहना उचित ही है।

६ इस शब्द यानी भाषा का स्वरूप क्या है? पतञ्जलि ने महाभाष्य के आरम्भ में ही यह प्रश्न उठाया— 'अथ गौरित्यत्र क शब्द ?' गौ, हस्ती आदि नाम' हैं। गच्छति, शेते आदि आप्यात है। नाम और आप्यात का समुदाय वाक्य बनता है। इस वाक्यों से मानव का सारा भाषा व्यवहार चलता है। तो यहाँ किसे हम शब्द या 'भाषा' कहते हैं? भाषागत विचार करने पर यह प्रश्न निरर्थक जान पड़ता है। साधारण व्यक्ति भी जानता है कि ध्वनियाँ का समुदाय ही भाषा है। तो व्याकरण का अध्ययन क्या इतना भी नहीं जानता? क शब्द? पूछने वाले का क्या-क्या अभिप्राय हो सकता है? कवट ने प्रश्नकर्ता के तात्पर्य का वर्णन इस प्रकार किया— 'लोक-व्यवहार में शब्द और अर्थ का अभेद प्रतीत होता है।' गाय हमारे सामने है, कोई गाय को देखकर उस प्राणी की सत्ता का ता जानता है। किंतु उसे 'वाचक' शब्द का ज्ञान नहीं है। तो वह पूछता है— 'यह क्या है?' 'अर्थ क?' इसके उत्तर में हम कहते हैं 'अर्थ गौ।' (अर्थम' पुल्लिङ्ग सवनाम है। अतः इस सदृश में 'गौ' का अर्थ बल होगा। गाय की ही विवक्षा करें तो प्रश्न में 'इयम' को रयें। यह उसी सवनाम का स्त्रीलिङ्ग रूप है। तब उत्तर का रूप होगा— 'इय गौ ।' यह गाय है।) यहाँ 'अर्थम (यत्) पुरोधर्ता प्राणी का निर्देश करता है। गौ वाचक शब्द है। 'अर्थ और 'गौ' दोनों प्रथमा एतद्वचन में हैं और इन दोनों शब्दों में लिङ्ग की अविधि भी है। इस सामानाधिकरण प्रयोग कहते हैं। अतः 'अर्थ और 'गौ' का अभेद प्रतीत होता है। यहाँ अर्थ स द्रव्य का बाध होता है और गौ से शब्द का बोध होता है। अतः इस सामानाधिकरण्य स द्रव्य और शब्द का अभेद सिद्ध होता है। इसी प्रकार गाय (बल) के रग (रूप) के विषय में जिज्ञासा करने पर उत्तर मिलता है— 'अर्थ शुक्ल ।' पूर्वोक्त रीति से यहाँ भी सामानाधिकरण्य पाया जाता है। इससे रूप तथा शब्द का अभेद प्रतीत होता है। वैसे भी, जब हम गाय को देखते हैं तब द्रव्य, गुण, शक्ति आदि का हम बोध होता है। तो यह शक्य स्वाभाविक है कि इन अर्थों में स किस 'शब्द' मानना चाहिए? कवट ने लिखा—

"अर्थ गौ, अर्थ शुक्ल इति शब्दाथयोरभेदेन लोके व्यवहार दग्नात् शब्द-

स्वरूपनिर्धारणाय पृच्छति—अथति । गौरिति विज्ञाने प्रतिभासमानेषुवस्तुषु क-
शब्द इत्यथ ।” (भाष्यप्रदीप, प० ८)

६१ ‘उदघात’ टीका क लेखक नागश भट्ट न कयट का अभिप्राय स्पष्ट
करत हुए कहा कि गाय का देखकर कोई जिनासु उसके वाचक शब्द क विषय म
प्रश्न करता है । तब उत्तर देने वाला वाच्य और वाचक का अभेद मानकर कहता
है—‘अय गौ ।’ यह अभेद स्वतः सिद्ध है । इसे ‘तादात्म्य’ भी कहत है । यही
तादात्म्य शक्ति (अभिधा) कहलाता है । नागश न लिखा है—

“पुरोर्वतिव्यक्ति पश्यतो वाचकजिज्ञासया कोऽयमिति प्रश्ने, अय गौ, अय
वण शुक्ल इत्युत्तरस्यले सनिहितमुददिश्यतादात्म्यन शब्दविधेयता प्रतीतेरिति
तात्पर्यम् । शब्दाथयो तादात्म्यमेव शक्ति । स्पष्ट चेद पातञ्जलभाष्ये इति
मञ्जूषायामस्माभि ह्यादिसयततया व्युत्पादितम् ।”

(उदघात, प० ८)

नागेश न शब्दाथ क अभेद व्यवहार का एक उदाहरण और दिखाया—
‘रामति द्वयक्षर नाम मान भङ्ग पिनाकिन ।’ इस वाक्य म ‘राम’ एक
विभक्ति रहित प्रातिपदिक है । अतएव ‘रामति म गुण सधि से एकार हुआ है ।
अथया राम + इति म ‘लोप शाकल्पस्य’ से यकार लोप करते तो उस लोप
के अमिद्धत्व क कारण सधि नहीं होती । तब रूप यह बनता—‘राम इति ।’ दो
अक्षरो से युक्त यह रामनाम पिनाकधारी शिव के लिए मानभग है । मानभग
का कारण है । काय जोर कारण म अभेद का उपचार है—“आयु घतम्”
इत्यादिवत । यहा नाम और तत्वाच्य शिवधनुभगकारी श्रीराम म अभेद का
व्यवहार स्पष्ट है ।

६२ शब्दकोस्तुभ म भट्टोजिदीक्षित न भी भाष्योक्त प्रश्न की उपपत्ति
इसी ढंग से की है । दीक्षितजी का कहना है कि द्रव्य गुण, जाति और क्रिया य
चारो ‘अथ की कोटि म आत है । शब्द से इन अर्थों का बोध हाता है । साथ ही
शब्दजय बोध म शब्द स्वय भी विषय बन जाता है । शब्द बाधक है किंतु वही
‘बोध्य’ कोटि म भी प्रविष्ट हा जाता है । शब्दजय बाध म शब्द का भी अनुप्रवश
अनुभव से प्रमाणित है । शब्दबोध की वान का छोड़ दें । किंतु प्रत्यय स किसी
द्रव्य की उपलब्धि (ज्ञान) होने पर वहाँ भी वाचक शब्द का स्मरण हाता है ।
जिम प्रकार वाचक शब्द की उपस्थिति (श्रवण) के कारण वाच्य अथ का स्मरण
होता है, उसी प्रकार वाच्याय (वस्तु) क प्रत्यय न ज्ञान के कारण वाचक शब्द का
स्मरण भी अनुभवसिद्ध है । एक सर्वा ज्ञानमपरसर्वधिस्मारकम् । अत अथ से
शब्द का स्मरण होना सगत ही है । इस प्रकार शब्द और अथ म तादात्म्य
स्थापित होता है । अथवत्ति गुण क्रिया और जाति से भी तादात्म्य इसी आधार
पर समव है । इसी अभिप्राय स भाष्यकार न शका की है— क शब्द ? दीक्षित-

जी न अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए भूत हरि के वाक्य-पदीय से कुछ वारिकाओं (पद्य) के उद्धरण भी प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि वस्तुमान वाच्य के साथ वाचक शब्द का भी प्रतिभास रहता है, शब्द स्मृति के बिना केवल बोध नहीं होता, शब्द की दो शक्तियाँ होती हैं। व ग्राहक (ज्ञान के जनक) भी हैं तथा ग्राह्य (ज्ञान के विषय) भी। जिस प्रकार दीप अथ वस्तुओं को दिखाता है और साथ ही स्वयं अपने को भी प्रकाशित करता है, दीप को देखने के लिए दूसरे दीप की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार शब्द अथ को प्रकाशित करके स्वयं अपने को भी प्रकाशित करता है। दीक्षितजी न लिखा है—

“अस्ति हि तेषां गौरित्यनेन वाच्यवाचकभावादि सवद्य । अत एव शब्द बोधे गवि समवायेन गोत्वमिव शक्त्याएव सव धेन शब्दो विशेषणतया भासते । चाक्षुषबोधेऽपि व्यक्त्या स्मारित शब्दो विशेषणमित्यभ्युपगम । आह च—

‘न सोस्ति प्रत्ययो लोके
य शब्दानुगामादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञान
सर्वं शब्देन भासते ॥
ग्राह्यत्व ग्राहक त्व च
द्वे शक्ती तेजसो यया ।
तथैव सव शब्दाना—
ये ते पथगवस्थिते ॥

इति । “यत् सज्ञा स्मरण तत्र,
न तदप्यय हेतुकम् ।
पिण्ड एव हि दृष्ट सन
सज्ञा स्मारयितु क्षम ॥”

इति च युक्त चतत । गृहीत शक्तिक प्रति शब्देन अथस्येव अर्थेन शब्दस्यापि स्मरणे बाधकाभावात् । अत एव गोत्वस्येव गोशब्दस्यापि व्यक्त विशेषणत्वा विशेषात् ससर्गोऽपि तादात्म्यमेवास्तु । एव गोशब्दो विभिरपि । तदभिनामिनस्य तदभेदादित्या शयेन “अथ गौरित्यत्र क शब्द” इति प्रघट्टक द्रव्यगुण पञ्च सामान्य सह शब्दस्या भेदो भाष्यकृद्भिरागच्छ य निराकृत ।”

(शब्दकोस्तुभ ५० = १०)

६३ भाष्यकार न पूर्वपक्ष की ओर से शका की कि ‘गा शब्द म जिस प्राणी (व्यक्ति) का बाध होता है, क्या वही शब्द’ है? गाय क य अग परिर्लित होते हैं—सासना, लागूल, खुर और विषाण (सींग) । क्या इन अग स युक्त प्राणी को ‘शब्द’ कहत है? उत्तर है—“नहीं” यह तो एक द्रव्य है । यह शब्द न भिन्न पदाय है । गाय आदि द्रव्य शब्द स प्रतिपाद्य हान हैं । अत अथ और शब्द का

पथक मानना चाहिए। भाष्य की पक्ति निम्नलिखित है—

“किं यत्तत् सास्त्रालागूलककुदखुर विषाणि अथ रूप, स शब्द ? नेत्याह।
द्रव्य नाम तत्।”

(भाष्य, पृ० ८६)

क्यट न शब्द और द्रव्य के भेद का एक प्रमाण यह बतलाया कि शब्द तो श्रोत्रग्राह्य है और द्रव्य चक्षुग्राह्य है। शब्द सुना जाता है। वह श्रावण प्रत्यक्ष का विषय है। द्रव्य तो देखा जाता है। वह चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है। इस प्रकार ये दोनों भिन्नेन्द्रिय ग्राह्य हैं। अतः इनमें भेद स्वरस सिद्ध है। क्यट न आगे कहा कि हम तो इस शास्त्र में शब्दा का निरूपण करना चाहते हैं, द्रव्या का नहीं। यह शब्दानुशासन है, द्रव्यानुशासन नहीं है। उनका वाक्य है—

“भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् न द्रव्य शब्द इति प्रतीतम्, अपितु द्रव्यमिति। यदि च द्रव्यानुशासनं विवक्षितम् भविष्यत् ‘अथ द्रव्यानुशासनं’ मित्येव अवश्यम्।”

(भाष्य प्रदीप, पृ० ६)

शब्द ही श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होता है। रूप रस, आदि श्रवण के विषय नहीं हो सकते। अतः चक्षुरादि अथ इन्द्रिया से गृह्यमाण विविध अथ शब्द से भिन्न सिद्ध होते हैं। क्यट ने भेद के उपपादन के लिए यह तक दिया तो फिर अभेद व्यवहार कस होता है? “अय गो” की क्या उपपत्ति है? क्यट का अभिप्राय यही मानना चाहिए कि अभेद का व्यवहार औपचारिक है। वाच्य और वाचक में वस्तुतः भेद होने पर भी दोनों के घनिष्ठ संबन्ध के कारण लक्षणा के आधार पर अभेद का व्यवहार हो सकता है। नागेश ने स्पष्ट किया था कि ‘अय क’ में वाचक की जिनासा निहित है। द्रष्टा पुरोवर्ती व्यक्ति को—गाय को—दृष्ट ही रहा है। प्रत्यक्ष से द्रव्य का ज्ञान उस हो रहा है। उसे वाचक शब्द का ज्ञान नहीं है। इसी लिए पूछना है—‘अय क?’ प्रश्न का अर्थ है—‘इस द्रव्य का अभिधान (नाम) क्या है?’ इस या स्पष्ट कर सकते हैं—‘अय वन शब्देन अभिधीयते?’ तो इस प्रश्न में—वाचक—जिनासा में—ही शब्द और द्रव्य का भेद अतः निहित है। वाच्य का तो प्रश्नकर्त्ता जानना ही है। नहीं तो ‘अयम्’ का प्रयोग कम करता? किन्तु वह वाचक को नहीं जानता। इस प्रश्न का उत्तर भी शब्दपरक है। ‘अय गो’ का अर्थ है ‘अय गोशब्दवाच्य’। इसका नाम गाय है। यह वाक्य शक्ति-वाचक है। नशापिका ने आप्तवाक्य को शक्तिग्राहक प्रमाणा में एक माना है। तो ‘अय गो’ ममा एक आप्तवाक्य है जिसमें ‘गा शब्द’ की शक्ति का ग्रहण बाध होता है। ‘अय (पुरोवर्ती प्राणिविशय) गाशब्दवाच्य’ वह तो वाच्य अथ और वाचक शब्द का भेद तथा उन दोनों के बीच का संबन्ध वाचक—भावात्मक संबन्ध स्पष्ट प्रतीत होते हैं। ‘अय गो’ वह तो साक्षात्क या औपचारिक अर्थ में पहल प्रतीत होता है किन्तु पयमान में वह भी वाच्यवाचक भाव में परिणत होकर भेद

की भूमिका को स्पष्ट कर देता है। 'भिनेन्द्रियग्राह्यत्वात्' आदि कहकर कथट १ इसीका सकत दिया।

६४ भाष्यकार न फिर क्रिया, गुण और जाति के विषय में शका की कि क्या इस 'शब्द' मानना उचित है? गो व्यक्ति तो द्रव्य है। द्रव्य में क्रिया गुण और जाति की स्थिति होती है। इनका सबध समवाय है—'नित्यसबध समवाय।' गुणगुणिना क्रिया क्रियावता जातिजातिमतो च सबध समवाय। 'गा' पदाथ के पान में क्रियादि का भी बोध अतभूत पाया जाता है। अत शका का अवसर है—'गोशब्दार्थे च एषा सभवात् शब्दत्वमाशङ्क्यते।' (प्रदीप पृ० ६) किंतु समाधान पूर्वोक्त ही है—'भिनेन्द्रियग्राह्यत्वात्।' क्रियादि का ग्रहण श्रवण से नहीं हाता। अत य शब्द नहीं हैं। भाष्यकार न शिष्यबुद्धिवशद्य के लिए विस्तार से शङ्का उपस्थित करके निराकरण किया। भाष्य के शब्द इस प्रकार हैं—

(१) "यत्तर्हि तद्विज्ञित चेष्टित निमित्तमिति, स शब्द ? नेत्याह। क्रिया नाम सा।

(२) यत्तर्हि तच्छुक्लो नील कपिच कपोत इति, स शब्द ? नेत्याह।

गुणो नाम स।

(३) यत्तर्हि तद् भिन्नस्वभिन्न छिनेष्वच्छिन सामायभूत, स शब्द ? नेत्याह। आकृतिर्नाम सा।' (प० ६-१२)

६५ 'जाति' का ही दूसरा नाम है 'आकृति'। क्रिया और गुण अनित्य है। उनकी उत्पत्ति तथा विनाश प्रमाण सिद्ध है। किंतु जाति नित्य है। व्यक्ति का नाश हान पर भी जाति का नाश नहीं होता। 'छिनेषु अच्छिनम्'। इससे नित्यता का बोध होता है। व्यक्ति तो असध्यात हैं। किंतु उन सबमें अवस्थित जाति एक ही है। भिनेषु अभिनम्' कहने से इस एकत्व की प्रतीति होती है। नैयायिका न नित्यमेकमनकानुगत सामायम्' कहकर जाति की एकता तथा नित्यता को स्वीकार किया है। इस प्रकार भाष्यकार न इस प्रघट्टक में सिद्ध कर दिया कि द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति—ये चारो पदाथ शब्द नहीं हैं। शब्द इनसे भिन्न है। ता यह जिनासा और प्रबल होती है—'एसी स्थिति में आप किस शब्द' मानत हैं?' शिष्य न खोजकर पूछा—'अथ कस्तर्हि शब्द।'

६६ इस प्रश्न का उत्तर भाष्य में दो प्रकार से दिया गया है। पहला उत्तर है—

यन उच्चारितेन सास्नालागूलककुण्डुरविपाणिना सप्रत्ययो भवति स शब्द।' (भाष्य पृ० १२) दूसरा उत्तर है—'अथवा प्रतीतपदाथको लाक ध्वनि शब्द इत्युच्यते। (वही, प० १४) इस द्वितीय समाधान में ध्वनि को शब्द कहा गया। ध्वनि को शब्द कहने का क्या कोई प्रमाण है? भाष्यकार ने प्रसिद्ध प्रयोग

दिखाकर कहा कि हा, ध्वनि का ही शब्द कहने की प्रथा है। “शब्द कुरु”। ‘मा शब्द कार्षी । शब्दकारी अय माणवक ।’ इस वाक्यो मे ‘ध्वनि’ के अथ म ‘शब्द’ शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्वनि कुवन एवमुच्यते। तस्माद् ध्वनि शब्द ।” (प० १४) इन दोना उत्तरा के तात्पय पर विचार करना अपेक्षित ह।

६७ पहला उत्तर है— येन उच्चारितेन सप्रत्ययो भवति स शब्द । ‘स प्रत्यय का अथ है नान। यह शब्द इण’ धातु का भाववाचक कृदन्त रूप है। ‘सम और प्रति दा उपसर्ग है। ‘इण् धातु गत्यथक है। प्राय गत्यथक धातु नानाथक भी हात ह। प्रति उसमग के याग म इण’ नानाथक बन जाता है। प्रत्येति।” जानातीत्यथ । प्रत्यय, प्रतीत, प्रतीति आदि कई शब्दो म यह अथ उपलब्ध है। सम’ उपसर्ग का अथ है सम्यक । सही ढग से या अच्छी तरह जानना सप्रत्यय है। उच्चारित होन वाले जिससे सास्नादि विशिष्ट अथ का सप्रत्यय हाता है उस शब्द कहत हैं। अथनान का साधन शब्द है। शब्द के उच्चारण से अथनान उत्प न होता है। भाष्यकार का यह अभिप्राय प्रतीत होता है। गोव्यवित, उसके गुण उसकी क्रिया और जाति—ये चार प्रकार के अथ हैं। ये वाच्य है शब्दजय ज्ञान के विषय है। ये शब्द नही है। इन जर्थों के नान का जो साधन है वही शब्द है। शब्द वाचक है। इस उत्तर का व्तना तात्पय ता स्पष्ट है।

६८ किंतु यहा एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि अथनान का साधन क्या है? क्या ध्वनि स अथ का बोध होता है? अथवा ध्वनि समुदाय स अथ का बाध हाता है? क्या प्रत्यक ध्वनि का कुछ अथ बताया जा सकता है? ‘नारायण जातरूप’ आदि कई शब्द जनक ध्वनि समाहारात्मक है। इन शब्दो म किमी एक ध्वनि को हटा दें ता अथबाध म बाधा उपस्थित होगी। ‘नारायण एक देवता विशेष (विष्णु) का वाचक है। जातरूप स्वण का पयाय है। नारायण शब्द स आठ ध्वनिया हैं, चार व्यजन और चार स्वर। ये ध्वनिया एक विशेष क्रम से यवन्धित होकर ही प्रकृत शब्द का निष्पादन करती है। क्रम का विपर्यास करें ता शब्द का विवक्षित स्वरूप नही बन पायेगा। यानारण, राणायन नायारण आदि रूप विवक्षित अथ के बोधक नही हा सकत। जत मानना होगा कि किमी विशिष्ट क्रम (order) या आनुपूर्वी म सनिविष्ट ध्वनिया का समूह शब्द हाता है। तब यह शका पदा हाती है कि नारायण की आठ ध्वनिया का अथ क्या है? यह शब्द ध्वनिसमुदाय ता विष्णु का वाचक है। किंतु शब्द क प्रथम वण नकार का अथ क्या है? आकार का क्या अथ है? यदि प्रत्येक वण का अथ बताना सम्भव नही और हम यह मान लते हैं कि वण ता निरथक हैं बल्कि वणसमुदाय—शब्द—साथक है, ता दूसरी शका यह हाती है कि निरथक वणों का समुदाय साथक कंस बन सकता है? शब्द का साथक और वण का निरथक कहने का आधार क्या है? निरथक वणों का उच्चारण अथबाध

की प्रक्रिया में कैसे सहायक होता है ?

६६ दूसरी बात यह है कि वर्णों का ही उच्चारण किया जाता है। पद या वाक्य का उच्चारण वर्गोच्चारण के द्वारा ही माना जा सकता है। मनुष्य का वाग्यत्र ऐसा बना हुआ है कि उससे एक साथ—युगपत्—अनेक वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। किसी पद का उच्चारण करता हूँ तो हम उस पद के घटक वर्णों का क्रम से एक-एक करके ही उच्चारण कर सकते हैं। नारायण का नाम लेना चाहता पहले नकार का उच्चारण करता हूँ। उसके बाद द्वितीय वण जाकार का उच्चारण करता हूँ। इसी तरह क्रम से अथ वर्णों का भी उच्चारण करता हूँ। जब हम प्रथम वण का उच्चारण कर रहे हैं तब द्वितीय तृतीय आदि वण अस्तित्व में नहीं हैं। उच्चारण से ही वर्णों की उत्पत्ति होती है। अतः उच्चारण में पूर्व वर्णों की सत्ता ही नहीं हो सकती। प्रथम वण का उच्चारण करते समय द्वितीयादि वण नहीं हैं। जब हम द्वितीय वण का उच्चारण करते हैं तब प्रथम वण का नाश हो जाता है। वण अनित्य हैं। उच्चारण के बाद तुरन्त—उत्तर क्षण में ही—वर्णों का नाश होना प्रत्यक्ष है। प्रथम वण का नाश हो जाने पर द्वितीय या तृतीय वण के साथ उसका सहावस्थान (co existence) असंभव है। जब हम नारायण शब्द के अंतिम वण जाकार का उच्चारण करने हैं, तब पूर्ववर्ती वण नष्ट हो चुके हैं। अतः वर्णों का समुदाय बन ही नहीं पाता। वणसमुदाय ही तो शब्द है। यदि समुदाय मिद्ध (निष्पन्न) ही नहीं होता तो उसमें अथ बोध की आशा करना तो व्यर्थ ही है। तो 'येनाच्चारितन सप्रत्ययो भवति'—इस उक्ति का क्या औचित्य है ? शब्द में अथ का ज्ञान फिर कैसे होता है ? जयमान ही होता भाषा की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है।

६१० व्याकरण शास्त्र में वण सायक बताये गये हैं। कई धातु एक-वणत्मक हैं। इण गती। एति। यहाँ धातु का रूप ए है और वह सायक है। गति उसका अर्थ है। इसीका द्विवचन है "इत। मस्त्रुत का एक वाक्य यह हो सकता है— रामकृष्णो एत। राम और कृष्ण जाते हैं यहाँ इकार ही गति का वाचक है। इसीका बहुवचन है—'यति। इणो यण। यहाँ यकार धातु है और गत्यथ का वाचक है। 'इड—अध्ययन। यह धातु आत्मनपदी है। इसका अर्थ है अध्ययन। इसी प्रकार कई प्रत्यय एकवणत्मक हैं। दशरथस्य अपत्य पुमान् दाशरथि। यहाँ अपत्य का अर्थ में 'इज प्रत्यय विहित है—'अत इज'। जकार इत है। प्रत्यय केवल इकार है। इसका अर्थ है अपत्य। कुछ निपात भी एक-वणत्मक हैं। आगच्छति। 'आ' उपमा है। 'आ' के कई अर्थ बताये गए हैं—

ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिर्विधौ च य।

एतमात डित विद्याद, वाक्यस्मरणयोरडित ॥

(महाभाष्य १ १ १४, पृ० २८४)

‘इण् धातु स पूव ‘आ’ उपसर्ग का प्रयोग करें तो गुणसंधि से एकार हा जाता है। आ + इत = एत। एकवचन म वृद्धि से ऐकार होता है—‘आ + एति = ऐति। “एस्मधत्सूटसु”। इन पदा मे एकार और ऐकार दा रूपा का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं—उपसर्ग का तथा धातु का। राम’ शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप है—‘रामे’। यहा ‘इ’ सुप प्रत्यय है। राम + इ = रामे। इस प्रकार आगम आदेश आदि के उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। ‘इदम’ शब्द के कुछ रूपो म प्रकृति के कुछ अश का लोप हो जान पर सिर्फ अकार सवनाम के रूप म वचता है। अनाप्यक् । हलि लोप। इस अक र का कही दीघ होता है कही एत्व हाता है। सुपि च। बहुवचन शल्येत। उदाहरण हैं—‘आभ्याम एभि एपु’ इत्यादि। यहा आकार या एकार ही सवनाम है और उसस सनिकृष्ट वस्तु का बोध होता है। स्त्रीलिङ्ग म स्त्रीत्वाथक् ‘टाप’ (इसम टकार और पकार इत है। केवल आ प्रत्यय है।) क साथ सवनाम के अकार का सवण दीघ हो जाता है। “आभ्याम आभि आसाम, आसु” आदि उदाहरण है। ‘सवनाम्न स्याड ह्रस्व च।” इस सूत्र स दीघ आकार (सवनाम + स्त्रीप्रत्यय) के स्थान म ह्रस्व हो जाता है। अस्य अस्या, अस्याम। यहाँ ह्रस्व अकार ही सवनाम है। इसके अलावा कई प्रातिपदिक एकवर्णात्मक हैं। अ — यह एकाक्षर शब्द विष्णु का वाचक है। अकारा विष्णुवाचक। अकारार्थो विष्णु। इस प्रकार हम देखते है कि वण भी साथक हाते हैं। शास्त्रकारों न धातु प्रातिपदिक आदि को एक वर्णात्मक हान पर भी साथक माना है। “वर्णा अथवत् ।”

६११ इसके विपरीत कुछ विद्वान कहते है कि वण निरथक है। ‘कूप’ शब्द का अथ क्या ककार म ही निहित है? सूप यूप आदि म भी क्या प्रथम वण को ही साथक मान सकते हैं? तब ‘ऊप का क्या अथ रह जाता है? कूप शब्द म चार वण हैं। हम कूपाय का चार खण्डा म विभाजित कर प्रत्यक् वण को एक अर्थ का खण्ड दे नहीं सकते। अत ककार, ऊकार आदि वण स्वय किसी अर्थ का अभिधान करने म असमथ ही ठहरते है। यह तो भाषा की प्रकृति है कि कुछ वण साथक हाते हैं और कुछ निरथक। लेकिन प्रत्यक् शब्द का प्रत्यक् वण समुदाय की निष्पत्ति व लिए अनिवाय है। ‘कूप’ शब्द के चार वणों म से किसी एक को भी हटा दन पर अवशिष्ट वण कूपाय का बाध नहीं करा सकते। अत प्रत्यक् वण अथसिद्धि के लिए अपेक्षित है। उस दृष्टि से कोई वण व्यथ या धकार नहीं है। किन्तु उस वण का प्रतिपाद्य अथ कुछ नहीं होता। शब्द की अथवत्ता सक्त पर आधारित है। सवेत क अभाव म वणसमुदाय भी अथहीन ही रहता है। ‘गच्छति’ एक साथक पद है। किन्तु ‘छच्छति’ निरथक है। किस वण या वण समुदाय म अथ निहित है और किसम नहीं? इसका निणय ता लोकव्यवहार म ही किया जा सकता है। भाष्यकार न इस प्रश्न पर विस्तार स विचार करन क

बाद अतः मे कहा—

“तद यथा समानभीहमानाना च अधीवानाना च केचिदर्थे युज्यते, अपरे न, न चेदानां कश्चिदयवानिति कृत्वा सर्वरथवदभि शक्य भवितुम्, कश्चिद्वा अनयक इति कृत्वा सर्वरथवक । तत्र किमस्माभि शक्य कर्तुं यत धातुप्रातिपदिकप्रत्यय-निपाता एकवर्णा अथव ततोऽप्येऽनयका इति । स्वाभाविकमेतत् ।”

(महाभाष्य प्रत्याहाराह्निक पृ० १४२ ३)

भाष्यकार का यही उत्तर है कि यह अथवता तथा निरथकता का भेद स्वाभाविक है। किम मदम म किमका कया अथ है—यह तो लोकव्यवहार में ही निश्चिन्न किया जा सकता है। आगच्छति' म आकार उपसर्ग है सायक है। किन्तु भाष्कर म वही आकार स्वयं तो निरथक है कवल स्वघटित समुदाय की अथवता म सहायक है। मा एक प्रातिपदिक है यह लक्ष्मी का एक नाम है। 'माघव' विष्णु की कहते हैं। किन्तु मानस 'मातुल', मामक', मारक आदि म 'मा' एक निरथक शब्दघण्ट है। 'ना' न शब्द का प्रथमा एकवचन है। इसका अर्थ है आदमी। नाना एक अव्यय है। यही ता ना' शब्दघण्ट निरथक है। कमल बला, कर कष्ट कया, कपोल कपि आदि शब्द म ककार का काइ सव-सामान्य अर्थ बतलाना संभव नहीं। स्वाभाविकमेतत् ।' भाष्यकार न दृष्टांत दिया कि कई योग किमी काम को पूरा करने के लिए समान रूप से प्रयत्न करते हैं। कुछ सफल हा जाते हैं और कुछ नहीं। अध्ययन करने वाले लोग में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ता कुछ कारे ही रह जाते हैं। यह स्वाभाविक है। इसी प्रकार कुछ वर्ण सायक हैं ता कुछ नहीं। यह भेद भी स्वभावसिद्ध है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? 'तत्र किमस्माभि शक्य कर्तुम्?'

६१२ तो हम धूम फिरकर पहली स्थिति म ही आ पहुँचें। 'नारायण' आदि शब्द अन्वय वर्ण समुदाय हैं। वर्णों का उच्चारण ऋमिक रूप से ही संभव है। इस कारण में वर्णों का सहायस्थान संभव नहीं होता। वर्णों का समुदाय नहीं बनता है ता किससे अर्थ की प्रतीति हो सकती है? यही विचारणीय समस्या है। भाष्य के समय व्याख्याता कथट न यहा बताया है कि भाष्यकार 'स्फोट का शब्द मानते हैं। स्फाट नित्य है। उसकी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। उच्चारण स ध्वनियों की उत्पत्ति हाती है, किन्तु स्फोट की सत्ता उच्चारण पर निर्भर नहीं है। स्फोट सदा विद्यमान रहता है। उसीसे अर्थ जान होता है। ध्वनियों का समुदाय नहीं बनना तो उससे कोई हानि नहीं है। अथबोध क लिए 'स्फोट ता है ही। इसी कारण से इस शब्द का नाम स्फोट रखा गया। स्फुटति अर्थ अस्मात् इति स्फोट ।' यही अर्थ का बोध कराता है। अतएव इसे स्फोट' कहते हैं। भाष्यकार ने शिष्य की जिज्ञासा के उत्तर में कहा कि अर्थसंप्रत्यय का कारण जो स्फाट ह उसी को हम शब्द मानते हैं।

१० 'स्फोट एक प्राचीन संकल्पना (concept) है। वैयाकरण स्फोटवादी हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के एक सूत्र में 'स्फोटायन' नामक एक आचार्य का स्मरण किया है— 'अवड स्फोटायनस्य।' 'तत्त्ववाधिनी' टीका में कहा गया है कि यह आचार्य बड़े उत्साह में स्फोट का समयन करते थे, अतएव इह स्फोटायन' कहने की प्रथा चल पड़ी। एक ऋचा में कहा गया कि शब्दरूपी वषभ के दो मिर हैं— 'द्वे शीर्षे।' भाष्यकार ने इस अंश की व्याख्या में शब्द के दो रूप बताये हैं—काय और नित्य। "द्वौ शब्दात्मनो नित्य काय च।" काय शब्द ध्वन्यात्मक है। काय का अर्थ है अनित्य, उत्पत्ति विनाश युक्त। नित्य शब्द है स्फोट। अतः भाष्यकार के मन में स्फोट ही अर्थप्रत्यायक है। कयट ने प्रकृत भाष्यवाक्य की ऐसी व्याख्या की है।

१०१ स्फोट नित्य है। तो ध्वनिया का उच्चारण हो या न हो, कोई कुछ बोले या न बोले, सदा रहने वाले स्फोट से हम अर्थ का बोध क्यों नहीं होता? स्फोट सही अर्थ की प्रतीति हो रही है तो ध्वनिया का उच्चारण करने की क्या आवश्यकता है? ध्वनि और स्फोट का क्या संबंध है? ऐसी कुछ शकालें स्फोट के विषय में उत्पन्न होती हैं। कयट ने इन शकालों का निराकरण करते हुए व्याकरणों की मायता स्पष्ट की है। पहली बात यह है कि स्फोट स्वयं विद्यमान होकर भी अर्थ का बोध तब तक नहीं करा सकता जब तक ध्वनिया से व्यजित होकर वह श्रोता से गहीत न हो। स्फोट की व्यजना के लिए ध्वनियों का उच्चारण अपेक्षित है। स्फोट व्यंग्य है, ध्वनि व्यञ्जक है। अतः ध्वनियों से अभिव्यक्त होने पर ही स्फोट अर्थबोध का कारण बनता है। ध्वनियों का उच्चारण न हो तो व्यञ्जक के अभाव में व्यंग्य का प्रकाश न होने के कारण अर्थचान उत्पन्न नहीं हो सकता। स्फोट की व्यजना के लिए क्रमविशेष में सनिविष्ट वर्णों का उसी क्रम से उच्चारण करना अनिवार्य है। कयट ने कहा—

"व्याकरणा वणव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वमिच्छति। वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोच्चारणानथक्यप्रसङ्गात्। आनथक्ये तु प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे षीणपक्षेन उपपत्त्य भावात्। अभिव्यक्ति पक्षतु क्रमेणवाभिव्यक्त्या समुत्पायाभावात्। एकस्मत्युपा रूढानां च वाचकत्वे 'सरो रस' इत्यादावथ प्रतिपत्त्यविरोधप्रसङ्गात्। तदव्यतिरिक्त स्फोटो नादाभिव्यङ्ग्यो वाचक, विस्तरण वाक्यपदीये व्यवस्थापित।"

(भाष्यप्रदीप, प० १२ १३)

१०२ कयट की पहली स्थापना है कि पद या वाक्य ही वाचक हैं, वर्ण नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वर्ण कदापि वाचक नहीं होते। एकवर्णात्मक पद या वाक्य होते ही हैं। पद वाक्य के वर्ण स्वतंत्र रूप से वाचक नहीं होते। पद वाचक होने हैं। कुछ व्याकरण पदों का भी वाचकार्योत्पत्ति तथा स्वतंत्राप शून्य

मानत हैं। उनके मन में वाक्य ही वाचक है। पद आदि विभाग वाक्याय को समझने की दृष्टि में ही उपयोगी हैं। अतः हरि न बहा है कि वाक्य में पदा का विभाग करना उचित नहीं है—

“पदे न वर्णा विद्यन्ते

वर्णेष्ववपया न च ।

वाक्यात्पदानामत्यन्त

प्रविवक्षो न कश्चन ।”

इनके मत में वाक्य ही वाचक है।

१०३ यदि हम किसी पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण को वाचक—साधक—मानते हैं तो क्या हानि होगी? घट का कहना है कि यदि किसी पद का प्रथम वर्ण पदाय का वाचक है तो उसी वर्ण से अर्थ का बाध हो जाने के कारण द्वितीय आदि अर्थ वर्णों का उच्चारण अनावश्यक होगा। इसी प्रकार वाक्य के प्रथम वर्ण से ही पूरे वाक्याय का ज्ञान आ सकता है तो उसके सिवाय अन्य समस्त वर्णों का उच्चारण व्यर्थ होगा। प्रश्न इतना ही है कि प्रथम वर्ण से अर्थ का ज्ञान होना है या नहीं? यदि हाँ तो वर्णांतर की अपेक्षा नहीं हानी चाहिए। अक्षर प्रथम वर्ण ही अर्थ प्रतिपादन के लिए पर्याप्त माना जाय। यदि नहीं होता और अर्थज्ञान के लिए अन्य वर्णों का समाहार अपेक्षित है, तो प्रथम वर्ण का वाचकत्व स्वयं असिद्ध हो जाता है। द्वितीयादि वर्णोच्चारणानुपपत्त्यसिद्धात्—यह एक एका हुतु है जो वर्ण के वाचकत्व का निषेध करता है। जो घटादि एकवर्णमय हैं उनमें एक ही वर्ण में अर्थ का बाध अनुभवसिद्ध है। वहाँ वर्णांतर की अपेक्षा नहीं रहती। अतः विवक्षित हार स्वीकार करना पड़ता है कि वर्ण स्वतंत्र रूप से वाचक नहीं हैं।

१०४ वर्ण वाचक नहीं हैं तो हम कहें कि वर्ण समुदाय—पद या वाक्य—वाचक है। पद या वाक्य वर्णों का ही तो समूह है। यह भी स्वाभाविक है कि प्रत्येक वर्ण तो निरर्थक है, किंतु एक निरर्थक वर्णों का एक समूह साधक है। इस विषय में वार्तिककार ने आक्षेप किया है—‘सघातायवत्त्वाच्च ।’ उनका तर्क था कि वर्णसघातरूप पद और वाक्य अववाचक ह तो सघात के घटक वर्णों का भी अर्थवत्त्व इसीसे स्वीकार्य है। यदि वर्ण साधक हैं तो उनका सघात भी साधक हो सकता है। वर्ण निरर्थक हैं तो उनके सघात भी निरर्थक होंगे। भाष्य में वार्तिक की व्याख्या की गयी है—

“सघातायवत्त्वात् च मन्यामहे ‘अर्थवतो वर्णा’ इति । येषां सघाता अर्थवत्, अवयवा अपि तेषामर्थवत् । येषां पुनरवयवा अनर्थका, समुदाया अपि तेषामनर्थका । तद यथा—एक चक्षुष्मान् दशने समर्थ, तत्समुदाय च शतभक्ति समर्थम् । एक च तिलस्तिलदान समय, तत्समुदाय च एतदपि तिलदाने समर्थम् ।

येषां पुनरवयवा अनथका, समुदाया अपि तेषामनथका । तद्यथाएको धो दशने असमय, तत्समुदाय च शतमप्यसमथम् । एका च सिकता तलदाने असमर्या, तत्समुदाय च खारोशतमप्यसमथम् ।”

(महाभाष्य प्रत्याहारल्लिक, पृ० १४०)

भाष्यकार का तक ह कि जैसे अवयव हैं समुदाय भी बना होता है। एक नलवान पुरप देख सकता है तो ऐम पुष्पो का समुदाय भी देख सकता है। एक तिल तेल देता है तो तिलो का समुदाय भी तल देता है—तेल का उत्पादन कर सकता है। किंतु एक अधा नहीं देख सकता। इसलिए अधो का समूह भी नहीं देख सकता। एक सिकता (रेत का वण) में तल नहीं मिलता तब सिकता की राशि से भी तल प्राप्त नहीं हो सकता। अवयव के अनुरूप ही अवयवी बनता है। वण अवयव है। व निरथक है तो उनका समुदाय भी निरथक ही हो सकता है। किंतु हम अनुभव से जानते हैं कि वणसमुदाय—पद और वाक्य—साथक हैं। अतः हम मानना होगा कि समुदाय व अवयव वण भी साथक है। भाष्यकार ने उक्त वार्त्तिक का एसा अभिप्राय बताया है।

१०५ भाष्यकार ने प्रातिपदिक सज्ञा के प्रकरण में वार्त्तिककार के इस तक का खडन करके वर्णों की निरथकता तथा वण समुदाय की साथकता को प्रामाणिक बताया है। ‘दष्टा हि अतदर्थेन गुणन गुणिनोऽप्यभाव सुराङ्गवत् रयाङ्गवच्च ।’ (प० १४३ म कपट स उदघत वचन) गुड आदि विविध पदार्थों के योग से सुरा (शराब) बनती है। गुडादि सुरा के अवयव हैं। इन वस्तुओं में मद (नशा) उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। किंतु जब इनका सघात बनता है—यही सुरा है— उसमें मादकता की शक्ति उत्पन्न होती है। रथ के भी कई अवयव हैं—चक्र आसन, युग (जुआ) आदि। ये रथाग प्रत्येक या स्वतंत्र रूप में गति को नहीं पैदा करते। किंतु इन अंगों का सघात—रथ—गति को पैदा करता है। अतः यह तकसगत ही है कि अवयव तथा अवयवी में गुणभेद होता है। अवयव निरथक हैं तो भी उनका समुदाय साथक हो सकता है। अतः प्रत्येक वण की साथकता को न मानें तो भी वणसमुदाय की साथकता को स्वीकार कर ही सकते हैं। इस स्थिति में कथ्यट कहते हैं कि वण समुदाय ही निष्पन्न नहीं होता—

“समुदायाभावात् तो उससे अथज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

१०६ कथ्यट ने कहा कि समुदाय नहीं है। इस कथन का औचित्य क्या है ? वर्णों का समुदाय क्यों नहीं होता ? कथ्यट का उत्तर है कि वण के विषय में दा पक्ष है। एक पक्ष मानता है कि उच्चारण में वण की उत्पत्ति होती है दूसरा पक्ष कहता है कि उच्चारण से वण की अभिव्यक्ति होती है। यदि उत्पत्ति का मानते हैं, तो यही कहना होगा कि वण क्रम से उत्पन्न होते हैं। एक-बाल में सब वर्णों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब प्रथम वण का उच्चारण किया तब प्रथम वण

फिर 'समुदायाभावात्' कहकर वाचकत्व का निषेध करना कहा तक ठीक है ?

१०८ कयट कहते हैं कि एकानविषयत्व मात्र से समुदाय बनता है तो उमम ऋमविशेष का निणय नहीं होगा। स्मृति अनुभव के क्रम से उत्पन्न होगी— ऐसा तो कोई नियम नहीं है। जिस वस्तु का अनुभव पहले हुआ उसका स्मरण बाद म तथा जिसका अनुभव बाद म हुआ उसका स्मरण पहले भी हो सकता है। अनुभव के बाद स्मरण अवश्यभावी नहीं है। कई विषय अनुभव के बाद विस्मृत भी हो जाते हैं। स्मरण की प्रक्रिया अनुभव की प्रक्रिया से नितात भिन्न है। अतः यह जरूरी नहीं है कि जिस ऋम से ध्वनियों का उच्चारण किया गया उसी ऋम से उनका स्मरण भी होगा। सभी वर्णों का स्मरण हान पर भी ऋम में विपर्यास संभव है। ऋमनिरपेक्ष स्मरण से विवक्षित अर्थ का बाध नहीं होगा। 'सर' एक पद है। यह जलाशय (तालाब) का वाचक है। इस शब्द के घटक वर्ण पाव हैं—सकार, अकार, रफ और विसर्ग। अकार दो हैं। इन्हीं घटकों से एक दूसरा पद बनता है—'रस'। इसका अर्थ भिन्न है। इससे जलाशय का तो बोध नहीं होता। किंतु दोनों शब्दों के घटक समान हैं। केवल ऋम में ही भेद है। एकानविषयत्व के आधार पर इस ऋम भेद तथा तामूलक अर्थभेद का निर्वाह कस होगा ? अतः 'बुद्धिनिर्वाह' कहने पर भी वाचकत्व की उपपत्ति सिद्ध नहीं है। "एकस्मृत्युपाहृडाता च वाचकत्व सरा रस इत्यादावथ प्रतिपच्यविशेष प्रसङ्गात्। कयट का तर्क है कि शब्दज्ञान अर्थज्ञान में वर्णक्रम का भी महत्त्व है।

१०९ ता इस अनुपपत्ति के सकट से बचन का क्या उपाय है ? व्याकरणों का मत है कि स्फोट का स्वीकार करने से यह अनुपपत्ति दूर हो जाती है। वर्ण तो व्यञ्जक है। उनसे स्फोट की व्यञ्जना होती है। वह तो नित्य है, सदा विद्यमान है। उसी से अर्थ का बाध होता है। कैयट ने भाष्यकार के उपयुक्त वाक्य का यह तात्पर्य बताया। ता फिर भाष्यकार ने 'यनोच्चारितेन' क्या कहा ? स्फोट का तो उच्चारण नहीं होता। ध्वनियाँ का उच्चारण होता है। कयट ने इसकी सगति बताया है—'उच्चारितेन प्रकाशितेनरथय'। भाष्य में 'उच्चारितेन' कहा है। इस शब्द का यहाँ तात्पर्य है—'उच्चायमाण ध्वनियों के माध्यम से व्यञ्जित या प्रकाशित। इस प्रकार कयट ने स्पष्ट किया है कि पहले वाक्य में भाष्यकार ने 'स्फोट' को शब्द कहा। स्फोट की स्थापना को मानने वाले परवर्ती (पाणिनि के बाद के) आचार्यों में भर्तृहरि सबसे प्रमुख हैं। उनका ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' व्याकरण-दर्शन का महाग्रन्थ है। भर्तृहरि ने महाभाष्य पर भी एक टीका लिखी थी, जिसके कुछ अंश प्रकाशित हैं। पाणिनीय व्याकरण में भर्तृहरि का स्थान महत्त्वपूर्ण है। अतः कयट ने प्रामाणिक आचार्य के रूप में भर्तृहरि का स्मरण करके 'वाक्यपदीय' का नाम लिया है—'विस्तरेण वाक्यपदीयं व्यवस्थापितं।' यह स्फोटवादी का उत्तर है।

१० १० भाष्यकार का दूसरा उत्तर है—“अथवा प्रतीतपदाथका लाके ध्वनि शब्द”। यहाँ ध्वनि को ही ‘शब्द’ कहा गया है, ध्वनिव्यंग्य स्फोट को नहीं। तो क्या भाष्यकार ‘स्फोट’ को स्वीकार नहीं करत? उन्होंने स्वयं ही तो कहा कि शब्द के दो रूप होते हैं। एक नित्य है और दूसरा काय है। अतः उनका ऐसा उत्तर देने में यही अभिप्राय लक्षित होता है कि लाकदष्टि से हम ‘ध्वनि’ को ही शब्द कह तो भी कोई दाप नहीं। ध्वनि के जथ में ‘शब्द’ शब्द का प्रयोग ता प्रामाणिक है। कोई किसी को पुकारना चाहता है। दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसका नाम लेता है। किंतु धीमी आवाज से बोलता है तो दूसरा व्यक्ति मुन नहीं पाता। तब उसका मित्र कहता है—आवाज दा। “शब्द कुरु।” यहा शब्द’ का अथ है ध्वनि। कोई लडका उच्च स्वर से बोल या चिल्ला रहा है। ता हम कहगे कि यह माणवक (लडका) शब्द कर रहा है—‘शब्दकारी अथ माणवक।’ या हम उस लडके से कहत हैं—‘मा शब्द कार्पी। शब्द मत करो।’ यहा भी हम ध्वनि क अथ में शब्द’ का प्रयोग करत हैं। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि लोक व्यवहार में ध्वनि को शब्द मानते हैं। भाष्यकार इस पक्ष को स्वीकार करते हैं। यह सत्य है कि जथसप्रत्यय स्फोट से ही हाता है। वही असल में शब्द है। यह तात्विक या पारमाथिक दष्टि है। किंतु स्फोटव्यजक ध्वनियों को व्यावहारिक दष्टि से शब्द कहना गतत नहीं है। इस उत्तर का आशय कैयट ने बताया है—

“जयत्र ध्वनिस्फोटयोर्भेदस्य व्यवस्थापितत्वात् इह अभेदेन व्यवहारेऽपि न दोषः। द्रव्यादयो न शब्दशब्दवाच्याः” इत्यत्र तात्पर्यम्।”

(भाष्यप्रदीप, पृ० १४)

१० ११ भाष्यकार ने ध्वनि का एक विशेषण बताया है— प्रतीत-पदाथक।” इसका क्या अथ है? कुछ व्याख्याताओं ने बताया है कि शब्द’ शब्द का अथ ध्वनि के रूप में प्रतीत है अर्थात् लोक से गहीत है। शब्दों का अथ व्यवहार या प्रयोग से ही तो निश्चित किया जाता है। प्रयोगता ध्वनि क अथ के प्रतिपादन के लिए ‘शब्द शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रोता भी जानत है कि शब्द का जथ ध्वनि है। जत ‘शब्द’ शब्द का यह अथ लाकप्रतीत है। किंतु इस व्याख्या से यही सिद्ध होता है कि ध्वनि’ मात्र शब्द है। हा, यह सत्य है कि शब्द क कई रूप होते हैं। मेघगजन, नदी प्रवाह का कल-कल, वायु का शब्द पशु पक्षी जादि की बोली—य सभी शब्द के ही भेद हैं। ध्वनि शब्द, आवाज, Sound, Noise आदि को पर्याय मान सकते हैं। यह ‘शब्द’ का अत्यंत व्यापक अथ है। किंतु व्याकरण में हम किन शब्दों का अर्थव्याख्यान करना चाहते हैं? मेघगजनादि शब्दों का विवचन यहा विवक्षित नहीं है। यहाँ तो ‘भाषा’ का विवचन अभीष्ट है। अतः प्रवृत्त सदेम में शब्द’ की व्याख्या भाषापरक होनी चाहिए। कैयट ने प्रतीत

पदाथक" शब्द पर विचार नहीं किया। नागेश न इस प्रतीक को लेक-निम्न शब्दा म व्याख्या की है—

“भाष्ये अथवा प्रतीतपदाथक इति। लोके व्यवहृत ए पदाथबोधकत्वेन प्रसिद्ध श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वात् वणरूपत्वेन समूह एव शब्द इत्यथ। तस्यायबोधकतापि अविचारितरमणीयस्यैव लोके सिद्धा। तादृशास्यैव शास्त्रेणाचार्यानमिति तात्पर्यम्।”

(उदघात पृ० १८-१५)

प्रतीत' का अर्थ है प्रसिद्ध। ध्वनि पदाथक का बोधक है—यह बात लोक-प्रसिद्ध है। अतः अथबोधक वर्णात्म-ध्वनि को हम 'शब्द' कहते हैं। भाष्यवाक्य का यह अर्थ नागेश न बताया है। उन्होंने 'ध्वनि' और 'स्फोट' के भेद की व्याख्या करके कहा है कि इस प्रसंग में बखरी को बँसट न ध्वनि' कहा और मध्यमावस्थ शब्द का 'स्फोट' की सजा दी। वाक के चार भेद या बताया जात है—परा, पश्यती मध्यमा और बखरी। चत्वारि वाक परिमिता पदानि' (ऋग्वेद) में इन चार भेदों का संकेत मिलता है। भत हरि न वाक्यपदीय में इन भेदों का विस्तृत वर्णन किया है। नागेश न भी भत हरि को प्रमाण मानकर कहा है— तत्र श्रात्र विषया बखरी। मध्यमा हृदयदशस्या पद प्रत्यक्षानुपपत्त्या व्यवहारकारणम्। पश्यती तु लोक-व्यवहारातीता। यागिना तु तथापि प्रकृति प्रत्यय विभागावग-निरस्ति। पराया तु न। (उदघोत पृ० ३३)

१० १२ हम जिन शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलते हैं तथा सुनकर जिन शब्दों से बचना के अर्थ को ग्रहण करते हैं व शब्द 'बखरी' मानते हैं। श्रोत-विषया बखरी'। यही हमारे भाषा-व्यवहार का साधन है। यह ध्वन्यात्मक है। हृदयप्रदेश में अवस्थित वाक को 'मध्यमा' कहते हैं। यह श्रात्रग्राह्य नहीं है। नागेश इसी को मध्यमावस्थ जातर शब्द कहते हैं और इसी को स्फोट मानते हैं। यह स्फोट श्रोत्रग्राह्य नहीं है। वह तो मा में गृहीत होता है—मानम प्रत्यक्ष का विषय है। नागेश न कहा है—“तथा एकस्मिन्नेव तस्मिन्नुच्चारणक्रमेण क्रमवानेव तत्तद्वर्णस्वरूपानुराग, स च स्थिर, तस्य च मनसा ग्रहणमिति न दोषः।” (उदघोत, पृ० १३)

१० १३ नागेश की उपयुक्त व्याख्या तो ठीक है। किंतु “प्रतीतपदाथक” का विग्रहवाक्य क्या है? यह किस प्रकार का समास है? नागेश ने व्याख्या में लिखा—‘लोके पदाथ वाधकत्वेन प्रसिद्धः।’ इस अर्थ को भाष्यकार ने शब्द से कैसे प्राप्त किया जाय? कुल विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि ‘प्रतीतपदाथक’ एक क्रमधारय है। प्रतीत चासौ पदाथ च प्रतीतपदाथ। स एव प्रतीत पदाथक। स्वार्थे कप्रत्यय। किंतु क्रमधारय मानने पर इस शब्द का अर्थ होगा—‘प्रसिद्ध पदाथ।’ प्रवृत्त में इस अर्थ की सगति नहीं बटती। तो उन्होंने

‘पदाय शब्द म लक्षणा मानकर उसका अर्थ बताया — ‘पदायबोधक’ । ‘पदाय पदस्य तदप्राप्ते लक्षणा । तदेव प्रसिद्धो गवादि पदाय बोधक’ इत्यर्थो लभ्यते ।’ (‘राजनक्षी’ टिप्पण, पृ० १४) इस व्याख्या म लक्षणा की कल्पना करना ही एक व्यर्थ वृत्ति है । स्वाधिक कप्रत्यय की कल्पना भी अस्वारस्य का कारण है । भाष्यकार न पढ़ने उत्तर म कहा था — “येन सप्रत्ययो भवति स शब्द ।” यहा ‘येन’ स — ननीया स — करण विवक्षित है ।

यहाँ भी शब्द प्रयोग इसी प्रकार का है । प्रतीत पदार्थों येन स = प्रतीत पदायक । यह बहुव्रीहि समास है । समासात् प्रत्यय ‘कप बहुव्रीहि मे सुलभ है — ‘जेपाद विभाषा ।’ “प्रतीत नात पदार्थो गवादि येन ।” गवादि अर्थों का जान जिस ध्वनि से होता है उसीको — वर्णात्मक ध्वनि का — शब्द कहते हैं । यह अर्थ स्वयं लगता है । ध्वनि या शब्द वर्णात्मक भी है अर्थ भी । अर्थ ध्वनियों का किसी जय विशेष मे सकेत नहीं है । मेघ गजन को सुनकर हम वर्षा का भले ही अनुमान कर लें, किंतु मेघगजन रूपी शब्द का वर्षा क अर्थ मे सकेत नहीं है । अर्थ विशेष म सकेतित वर्णात्मक ध्वनिया से गहीतशक्तिक पुरप को अर्थज्ञान प्राप्त जाना है । इसी भाव का प्रगट करते हुए भाष्यकार न कहा — ‘प्रतीत पदायका लाके ध्वनि शब्द ।’

१० १४ भाष्यकार न यहाँ शब्द की जो परिभाषा दी है, वह आधुनिक भाषाविज्ञानिया की परिभाषा मे मिलती जुलती है । भाषाविज्ञानी कहते हैं कि याचिच्छिन्न वाचिक प्रतीका की व्यवस्था (A System of arbitrary Vocal Symbols) ही भाषा है । हम हाथ के इशार मे या मुखचेष्टा से किसी अर्थ का बोध कर सकत हैं । य इगित भी ता मायक सकत ह । किंतु य ‘वाचिक’ (Vocal) या वर्णात्मक नहीं है । जिन ध्वनिमा मे कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता, वे निश्चक हैं, व ‘प्रतीक’ (Symbols) नहीं हैं । य साथक शब्द कैसे साथक बन ? ‘हरि’ का अर्थ विष्णु है, ‘हर’ का अर्थ ‘शिव है । दोनो शब्द एक ही घातु स बन हैं । हरनि इति हरि । हरति इति हर । ‘हृ’ घातु का अर्थ है हरण । जा हरण करता है वगे ‘हरि’ या ‘हर’ कहलाता है । फिर भी याचिच्छा स — इसी को शास्त्रकार ‘रुटि कहत ह — हरि’ शब्द विष्णु का वाचक बना और ‘हर’ शब्द शिव का । अत किनी भी भाषा का कोई भी शब्द याचिच्छा पर ही आधारित होता है । शब्दों को याचिच्छिन्न (arbitrary) कहन का यही कारण ह । किंतु क्या हम अपनी इच्छा स शब्दों को अर्थ दे सकत हैं ? हिंदी म मैं अपनी इच्छा से पानी’ शब्द का ‘दूध क अर्थ म प्रयाग नहीं कर सकता । तो यादचिच्छक शब्द तभी सकेत के रूप म स्वीकृत जाता है जब उस लोक-व्यवहार मे मायता प्राप्त होती है । फिर केवल शब्दों का नमुदाय भाषा नहा है । इन शब्दों का प्रयोग एक सवमाय व्यवस्था के अनुसार जाता है । वास्तव म कई प्रकार की व्यवस्थाएँ साथ-साथ काम करती

हैं। ध्वनिव्यवस्था (Phonology), रूपव्यवस्था (Morphology), वाक्य-व्यवस्था (Syntax), अर्थव्यवस्था (Semantic System) आदि कई व्यवस्थाएँ भाषा को भाषा का स्वरूप प्रदान करती हैं। भाषा व्यवस्थाओं का व्यवस्था (a system of systems) है। आधुनिक भाषाविज्ञान ऐसी शब्दावली में भाषा के स्वरूप का वर्णन करता है।

१० १५ भाष्यकार की परिभाषा भी इसी प्रकार की है। “लोक ध्वनि शब्द इति उच्यते।” “लाके प्रतीतपदाद्यक।” लोक का अर्थ है भाषा भाषी समुदाय। उनका व्यवहार ही शब्द और अर्थ का निणय करने का परम प्रमाण है। शब्द का रूप क्या है? उसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? किस उपसर्ग का किस धातु के साथ क्या अर्थ होता है? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? कोशकार शब्दों का अर्थ बताता है। वगकरण भाषा के नियम बताता है। किंतु कोशकार या व्याकरण की बात हम क्यों मानें? यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों की उत्पत्ति बताकर अर्थ का निरूपण किया। उन्हें यह कार्य करने का अधिकार किसने दिया? पाणिनि का जप्ताध्यायी लिखने के लिए किसने चुना? ये लोग स्वयं ही ग्रंथ लिखकर व्यवस्था दें लगे तो शिष्टसमाज ने उस कया स्वीकार किया? क्या किसी राजा ने या परमात्मा ने यास्क, पाणिनि जादि का कोश, व्याकरण जादि लिखने का आदेश दिया था? स्पष्ट है कि ये आचार्य किसी की आज्ञा से नहीं जपितु स्वाध्याय से—परिश्रम, अध्ययन अ वपण, अनुसंधान तथा विमर्श से—शास्त्र निर्माण के अधिकारी हुए। इन्होंने भाषा का गभीर अध्ययन किया तथ्या का सकलन किया विविध प्रयोगों का संग्रह किया, इन तथ्यों का बार बार विचार किया। वर्षों तक इस प्रकार भाषा का अध्ययन-विवचन करने के बाद ये आचार्य शब्दाध्ययन का निणय करने में समर्थ हुए। इनका एकमात्र आधार था लोक व्यवहार। अतएव कात्यायन ने पहला वाचिक यही लिखा—“सिद्धे शब्दाद्य सर्वधे लाकत।” शब्द, अर्थ और उनका संबंध—तीनों ही लोक सिद्ध हैं। यादृच्छिक (arbitrary) का अर्थ है लोकसिद्ध।

१० १६ प्रतीतपदाद्यक ध्वनि।” यह ‘वाचिक प्रतीक’ का पर्याय है। अर्थानुपयोगी ध्वनि ही तो शब्द है। साथक तो प्रतीक ही हो सकता है। ध्वन्यात्मक प्रतीक को ही हम ‘शब्द’ मानते हैं। अतः इस विशेषण में यह तात्पर्य निहित है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द वाचिक या ध्वन्यात्मक प्रतीक ही होते हैं। इसके पूर्व ही कहा गया है—“अथ शब्दानुशासनम्।” यह अनुशासन व्यवस्था की कल्पना से ही सम्भावित है। भाषा का व्याकरण इसीलिए बनता है कि भाषा में व्यवस्था अतिनिहित है। वास्तव में व्यवस्था रहित भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस व्यवस्था का उदघाटन करना ही व्याकरण का काम है। व्याकरण अपनी इच्छा से कान्ति नियम बनाकर भाषा पर लागू नहीं कर सकता।

सरकारी आजा या कानून से भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन करना संभव नहीं है। जा 'व्यवस्था भाषा में पहले से विद्यमान है उसका पता लगाना और उस पर प्रकाश डालना ही व्याकरण का काम है। अतएव इस शास्त्र को 'शासन' न कहकर 'अनुशासन' कहते हैं। इसी अर्थ में 'अ-वाक्यान' शब्द का भी प्रयोग करते हैं— "प्रयुक्तानामव अवाक्यानान्।" 'अनुशासन' तथा 'अ-वाक्यान' में जो अनु' उपसर्ग लगा है उसका यही संकेत है कि भाषा की व्यवस्था तो स्वयंसिद्ध है और उसी का अनुसरण करके यह शास्त्र निर्मित हो रहा है। अतएव कहा जाता है कि जो शब्द लक्षप्रयुक्त नहीं हैं उनके विषय में शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती— "यथा लक्षणमप्रयुक्तम्।" प्रयोग ही इस शास्त्र का मूल प्रमाण है— "प्रयोगशरणा वयाकरणम्।" इस प्रकार भाष्यकार की उपयुक्त परिभाषा आधुनिक भाषाविज्ञान की मायताओं के अनुकूल पायी जाती है।

११ स्फोट' या नित्य शब्द का कुछ वयाकरण मानत है। स्फोट के स्वरूप के बारे में वयाकरणों में ही अनेक मत पाए जाते हैं। नयायिक स्फोट की कल्पना को निरर्थक कहते हैं। वे कायशब्दवादी हैं। भाष्यकार ने इसीलिए कहा कि शब्द चाहे नित्य हा चाहे अनित्य, हर स्थिति में हम व्याकरण का निर्माण तो करना ही चाहिए। यह प्रश्न दशा के क्षेत्र का है। व्यावहारिक बात तो यही है कि भाषा के सम्यग्-नाम के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। भाष्यकार ने पत्यशास्त्रिक म कहा—

"किं पुनर्नित्य शब्द, आहोस्वित् काय ? सग्रहे एतत् प्राधान्येन परीक्षित 'नित्यो वा स्यात्, कायो वा' इति। तत्रोक्ता दोषा, प्रयोजनायपि उक्तानि। तत्र त्वेव निणय — "यद्येव नित्योऽपि काय, उभययापि लक्षण प्रवत्यमिति।"

(महाभाष्य, पृ० ४६)

'सग्रह' एक ग्रथ का नाम है। आचार्य व्याडि इस ग्रथ के लेखक हैं। कयट न तना ही बताया— "प्र यविशेषे"। नागेश ने विवरण दिया है कि यह ग्रथ व्याडि की रचना है और इसका परिमाण लक्ष श्लोकात्मक है— "सग्रहो व्याडिभृता लक्षश्लोकसम्यो ग्र थ इति प्रसिद्धि।"

(उद्घोत, पृ० ८७)

व्याडि ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करके अपना निणय यही दिया कि शब्द की नित्यता या अनित्यता से व्याकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नित्यत्व अनित्यत्व का विचार हमारे काय की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। नागेश स्पष्ट-वादी हैं। उ होने लिखा—

"एव च निष्कलोऽय विचार इति भाव ।" (उद्घोत, पृ० ४७)

इसका तात्पर्य है कि शास्त्र प्रवृत्ति की दृष्टि से यह विचार व्यर्थ है। किंतु तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तो स्फोट का विचार करना अनिवाह्य है। अत अगले अध्याय में स्फोट के स्वरूप पर संक्षेप में विचार किया जाएगा।

तृतीय अध्याय स्फोट का स्वरूप

१ वैयाकरणो न शब्द के दो रूप माने हैं। एक रूप नित्य है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती अतएव उसका विनाश भी नहीं होता। वह अनादि और अनन्त है—“अनादिनिघना ह्ये वा वागुत्सष्टा स्वयम्भुवा ।” स्वयम्भू का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा न वाक् या शब्द का प्रकाशन किया। श्वताश्वतर उपनिषद् का कथन है कि ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यह ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता प्रजापति है। यह चतुर्मुख है। ईश्वर ने ब्रह्मा को वेदा का उपदेश दिया—

“यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं
यो व वेदाश्च प्रहिणोति तस्म ।’

सृष्टि से पूर्व ही वेदों का अस्तित्व था। वेद अपौरुषेय, सनातन ग्रन्थ है। ईश्वर उसका प्रकाशन करने वाला गुरु है, वह ग्रन्थकार नहीं है। योगदर्शन में ईश्वर को सर्वप्रथम गुरु कहा है—‘स पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्। अत श्रद्धालु लोगो का यह विश्वास है कि वेद नित्य है। इसी कारण से भीमासका ने भी स्वीकार किया कि शब्द नित्य है।

२ शब्द का दूसरा रूप अनित्य है। इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बाद विनाश अनिवाय है। ध्वनियों को अनित्य शब्द मानते हैं। हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। शरीरात्तवर्ती मारुत के आघात से ककार आदि ध्वनिया उत्पन्न होती है। हमारे पूर्वजो ने उच्चारण प्रक्रिया का अध्ययन करके उच्चारण स्थान प्रयत्न आदि का विवचन किया। शिक्षा और प्रातिशास्त्र के ग्रन्थो में ध्वनिविज्ञान का मार्मिक निरूपण पाया जाता है। पश्चिम के विद्वान तो आधुनिक युग में विविध यंत्रों की महायत्ना से ध्वनियों का अध्ययन कर रहे हैं। ध्वनिविज्ञान में प्रगति हो रही है। अत यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि उच्चारण से ध्वनियों की उत्पत्ति होती है और तुरन्त—एक क्षण के बाद—ध्वनिया का विनाश भी होता है। इसी अर्थ में ध्वनिया को ‘उच्चरित प्रध्वसी’ कहते हैं। अत अनित्य शब्द के विषय में किसीका मतभेद नहीं है। यह सववादि-समत है।

३ शब्द के नित्य रूप के विषय में शास्त्रकार एकमत नहीं हैं। नैयायिक शास्त्र की नित्यता को स्वीकार नहीं करते। वैयाकरण नित्य शब्द को स्वीकार करते हैं। उन्होंने ऐसे शब्द का नामकरण किया है— 'स्फोट'। स्फोट से ही अथ का बाध हाता है। अतएव यह नाम सार्थक है। "स्फुटति अथ अस्मादिति स्फात् ।" किंतु यह स्फोट क्या है? कुछ लोग त्रणात्मक स्फाट को मानते हैं। वण ही अथ का बाधक है। पद और वाच्य वर्णों का ही समूह है। ये 'वणस्फोटवादी' हैं। कुछ लोग वर्णों को वाचक नहीं मानते। पद को केवल वर्णों का समूह नहीं कहते। उनके मत में पद वर्णातिरिक्त है। पद ही वाचक है। ये लोग 'पदस्फोट' को मानते हैं। इसी प्रकार कुछ अथ वैयाकरण कहते हैं कि पद भी स्वतंत्र रूप से वाचक नहीं हो सकता। ये वाक्य को ही जयबोधक मानते हैं। वाक्य भी वर्ण-व्यतिरिक्त इकाई है। अतः वे 'वाक्यस्फोट' का स्वीकार करते हैं। कुछ लोग वर्ण, पद या वाक्य को 'व्यक्ति' मानते हैं। अर्थात् कई वर्ण, कई पद तथा कई वाक्य हात हैं। व्यक्ति असंख्य एवं अनन्त होते हैं। इन लोगों को 'व्यक्तिस्फाटवादी' कहते हैं। कुछ लोग ऐसे अनन्त व्यक्तियों में अनुगत एक सामान्य धर्म 'जाति' को पहचानते हैं। ये 'जातिस्फोट' का स्वीकार करते हैं। इस तरह स्फोट के विषय में वैयाकरणों में भी कई प्रकार के मत हैं।

४ भीमासक और वेदाती तो शब्दनित्यत्ववादी हैं। वण नित्य हैं। वर्णों को आनुपूर्वी ही तो वेद है। अतः वेद को नित्य मानते हैं। गीता के तीसरे अध्याय में दो श्लोक यज्ञचक्र का वर्णन करते हैं। उनकी व्याख्या के प्रसंग में द्रौतमत के प्रतिष्ठापक श्रीमध्वाचार्य ने वर्णों की नित्यता का प्रतिपादन किया है। श्री-यादवप्रकाश ने 'स्फोट' का स्पष्ट उल्लेख किया है। गीता के श्लोक नीचे उद्धृत हैं—

अनाद भवति भूतानि
 पर्जन्यादन सन्धय ।
 यज्ञाद भवति यज्ञयो,
 यज्ञं कर्मसमुद्भव ॥
 यमं ब्रह्मोद्भव विद्धि
 ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
 तस्मात् सवगत ब्रह्म
 नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥
 एव प्रवर्तितं च य
 नानुवर्तयतीह य ।

४२ श्री यादवप्रकाश आदि कुछ आचार्यों ने 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ स्फोट बताया था। "स्फोटस्त्व वणसश्रयः ।" इस प्रमाण के आधार पर व्याख्या की गयी ब्रह्म ही स्फोट के रूप में अर्थप्रकाशक होना है। श्रीरामानुजकृत भीताभाष्य की टीका "तात्पर्यचन्द्रिका" में श्री वेदा तदेशिक ने ऐसी सूचना दी है—

"यादवप्रकाशाद्युक्त ब्रह्मशब्दस्य स्फोटादिपरत्व, मक्षराणा तदव्यञ्जकत्वादि च तत्तत्प्रक्रियाद्रूपणादेव निरस्तम् । 'स्फोटस्त्व वणसश्रयः' इति तु वर्णानां स्वायस्फुटीकरणशक्तिपरम् ।"

(तात्पर्यचन्द्रिका, प० २१६)

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि मीमांसक तथा वेदांती वणनित्यत्व या शब्दनित्यत्व को मानते तो हैं, 'किंतु स्फोट' या 'शब्दब्रह्म' की धारणा का वर्णान्करणों की तरह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते।

५ 'शब्दकौस्तुभ' में श्री भट्टोजि दीक्षित ने स्फोटतत्त्व का सन्निपत्त निरूपण किया है। उनके विचार इस प्रकार हैं—वण वाचक नहीं हैं। वे अर्थप्रत्यायक नहीं हो सकते। स्फोट ही एकमात्र वाचक है। इस स्फोट के विषय में आठ पक्ष हैं। पाच पक्ष व्यक्तिस्फोटवादी हैं। तीन पक्ष जातिस्फोटवादी हैं। व्यक्तिस्फोट के पाच प्रकार हैं—वणस्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपदस्फोट तथा अखण्डवाक्यस्फोट। जातिस्फोट के तीन प्रकार हैं—वणजातिस्फोट पदजातिस्फोट तथा वाक्यजातिस्फोट। इस प्रकार विविध ग्रंथों में आठ पक्षों का निरूपण किया गया है। दीक्षितजी ने लिखा है—

"वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटकनिष्ठा। तत्र चाष्टौ पक्षाः । वणस्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपदस्फोट, तादृग वाक्यस्फोट । इत्येतेषु च व्यक्तिस्फोटाः । वण-पद वाक्य भेदेन त्रिविधो जातिस्फोट इति ।"

(शब्दकौस्तुभ, प० १२)

५१ 'वणस्फोट' वादी का यह विचार है कि प्रयोग में उपलब्ध सभी वण अपनी विशिष्ट आनुपूर्वी में सन्निविष्ट होकर अर्थ का वाद्य करते हैं। कितने वण निम्न श्रम में सम्मिलित होकर वाचक बनते हैं? यह तो प्रमाण से ही निश्चित किया जा सकता है। कहीं-कहीं शब्दों में वण का कुछ व्यत्यय करने पर भी अर्थप्रतीति में बाधा नहीं पड़ती। एक उदाहरण के रूप में 'कृ' धातु को लें। पाणिनीय धातुपाठ में "ङुक्ज्" के रूप में यह धातु उपलब्ध है। इसका अर्थ है 'करण' (करना)। 'ङु' इति है— आदिभिर्दुर्ब । अंतिम अकार भी इति है। हल त्यम्। दाना अनुबन्धों का लोप करने पर वृत्त वचता है। यही करणायवाधक धातु है, क्योंकि व्याकरण ने इसी धातु को इस अर्थ में स्वीकार किया है। कोश और व्याकरण शक्तिग्राहक प्रमाण हैं। धातुपाठ कोश के रूप में है और व्याकरण का अर्थ है। "भूवादया धातवः । धातुसना पाठ पर आधारित है। अतः 'वृ'

अध्यापुरि द्वयारामो

मोघ पाथ स जीवति ॥”

(गीता, तृतीय अध्याय, श्लोक १४ १६)

इस सदभ मे श्री शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य मे 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ वेद माना, अक्षर का अर्थ परमात्मा कहा और यह तात्पर्य बताया कि परमात्मा का निश्चित होने के कारण वेद सर्वाथप्रकाशक है—“तच्च कम ब्रह्मोदभव, ब्रह्म वेद स उदभव प्रकाशको यस्य तत कम ब्रह्मोदभव विद्धि विजानीहि । ब्रह्म पुन वेदात्परमशरममुदभवम, अक्षर परमात्मा समुदभवो यस्य । ब्रह्म वेद इत्यथ ।” (शांकर भाष्य, प० २१६ २१७) ।

इसी प्रसंग मे श्री मध्वाचार्य ने लिखा—

“अक्षराणि प्रतिद्वानि । तेभ्यो हि अभिव्यज्यते पर ब्रह्म, अन्यथा अनादि निदनमचित्य परिपूणमपि ब्रह्म को जानाति ? × × × तानि अक्षराणि नित्यानि, “वाचा विरूपनित्यया” “वर्णे चोदस्व सृष्टुमि” “अनादिनिघना ह्येषा वागुत्सष्टा स्वयम्भुवा” “जत एव च नित्यत्वम” इत्यादि श्रुतिस्मृति भगवद्वचनेभ्य । × × × उत्पत्तिवचनायभिव्यक्त्यर्थानि, अनिमानिदेवताविषयाणि च । नित्या इत्युक्त्वा उत्सष्टेति वचनात् । अभिव्यञ्जके कत वचन चास्ति, “कृत्स्न शतपथ चरे” इति । कथमादित्यस्या वेदास्तेनव त्रियते ? × × × तस्माद वेदप्रमाणकत्वमेवात्र विवक्षितम् । अतो नित्यानि अक्षराणि ।”

(श्रीमध्वभाष्य, प० २१८ २२१)

५१ श्रीमध्वाचार्य का कथन है कि इस गीतावाक्य मे 'ब्रह्म' शब्द परमात्मा का वाचक है । अक्षर वदों का पर्याय है । अक्षरों से ब्रह्म का ज्ञान होता है । वेद ही तो प्रमाण है । इस प्रमाण के अभाव मे अनादिनिघन और अचित्य ब्रह्म को जानने का कोई अर्थ उपाय नहीं हो सकता । वेद तो नित्य है । 'वाचा विरूपनित्यया' आदि नित्यत्व के प्रमाण है । कुछ मनो मे उत्पत्ति बताया गयी है— ऋच सामानि जनिरे । मजुस्तस्मादजायत । तस्मात्तेपानात् त्रयो वदा अजायत ।” यहा वदों की जो उत्पत्ति बताया गयी है उसका अर्थ अभिव्यक्ति लेना चाहिए । परमात्मा ने वेदा का प्रकाशन किया । अनादिनिघना' कहकर वाक्य को नित्यता स्थापित करने के बाद फिर 'उत्सष्टा' कहकर जो उत्पत्ति बताया जाती है, वह पूर्वापर विराध का परिहार करने की दृष्टि से अभिव्यक्ति के अर्थ मे ही स्वीकृत हो सकती है । याज्ञवल्क्य ने शतपथ का प्रकाशन ही तो किया था । किन्तु 'कृत्स्न शतपथ चरे' मे कहा गया है कि वे इस ग्रन्थ के कर्ता हैं । अतः 'कर्ता' का अर्थ 'प्रकाशक' या 'अभिव्यक्त' समझना चाहिए । यही नित्य वेद ईश्वर के विषय मे प्रमाण है । “शास्त्रयान्तिवात् ।” इस सूत्र मे कहा गया है ब्रह्म का प्रमाण वेदरूप शास्त्र ही है । अतः यह सिद्ध है कि अक्षर नित्य है ।

४२ श्री यादवप्रकाश आदि कुछ आचार्यों ने 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ स्फोट बताया था। "स्फोटस्त्व वणसश्रयः ।" इस प्रमाण के आधार पर व्याख्या की थी ब्रह्म ही स्फोट के रूप में अर्थप्रकाशक होता है। श्रीरामानुजवृत्त गीताभाष्य की टीका "तात्पयचद्रिका" में श्री वेदा-तदेशिक ने ऐसी सूचना दी है—

"यादवप्रकाशाद्युक्त ब्रह्मशब्दस्य स्फोटाद्विपरत्व, मक्षराणा तद्व्यञ्जकत्वा दिक् च तत्तत्प्रक्रियाद्रूपणादेव निरस्तम् । 'स्फोटस्त्व वणसश्रयः' इति तु वर्णाना स्वाथस्फुटीकरणशक्तिपरम् ।"

(तात्पयचद्रिका प० २१६)

इन उद्धरणों से स्पष्ट होना है कि भीमासक तथा वेदा-ती वणनित्यत्व या शब्दनित्यत्व को मानते तो हैं, किंतु 'स्फोट' या 'शब्दब्रह्म' की धारणा को व्याकरणों की तरह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते।

५ 'शब्दकौस्तुभ' में श्री भट्टोजि दीक्षित ने स्फोटतत्त्व का सक्षिप्त निरूपण किया है। उनके विचार इस प्रकार हैं—वण वाचक नहीं है। व अर्थप्रत्यायक नहीं हो सकता। स्फोट ही एकमात्र वाचक है। इस स्फोट के विषय में आठ पक्ष हैं। पाच पक्ष व्यक्तिस्फोटवादी हैं। तीन पक्ष जातिस्फोटवादी हैं। व्यक्तिस्फोट के पाच प्रकार हैं—वणस्फोट पदस्फोट, वाक्यस्फोट अखण्डपदस्फोट तथा अखण्ड-वाक्यस्फोट। जातिस्फोट के तीन प्रकार हैं—वणजातिस्फोट पदजातिस्फोट तथा वाक्यजातिस्फोट। इस प्रकार विविध ग्रंथों में आठ पक्षों का निरूपण किया गया है। दीक्षितजी ने लिखा है—

"वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटकनिष्ठा । तत्र चाष्टौ पक्षाः । वणस्फोट, पद-स्फोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपदस्फोट, तादृग वाक्यस्फोट । इत्येवञ्च व्यक्ति-स्फोटाः । वण पद वाक्य भेदेन त्रिविधो जातिस्फोटा इति ।"

(शब्दकौस्तुभ, प० १२)

५१ 'वणस्फोट' वादी का यह विचार है कि प्रयोग में उपलब्ध सभी वण अपनी विशिष्ट आनुपूर्वी में सन्निविष्ट होकर अर्थ का वाद्य कराते हैं। कितने वण किस क्रम में सम्मिलित होकर वाचक बनते हैं? यह तो प्रयोग से ही निश्चित किया जा सकता है। कहीं कहीं शब्दों में वण का कुछ व्ययय करण पर भी जय-प्रतीति में बाधा नहीं पड़ती। एक उदाहरण के रूप में 'कृ' धातु को लें। पाणिनीय धातुपाठ में "डुकृ" के रूप में यह धातु उपलब्ध है। इसका अर्थ है 'करण' (करना)। "डु" इति है—'आदिभट्टवृत्त' अन्तिम जकार भी इति है। हलन्त्यम्। दानो अनुबन्धों का लोप करण पर 'कृ' घबता है। यही करणायबाधक धातु है क्योंकि व्याकरण ने इसी धातु का इस अर्थ में स्वीकार किया है। बाश और व्याकरण शक्तिग्राहक प्रमाण है। धातुपाठ कोश के रूप में है और व्याकरण का एक अंग है। "भूवादयो धातवः ।" धातुसंग्रह पाठ पर आधारित है। अतः 'कृ'

धातु की शक्ति को हम वीश तथा व्याकरण से जानते हैं। इस धातु में दा वण हैं। पहला ककार और दूसरा ऋकार है। किंतु 'कृ' का रूप सबत्र अविकृत नहीं रहना। वही इसका रूप है—कर्। कर्ता, कतव्य क्रम, करण आदि शब्दा में यह रूप मिलता है। इस रूप में ऋकार के स्थान पर दो वण आए हैं—अकार और रेफ। कही इसका रूप 'कार' है। काय, कारक, कारयति आदि में यह रूप मिलता है। 'कर' में अकार ह्रस्व है तो 'कार' में आकार दीर्घ है। अ य वण समान हैं। कही इसका रूप 'कुर' मिलता है। कुरुत, कुवति, कुव, कुम कुरु आदि में यह रूप पाया जाता है। यहाँ अकार के स्थान पर उकार का प्रयोग हुआ है। कही इसी का रूप 'चकर' मिलता है। लिट लकार में गुण तथा द्वित्व के कारण यह रूप बनता है। उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है—'चकर'। कही वद्धि के कारण इसका रूप 'चकार' होता है—'चकार'। वही द्वित्व तो होता है गुण नहीं होता। वहाँ का रूप है—'चक'। चक्रतु, चक्रु चकृव, चकृम। यण सधि से रेफा त रूप बनता है—'चक्र'। स न त स्थल में इसी धातु का रूप है—'चिकीर्'। चिकीषति, चिकीर्षा। यङ लुग त में 'क' का रूप है—'चकर'। चकरीतम्। बड़े शब्दों में मूल रूप 'कृ' अविकृत भी मिलता है—कृत, कृति आदि। 'कृत्यम् सप्तिङ्कृत' आदि में इसका रूप कृत है—'ह्रस्वस्य पिति कृति तुक।' इतने विभिन्न रूपा में किसे वाचक मानें? किस वाचक का कौन रूप स्मारक है? वास्तव में ये सभी रूप पर्याय हैं। सभी वाचक हैं तथा एकायक हैं। इन विभिन्न रूपों में से किसको हम प्राथमिकता दें? कृ का—धातु रूप को—वाचक मानें तो कर आदि विकृत रूपांतर क्या वाचक नहीं हैं? यदि यह कल्पना करें कि 'कर्' आदि रूपांतर अपने मूल रूप के स्मारक हैं और समयमात्र मूलरूप से ही अर्थबोध होता है तो जो व्याकरण नहीं है और मूल रूप को नहीं जानता, उसे अर्थवान कैसे होता है? किस रूप में किस रूप का स्मरण होता है? स्थानी और आदेश की व्यवस्था तथा शास्त्रकल्पित है। शब्दान्तिव्यवस्थाम् भाष्यकार ने यही निश्चय अपनाया कि 'सर्वे सत्रपदादेशा दाक्षीणुनस्य पाणिने'। एकदेशविकारे हि नित्यत्व नोपपद्यते।' आगम आदेश, लोप आदि सब व्याकरण का कल्पना है। अतः ये सभी रूप अविशेषण वाचक हैं।

५२ दीक्षितजी का एक तर्क यह भी है कि भाषा में जो समानार्थक (पर्याय) शब्द हैं उनमें भी यही व्यवस्था उचित मानी गयी है कि प्रत्येक शब्द वाचक है। दल के वाचक तीन शब्द हैं—ऋपम, वपम वप। हम यह तो नहीं कहते कि इनमें से कोई एक शब्द ही वाचक है और बाकी दोनों स्मारक हैं। ऋपम का वाचक स्वीकार करें और कहें कि वपम और वप इसी व रूपांतर हैं तथा ये दोनों शब्द 'ऋपम' का स्मरण कराकर तद्व्यवधान से अर्थबोध में सहायक होते हैं तो क्या इमें आचार्य स्वीकार करेंगे? आपत्ति उठायेंगे कि

कि वक्ष, वक्षा और वृषे प्रत्यय विशेषापेक्ष नियतविषय होने के कारण परिपूरक वितरण (Complementary Distribution) में आते हैं। इनकी 'मरूप' (Allomorph) कह सकते हैं। किंतु इससे वाचकत्व में कोई अंतर नहीं पढ़ सकता।

६ दीक्षितजी ने आगे कहा कि कुछ पदा में सामक अशा का पृथक्करण करना कठिन होता है। रामम् । यह द्वितीया एकवचन का रूप है। द्वितीया का प्रत्यय है 'अम्'। राम् + अम् = रामम्। यहाँ प्रातिपदिक तथा प्रत्यय के अकार का सवणदीघ प्राप्त था। किंतु दीघ का हटाकर पूर्वरूप प्रवृत्त हुआ है— अम् पूर्व। यह पूरूप एकादश है, पूर्ववर्ती (प्रातिपदिकात्) और परवर्ती (प्रत्ययस्थ) दोनों अकारों के स्थान में एक ही आदेश है— 'एक पूर्व परयो।' अब यह शका उत्पन्न होती है कि 'रामम् एक सुवर्त पद है, इसमें प्रातिपदिक का अण कितना है और प्रत्यय का अण कितना है? क्या हम ऐसा विभाजन करें कि 'राम'— यह अशरारात् अण प्रातिपदिक है और 'वल् मकार प्रत्यय है? कोई यदि कहता है कि 'राम्' यह मकारात् अण प्रातिपदिक है और 'अम्' प्रत्यय है, तो उस कथन में अनुपपत्ति क्या है? एकादश के विषय में पाणिनि ने यह विधान दिया— 'अनादिवच्च । वह पूर्वतवत् माना जा सकता है अथवा परादिवत् । अतः दोनों ही विभाजन शास्त्रसमत हो सकते हैं। कोई विनिगमक प्रमाण नहीं है। ऐसे एकादश के उदाहरण भी असंख्य हैं। 'रामेण, रामे, हरो, हरोन' आदि में एकादेश हुआ है। राम् + इन = रामेण। यह तृतीया एकवचन का रूप है। तृतीया का प्रत्यय 'टा' है, उसके स्थान पर 'इन' का आदेश है— 'टाडसि टसामिनात्स्या।' 'राम सप्तमी एकवचन है। सप्तमी का प्रत्यय है 'डि'। डकार इत्त है। प्रत्यय में केवल डकार बचता है। राम् + इ = रामे। रामेण' और 'रामे' में गुणसंधि है। 'रामे' में एकादेश को पूर्वतवत् मानते हैं तो प्रत्यय ही नहीं बचता। 'हरो' सप्तमी एकवचन का रूप है। अच् घे ।' हरि श- के डकार के स्थान पर अकार होता है सप्तमी एकवचन डि के स्थान पर औकार होता है फिर दोनों स्वरा के स्थान पर वद्धि एकादश है। हरि + इ = हर- औ = हरो। अथवा इसे अशरारात् 'हर' शब्द का रूप —पयमा या द्वितीया के द्विवचन में—मान सकते हैं। हर + औ = हरो। वृद्धिरेचि। हरोन्। यह द्वितीया बहुवचन का रूप है। हरि + शस = (शकार का इत्तमा के कारण लोप) हरि + अम् = हरीम् → हरीन्। प्रथमया पूर्व-सवण । यह दीघ एकादेश है। तस्माच्छासो न पुंसि। ऐसे उदाहरण भाषा में अनंत हैं। यहाँ सब में ही शका जाती है कि एकादश के वाक्य प्रकृति और प्रत्यय के अशा का विभाजन किस आधार पर करें? प्रातिपदिक से द्रव्य का बोध होता है। कारक और सव्या का प्रत्यय से बोध होता है। किंतु हम प्रातिपदिक

और सुप् का ठीक-ठीक विभाजन करने में असमर्थ हैं। अतः कुछ व्याकरण मानते हैं कि यहाँ प्रातिपदिक अथवा प्रत्यय स्वतंत्र रूप से वाचक नहीं है। पूरा पद ही एक इकाई के रूप में वाचक है। द्रव्य, वारक और सख्या—इन तीनों अर्थों की प्रतीति पद से ही होती है। पदांतगत प्रातिपदिक और प्रत्यय वाचक पद की रचना के लिए अपेक्षित हैं। अथ उनमें नहीं अपितु पद में ही निहित है। यही 'पदस्फोट' कहलाता है। दीक्षितजी के वाक्य हैं—

“राम, रामेण, रामाय, हरये, हरी, हरीन” इत्यादी परिनिष्ठिते रूपे कियान्तो द्रव्यादिव्यञ्जक क्रियाश्च कर्मत्वादे रित्यस्य विनिगन्तुमशक्यतया 'राम' मित्यादि परिनिष्ठित पदमेव वाचक कर्मत्वादिविनिष्ठस्येति पदस्फोटयक्ष ।”
(शब्दकोस्तुभ पृ० १३-१४)

६१ दीक्षितजी के उदाहरणों में 'रामाय' तथा हरये इन दोनों में एकादेश नहीं है। अतः यहाँ प्रकृति तथा प्रत्यय का विभाजन करने में कोई समस्या नहीं है। 'रामाय' में सुप् प्रत्यय है—'य'। ड्येय। चतुर्थी एकवचन डे' के स्थान पर 'य' का आदेश विहित है। यकारादि प्रत्यय के कारण प्रातिपदिका त अकार का दीर्घ हुआ—'सुपि च'। अतः यहाँ दीर्घांत 'रामा' प्रातिपदिक है। 'हरय' भी चतुर्थी एकवचन है। हरि + डे'। प्रत्यय का डकार इत् है। हरि + ए। षडिति। इति प्रत्यय के कारण गुण होना है। प्रातिपदिक के इकार का एकार होना है—हर + ए। एचोऽयवायाव। हरय + ए। यहाँ भी स्पष्ट है कि यकारांत अक्ष प्रातिपदिक है और एकार प्रत्यय है। किंतु, 'रामम रामेण रामे' इत्यादि में तो ऐसा असद्विध विभाजन नहीं हो सकता। राजा, सीता, नदी इत्यादि पद हैं, किंतु यहाँ प्रत्यय लुप्त है। तब प्रत्ययाय का बाध किससे होता है? हम अवश्य मानना होगा कि पद सही विशिष्टार्थ का बाध होता है। तो फिर 'रामाय' आदि में भी पद को वाचक मानना युक्ति युक्त ठहरता है। इसी भाव से दीक्षितजी ने इन उदाहरणों को स्थान दिया है।

७ अब हम कुछ जय उदाहरणों को देखें। दधीदम। हरेऽव। विष्णाऽव। ये वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य में दो शब्द हैं। दधि + इदम् = दधीदम, यह दही है। संस्कृत में उद्देश्य और विधेय समानाधिकरण है तो 'अस्ति' क्रिया की अपेक्षा नहीं रहती। यह क्या है? किमिदम्? प्रश्न में भी क्रिया 'अस्ति' प्रयुक्त नहीं। इसका उत्तर है—'दधीदम।' यह दही है। उत्तर में भी क्रिया प्रयुक्त नहीं है। अप्रयुक्त होकर भी ऐसे वाक्यों में 'अस्ति' क्रिया विद्यमान रहती है—यह भाष्य चार का निणय है—“अस्तिभवंतीपरोऽप्रयुज्यमानो व्यस्ति।” दधि + इदम्। सवणदीर्घ से वाक्य का रूप बनता है—दधीदम। हरे + अव। ह हरि, रक्षा करा। विष्णो + अव। लभयत्र पूवरूप एकादश होता है—एड पदा तादति। ऐसे अर्थ उदाहरण भी बड़ी सत्या में दिये जा सकते हैं। राम + आगच्छ = रामागच्छ।

राम + अयम = रामोऽयम । अत्र + आनय = अनानय । फलानि + इच्छामि = फलानिच्छामि । अत्र + उपविश = अत्रोपविश । सीता + एषा = सीताया । सबत्र एकादेश के कारण पदा के विभाजन में कठिनाई पैदा होती है। 'दधी'—पहला पद दीर्घांत है ता दूसरा पद 'द' होगा। 'ईद' को दूसरा पद मानें ता पहला पद 'दध्' धकारा त हागा। परादिवद्भाव को मानने पर भी हम धकार का पदांत नहीं कह सकते। पदांत कह ता जड़त्व की प्राप्ति होगी। अत पदों को वाचक मानने के स्थान पर पूरे वाक्य को ही विशिष्टार्थ का वाचक मानना उचित हागा। तब तुल्य-याप से सबत्र वाक्य को ही वाचक कहना चाहिए। पद ता वाक्यशक्ति के निष्पादक घटक है। जिस प्रकार वण स्वय वाचक न होत हुए भी पद की निष्पत्ति के लिए अनिवाय हैं उसी प्रकार पद भी वाक्य की निष्पत्ति के लिए अपेक्षित घटक हैं। वस्तुतः कोई एक पद का—पूर्वापर संबध के बिना—प्रयोग नहीं करता। वाक्य के अग के रूप में ही पद प्रयुक्त हान हैं। एक पदान्तक वाक्य हाते हैं किंतु वहा प्रसंगानुकूल पदांतर का समभि-याहार विवक्षित हाता है। किसी ने पूछा—क्या राम कल आपके यहा जाया ? उत्तर है "आया"। देखने में तो यह एकपदान्तक वाक्य है। किंतु 'आया' यहा एक वाक्य का प्रतिनिधि है— "कल राम मेरे यहा आया।" इसे अध्याहार' कहत है। अध्याहार में विभक्ति-विपरिणाम भी अंतभूत रहता है। भाष्यकार न एक रोचक उदाहरण यो दिया है— देवदत्तस्य गावोऽश्वो हिरण्य च । आढयो बंधव म । देवदत्त इति गम्यत ।" पहले वाक्य में 'देवदत्तस्य पठ्ठी म है। देवदत्त के पास गायें हैं, घोडे हैं और सोना भी है। दूसर वाक्य में दोनों पद प्रथमांत ह। अत प्रथम वाक्य क पठ्यत 'देवदत्त' पद का प्रथमा में विपरिणाम करक समझ लत हैं— दधदत्त आढय ।' अत अध्याहार भाषा व्यवहार का एक अंग है। जहा एक ही पद वाक्य क स्थान पर प्रयुक्त है वहा पदांतर का अध्याहार स्वत सिद्ध है। इस प्रकार कुछ व्याकरण वाचकत्व की विश्र्वाति वाक्य में ही मानत हैं। यही वाक्यस्फोट का पक्ष है। दोधितजी न लिखा—

दधीद, विष्णोव हर वयादावपि विनिगमनाविरह तौन्याद् वाक्यमेव विशिष्टार्थे शक्तमिति वाक्यस्फाट ।' (शब्दकोस्तुभ पृ० १८)

७१ कुछ मीमांसक अविताभिधानवादी हैं। कुछ अभिहितावयवादी हैं। पद से प्रथम स्तर पर पदाय का अभिधान हो जाता है और तब वाक्य क दूसर पदा क कारण पदाय का अवयव पदाय क साथ करत है। अत अवयव से पूर्व भी अभिधान (अय का बोध) हो सकता है। अविताभिधानवादी ता मानत हैं कि अचित पदाय का भान ही नहीं हाता। सत्र पदा से अचित (अर्थांतर संबध) अय का ही बोध हाता है। इस पक्ष में केवल पद अवयवाधक नहीं हो सकता। वाक्यस्थ पद ही विशिष्ट रूप से अचित अय का बाध पदा करता है।

वाक्यस्फोटवादी तो पदा का वाचकत्व ही नहीं मानता। वह तो कहता है कि वाक्य ही वस्तुतः वाचक है, पद केवल वाक्य-रचना के घटक है।

८ यह पद या वाक्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वर्णों का समुदाय ही पद है और पदों का समुदाय ही वाक्य है। इस मत के अनुसार वाक्य भी अतता-गत्वा वर्णों का समुदाय ही है। किंतु कुछ वैयाकरण पद तथा वाक्य को एक अखंड वस्तु मानते हैं। “एक पदम्” एक वाक्यम्—इस प्रकार की प्रतीति हम होती है। वाचक प्रमाण के अभाव में यह प्रतीति पद तथा वाक्य के एकत्व की सिद्धि के लिए पर्याप्त है। अतः पद या वाक्य वर्णों से भिन्न इकाई है। अखंड पद को मानने वाले स्वीकार करते हैं कि वर्णों से पद की अभिव्यक्ति होती है किंतु उनका कहना है कि पद वर्णात्मक नहीं है। वह वर्णव्यतिरिक्त है। यह अखण्ड-स्फोट है। कुछ वैयाकरण तो अखंड वाक्य का ही वाचक मानते हैं। वे अखंड-वाक्यस्फोट को स्वीकार करते हैं। ये पांच प्रकार के व्यक्ति-स्फोट हुए।

९ वर्णातिरिक्त पद या वाक्य को मानते हैं, तो वह पद या वाक्य वर्णरूपी अवयवा से निष्पन्न कैसे हो सकता है? वर्णसमूह से भिन्न पद या वाक्य किस प्रमाण से सिद्ध होता है? प्रमथ की सिद्धि तो प्रमाणाधीन है। ‘एक पदम्’ ‘एक वाक्यम्’—यह एकत्व प्रतीति ही वर्णातिरिक्त पद या वाक्य की सत्ता का प्रमाण है। तत्तुआ से पट बनता है। ‘एक पट’ की प्रतीति से पट का एकत्व प्रमित होता है। इसी प्रकार ‘एक पदम्’ की प्रतीति से पद का एकत्व सिद्ध होता है। तुल्य ऋषय से वाक्य का एकत्व भी प्रमित होता है। इस एकत्व की प्रतीति को औपाधिक या हेत्वन्तरवृत्त कहने का कोई औचित्य नहीं है। स्वरस-भिन्न प्रतीति का अपलाप या अथवा निर्वाह करना ठीक नहीं है। अतः पद या वाक्य का एकत्व स्वीकाराह है।

१० अब यह शका होती है कि पद या वाक्य वर्णसमूह नहीं, किंतु वर्णातिरिक्त है तो इस किस तरह का पदार्थ कहना चाहिए? दीक्षितजी का उत्तर है कि यह ‘भाव’ रूप पदार्थ है। अभाव का प्रतिद्वंद्वी है। भावात्मक पदार्थ द्रव्य, गुण आदि कई प्रकार के हैं। उनमें से किसमें पद या वाक्य का अतभाव मान सकते हैं? अर्थात् क्या यह द्रव्य है या गुण है? पूर्वपक्षी की इस शका के उत्तर में दीक्षितजी का कहना है कि यह द्रव्यादि पदार्थों में अतभूत नहीं है। यह एक स्वतंत्र, अतिरिक्त पदार्थ है। इस उत्तर पर पुनः आक्षेप किया जाता है कि शास्त्रकारों से स्वीकृत द्रव्यादि पदार्थों से भिन्न एक नय पदार्थ को मानने से क्या गौरव का दाप नहीं प्रसक्त होगा? समाधान यह है कि प्रमाणसिद्ध वस्तु को स्वीकार करने में लाघव या गौरव की चर्चा अप्रासंगिक है। सत्तार म गाय नाम के प्राणी कितने हैं? अनंत हैं। क्या गौरवदोष के भय से माता लिया जाय कि गोव्यक्त्रिण एक ही है? अतः जब वर्णातिरिक्त पद या वाक्य प्रामाणिक प्रतीति से सिद्ध हो रहा

है, तब उसको स्वीकार करन में कोई दोष नहीं है।

८३ इस अखण्ड स्फोट के विषय में दीक्षितजी ने लिखा है—

‘एक पट’ इतिवद “एक पद वाक्य वा” इति अत्राधित प्रतीते वर्णातिरिक्तमेव पद वाक्य वा अखण्ड वणव्यगम । एकत्वप्रतीतिरौपाधिकीति चेत, पटेऽपि तथात्वापत्ते । क पदार्थोऽसाविति चेत, भाव । भावविशेषेषु क्वात्भवतीति चेत, त्वत्परिभाषितेषु द्रव्यादियु मान्तभूत, नहि एतावता प्रमाणसिद्ध प्रत्याख्यातु शक्यते । अनियतपदाथवादे गौरवमिति चेत, व्यक्तीयत्ता तत्रापि नास्ति । उपाधीयत्ता तु सर्वे सुवचा । भावत्वाभावत्वाभ्या नित्यत्वानित्यत्वादिना वा विभजनात् । भावविभाजकोपाध्यस्तु घटविभाजकोपाधिवदव अनावश्यकता ।”

(शब्दकोस्तुभ, पृ० १४)

दीक्षितजी ने इस उद्धरण में निम्नलिखित बातों की स्थापना की है—

१ पद या वाक्य वर्णातिरिक्त है और एक अखण्ड—अविभाज्य—इकाई है।

२ वण पद या वाक्य के व्यञ्जक होते हैं। इसका तात्पर्य है कि पद या वाक्य वणसमूह नहीं है, बल्कि उसमें व्यञ्जित पदार्थों का अन्तर्भाव है।

३ पद या वाक्य के एकत्व की प्रतीति प्रामाणिक है। वह उपाधि में जय असत्य प्रतीति नहीं है।

४ यह स्वतंत्र पदाथ भावात्मक है।

५ द्रव्य, गुण आदि जो पदाथ अथ शास्त्रकारों से स्वीकृत हैं, उनसे यह भिन्न है। द्रव्यादि में पद या वाक्य का अन्तर्भाव हम नहीं मानते। किन्तु इसे द्रव्यादि विलक्षण स्वतंत्र भाव के रूप में मानते हैं।

६ “नयायिक आदि अथ शास्त्रकारों द्वारा स्वीकृत द्रव्यादि पदाथ ही माय हैं। इनसे भिन्न कोई पदाथ नहीं है।” ऐसी कल्पना सवया निराधार है। पदाथ की सत्ता प्रमाणमय्य है। किसी शास्त्रकार या आचार्य की स्वीकृति या अस्वीकृति पर पदाथ की सत्ता निर्भर नहीं होती। प्रमाणसिद्ध पदार्थों को स्वीकार करना चाहिए।

७ पदाथ—व्यक्तिगत इकाइयों (individual units) के रूप में—अनन्त (infinite) हैं। उनकी इयत्ता या परिच्छेद नहीं है। किन्तु पदार्थों के विभाजक घट—उपाधि—सीमित हैं। भाव और अभाव के रूप में विभाजन कर सकते हैं। अथवा कह सकते हैं कि पदाथ दो प्रकार के हैं—नित्य और अनित्य।

८ जिस प्रकार घट के विभाजक उपाधियों की चर्चा करना अनावश्यक है उसी प्रकार भाव के विभाजक उपाधियों की चर्चा करना भी व्यर्थ है। घट कई प्रकार के हो सकते हैं। कई आकारों के, कई रंगों के तथा कई प्रयोजनों के घट हो सकते हैं। छोटे बड़े आदि और भी भेद बना सकते हैं। शास्त्रकारों की दृष्टि में इन भेदोपभेदों की चर्चा का कुछ महत्त्व नहीं है। इसी प्रकार भाव में भी कई भेद

हो सकते हैं। अखड पद या वाक्य एक प्रकार का भाव है। इसके आगे चर्चा करनी कोई आवश्यकता नहीं है।

८४ दीक्षितजी न स्पष्ट किया है कि इन दोना मतों में—अखड पद स्फोट तथा अखड वाक्य स्फोट के मतों में—वर्णों की सत्ता भी गौण मानी जाती है। वण तो श्रुतिगोचर है, श्रावण प्रत्यक्ष से गहीत होते हैं। तो वर्णों की सत्ता का अपलाप करना कसे उचित होगा? दीक्षितजी का उत्तर है कि ककार आदि जो वण हैं व वस्तुतः 'स्फोट' ही हैं। ध्वनिया व्यजक हैं। व्यजक ध्वनियों से उपहित स्फोट का ही ककार आदि के रूप में हम ग्रहण करते हैं और उस रूप से व्यवहार करते हैं। ध्वनि उपाधि है। अतः स्फोटानिरिक्त कोई वण नहीं है। दीक्षितजी के ये शब्द द्रष्टव्य हैं—

“अस्मिन् च पञ्चद्वये वर्णा अपि अनावश्यकान् । ननु अनुभवसिद्धा ते इति चेत् ? व्यञ्जकध्वनिविशेषोपहितस्फोट एव ककाराद्यात्मना ध्ववह्नियते इति अभ्युपगमात् ।”

(शब्दकोस्तुभ पृ० १४)

८५ वाचस्पति मिश्र ने तत्त्वबिन्दु नामक ग्रन्थ में स्फोट सिद्धांत के निरूपण के प्रसंग में कहा कि 'वास्तव में ककार से भिन्न गकार नहीं है।' इस कथन का क्या आशय है? ककार अघोष वण है। गकार सघोष है। 'वागीश' आदि शब्दों में ककार के स्थान में गकार का आदेश विहित है—'झला जशोऽत'। वैसे तो 'वाच'—यह एक चकारांत प्रातिपदिक है। वाचम् वाचा' इत्यादि रूपों में चकार का श्रवण होता है। पदांत में कृत्व विधान के कारण चकार के स्थान में ककार का आदेश हाता है। 'चो कु ।' इस ककार का जशत्व से गकार होता है—वागीश, वाग्ध्वज इत्यादि। तो फिर च, क ग आदि ध्वनियों में जो स्पष्ट भेद है उसका अपलाप कैसे करें? "ककार से भिन्न गकार नहीं है"—इसका औचित्य क्या है? वाचस्पति मिश्र का तात्पर्य यही है कि यहाँ व्यजक ध्वनियों में भेद है, किंतु उस ध्वनि से व्यजित होने वाले स्फोट में कोई भेद नहीं है। वाचस्पति मिश्र का वाक्य निम्नांकित है—

“वस्तुतः ककारादतिरिच्यमानमूर्ते गकारस्याभावात् ।”

(शब्दकोस्तुभ, पृ० १४ में उद्धृत)

८५१ दीक्षितजी ने इस अभेद के बावजूद प्रतीत होने वाले भेद की उपपत्ति दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया है। पतञ्जलि आदि आचार्य मानते हैं कि ऋकार में रेफ भी एक अवयव के रूप में निहित है। ऋकार रेफगम है। अतएव 'मातणाम्' इत्यादि में पठ्ठी प्रत्यय 'नाम' के नकार का णत्व होता है—“रपाभ्यां णो ण समानपदे ।” वार्तिककार न 'ऋवर्णां नस्य णत्व वाच्यम् बह्वन्तर' इसी बात को स्पष्ट किया है। यह वार्तिक अप्राप्तविधायक नहीं है, किंतु प्राप्ता-

नुवाद मात्र है। किन्तु ऋकारावयव रेफ तथा स्वतत्र रेफ म भेद तो प्रतीत होता ही है। ऋकारवर्ती रेफसदृश अवयव म रेफ का अवभास (प्रतीति) होता है। उसी प्रकार स्फोट में भी ककारादि वर्णों का अवभास होता है। वस, यह अवभास ही भेदप्रतीति का आधार है। अथवा अभद ही पारमाधिक है। दीक्षितजी न कहा—

“यथा घा अखण्डेऽपि ऋकारादियु वर्णेषु वर्णांतरसमानाकारकदेशावभास, तथाऽत्र पक्षे वर्णावभासोऽपि भविष्यति।”

(वही, पृ० १४)

दीक्षितजी का मत है कि वास्तव में ऋकार अखण्ड है। णत्वादि काय की सिद्धि के लिए उसके अवयवों की कल्पना की जाती है। अतः वर्णांतर (रेफ) के समान एक अवयव का अवभास ही माना जा सकता है। इसी प्रकार स्फोट भी अखण्ड है। किन्तु उसमें ककारादि वर्णों का अवभास ही होता है। इस मत की पुष्टि के लिए दीक्षितजी ने दो प्रख्यात आचार्यों की उक्तिया प्रमाण के रूप में उद्धृत की हैं। पहली उक्ति बोपदेव की है—

(१) “शक्यत्वं इव शक्तत्वे
जातेर्लाघवमोक्ष्यताम् ।

औपाधिको वा भेदोऽस्तु
वर्णानां तारमदधत ॥”

दूसरी उक्ति आचार्य भट्ट हरि की है—

(२) “पदे न वर्णा विद्यन्ते
वर्णव्यवयवा न च ।

वाक्यात्पदानामत्यत
प्रविवेको न कश्चन ॥”

८५२ बोपदेव का कथन है कि शब्द अपनी शक्ति (अभिधा) से अर्थ का बोध उत्पन्न करता है। नयायिका न कहा है—‘अस्मात् पदादयमर्थो बाद्धव इति ईश्वरेच्छा शक्तिः ।’ शब्द वाचक है, अर्थ वाच्य है। उनका संबन्ध है वाच्य वाचक भाव। यही शक्ति है। वैयाकरण शब्द और अर्थ का तादात्म्य संबन्ध मानते हैं। इसी को ‘शक्ति’ की संज्ञा दी जाती है। शक्ति शब्द में निहित है। अतः शब्द को ‘शक्त’ कहते हैं। ‘शक्त’ का अर्थ है शक्तियुक्त। शक्ति से प्राप्त अर्थ को ‘शक्य’ (वाच्य) कहते हैं। शास्त्रकारों ने ‘अर्थ’ के विषय में काफी गभीरता से विचार किया। शब्द का अर्थ व्यक्ति है या जाति है? ‘व्यक्ति’ को शक्याय मानें तो जिस व्यक्ति में शक्ति का ग्रहण हुआ सिर्फ उसी एक व्यक्ति का बोध शब्द से हो सकता है अन्य व्यक्तियों का नहीं, क्योंकि उन व्यक्तियों में शक्तिग्रह नहीं हुआ और अग्रहीतशक्तिक शब्द से अर्थबोध नहीं हो सकता। किसी एक गोव्यक्ति में गोशब्द की शक्ति ग्रहीत हुई तो केवल उसी गोव्यक्ति का बोध हो सकता है। अर्थ गद्या

का बोध कसे हो ?

८५३ वतमान काल में जो गोव्यक्ति विशेष हैं व अनत हैं। इन सब व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसी प्रकार अतीत काल के तथा भविष्यत काल के व्यक्ति विशेष भी अनत हैं। य हमारे लिए परोक्ष है। तो इनमें शक्तिग्रह की संभावना तक असिद्ध है। ऐसी स्थिति में गोशब्द से इन समस्त गो व्यक्तियों का बोध कस हो सकता है? इस कठिनाई का निवारण करने के लिए शास्त्रकारों ने कहा कि 'गो' पद की शक्ति व्यक्ति में नहीं, अपितु जाति में मानते हैं। यही जातिशक्तिवाद है। जाति नित्य है। व्यक्ति अनित्य है। शब्द का अर्थ जाति है, तो जाति के आश्रय से समस्त व्यक्तियों का बोध हो सकता है। "गामानय" (गाय को लाओ) इत्यादि वाक्यों में जाति का आनयन संभव नहीं होने के कारण जाति के द्वारा व्यक्ति तक पहुंचना अनिवाय है। व्यक्ति का ही तो आनयन हो सकता है। इस तरह जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति की स्थापना न्यायिकों ने की है। कुछ शास्त्रकार जाति को स्वीकार नहीं करते। बोधव्यवस्था की मायता है कि जाति एक है तथा नित्य है। अतः जातिशक्तिवाद में लाघव है। यह शक्यत्व (शक्तिलभ्य अर्थ ही शक्य है) में लाघव की बात हुई।

८५४ अब विचार करें कि वाचक—शक्त—शब्द क्या है? 'घट' शब्द अनेक हैं। जितने वक्ता 'घट' का उच्चारण करते हैं उतने 'घट' शब्द बनते हैं। एक ही वक्ता जितनी बार 'घट' शब्द का प्रयोग करता है उतने घट शब्द उसी एक के उच्चारण से बनते हैं। इस प्रकार वक्तृभेद तथा उच्चारणभेद से 'घट' शब्द भी अनंत सिद्ध होते हैं। अब हमने 'घट' की शक्ति घड़े में ग्रहण की। किंतु हमने किस 'घट' शब्द की शक्ति ग्रहण की? किसी एक 'घट' शब्द की शक्ति ग्रहण की तो केवल उसी 'घट' शब्द से हम अर्थबोध की प्राप्ति हो सकती है, अन्य 'घट' शब्दों से अर्थज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उन शब्दों की शक्ति को हमने कभी ग्रहण नहीं किया। जिस शब्दव्यक्ति की शक्ति गृहीत है वही अर्थबोध उत्पन्न कर सकता है। अन्य शब्द अगृहीतशक्ति होने के कारण बोधक नहीं बन सकते। इस अनुपपत्ति के निवारण के लिए हमें यह मानना होगा कि 'शक्ति' शब्दव्यक्ति में नहीं अपितु शब्दजाति में निहित है। 'घट' शब्द अनंत हैं। उन सब में 'घट-शब्दत्व' जाति एक है। घटशब्दत्वजाति से विशिष्ट सभी शब्द अर्थबोधक बन सकते हैं क्योंकि शब्दजाति ही 'शक्त' है। शक्तत्व में लाघव या तात्पर्य यही है। 'शक्यत्व इव शक्तत्वे जातेर्लाघवमीक्ष्यताम्'—इस वाक्य का यह अर्थ निकलता है कि जातिरूप अर्थ वाच्य है और जातिरूप शब्द वाचक है। इस प्रकार जाति को ही वाचक तथा वाच्य मानने के बाद बोधव्यवस्था ने वर्णों के भेद की उपपत्ति 'ओपाधिक' होने के कारण बतायी। वर्णों तो एक ही हैं। सारत्व मन्वत् आदि भेद उपाधिकृत हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं कि स्फोट एक है, किंतु बकार गकार

आदि वर्णों का भेद औपाधिब है। बोपदेव की उक्ति से दीक्षितजी ने इस प्रकार अपने मत की पुष्टि की।

८५५ आचार्य भत हरि का कथन तो बहुत स्पष्ट है। वाक्यपदीय के प्रथम वाङ् म—इम ब्रह्मवाङ् भी कहते हैं—उहान पहले शब्दनित्यतावादी मीमांसका का मत प्रस्तुत किया। मीमांसक मानते हैं कि वण एक है। विभिन्न पदा में आवृत्त होने वाले वण की एकता प्रामाणिक है। कर्मल, कर, कच, कटु आदि शब्दों में ककार पहला वण है। वाक, त्वक आदि पदों में ककार अंतिम है। रक्त प्रकार आदि में ककार मध्यवर्ती है। किंतु ये सभी ककार एक हैं। “यह वही ककार है।” स एवाय ककार। यह प्रत्यभिज्ञा एकत्व का प्रमाण है। इसी प्रकार पद भी भिन्न-भिन्न वाक्यों में प्रयुक्त हो सकते हैं। “हरि गच्छति। हरि करोति। हरि पठति। हरि पश्यति।” इन सभी वाक्यों में “हरि”—इस एक ही पद की आवृत्ति हुई है। वाक्य भिन्न हैं, किंतु उनमें प्रयुक्त पद एक ही है। पद भिन्न हैं किंतु उनमें प्रयुक्त वण एक ही है। भत हरि ने मीमांसका की इस मान्यता को प्रस्तुत किया—

“पद भेदेपि वर्णाना—

मेकत्व न निवर्तते।

वाक्येषु पदमेक च

भिन्नेष्वप्युपलभ्यते ॥”

(वाक्यपदीय १ ७१)

यह तो वही ‘हरि’ पद है। तदेव पदम।” ऐसी प्रत्यभिज्ञा के कारण पद का एकत्व भी सिद्ध होता है। अतः मीमांसक मानते हैं कि वण ही पद है। वण समुदाय को ही तो ‘पद’ कहते हैं। वर्णातिरिक्त पद क्या है? पद अवयवी या अंगी है। वण उसके अंग या अवयव हैं। अंगी अंगों का समुदाय ही होता है। “न तावत् समुदायिभ्य समुदायोऽतिरिच्यते।” इसी तक से कहा जा सकता है कि पदा का समूह वाक्य है। वाक्य पदों से भिन्न नहीं है। पदों के घटक वण हैं। अतः पद पदबन्ध, उपवाक्य, वाक्य आदि ये सब मूलतः ‘वण’ ही है। भत हरि ने इस मत की व्याख्या में लिखा है—

“न वणव्यतिरेकेण

पदमयच्च विद्यते।

वाक्य वणपदाम्भ्या च

व्यतिरिक्तं न किञ्चन ॥”

(वाक्यपदीय १ ७२)

इस तरह वणवादी मीमांसका की बात भत हरि ने पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत की। श्लोकवार्तिक में स्फोटवाद प्रकरण में वर्णातिरिक्त पद का निषेध करते हुए

कहा है—

“विच्छिन्नयत्नव्यङ्ग्यं च
नित्यं सर्वगतरपि ।
व्यतिरिक्तपदारम्भो
वर्णनात्रोपपद्यते ॥”

८५६ भर्तृ हरिन अपने मत की स्थापना करते हुए कहा कि वस्तुन अखंड वाक्य ही सत्य है। उसी की सत्ता प्रमाणसिद्ध है। वाक्य के अवयव क रूप म पदा की सत्ता मिथ्या है। पद की प्रतीति उपाधिकृत है। पद क अवयव वण भी मिथ्या हैं। वर्णों के अवयव भी मिथ्या ह। वाक्य की व्याख्या करन क लिए ऐस मिथ्याभूत अवयवों की कल्पना कर ली जाती है। वाक्य ही अथ का वाचक है। उनरु शब्द असदिग्ध हैं—(१) पद न वर्णा विद्यत। पदा म वण नहीं होन। वर्णों का अवभास औपाधिक है। (२) वर्णेष्ववयवा न च। वर्णों म अवयव भी नहीं होते। ऋकार के गभ मे रेफ है। एसी उक्ति कायविशेष (णत्व) की सिद्धि के लिए आहृत है। किंतु यह मिथ्या कल्पना है। (३) वाक्यात् पदानामत्यत प्रविद्यको न कश्चन। (वाक्यपदीय, १ ७३) वाक्य म पृथक् पदा की कोई सत्ता नहीं है। यह मारी कल्पना वाक्य के सम्यक ज्ञान के लिए अपक्षित है। कहा गया है—

“उपाया शिक्षमाणाना
वालानामुपलालना ।
असत्ये वत्मनि स्थित्वा
तत सत्य समीहते ॥”

‘स्फोटसिद्धि म भी कहा है—

‘नानैकावयव वाक्य
पद वा स्फोटवादिनाम् ॥”

दीक्षितजी न अखंडवाक्यस्फोट के प्रमाण क रूप म वाक्यपदीय की उपयुक्त (१ ७३) कारिका को उद्धृत किया है।

८६ पहले व्यक्तिस्फोट के तीन प्रकार बताय थे—(१) वणस्फोट (२) पदस्फोट (३) वाक्यस्फोट। अब दो और भेद इस सूची म जोड़ दिय गय—(४) अखंडपदस्फोट (५) अखंडवाक्यस्फोट। कुल मिलाकर व्यक्तिस्फोट के पाच भेद इस प्रकार बन जाते हैं। इस बात को दीक्षितजी न स्पष्ट किया—

‘तस्मादखण्ड पद वाक्य वेति पञ्चापि व्यतिरिक्तस्फोटावातरभेदा ॥”

(शब्दकोस्तुभ पृ० १४)

६ इसके विपरीत कुछ वैयाकरण ‘जातिस्फोट को स्वीकार करते हैं। वर्ण अनेक हैं। एक अकार की आवृत्तिया अनंत होती हैं। घट’ पट’ ‘बरोति’ ‘चरति’ आदि अनंत पदों म अनंत अकार पाय जाते हैं। इसी प्रकार अय वण भी

अनत होते हैं। “स एवायमकार ।” ऐसी प्रत्यभिज्ञा से एक्त्व की सिद्धि नहीं होती, किंतु सजातीयत्व की ही सिद्धि होती है। अतः ‘अत्व’ जाति को मानकर समस्त अकारों का अनुगम करना चाहिए। वात्तिककार न पहले वर्णैकत्ववाद का उपस्थापित किया—‘एक्त्वादकारस्य सिद्धम् ।’ (महाभाष्य, प्रत्याहारात्तिक, पृ० ८८) भाष्यकार न इनकी व्याख्या में कहा कि भाषा में उपलब्ध सभी अकार एक हैं—

“एकोऽयमकार, य च अक्षरसमाप्ताये, य च अनुवृत्तौ, य च धात्वा-
दिस्य ।”

(वही, पृ० ८८)

किंतु स्वयं वात्तिककार ने एक्त्व का निराकरण करते हुए कहा—“आय-
भाव्य तु कालशब्द यवायात ।” “युगपच्च देशपृथक्त्वदशनात् ।” (वही, पृ० ९३)
इसकी व्याख्या में भाष्यकार न लिखा है कि “दण्ड + अग्रम’ म संहिता की
अविवक्षा में कालव्यवधान के कारण अकारों का भेद सिद्ध होता है। ‘दण्ड’ म
दकारोत्तरवर्ती अकार तथा डकारोत्तरवर्ती अकार भिन्न हैं, क्योंकि दोनों के बीच
णकार तथा डकार का व्यवधान है। “आयभाव्य त्वकारस्य । कुत ? काल
व्यवायात शब्द यवायाच्च । काल-प्रवायात—दण्ड अग्रम । शब्द यवायात—
दण्ड । न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवित्तव्यम् ।” (वही, पृ० ९३) इस प्रकार वण
की अनवृत्ता को सिद्ध करने के बाद वात्तिककार न जातिस्फोट की स्वीकार करते
हुए कहा—‘आकृतिग्रहणात् सिद्धम् ।’ (वही, पृ० ९६) इस वात्तिक की व्याख्या
में भाष्यकार ने कहा है—‘अवर्णाकृतिरूपदिष्टा सवणमवणकुल ग्रहीष्यति । तथा
इवर्णाकृति । तथा उवर्णाकृति ।’ (वही, पृ० ९६) भाष्यकार ने यह भी कहा कि
जातिपक्ष का आश्रयण करने पर सवणग्राहकता के लिए सूत्रारम्भ करने की
आवश्यकता नहीं होगी। ‘अणुदित सवणस्य चाप्रत्यय ।’ यह ग्रहणकशास्त्र
सवणग्रहण के लिए अपेक्षित है। जातिपक्ष में सवण का ग्रहण जाति के कारण
ही संभव हो जाने से इस सूत्र को यथ मानते हैं—‘सवर्णेणग्रहणमपरिभाष्य-
माकृतिग्रहणादन यत्वाच्च ।’ (वही पृ० ९७) वात्तिककार ने एक और तक दिमा
है कि व्यक्तिपक्ष में ग्रहणकशास्त्र का आरम्भ करने पर भी अवात्ताम आदि रूपा
की सिद्धि संभव नहीं। अहं वस धातु का, लुङ् लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन में
रूप है। लुङ् लकार में अडागम होता है। विकरण प्रत्यय सिच’ में सकार वचता
है। अवस् + सू + ताम् । स स्वाधधातुके। इससे धातु के सकारक स्थान में
तकार। ‘यदन्नज हल-तस्याच । इससे अकार की वृद्धि आकार। अवात् + स +
ताम् । अब झलो झलि’ सूत्र में सकार का लोप होने पर अवात्ताम—यह रूप
वचता है। किंतु झल’ प्रत्याहार में एक ही या ‘त कार आ सकता है (व्यक्तिपक्ष
के कारण)। पहला तकार झल् है तो दूसरा झल् नहीं है। दूसरे को झल् मानते हैं

तो पहला श्ल नहीं हो सकता। मूल का अर्थ है कि झल के बाद आने वाले सकार का लोप होता है यदि परवर्ती वण झल हो। तो फिर इस मूल का उदाहरण क्या हो सकता है? कैयट ने कहा—'अभित्या' इत्यादि उदाहरण है। अभिद् + स + याम। पहले दकार एक झल है बाद में थकार एक झल है। यहाँ सकार दो झल वर्णों के बीच में है, अतः लोप हुआ है। मूल तो ऐसे उदाहरणों में साधक बन गया। कैयट ने इस सदम की व्याख्या में लिखा है—

“व्यधितपक्षे हि एकस्यैव तकारस्यानुकरणे 'लफछठथे' त्यत्र तकार इति द्वयोस्तकारयो झलत्व न स्यात्, अपि तु एकस्यैव। इति अवात्तामित्यत्र सिज्जलोपो न स्यात्। अभित्या इत्यादावेव स्यात्।”

(भाष्यप्रदीप, पृ० ६७)

अतः व्यधितपक्ष में यह एक प्रबल अनुपपत्ति है। ग्रहणकशास्त्र से यहाँ कोई सहायता नहीं मिलती। तकार 'अण' प्रत्याहार में नहीं है। वार्त्तिककार ने “हल्-ग्रहणेषु च” कहकर इस तत्व को उपस्थापित किया। भाष्यकार ने विशद व्याख्या की—

“हलग्रहणेषु च। किम्? आकृतिग्रहणात् सिद्धमित्येव। झलो झलि। अवात्ताम जवात्तम अवात्त। अत्र एतन्नास्ति—'अण सवर्णान् गृह्णाति' इति।

(महाभाष्य, पृ० ६७)

इस प्रकार वार्त्तिककार तथा भाष्यकार दोनों ने जातिस्फोट का प्रतिपादन किया है। अतएव कैयट ने 'आकृतिग्रहणात् सिद्धम्' वार्त्तिक की अवतारिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा—

“एव व्यधितस्फोटपक्षे निराकृते जातिस्फोटपक्षे एवाश्रीयते।”

(भाष्यप्रदीप पृ० ६६)

१० जातिस्फोट के तीन अवातर भेद हैं— (१) वणजातिस्फोट (२) पद-जातिस्फोट (३) वाक्यजातिस्फोट। व्यधितस्फोट पाँच प्रकार का है और जातिस्फोट तीन प्रकार का। इस तरह स्फोट के आठ पक्ष शास्त्रों में वर्णित हैं। दीक्षितजी ने लिखा है—“अष्टावपि एते पक्षा सिद्धात्तत्र येषु तत्र तत्र उपनिबद्धाः।”

(शब्दकोस्तुभ, पृ० १५)

ग्रहणों में आठों पक्षों का निरूपण किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु आठ पक्षों में किसका क्याकरण मायता देते हैं? यह कुतूहल का विषय है। दीक्षितजी ने सरल किंतु स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि वाक्यजातिस्फोट को ही सवमाय सिद्धात के रूप में ग्रहण किया जाता है। उनका शब्द है—

“यद्यपि इह अष्टौ पक्षा उक्ता, तथापि वाक्यस्फोटपक्षे तात्पर्यं ग्रह्यताम्।

तत्रापि जातिस्फोट इत्यवधेयम् । पूर्वपूर्वोपमर्दनव उत्तरोत्तरोपयासात् ।”

(शब्दबोस्तुम्, पृ० १५)

पहल तो व्यक्तिस्फोट की चर्चा की। वणस्फोट की अनुपपत्ति के कारण पदस्फोट को स्वीकार किया। उसकी 'यूनता' को देखकर वाक्यस्फोट पर पहुंचे। वर्णातिरिक्त वाक्य का मानने के कारण—पद और वण को मिथ्या कहकर—अखंडवाक्यस्फोट को स्वीकार किया। यह भी व्यक्तिस्फोट का ही एक प्रकार है। व्यक्तिपत्र म उदभावित अनुपपत्तियों के निराकरण के लिए जातिपत्र का ग्रहण किया। इस तरह पूर्व-पूर्व पक्षों का निराकरण करने के बाद अंतिम रूप में वाक्य-जातिस्फोट को मायता दी है। इससे सिद्ध होता है कि अथ सभी पक्ष कवल सोपान है, वाक्यजातिस्फोट ही सवमाय सिद्धात है। भत हरि ने तो 'स्फोट' को शब्द ब्रह्म ही कह दिया है—“समारम्भस्तु भावानामनादि ब्रह्म शाश्वतम् ।” याकरण दशन का यही सिद्धात है।

११ भाष्यकार ने शब्दनित्यत्व का स्वीकार किया है। सिद्धे शब्दाथ सम्बन्धे—इस वार्तिक को 'यास्या मे कहा—' सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चति ।' (पृ० ४७) यहा 'सिद्ध' का अथ नित्य बताया गया है। इस भाष्य का तात्पय बतलाते हुए कयट ने लिखा है—

“तत्र नित्य शब्दो जातिस्फोटलक्षण, व्यक्तिस्फोटलक्षणो वा । कायशब्दिका नामपि मते प्रवाहनित्यतया । जथस्यापि जातिलक्षणस्य नित्यत्वम् । द्रयपक्षेऽपि सवशब्दानामसत्योपाध्यवच्छिन्न ब्रह्मतत्त्व वाच्यमिति नित्यता । प्रवाहनित्यतया वा । सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परया अनादित्वानित्यता ।”

(भाष्यप्रदीप, प० ४७)

प्रवाहनित्यता तो गौण है। एक वस्तु के नष्ट होन पर भी उसी जाति की अथ वस्तु रहती है। इस अनुवतमानता (Continuity) को ही प्रवाहनित्यता कहते हैं। किंतु व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में शब्द की नित्यता मुख्य है। उत्पत्ति तथा विनाश से रहित हाना—प्रागभाव तथा प्रध्वमाभाव से मुक्त होकर रहना—नित्यता है। कयट ने शब्द की तरह अथ को भी जातिरूप मानकर उसकी नित्यता स्वीकार की है। अथ तो ब्रह्म ही है। शब्द भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही स्वयं वाचक है, तथा वाच्य है। इस प्रकार कयट ने इन पक्षियों में शब्दाद्वत सिद्धात का संकेत दिया है।

१२ भाष्यकार ने आरभ में ही यह प्रश्न उठाया— गौरित्यत्र क शब्द ?' इसका उत्तर दिया— ये नोच्चारितेन सास्नालाड मूलकबुदधूरविपाणिना सप्रत्ययो भवति स शब्द ।' (प० १२) यहा भाष्यकार ने स्फोट शब्द का तो प्रयोग नहीं किया। किंतु उनका तात्पय यही है कि स्फोट अर्थ का वाचक है। कयट ने व्याख्या की है—

‘घयाकरण घणव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा याचकत्वमिच्छति। वर्णानां प्रत्येकं याचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारणानयक्यप्रसङ्गात्। आनयक्ये तु प्रत्येक-मुत्पत्तिपक्षे योगपद्येन उत्पत्त्यभावात्, अभिव्यक्तिपक्षे तु प्रमेणच अभिव्यक्त्या समुदायाभावात्। एकस्मृत्युपाट्टानां च वाचकत्वे सरो रस इत्यादी अथप्रतिपत्त्य-विशेषप्रसङ्गात्। तदव्यतिरिक्त स्फोटोनादाभिव्यङ्ग्यो वाचको विस्तरेण वाक्य-पदीये व्यवस्थापितः।’

(भाष्यप्रदीप पृ० १२-१३)

“भाषा का स्वरूप”—इस अध्याय में कॅपट की उपर्युक्त पक्तियों की व्याख्या की जा चुकी है। कॅपट ने स्पष्ट किया है कि यहाँ भाष्यकार ने ‘स्फोट’ का सकेत दिया है। स्फोट तो व्यङ्ग्य है। “नादाभिव्यङ्ग्यः।” इसका व्यञ्जक नाद ध्वनिरूप है। भाष्यकार ने दूररा उत्तर यो दिया—

“अथवा प्रतीतपदायको लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते।”

(पृ० १४)

कॅपट ने इसकी व्याख्या में लिखा—

“अथ ध्वनिस्फोटयोर्भेदस्य व्यवस्थापितत्वात् इह अभेदेन व्यवहारेऽपि न दोषः।”

(भाष्यप्रदीप, पृ० १४)

इसी प्रसंग में वर्णातिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा” कहकर कॅपट ने अखण्ड पदस्फोट तथा अखण्डवाक्यस्फोट का सकेत दिया है।

१३ स्थानिवदादशोऽनलविधौ। (११-५५) यह सूत्र स्थानिवदभाव का विधान करता है। आदेश स्थानिवत् स्यात्। इस सूत्र पर विचार करते हुए कात्यायन ने कहा—‘एक देश विवृत्तस्योपसंख्यानम्।’ (महाभाष्य, अष्टम आह्निक, ११५५, पृ० ४३१) कात्यायन का विचार है कि ‘पघतु’ ‘पचतु’ इत्यादि में “एरु” सूत्र से तिङ् प्रत्यय के इकार के स्थान पर उकार विहित है। यह वण के स्थान में वण का आदेश है। ‘ति’ एववचन का प्रत्यय है। ‘अति’ बहुवचन है। ये ता ‘तिङ्’ प्रत्याहार में आते हैं। अतः, ‘पचति’ ‘पचति’ इत्यादि ‘लट लकार के रूपों को तिङ्गत पद मान सकते हैं। किंतु ‘लोट’ में इकार के स्थान में उकार होता है। यहाँ ‘ति’ के स्थान में तु का आदेश नहीं बताया। किंतु ‘ति’ प्रत्यय का एकदेश ‘इ’ उकार में बदल गया—विकृत हुआ। अतः यहाँ स्थानिवदभाव से काम नहीं चल सकता। तो इस सूत्र में ‘एकदेशविकृत स्थानिवद् भवति—इस प्रकार उपसंख्यान (जोड़ना) करना चाहिए। नागेश ने लिखा है—

“आनुमानिकेपि स्थानिवत्त्वप्रवृत्तिवक्तव्यति एतद्वात्कितात्पयम्।” (पृ० ४३१)

१३ १ एकदेश का विकार होने पर भी वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता ३

किसी कुत्ते की पूछ कट गयी या कान कट गया तो भी वह कुत्ता ही रहता है, उसे गधा या घोडा तो नहीं कहते। इसी प्रकार, 'ति' और 'अति' में इकार का उकार होने पर भी इन प्रत्ययों का स्वरूप नहीं बदलता। अतः स्थानिवदभाव के बिना भी पदसंज्ञा सिद्ध हो सकती है। कात्यायन ने स्वयं यह परिहार सुझाया—“एकदेशविकृतस्थान यत्वात् सिद्धम्।” इस पर भाष्यकार ने कहा—“एकदेशविकृतमनयवदभवतीति तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं भविष्यति। तदयथा—श्वा कर्णे वा पुच्छे वा छिन्नं श्वैव भवति, नाश्वो न गदम इति।”

(महाभाष्य, वही, प० ४३१)

कथन ने भी यहाँ यह तर्क दिया है कि पूछ के कट जान पर भी कुत्ते के अप अगो से 'श्वत्व' जाति व्यजित होती है। उसी प्रकार यहाँ इकार का विकार होने पर भी प्रत्यय का अवशिष्ट अंश तकार व्यजित कर सकता है कि यह वही तिङ् प्रत्यय है। 'अपचत' में 'ति' के इकार का लोप ही हो गया है। 'अपचन' में 'अति' का तकार तथा इकार दोनों वण लुप्त हो गए हैं। फिर भी प्रत्यय का अवशिष्ट अंश हम सूचना देता है कि यह वही 'तिङ्' प्रत्यय है। कथन के शब्द हैं—

“छिन्नेऽपि पुच्छे शिष्टावयवसन्निवेशे श्वत्वजातेरभिव्यञ्जकः। एव 'पचतु' इत्यत्र इकारस्य विकारेऽपि तकार तिङ् त्वस्य व्यञ्जकः। तथा च, इकारलोपेऽपि अपचदिति तकारमात्रस्य तिङ् त्वमयप्रतीतिहेतुत्व चास्ति।”

(भाष्यप्रदीप, प० ४३१)

१३२ इस पर वार्तिककार ने फिर आपत्ति उठायी कि एकदेशविकार को स्वीकार करें तो शब्दनित्यत्व का भंग प्रसक्त होगा। शब्दों की नित्यता सप्रतिपत्ति नहीं है। नित्य शब्दों में किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है। अतः 'एर' का तात्पर्य यही मानना होगा कि इकारात् प्रत्यय के स्थान में उकारात् रूप का प्रयोग करना चाहिए। 'अनित्यविज्ञानं तु तस्यादुपसंन्यातम्।’ (प० ४३१) इस वार्तिक का आशय भाष्यकार ने बताया है—

“अनित्यविज्ञानं तु भवति। नित्या शब्दाः। नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थरविचालिभिवर्णैर्भवित्त्वमनपायोपजनविकारिभिः। तत्र 'स एवाय, विकृत च' इत्येतत् नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते। तस्यादुपसंन्यातं कृतव्यम्।”

(महाभाष्य, वही, प० ४३१)

'ति' प्रत्यय पुरुष तथा सख्या का बोधक है। 'तिप्तसञ्ज्ञि' इत्यादि सूत्र से विहित इस प्रत्यय की शक्ति (अथबोधकत्व) व्याकरण से गृहीत है। 'ति' के इकार को हटाकर उसके स्थान पर उकार का आदेश विधान करें तो एक वण का अपाघ तथा विकार मानना पड़ता है। यह नित्यत्व के विरुद्ध है। अपाघ का अर्थ है लोप। उपजन का अर्थ है किसी नये वण का आगम, उत्पत्ति। विकार का अर्थ है आदेश। आदेश में स्थानी का अपाघ तथा आदिश्यमान वण का उपजन

सम्मिलित है। लोप, आगम और आदेश तीनों को विकार कह सकते हैं। एम विकारा को मायता देन का अर्थ है कि हम शब्द को अनित्य मानते हैं। शब्द नित्यतावादी तो विकार को स्वीकार नहीं करता। यह मानता है कि 'ति' के स्थान पर 'तु' का प्रयोग करना चाहिए। 'ति' और 'तु' दो शब्द हैं। व्याकरण यह बताता है कि कहा 'ति' का प्रयोग करना चाहिए और कहा 'तु' का। व्याकरण प्रयोग-व्यवस्था का बणन करता है। सूत्र म प्रत्यक्ष रूप से इकार के स्थान पर उकार का आदेश विहित है। किंतु इसका गूढ तात्पर्य यही है कि इकारात् प्रत्यय क स्थान पर उकारात् रूप प्रयोक्तव्य है। इस 'आनुमानिक आदेश' कहत है। वार्तिककार के प्रस्तावित उपसखान का परिणाम यही होता है कि प्रत्यक्षश्रुत तथा आनुमानिक दोनो प्रकार के आदेशो का स्थानित्व सिद्ध होता है। कयट न इस बात का स्पष्ट किया है—

“अवस्थिते तकारे इकारस्य उकार इति अनित्यत्व शुन इव प्राप्नोतीति भाव । उपसखाने तु श्रियमाणे नास्ति अनित्यत्वम् । एरुरिति स्या यादेशान्या तिशब्द तु शब्दयोरनुमीयमानत्वात् ते प्रसङ्गे तोविधानात् । तत्र आदेशग्रहणाद्वा उप सखानाद्वा आनुमानिकस्याप्यादेशस्य स्थानित्वात् सिद्ध ।”

(भाष्यप्रदीप, वही, प० ४३१)

१३३ कात्यायन की तरह भारद्वाजीय वार्तिककार न भी स्थानी और आदेश की समस्या पर विचार किया है। उन्होंने एक मूलभूत प्रश्न यह उठाया कि शब्द नित्य हैं तो किसी शब्द क स्थान म किसी शब्दांतरक आदेश को कतपना कस सगन होगी ? 'अस्तेभू' । आधधातुक म 'अम' क स्थान मे 'भू' का आदेश विहित है। 'जराया जरस' यतरस्याम । 'जरा' शब्द के स्थान पर 'जरस' का आदेश विहित है। स्थानित्वभाव का तो अर्थ इतना ही है कि आदेश स्थानी के समान काम करता है। स्थानी तिड है तो आदेश भी तिड है—बभूव । तिप के स्थान पर 'णल' आदेश हुआ । णल भी तिड माना जाता है। रामाय । 'डे' के स्थान पर 'य' आदेश हुआ । 'य' भी सुप है । 'सुमि च' राम के अकार का दीघ हुआ । यही तो स्थानित्व का लाभ है। किंतु 'डे' का 'य' म विपरिणाम तो विकार है। शब्दनित्यतावादी ऐसे विकारा की व्यवस्था को कस स्वीकार कर सकते हैं ? उनका यह वार्तिक द्रष्टव्य है—

“अनुपपन्न स्या यादेशत्व नित्यत्वात् ।”

(महाभाष्य, १-१ ५५ पृ० ४३३)

भाष्यकार ने इसकी व्याख्या मे कहा कि स्थानी उस कहत हैं जा पहल था और अब आदेश के कारण हट गया । आदेश उस कहते है जा पहल नही था और अब उत्पन्न हुआ है । स्थानी नित्य नही है क्योंकि वह विनष्ट हो जाता है । आदेश भी नित्य नही है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है । अतः स्या यादेश की कल्पना

सह-निरपत्तावादी की दृष्टि में अममय है। भाष्यकार के अनुसार विपाराय है—

“स्यातो आदेश इत्यतत् त्रियम् गच्छेत् गोपयणे । किं चारत्तम ? त्रियण्यत्त्व
रथात् । स्यातो हि माम यो भूत्वा न भवति । आदेशो हि माम यो-पूत्वा भवति ।
एतच्च त्रियेत् गच्छेत् गोपयणे यत् सतो माम विनाग स्यात्, अततो वा
प्रागुभाय इति ।”

(महाभाष्य, १-१ ५५ पृ० ४३३)

यद्यपि यहाँ पर सिद्धा कि जब एक-एक विचार में भी निरपत्त की अनु-
पत्ति यथाशी जाती है तब एक पूरक शब्द को हटाकर उनका स्थान पर तदात्मक
रूप । शब्दांतर का विधान करके अनुपत्ति और प्रथम हो जाते हैं। आदेश
आदि की कल्पना न करे तो व्याकरण का काम क्या चल सकता है ? आदेश की
मातृता है ता निरपत्त का निर्वाह क्या हो ? कष्ट का वाक्य है—

“एषदेगविकारेपि यत्र निरपत्तवहानिरत्तत्र सव्यविकारे बुतो निरपत्तम्, यत्रा
म्वयोपि वर्यच्चि-नारत्तीत्यथ ।”

(भाष्यप्रदीप, वही पृ० ४३३)

नागम न यदा शास्त्रीय भाषा में निरपत्त की व्याख्या की है। नयापिच कहत
है कि यद्यपि वस्तु का नाश होना 'प्रथ्वसाभाव' है। जो वस्तु भाग उत्पन्न होना
वासी है अथ उनका अभाव प्रागभाव है। अनिरपत्त पदाम उत्पन्न होत है।
उत्पत्ति में पूर्व उनका 'प्रागभाव' रहता है। उत्पन्न होकर वे पन्नाम छोड़े समप
के बाद नष्ट होते हैं। विनाश के बाद उनका 'प्रथ्वसाभाव' रहता है। निरपत्त
पन्नाम गना रहत है। अतः न उनका 'प्रागभाव' होता है, न 'प्रथ्वसाभाव'। यही
निरपत्त का क्षण भाष्यकार को अभीष्ट है। नागम न 'निरपत्त' का अर्थ यो
यथाया—

“यो भूत्वा इत्यादि भाष्यस्य प्रागभावाप्रतिपोगित्ये सति ध्वसाप्रतिपोगित्य
निरपत्त्यमिति तात्पर्यम् ।”

(भाष्यप्रदीपोत्थोत् पृ० ४३३)

१३४ इस प्रश्न का समाधान भारद्वाजीय वार्तिककार न यो किया है
कि स्याती की हटाकर आदेश की उत्पत्ति की कल्पना हम मान्य नहीं है। स्थान
का अर्थ है प्रसंग। लोच तथा वेद में इस अर्थ में स्थान शब्द का प्रयोग पाया
जाता है। उपाध्याय के स्थान में शिष्य काम करता है। इस वाक्य का अर्थ क्या है ?
क्या हम समझते हैं कि उपाध्याय पहले ही आकर बस था, शिष्य ने उ-ह हटाकर
उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया ? इस वाक्य का सरल अर्थ तो यही है कि
उपाध्याय को आना चाहिए था किसी कारण से वह नहीं आये। उनका स्थान में
आकर शिष्य उनका काम करता है। इसी प्रकार एक शब्द के प्रसंग में दूसरे शब्द
का प्रयोग ही आदेश का तात्पर्य है। यहाँ स्थानों का विनाश और आदेश की

की व्याख्या करने से शब्द-नित्यतावादी व्याकरण की दृष्टि में स्थायादेशभाव की कल्पना में अनौचित्य की प्रसक्ति नहीं है। यही भाष्यकार ने कहा—

“एवमिहापि अस्तिरस्मा अविशेषेणोपदिष्ट । तस्य सवत्र अस्तिबुद्धिः प्रसयता । स ‘अस्तेर्भूभवती’ति अस्ति बुद्ध्या भवति बुद्धि प्रतिपद्यते ।”

(महाभाष्य, वही, पृ० ४३४)

इस प्रसंग में भाष्यकार ने सिद्ध किया है कि व्याकरण में लोप आगम तथा आदेश का विधान शब्दसिद्धि का एक उपाय मात्र है। सुधी + उपास्य । ऐसा प्रयोग प्राप्त है। सुध्युपाष्य । यही प्रयोग कतव्य है। वस्तुतः ईकार को हटाकर उसके स्थान में यकार को नहीं लाते। इसी प्रकार ‘क्वप्’ आदि प्रत्यय भी कल्पित हैं। किसी व्याकरण में तृतीया एकवचन प्रत्यय का रूप ‘आड’ बताया। पाणिनि ने डित्व को जापत्तिजनक मानकर उसका रूप टा बताया। स्पष्ट है कि यह सब शास्त्रकार की कल्पना है। भाषा के स्वरूप का वणन करने के लिए ऐसी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। किंतु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि लापादि विकारों की कल्पना असत्य है आरोपित है। सर्वे सवपदादशा दाक्षीणस्य पाणिने । एकदेशविकारे हि नित्यत्व नोपपद्यते ॥” इस प्रकार भाष्यकार ने शब्द-नित्यत्व की स्थापना की है। नित्य शब्द का नाम है ‘स्फोट’।

१४ ‘तपरस्तत्कालस्य’ (११-६६) सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने ध्वनि और स्फोट का अंतर स्पष्ट किया है। भाष्य के शब्द हैं—

“एव तर्हि स्फोट शब्द । ध्वनि शब्द गुण । कथम् ? ‘भेर्याघातवत् ।” तद्यथा भेर्याघातो भेरीमाहृत्य कश्चिद् विशतिपदानि गच्छति, कश्चित् त्रिशत, कश्चित् चत्वारिंशत् । स्फोट च तावानेव भवति । ध्वनिवृत्ता वद्धि ।”

(महाभाष्य, ११-६६, पृ० ५३१)

स्फोट ही शब्दतत्त्व है। ध्वनि स्फोट का गुण है। कथम् न कहा है कि गुण का अर्थ उपकारक है। ध्वनि को उपकारक क्यों कहते हैं? स्फोट स्वयं विद्यमान हाकर भी अर्थप्रत्यायक नहीं हो सकता। ध्वनि से व्यञ्जित यानी प्रकाशित हान पर ही स्फोट अर्थबोधक बनता है। स्फोट की व्यञ्जना करना ही ध्वनि का उपकार-कत्व अथवा गुणत्व है—‘शब्दगुण इति । शब्दस्य गुण उपकारो यञ्जकत्वे-नेत्यर्थ ।’ (कथम्, पृ० ५३१) भाष्य में यहाँ जिस स्फोट की चर्चा की गयी है वह वणव्यक्तिस्फोट है। कथम् ने इस बात का स्पष्ट किया—

“व्यक्तिस्फोटोऽत्र विधक्षित स च नित्य ।”

(भाष्यप्रदीप, पृ० ५३१)

इस प्रकार भाष्य भाष्यप्रदीप उदद्योत आदि ग्रंथों में प्रसंगानुसार स्फोट की व्याख्या की गयी है।

१५ इसी सूत्र की व्याख्या के अंत में भाष्यकार ने स्फोट और ध्वनि के

सबध म एक कारिका दी है—

ध्वनि स्फोट घ शब्दाना,
ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते ।
अल्पो महाश्च केपाधि—
द्रुमय तत्त्वभावत ॥

(महाभाष्य, पृ० ५३१)

ध्वनि व्यञ्जक है। स्फोट व्यग्य है। य शब्द के दो प्रकार हैं। व्यञ्जक ध्वनि म ही द्रुत मध्यम तथा विलंबित वृत्ति के कारण अल्पत्व तथा महत्त्व का भेद लक्षित होता है। व्यग्य स्फोट म ऐसा कोई भेद नहीं है। “स्फाट तावानव । ध्वनिवृत्ता वृद्धि ।’ उदघोतकार न इस ओर स्पष्ट किया है— विलम्बितादि-वत्तो तु स्फोट एकजातीय एव ।

(उदघोत १ १ ६६, पृ० ५३१)

कपट न भी कहा है कि द्रुत आदि वृत्तिया के कारण व्यञ्जक ध्वनि म काल-भेद होत पर भी उसस व्यञ्ज्यमान स्फाट म कालभेद की सभावना नहीं रहती— “शब्दाना व्यङ्ग्याना सबधी व्यञ्जकत्वन यो ध्वनि स एव महानल्प च लक्ष्यते । व्यग्यस्तु अभि-नकाल एवेत्यथ ।’

(भाष्यप्रदीप, वही पृ० ५३१)

१६ दीक्षितजी न शब्दवौस्तुभ म स्फोट का निरूपण करते समय इस सिद्धांत को मा यता दी है कि वाक्य ही वाचक है। वाक्य के घटक या अवयव पद तथा उनके घटक वण वाचक नहीं हात । वस्तुत वाक्य वर्णातिरिक्त स्वतंत्र पदार्थ है। वाक्य ही वाचक है। इस सिद्धांत का समयन करन के लिए दीक्षितजी न प्रश्न उठाया कि शब्द की शक्ति का ज्ञान किस उपाय स होता है ? शब्द की शक्ति जब तक अज्ञात रहती है तत्र तक उससे श्रांता का अथज्ञान नहीं हो सकता । हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते । शब्द तो साधक है वह अर्थ के प्रतिपादन म समर्थ है। किंतु हम अर्थ का ज्ञान नहीं है ता शब्द को सुनन के बाद हम पूछेंगे— ‘इस शब्द का अर्थ क्या ह ?’ अत शब्दशक्ति ज्ञात होकर ही अर्थवाध म सहायक बन सकती ह । तो पहला प्रश्न यही आता है कि शक्ति ग्रह का उपाय क्या ह ?

१६ १ शास्त्रकारो न कोश, व्याकरण आदि को शक्तिग्रह क उपाया मे स्थान दिया है। ‘सिद्धांतमुक्तावली’ ग्रंथ मे बताया है—

“शक्तिग्रह व्याकरणोपमान—
कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारत च ।
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेवदति,
सान्निध्यत सिद्धपदस्य वद्धा ॥’

इस कारिका म बताया गया है कि व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य,

व्यवहार वाक्यरूप विवरण और निम्नपद समन्वित्याहार—शक्तिग्रह के ये आठ साधन होते हैं। इनमें व्यवहार, वाक्य तथा व्याकरण—ये तीन साधन प्रमुख हैं। उपमान आदि अन्य गौण हैं। कोश और व्याकरण भी व्यवहार अथवा प्रयोग पर आधारित हैं। प्रयोगानुगारी होने पर ही कोश या व्याकरण का प्रामाणिक मान सकते हैं। प्रयोगमूलक हान के कारण ये दोनों परतल हैं। व्यवहार या प्रयोग ही शक्तिग्रह का एवमात्र स्वतंत्र प्रमाण है। सभी शास्त्रकार एकमत होकर यह स्वीकार करते हैं कि व्यवहार ही शक्तिग्रह का प्रथम और मूळ य प्रमाण है।

१६२ अत्र विचार करके देखें कि बालक किस भाषा सीखता है? उन शक्तिज्ञान किसे उपाय से प्राप्त होता है? बालक अपने माता पिता आदि के भाषा व्यवहार से ही शक्तिज्ञान को प्राप्त करता है। एक न कहें—‘गामानय’ (गाय को लाओ) दूसरा गाय को लाया। इस व्यवहार का देखकर बालक समझता है कि गामानय का यह अर्थ होता है। इसी प्रकार कई अन्य वाक्यों को बालक सुनता है और धीरे धीरे उसका भाषाज्ञान बढ़ता है। इसमें स्पष्ट है कि सर्वप्रथम बालक वाक्य से ही ज्ञान को ग्रहण करता है। प्राथमिक शक्तिग्रह वाक्य के मदम में ही होता है। अतः भाषा के अध्ययन की दृष्टि से वाक्य ही वाचक है। व्याय आदि शास्त्रों के आचार्य कहते हैं कि हाँ, पहले तो हम पूरा वाक्य सुनकर उसी का अर्थ ग्रहण करते हैं। किंतु बाद में हम वाक्य के घटक पदों का तथा पदों के अंतर्गत खंडों का भी ज्ञान होता है। पहले गामानय’—इस वाक्य को सुनकर विविध या अखंड रूप में अर्थ को ग्रहण किया। किंतु ‘गामानय अत्रमानय गामानय’ आदि इस प्रकार के कई वाक्य सुनने को मिलते हैं। इनमें गामानय आनय इत्यादि अर्थों को पृथक् इवाच्यों के रूप में हम पहचानते हैं। वाक्य और व्याकरण से हम पदों के विश्लेषण में सहायता लेते हैं। पदों का पृथक्करण करने के बाद, व्यवहार के आधार पर ही, हम पदों का अर्थ भी निश्चित करते हैं। गामानय’ इस वाक्य में दो पद हैं। ‘अत्रमानय’ यहाँ पहले वाक्य का गामानय’ शब्द को छोड़ दिया गया। यह उद्घाप है। उसके स्थान में अत्रमानय — इस नये शब्द को लाये। यही आवाप है। ऐसे आवाप एवं उद्घाप की प्रक्रिया से पदों का पृथक्करण तथा अर्थनिर्णय कर सकते हैं। व्याकरण से मालूम होना है कि गामानय’ ‘अत्रमानय’ आदि सुबोधित हैं और नय’ बध्ना आदि तिङ्गत् रूप हैं। गाम, गव, गो” इत्यादि विविध रूपों की तुलना करने से हम प्रातिपदिक तथा विभक्ति का पृथक्करण करने में सहायता मिलती है। न्यायिक तथा साधक रूप का पद मानते हैं। शक्त पदम्। अतः प्रत्यय भी उनकी दृष्टि में पद ही हैं। व्याकरण धातु और प्रातिपदिक को ‘प्रकृति (stem) कहते हैं। सुबोधित या तिङ्गत् रूप का—प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय को—पद कहते हैं—‘मुनिङ्गत् पदम्। किंतु प्रकृति साधक है। ‘अथवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्। इस सूत्र से पाणिनि न सक्त

र दिया है कि उनके मन में धातु, प्रातिपदिक तथा प्रत्यय ये तीनों साथक हैं। साथक शब्दरूप को व प्रातिपदिक मानते हैं। धातु तथा प्रत्यय भी साथक है, किंतु व प्रातिपदिक नहीं है। अतः 'अधातु, अप्रत्यय' कहकर उनका निषेध किया। "कतरि कृत" "नपुंसके भावे क्त" 'तयोरेव कृत्यक्तरवलर्था', भीमादयोऽपादान', "चतुर्थी सप्रदान" इत्यादि सूत्रों से विविध प्रत्ययों का अर्थ बताया गया है। इस प्रकार पद और पदाय की व्युत्पत्ति बताया जाती है। शबितग्रहपूवक भाषानान की इस प्रक्रिया का दीक्षितजी ने संक्षेप में दिखाया है—

"तथा च प्रथमं युत्पत्ते व्यवहाराधीनतया संपुणस्य वाक्यस्य विशिष्टे प्राथमिकं शक्तिग्रह इति निर्विवादम्। स च आद्यापाद्वापाभ्यामवयवानां शक्तिरिति व्यायोपटम्भेन त्यज्यते इति दशना तराणा प या।

(शब्दकोस्तुभ, पृ० १५)

१६३ 'दशनातराणां पथा' कहकर दीक्षितजी ने स्पष्ट किया कि व्याकरण-दशन इससे सहमत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि में पद वाचक नहीं है। वाक्य ही वाचक है। अवयवों का—वाक्य के अवयव पद हात है तथा पदा के अवयव प्रकृति और प्रत्यय होते हैं—साथक या वाचक मानने में क्या आपत्ति है? 'एकादशादिस्थले उक्तरीत्या विनिगमनाविरहण। दत्यारि, रमश, हरेऽव" आदि में एकादेश हुआ है। सवण दीध, गुण पूवरूप आदि को पूव तथा पर दोनों स्थानियों के स्थान में आने के कारण 'एकादेश' कहते हैं। स्थानी दा है, आदेश एक है। रमा-ईश = रमश। 'आ' और 'ई' दा स्थानी है जोर आदेश एक है 'ए'कार। 'एक पूवपरयो।' यहाँ शका होती है कि पद का विभाजन कस करें? "रमे" एक पद है, तो 'श' दूसरा पद होगा। अथवा रम पहला पद है तो एश दूसरा पद होगा। तो क्या नियामक है कि पद का यही रूप मानना चाहिए? इस कठिनाई से बचने का यही उपाय है कि 'रमेश' को एक माधक इकाई माने और उसके अवयवों को निरर्थक कहें।

१६४ हरे-अव = हरव। पाणिनि ने कहा है कि पदा त एट (ए आ) के बाद ह्रस्व अकार हो तो पूवरूप हाता है। 'एट पदा तादति।' पूरूप का अर्थ है एकादेश। एकार तथा अकार के स्थान पर एकार वा आकार मानते हैं।

किंतु दूसरे व्याकरण व्याख्या कर सकते हैं कि यहाँ परस्पर अकार का अर्थ हुआ है। इसी प्रकार पाणिनि ने कहा परस्पर का विधान किया है। 'एटि पररूपम्। यथा पूवलोप की कल्पना की जा सकती है। 'सीमा-अकार'। सीमा-अकार = सीमात। स्त्री की मांग को 'सीमात' कहा है। सीमा-अकार का 'सीमात' कहेंगे। यहाँ वास्तविकता में परस्पर मांग। 'सीमा-अकार का अर्थ कह सकते हैं। शब्द निष्पत्ति के कई प्रकार के उपाय आ सकते हैं। 'सीमा-अकार' में उपलब्ध है वही प्रामाणिक है। उग-अकार 'सीमा-अकार' का अर्थ है

आदि की कल्पना करता है। काल्पनिक होने के कारण इसमें लाघव गौरव की चर्चा होती है। मतभेद भी प्रसक्त होते हैं। इस स्थिति में विशिष्ट वाक्य का रूपता व्यवहारसिद्ध हान के कारण ग्राह्य है, उसके अवयव कल्पित हान के कारण प्रक्रिया की दृष्टि से स्वीकृत होकर भी पारमाधिक दृष्टि में त्याज्य है। इसीलिए व्याकरण दशन में वाक्य को ही वाचक मानकर पद आदि को असत्य कहा गया है। दीक्षितजी ने लिखा—

“एकादेशादिस्थले उक्तरीत्या विनिगमनाविरहण, कश्चित् पररूपादिस्थले पूर्वलोपाद्यभ्युपगमेन च व्याकरणानां कलहे सति अवयवशक्तेर्दुरुपपादतया प्राथमिकशक्तिग्रह एव प्रमाणरूप इति तु सद्वातिकं पथा ।”

(शब्दकोस्तुभ, पृ० १४)

१६ ५ इस विषय में आचार्य भत हरि की सम्मति प्राप्त है। उन्होंने एक प्रसंग में कहा है कि व्याकरणों में मतभेद पाया जाता है—

“तत्र यत् मुख्यभेदेषां

तत्र तेषां विषयम् ।”

अर्थात् उन होने स्पष्ट कहा है कि वाक्य के घटक पद स्वयं तो निरर्थक ही होते हैं और वाक्य ही विशिष्ट अर्थ का वाचक होता है। समास में एकार्थीभाव का सब व्याकरण स्वीकार करते हैं। समास के अवयव अपने अर्थ को छोड़कर विशिष्टार्थप्रतीति के उपकरण माने जाते हैं, इसी प्रकार वाक्य के पद भी वाक्यार्थप्रतीति के उपकरण मात्र हैं, उनका कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं होता—

“ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति

कश्चिद् ब्राह्मणकम्बले ।

देवदत्तादयो धाव्ये

तथैव स्युरनयका ॥”

(भत हरि के शब्द, शब्दकोस्तुभ में उद्धृत)

तो फिर पाणिनि ने प्रातिपदिक का ‘अथवत् कस्य’ कहा? कतरि कृत आदि सूत्रों में प्रयया का अर्थ निर्देश किस आधार पर किया? धातु का अर्थ कुछ होता है, उपसर्ग के योग से अर्थात्तर की प्रतीति होती है। इस व्यवस्था को कस स्वीकार करें? उपसर्ग वाचक हैं या धोतक हैं? धातु के अर्थ को स्पष्ट करना ही तो धोतकत्व है। इसका तात्पर्य हुआ कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं है। व्याकरणों की मायता है— उपसर्गेषु धात्वर्थो बलादप्यत्र नीयते। प्रहाराहार-सहारविहारपरिहारवत् । वास्तव में ‘प्रहार’ आदि शब्दों में यह बताना कठिन है कि उपसर्ग का अर्थ कितना है और धातु का कितना? दीक्षितजी का कथन है कि यह सारा विचार प्रक्रिया-दशा में रूपसाधुत्व की व्याख्या के लिए उपयोगी ही ता ग्राह्य है, अर्थात्, वाक्य ही साधक है, पद आदि निरर्थक हैं। अतः यह

विचार भी व्यय ही माना जाएगा। भत हरि का प्रमाण देकर दीक्षितजी ने अपने मत को प्रस्तुत किया—

‘एव स्थिते निराता चोत्तका विकरणा अथका इत्यादिविचारोऽपि प्रक्रिया दशापामेव। आह च—

“अडादीना व्यवस्थाय
पयवत्वेन प्रकल्पनम्।
धातूपसगयो शास्त्रे
घातुरेव तु तादृश ॥”

इति। तादृश अलण्ड इत्यय ॥

(शब्दकोस्तुभ, पृ० १५)

१६ ६ १ धातु और उपसग को पृथक् इकाइयो के रूप में विभाजित करने का एक प्रयाजन है ‘अट’ आदि की व्यवस्था का निर्वाह। अट’ एक आगम है। टकार इत है टित्व से ज्ञात होता है कि यह धातु का आदि जवयव बनकर जुड़ता है—‘आद्यती टकितौ।’ लुङ, लड तथा लृट—इन तीन लकारों में अडागम विहित है। लुङ—अभूत। लड—अभवत। लड—अभविष्यत। धातु अजादि हा तो ‘आट’ आगम होता है—‘लुङ लड लड स्वडुदात्त। आडादीनाम।’ ऋच्छति—आच्छत। ईक्षत—ऐक्षत। अस्ति—आसीत। किंतु जब धातु के साथ उपसग का प्रयोग होता है तब ये आगम धातु से पूव—उपसग के बाद—जुड़ते हैं। अनुभवति—अवभवत। प्रतीक्षते—प्रत्यक्षत। प्ररोहति—प्राराहत। ‘अट’ जादि की ऐसी व्यवस्था बताने के लिए—प्रक्रिया निर्वाह की दृष्टि से—धातु और उपसग को अलग करना अपेक्षित है। यदि उपसगसहित क्रियारूप को ‘धातु मान लत हैं, तो द्वित्व में भी दोष प्रसक्त होगा। भू धातु का लिट् लकार में रूप है—वभूव। ‘लिटि धातोरनभ्यासस्य।’ इससे धातु का द्वित्व हुआ। ‘अनु’ के साथ ‘भू’ का प्रयोग करें, तो द्वित्व किस अश का होगा? “अनुभू” का धातु मानत हैं, तो तु शब्द का द्वित्व प्रसक्त है—“एकाचो द्व प्रथमस्य। अजादेद्विती यस्य।”

पहला अनिष्ट रूप है। अतः ‘अनु’ उपसग को पृथक् करके ‘भू’ मात्र को धातु कहत है। तब द्वित्व की व्यवस्था ठीक होगी—‘अनुवभूव।’ इस प्रकार प्रक्रिया (रूपनिष्पत्ति) के निर्वाह के लिए उपसग को काटकर धातु से अलग करना पडता है—“प्रादय। उपसर्गा क्रियायोगे। ते प्रागध्रातो।’ भत हरि का प्रमाण मानकर दीक्षितजी ने कहा है कि अखंड वाक्य को स्वीकार करनेवाले वैयाकरण के लिए भी प्रक्रिया की दृष्टि से ऐसे भेदा की कल्पना करनी पडती है। किंतु ये कल्पित भेद वाक्य की पारमार्थिक अखंडता में बाधक नहीं हो सकते।

१६ ७ पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सैद्धांतिक चर्चा से बचकर प्रायोगिक

उहोने सैद्धांतिक चर्चा भी की 'तदशिष्यसज्ञा प्रमाणत्वात् । लुबयोयाप्रख्यानात् । योगप्रमाणे चत दभावेऽदशन स्यात् । प्रधान प्रत्ययाथवचनमथस्या यप्रमाणत्वात् ।' इन सूत्रों में पाणिनि ने 'जनपद लुप्' लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने—इन सूत्रों से उक्त 'युत्पत्ति' की प्रक्रिया का निराकरण किया है। लुप का विधान व्युत्पत्ति की दृष्टि से अपेक्षित है या नहीं—यह विषय यहाँ अप्रकृत है। किंतु पाणिनि का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि अथ का विचार अथ प्रमाण—लाभ्यव्यवहार आदि से—ग्रहण करना चाहिए। कुछ व्याकरण कहते हैं कि प्रत्ययाथ प्रधान या विशेष्य होता है और प्रकृत्यथ उसमें विशेषण बनकर अवित होता है। पाणिनि कहते हैं कि व्याकरण में इसकी चर्चा करना अपेक्षित नहीं है। व्युत्पत्तिवाद आदि ग्रंथों में विभक्त्यथ, लकाराथ आदि को लेकर शाब्दबोध की प्रक्रिया का विस्तृत विवचन किया गया है। 'नामाथयोरभेद नवाचय ।' 'प्रकृत्यथ प्रत्ययार्थे विशेषणम् ।' ऐसी कुछ मायताओं के आधार पर शाब्दबोध प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पाणिनि ने इसमें अपनी अनास्था दिखाई। भर्तृहरि ने भी इस प्रकार के विचार को व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी होने पर भी अखंड वाक्य की दृष्टि से अनपेक्षित ही माना। अतः दीप्तिजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह सारा विचार प्रक्रिया निर्वाह की दृष्टि से तो ठीक लगता है, किंतु पारमाथिक नहीं है। वाक्य तो विशिष्ट रूप से वाक्याथ का वाचक है उसमें अथ भेदों की कल्पना के लिए गुंजाइश नहीं है। उनका कथन है—

'एव च नामाथयोरभेद एव ससग । प्रत्ययाथ प्रधानम् ।' इत्यादि-युत्पत्तयोपि प्रक्रिया श्रया एव । उक्त च—

किंगभजये किंगभ

कीदग भातीति नो मते ।

विचार फलित सब

प्रकृतिप्रत्यया थय ॥" इति ।

(शब्दकोस्तुम, पृ० १५)

१६ = यदि यह सारा विचार व्यावहारिक मात्र है और इसे पारमाथिक नहीं मानते, तो यह प्रश्न उठता है कि ऐसी कल्पना क्या की जाती है? आरापित या काल्पनिक वातों से सत्य की उपलब्धि कैसे हाँस सकती है? इसका उत्तर यही है कि असत्य भी सत्य तक पहुँचने का उपाय हाँस सकता है। लिपि का ध्वनि से क्या संबंध है? हमने अपनी सुविधा के लिए क्वार आदि ध्वनियों के चिह्न बना लिए और ग्रंथों में उन लिपि मकतों का उपयोग करते चले आ रहे हैं। मसूत भाषा के ग्रंथ रोमन तलुगु आदि कई लिपियों में मुद्रित और प्रकाशित हो रहे हैं। इसी प्रकार अरुघती नक्षत्र दिखाने की परम्परा है। वक्ष की शाखा में चंद्र को दिखाते हैं। ये सब असत्य उपाय सत्य तक पहुँचने के उदाहरण हैं। इसी प्रकार

या व्यावहारिक पक्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। किंतु सिर्फ एक स्थल में पद आदि की कल्पना भी वाक्य को समयन का उपाय है। दीक्षितजी के ये शब्द हैं—

“आरोपितस्यापि पारमार्थिके उपायता न विरुद्धा, लिपि स्थूलारु धती—
शाखाच द्रादीना लौकिकदृष्टान्तानाम अथवादवाक्यपञ्चकोशावतरणादीना
तन्त्रान्तरसिद्धानां, पूर्वप्रासिद्धादीना च एतच्छास्त्रसिद्धाना प्रागेव दर्शितत्वात् ।”
(शब्दकौस्तुभ, पृ० १५)

१७ अतः यह सिद्ध है कि स्फोट ही वस्तुतः वाचक है। यह भी व्यक्ति स्फोट न होकर जानिस्फोट है। वस्तुतः यह जाति ब्रह्म स्वरूप है। भूत हरि के तीन श्लोकों को दीक्षितजी ने यहाँ प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है। व श्लोक हैं—

- (१) अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या
जाति स्फोट इति स्मृता ।
कश्चिद् व्यक्तय एवास्या
ध्वनित्वेन प्रकल्पिता ॥
- (२) सम्वाधभेदात् सत्तव
भिद्यमाना गवादियु ।
जातिरित्युच्यते तस्या
सर्वे शब्दा व्यवस्थिता ॥
- (३) ता प्रातिपदिकाय च
धात्वय च प्रवक्षते ।
सा नित्या सा महानात्मा
तामाहुस्त्वत्लादय ॥”

पहली कारिका में भूत हरि ने कहा कि जाति को हम स्फोट कहते हैं। यह जातिवाचक है शब्द है। व्यक्ति को वाचक मानने पर कई प्रकार की अनुपपत्तियाँ सामन आती हैं। जाति तो नित्य है एक है तथा समस्त व्यक्तियों का अनुगम करने का एक साधन है। व्यक्ति व्यञ्जक है। कुछ शास्त्रकारों ने ‘ध्वनि’ की सना इन व्यक्तियों को दी है। टीकाकारों ने कहा है—

अयमनजाते शब्दत्वमिव शब्दगतजाते शब्दत्वमिति भाव ” यही बोधदेव का भी मत था—“शब्दत्व इव शब्दगतत्वे जातेर्लाघवमीक्ष्यताम् ।”

दूसरी कारिका में विचार किया गया है कि यह स्फोटवाच्य जाति क्या है? नैयायिक तो घटत्व, गात्व आदि अमध्य जातियों का मानते हैं। भूत हरि का कथन है कि सत्ता एक ही सबव्यापी जाति है। आश्रय या सबधी पदार्थ के भेद से इस सत्ता के भा भेद प्रतीत होते हैं। गोत्व जाति का अर्थ है गोनिष्ठ सत्ता। अतः सभी

शब्दों का एक ही अर्थ बनता है—सत्ता। यह वदात्त सिद्धांत में उक्त 'ब्रह्म' का स्वरूप है। सर्वं यत्त्विदं ब्रह्म। नेह नानाऽस्ति किंचन। आत्मा वा इदं भवम। वही ब्रह्मतत्त्व स्फोट के रूप में वाचक है और जाति के रूप में वाच्य है।

तीसरी कारिका में इस बात का दृढीकरण किया गया है। वह जाति नित्य है, अविचारी तथा अविनाशी है, अनादि और अनन्त है। मा महानात्मा'। वही ब्रह्म है। त्व, तल आदि प्रत्ययो न उसी परम तत्त्व का प्रतिपादन हाता है। तस्य भावस्त्वतलो। 'सत्ता गात्व, द्रव्यत्वम' आदि शब्द भावप्रत्ययात् है। ये जाति-रूप अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार भूतू हरि न स्फोट सिद्धांत का निरूपण किया है।

१८ इस बात को दीक्षितजी ने प्रकारांतर से भी स्पष्ट किया। व्यक्ति स्फोटवादी के सामने यह कठिनाई उपस्थित होती है कि 'सर' और 'रस' स भिन्न ज्यों की प्रतीति कैसे होती है। वणप्रम की भी वाचक कोटि में स्थान देकर यह कहना होगा कि इस क्रम में सनिविष्ट वर्णों से इस अर्थ का बोध होता है। घट' शब्द में पहले घ आता है और बाद में 'ट'। इसलिए यह व्यवस्था देनी होगी कि "घात्तरटत्व शक्ततावच्छेदकम्।" यह एक 'उपाधि' है। उपाधि को स्वीकार न करें तो भिन्नानुपूर्वीक शब्दों में अर्थभेद की उपपत्ति नहीं हो सकती। 'उपाधि' क्या है? वह तो अतत्त्वोपाधि जातिस्वरूप है। जातियों का स्वरूपविवेचन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि जाति ब्रह्म ही है जो सर्वाधिष्ठान है। कुछ शास्त्रकार अविद्या को जाति कहते हैं। इसी जाति का वयाकरण स्फोट मानते हैं। यही वाचक है। दीक्षितजी ने कहा—

"जाति स्फोटवादिनस्तु घात्तरटत्वादिक शक्ततावच्छेदकतया आद्यपक्षत्रयेपि यथायथ वाच्यम्। अयथा सरोरस इत्यादौ अथ विशेषप्रतीत्यनापत्तः। तच्च उपाधिरूपम्। उपाधि च परम्परासंबद्धा जातिरेव। सा च सर्वाधिष्ठान ब्रह्म स्वरूपात्मिका। तथा च शक्याश इव शक्याशेषि यथायथासाम्येन आकृत्यधिकरणरीत्या ब्रह्मतत्त्वमेव तत्तदुपहितं वाच्यं वाचकं च। अविद्या, आविद्यकधर्मविशयो वा जातिरिति पक्षे तु सर्व वाचिकाऽस्तु इत्याहुः।"

(शब्दकोस्तुभ पृ० १४)

दीक्षितजी ने कहा है कि इस प्रकार हम शब्द तथा अर्थ पर विचार करने की प्रक्रिया में ब्रह्मतत्त्व की ओर अग्रसर होने लगे। हमें ता वयाकरण है। हमारा मुख्य विषय विषय है शब्द। किंतु शब्द के द्वारा हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। वासिष्ठ रामायण में एक आभाषक (लोकोक्ति) का उल्लेख है कि कौडी को खोजने के प्रयास में चितामणि (अभीष्ट की पूर्ति करने वाला एक जनघ्य रत्न) की प्राप्ति हुई। किसी का एक पसा जब से गिर गया। वह उसे इधर उधर खोजने लगा। भाग्य से उसको एक अमूल्य निधि की प्राप्ति हो गयी। इसी प्रकार हम

शब्दविचार में लगे हुए हैं। हम इसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। जिज्ञासुओं के परम लाभ के लिए भक्त हरि ने वाक्यपदीय में, ब्रह्मकाण्ड में विवतवाद आदि का निरूपण करके शब्दब्रह्म का प्रतिपादन किया है। दीक्षितजी ने श्रद्धापूर्वक इस मत का स्वीकार सा किया। किंतु व्याकरण में इस मत की विशेष उपयोगिता नहीं है। अतः शब्दकोस्तुभ में इस चर्चा का उद्धान संक्षेप में समाप्त कर दिया। उनके शब्द हैं—

‘तदेव वराटिकावेपणाय प्रवृत्त चित्तार्माणं लब्धवानिति यासिष्ठरामाय-
णोक्तता भागवत्यायेन शब्दविचाराय प्रवृत्त सन प्रसङ्गात् अद्वैते औपनिषदे
ब्रह्मण्यपि व्युत्पत्त्यनामित्यभिप्रायेण भगवान् भक्त हरि विवतवादादिक्रमपि
प्रसङ्गात् व्युत्पादयत् । तत्तु तत्रातरे स्फुटं प्रकृते नातीवोपयुक्तं चेति नेह नायते।’
(शब्दकोस्तुभ पृ० १५)

१६ नयायिकों ने स्फोटवाद का खंडन किया है। उनकी दृष्टि में स्फोट की कल्पना निर्मूल और निरर्थक है। वर्णों का समूह पद है तथा पदों का समूह वाक्य है। अमविशेष में अवस्थित वर्ण ही पद बनकर अर्थ के वाचक होते हैं। यह सत्य है कि ध्वनि आशुविनाशी है। किंतु किसी पद का जब बचना उच्चारण करता है तब श्रोता एक-एक करके उन वर्णों का सुनता है। यह श्रावण प्रत्यक्ष है एक ‘अनुभव’ है। अनुभव से स्मरण उत्पन्न होता है और स्मरण से स्मृति होती है। काल व्यवधान के कारण स्मरण के क्षीण या दुबल होने पर विस्मृति भी हो सकती है। किंतु बचना बोल रहा है और श्रोता ध्यान में सुन रहा है तो पूर्वोच्चारित वर्णों का ताश होना पर भी स्मरण अवश्य होता है। अतः वर्ण का श्रावण तथा पूर्व वर्णों का स्मरण साथ-साथ हीन से शब्द के द्वारा अथग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं रहती। पूर्व वर्ण स्मरणसहकृतचरमवर्ण श्रावणस्य अयवोद्यत्तुत्वात्।’ लोकानुभव इस बात का प्रमाण है। किसी शब्द के एकाग्र वर्ण ठीक सुनाई नहीं दिये तो अध्यायन में बाधा उपस्थित होती है और श्रोता पूछता है कि आप ने क्या कहा? वर्ण तो उच्चरित प्रध्वसी हैं। फिर भी उनका बौद्धिक समुदाय बन सकता है। सौ, हजार आदि मध्याजों का ज्ञान अपक्षाबुद्धि से ही उपपन्न होता है। इसी प्रकार नारायण, जातिरूप आदि अनकाक्षर शब्दों में समुदाय की निष्पत्ति हो सकती है। वाक्य में भी कई पद होते हैं। वहां भी पूर्वोच्चारित पदों के स्मरण से वाक्यरूप समुदाय की निष्पत्ति मानना उचित है। और ध्वनि से भिन्न शब्द की सत्ता के लिए कौन सा प्रमाण है? शब्द श्रोत्रिन्द्रिय ग्राह्य हैं। श्रोत्रिन्द्रिय से ध्वनि का ग्रहण होता है। स्फोट का तो ग्रहण किसी ने आज तक नहीं किया। अतः प्रमाणरहित स्फोट की कल्पना बर्था है। इसे शब्द ग्रहण कहना श्रद्धा की बात ही सकती है, किंतु विज्ञान की बात नहीं है।

२० व्याकरण ने कहा कि स्फोट व्यङ्ग्य है और ध्वनि व्यञ्जक है।

नयायिक आक्षेप करते हैं। उनका प्रश्न है कि किसी पद के सभी वण मिलकर स्फोट की व्यञ्जना करते हैं या एक एक वण स्वयं स्फोट का व्यञ्जक है? यदि कहा जाय कि सभी वण मिलकर—समुदाय के रूप में स्थित होकर—स्फोट की व्यञ्जना करते हैं, तो यह समुदाय कैसे बन पाया? मिलकर जो वण व्यञ्जक हात हैं, व भिन्नकर वाचक क्या नहीं हो सकते? यदि एक वण से ही स्फोट की व्यञ्जना मानी जाती है तो उस पद के अथ वर्णों का उच्चारण व्यर्थ होगा। वाचकत्व के पक्ष में जो आपत्तियाँ व्याकरणों की जार से उठायी जाती हैं व सप्त आपत्तियाँ व्यञ्जकत्व के पक्ष में भी उठायी जा सकती हैं। अतः वणसमुदाय को वाचक मानना ही यायाचित है। वर्णातिरिक्त पद क्या है? पदातिरिक्त वाक्य क्या है? यह निर्मूल कल्पना है, प्रत्यग विरुद्ध है। इस प्रकार नयायिकों ने स्फोट का निराकरण किया है।

२१ आलकारिका में भामह ने अपन का यालकार में स्फोट का खडन किया है— शपथैरपि चादेय वचो न स्फोटवादिनाम। शब्दो वा अथ साकेतिक है। इतने वण इस क्रम में अवस्थित होकर इस अथ का अभिधान करते हैं—यह तो परम्परा या समय (सकेत) से ही सिद्ध होता है— 'इयं त ईदशा वर्णा ईदगयाभिधायका। यवहाराय लाकस्य प्रागित्य समय कृत ॥' अतः सकेतसिद्ध अथ के अभिधान में समय वणसमुदायात्मक शब्दों से ही अथप्रतीति होती है। इस स्थिति में स्फोट की कल्पना निहंतुं भी है, तथा निष्फल भी। भामह ने खूब तक दक्कर स्फोट का प्रत्याख्यान किया। दडी आदि कुछ आचार्यों ने इस विषय में कोई रुचि नहीं दिखायी। आनंदवधन ने ध्वनिसिद्धांत की स्थापना की, इसलिए उन्हें व्यञ्जनावृत्ति का आश्रय लेना पड़ा। नैयायिकों तो व्यञ्जना को अतिरिक्त शब्द-शक्ति के रूप में नहीं मानते। व्याकरण ध्वनि को व्यञ्जक तथा स्फोट का व्यंग्य कहते हैं। अर्थात् व्याकरणों ने व्यञ्जना को मायता दी है। इस कारण से आनंदवधन ने "प्रथमे हि विद्वांसो व्याकरणा आदि बहूकर व्याकरणों की प्रशंसा की। किंतु उन्होंने ध्वनिवादी होकर भी ध्वन्यालोक में स्फोट का प्रतिपादन नहीं किया। आनंदवधन का अनुकरण करते हुए मम्मट ने भी काव्यप्रकाश' में 'व्यंग्य तथा व्यञ्जक दो प्रकार के शब्दों की चर्चा की है। मम्मट का वाक्य है—

'बुधर्व्याकरण प्रधानीभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहार कृतः।'

किंतु अलकारशास्त्र के अथ आचार्यों ने स्फोटविचार की उपेक्षा ही की है। निष्पत्तयही है कि केवल व्याकरणसंप्रदाय में स्फोट का मायता प्राप्त हुई है। किंतु यह सत्य है कि यन् स्फोटसिद्धांत अत्यंत प्राचीन है स्फोटायन आदि आचार्यों की परम्परा से प्राप्त इस सिद्धांत का अत्यंत प्रामाणिक विवरण भक्त हरि ने किया। यह शाब्दानुवाद अथवा 'शब्दब्रह्मवाद' में विकसित हुआ।

चतुर्थ अध्याय शब्द के भेद

१ ऋग्वेद म कहा गया है कि 'वाक्' या भाषा के चार भेद होते हैं । विद्वान इन चारों का तत्त्व जानते हैं । इनमें से तीन गुहा में निहित हैं । केवल चतुर्थ भेद का ही मनुष्य काम में लाता है । मत्र निम्न प्रकार है—

“चत्वारि वाक् परिमिता पदानि
तानि विदुर्वाह्या ये मनोविण ।
गुहा श्रोणि निहिता नेङ्गयति
तुरीय वाचो मनुष्या वदति ॥”

(ऋग्वेद, १ १४६ ४५)

'चत्वारि' के प्रतीक को लेकर पतञ्जलि ने पस्पशाह्निक में इस मंत्र की व्याख्या की है । महाभाष्य की पवित्रता नीचे उद्धृत है—

'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग-
निपाता च । तानि विदुर्वाह्या ये मनोविण । मनस ईविणो मनोविण । गुहा
श्रोणि निहिता नेङ्गयति । गुहाया श्रोणि निहितानि नेङ्गयति न चेष्टते । न
निमित्यतीत्यथ । तुरीय वाचो मनुष्या वदति । तुरीय वा एतद् वाचो यमनुष्येषु
वदते, चतुर्थमित्यथ ।”

(महाभाष्य, प० ३२)

१ १ मंत्र में 'वाक्परिमिता' को नागेश ने पण्ठी तत्पुंय समास कहा है । प्रथम पाद का यह अर्थ निकलता है कि वाक् में चार प्रकार के पद होते हैं । ये पद क्या हैं ? भाष्यकार ने बताया कि ये नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं । 'पदजातानि' में 'जात' शब्द का अर्थ सजातीय समूह है । ये चार शब्द-भेद (Parts of Speech) हैं । कैंयट ने 'परिमिता' की व्याख्या में कहा है कि शब्द-भेद इनमें ही—चार ही—हैं, अधिक नहीं । परिमितानि परिच्छिन्नानि—एता-
वति एतत्त्यथ ।'

(भाष्यप्रदीप, पृ० ३२)

१२ 'मनीषी' शब्द ज्ञानी का पर्याय है। भाष्यकार ने इसकी व्युत्पत्ति बताया—'मनस इषिणो मनीषिण ।' "मनस-इषिन्" म सकार का रुत्व, यत्व और लाप (लोप शाकल्यस्य) करने के बाद "मन ईषिन" यह रूप प्राप्त है। 'मनीषिन'—यह रूप कैसे बना ? कैंयट कहते हैं कि यह शब्द पृषोदरादि गण म द्रष्टव्य है। पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम ।" कयट न लिखा—"मनीषिशब्द पृषोदरान्त्वित्वात् साधु ।' पृषोदरादि आकृतिगण हैं। अतः इस शब्द को भी उस गण म सम्मिलित कर लेना संभव है। कितु पररूप प्रकरण मे वात्तिङ्कार ने कहा— शक ध्वादिषु पररूप वाच्यम ।' शक-ध्वादि गण म 'मनीषा' शब्द पठित है। मनीषा एषामस्तीति मनीषिण । जो मन को वश म करते है तथा विषयांतर से निवृत्त करके भाषा के विवचन म लगाते है एस वैयाकरणों को यहा 'मनीषी' कहा गया है। एस वयाकरण ही भाषा व चारो पदो को अच्छी तरह जानते है।

१३ जि-होने 'याकरण का अध्ययन नहीं किया, व भाषा के रहस्य का नहीं जान सकते। अज्ञान को ही इस मत्र म 'गुहा' कहा गया है। 'अज्ञानमेव गुहा तस्यामित्यथ ।' (कैंयट) कितु याकरण के अध्येता के सामन भाषा का रहस्य खुल जाता है। एक अर्थ मत्र म भी यही भाव व्यक्त किया गया है— उता त्वस्मै त व विसस्त्रे जायेव पत्य उशर्ता सुवामा ।' कैंयट ने यही भाव बताया है कि अज्ञानी के लिए भाषा का एक अत्यल्प अण—चतुर्थांश—ही व्यवहारोपयोगी बन सकता है। वह भाषा का पूण उपयोग नहीं कर सकता। विद्वान तो 'याकरण की सहायता मे भाषा का पूण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कुछ भी गुहा म निहित नहीं है, अज्ञात या अनुपयोगी नहीं है। व्याकरण नामक एक प्रदीप हाथ म लेकर वह भाषा के रहस्यों का अन्वेषण करता है और पूण रूप से भाषा को जान कर उसका प्रयोग भी कर सकता है। कयट न लिखा— "याकरणप्रदीपन तु तानि प्रकाशते। तत्र चतुर्णां पदजातानामकस्य चतुर्थभाग मनुष्या अवयाकरणा वदति।"

(भाष्यप्रदीप पृ० ३२)

१४ नामेश न चत्वारि पदानि की व्याख्या दो प्रकार से की है। उनका कहना है कि चार शब्द भेदा को यहा 'चार पद' कहा है। साथ ही वाक के चार भेद—परा, पश्यती मयमा और वखरी—भी यहाँ विवक्षित हैं। ये दोनों अर्थ भाष्यसम्मत हैं। भाष्यकार न 'पदजातानि' का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा— नामाख्यातोपसगनिपाता च। इससे पूव भाष्यकार न एक और श्रुचा की व्याख्या म भी 'चत्वारि' का यही अर्थ इ ही शब्द म बताया है। 'चत्वारि श्रुचा तथा अस्य पादा । यहाँ भाष्यकार ने कहा— चत्वारिपदजातानि नामाख्यातोपसगनिपाता च ।' (प० ३०) दाना स्थानो म भाष्यकार ने चकार का प्रयोग किया है। यह चकार अनुवतसप्रुच्चयाद्यक है। नाम, आख्यात, उपसग और

निपात का समुच्चय बताने के लिए इस चकार की आवश्यकता नहीं है। यह तो इतरेतरयोग द्वंद्व समास है, समास से ही समुच्चय का बोध होता है। व्यस्त प्रयोग करें ता पदार्थों का समुच्चय बताने के लिए चकार का प्रयोग अपेक्षित होगा। गुरु च शिष्य च आगच्छत । समास करें तो चकार क बिना भी समास से ही समुच्चय का बोध हो जाता है—गुरुशिष्यो आगच्छत । समास के बाद समुच्चयाथक चकार का प्रयोग नहीं होता। यदि भाष्यकार यहाँ नाम और आख्यात को एक वग म तथा उपसग और निपात को दूसरे वग म मानकर दो द्विपद द्वंद्व करत, तो चकार का प्रयोग इन दो वर्गों के समुच्चय के लिए साध्य होता। “नामा ख्यात च उपसगनिपातो च ।” ऐसा प्रयोग उचित होता। लेकिन भाष्यकार न एक ही चतुष्पद द्वंद्व का प्रयोग किया है— नामाख्यातोपसगनिपाता ।’ इसका बाद ‘च’ शब्द आया है। अत स्पष्ट है कि यह चकार अनुक्तसमुच्चयाथक है। इस चकार स परा आदि चार भेदा का ग्रहण अभीष्ट है। नागश न चत्वारि शृङ्गा की व्याख्या म यह आशय प्रकट किया— पदजातानि । परा—पश्यती— मध्यमा—वैखरी रूपाणि । अत एवाग्ने निपाता चिति चकार सगच्छत ।’

(भाष्यप्रदीपोदद्योत, पृ० ३१)

१५ वैखरी आदि भेदों का निरूपण करत हुए नागश न कहा है कि श्राद्धग्राह्य रूप वैखरी’ है। हृदयदश म रहन वाली वाक को मध्यमा कहते हैं। यह व्यवहार का कारण या साधन है। लोकव्यवहारातीत जा वाणी का रूप है ‘पश्यती’ । इस रूप को योगिप्रत्यक्षगम्य मानते हैं। साधारण मनुष्य पश्यती का व्यवहार नहीं करते। किंतु योगी अपने यागबल से पश्यती म भी प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कर सकते हैं। परा’ तो इन तीनों के स्तर से ऊपर की वाक् है। इसे शब्दब्रह्म’ भी कहते हैं। परा म किसी प्रकार का विभाग नहीं हो सकता। नागश न अपने मत को इन शब्दों म स्पष्ट किया है—

“तत्र श्रोत्रविषया वैखरी । मध्यमा हृदयदेशस्या पदप्रत्यक्षानुपपत्त्याव्यवहार- कारणम । पश्यती तु लोकव्यवहारातीता । योगिना तु तत्रापि प्रकृतिप्रत्ययविभागा वगतिरस्ति । पराया तु न ।”

(उदद्योत पृ० ३३)

१६ नागेश ने स्वीकार किया कि यह मत भत हरि क चचन पर आधारित है। हरि न वाक्यपदीय म लिखा है—

“वैखर्या मध्यमाया च
पश्यत्या चतददभूतम ।
अनेक तीय भेदाया
प्रथ्या वाच पर पदम ॥”

(ब्रह्मनाड कारिका १४३)

हरि का कहना है कि व्याकरण शास्त्र 'त्रयो वाक्' का स्वरूप स्पष्ट करता है। 'परा' में प्रकृति प्रत्यय विभाग की कल्पना संभव नहीं है। अतः इस कारिका में 'परा' का उल्लेख नहीं है। किंतु हरि ने अत्र 'परा' का भा उल्लेख किया और कहा है कि वह स्वयंप्रकाश है उसका कदापि अपाय नहीं होता। विकार एव विनाश से मुक्त वह शब्द नित्य है—

“स्वरपज्योतिरेवात

परा वागनपायिनी।

तस्या दृष्टस्वरूपाया—

मधिकारो निवतते ॥”

(उद्धोत म, पृ० ३३ म उद्धत)

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भक्त हरि 'परा' को भी एक भेद के रूप में मानते थे। किंतु अविभाग यानी अखंड होने के कारण उस व्याकरण का विषय नहीं मानते थे। त्रयो वाक् ता वाकरण का विषय है। पश्यन्ती केवल योगियों के लिए ज्ञान का विषय है, मध्यमा आर वैखरी समस्त मानवों के व्यवहार की वस्तु है, मध्यमा श्रात्रग्राह्य नहीं है वह ता वक्ता की बुद्धि का विषय है। वक्ता से उच्चायमाण तथा श्राता से गृह्यमाण वाक् ही वैखरी है। अतः 'तुराय वाचो मनुष्या वदति'—यह श्रुति का वचन सगतायक है। नागेश ने इस प्रकार भक्त हरि का प्रमाण देकर अपने मत की व्याख्या की।

२ भक्त हरि की उपयुक्त कारिका पर विद्वानों ने एक और प्रकार से विचार किया है। इन विद्वानों की दृष्टि में 'पश्यती' और 'परा' में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वाक् के भेद तीन ही हैं। अतएव 'मध्यमा' का नाम साधक है। वह वैखरी तथा 'पश्यती' के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यमा कहलाती है। यदि चार भेद होते, तो द्वितीय भेद को 'मध्यमा' कहने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। 'परा' से आरम्भ कर गिनें तो 'मध्यमा' का स्थान तीसरा हाता है। तब भी इस नाम की साधकता असिद्ध ही है। तीन ही भेद मानने वालों की दृष्टि में 'चत्वारि पदानि' की क्या 'चार्या की जाय ?' इस शंका का उत्तर है कि 'नाम आदि चार भेदों को दृष्टि में रखकर ही 'चत्वारि' कहा गया है। अतः नागेश की व्याख्या का ये विद्वान् स्वीकार नहीं करते। यहाँ संक्षेप में इस मतभेद पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है।

२१ अनेकनीयभेदाया' क द्वारा भक्त हरि ने बताया है कि प्राण, बुद्धि तथा हृत्प नामक तीन स्थानों में अवस्थित हान के कारण वाक् के तीन भेद होते हैं। प्राणस्थान की वाक् का वैखरी कहते हैं। बुद्धिस्थान की वाक् मध्यमा कहलाती है। हृत्पस्थान की वाक् का नाम पश्यती है। श्री सूयनारायण शुक्लजी ने अपनी ध्यादया में लिखा है—'अनेकतीर्थेन अनेकस्मानेन प्राणबुद्धिहृदयाख्येन भेदा

यस्यान्त्या अनवर्तीयभेदाया वृष्णा मध्यमाया पश्यत्या च त्रय्या वाच एतदभूत व्याकरण पर पद परम स्थानम् । व्याकरणेन स्यी वाक् विनातु शक्यति भाव ।

(वाक्यपदीय, ग्रह्यकाण्ड, प० १५०)

२० श्री शुक्लजी न वैखरी आदि तीन भेदों का विवरण निम्न प्रकार स किया है—

(१) तत्र परश्रोत्रविषया श्लिष्टव्यक्तवर्णा प्राप्तसाधुभावा भ्रष्टमस्वारा च वैखरी ।

(वही प० १५०)

(२) अत सनिवर्गिणी परिगृहीतत्रमेव वृद्धिमात्रोपादाना सूक्ष्मप्राणवत्यनुगता मध्यमा । प्रमसहारभावपि ध्वननप्राणपरिग्रहति केचित ।

(३) प्रतिमहूतत्रमा सत्यप्यभेदे समाविष्टत्रमश्वित पश्यती । सा चला चल प्रतिव्यसमाधाना च आवता विशुद्धा च सति नविष्टनेधाकारा निराकारा च परिच्छिन्नायप्रत्यवभासा मसृष्टायप्रत्यवभासा प्रशातसर्वायप्रत्यवभासा च ।”

(वही प० १५०)

२२१ वैखरी परश्रोत्रविषया' हाती है । आता इस वाक का मुनते हैं आरण प्रत्यक्ष का विषय होन स यह वाक ध्वनिरूप है । ' श्लिष्टव्यक्तवर्णा' । इस वाक के षट्क वर्णवर्णिया को ही वर्ण कहते हैं—व्यक्त अयात स्पष्ट हाते हैं । असृष्ट उच्चारण से आता ध्वनिया को ग्रहण नहीं कर पाता । वर्ण व्यक्त हैं तो श्रवण भी अनायास समभव होना है । ध्वनियों का क्रम होना है । क्रम से ही उच्चारण किया जाता है । इस अर्थ से प्रतिपादन के लिए श्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया है । श्रोत्रप्राह्य भ्रमवर्ती, उच्चायमाण और प्राणस्थानवर्ती ध्वनियों का ही वैखरी' कहत है । इस निरूपण का आधार निम्न कारिका है—

“स्थानेषु विधत्ते वायो

कृतवर्णपरिग्रहा ।

वैखरी वाक् प्रयोक्तव्या

प्राणवसिनिवर्धना ॥’

' विशिष्टाया खरावस्याया स्पष्ट रूपाया भवा वैखरी । यह इस शब्द की एक विवक्ति है । विशेष प्रकार की स्पष्टता की दशा या स्थिति में हान से इस वाग्भेद का नाम वैखरी पडा । 'वैखर' शब्द का अर्थ देह तथा इन्द्रियों का समूह लिया जाता है । 'वैखरे भवा वैखरी । "केचित्तु वैखर इति देहा द्रव्यमघात उच्यत, तत्र भवा वैखरी इत्याहु ।’

(वही पृ० १५१)

२०२ मध्यमा 'अत सनिवर्गिणी हाती है । तात्पर्य है कि उच्चारण क

द्वारा यह परश्रात्रग्राह्य नहीं बनती। वक्ता जब कुछ कहना चाहता है तब उच्चारण से पूर्व वह अपनी बुद्धि से अथ (जो विवक्षित तथा वक्तव्य है) का आकलन करता है और फिर उस अथ की अभि यमित क लिए अपेक्षित शब्दों का आकलन करता है। कहा भी है—‘आमा बुद्धया समेत्यार्थान् मनो युङ्क्त विवक्षया। जा अथ विवक्षित है उसकी अभि यक्ति कई प्रकार के शब्दों से की जा सकती है। एक ही भाषा में एक ही अथ के कथन के कई प्रकार हो सकते हैं। अतः वक्ता परिस्थिति, संबोध्य व्यक्ति आदि का विचार करके अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों का चयन करता है। वाक्य की रचना बुद्धि में कर लेता है। बुद्धि ही इसका उपादान या कारण है। उसी स्थिति में क्रम का भी निश्चय कर लिया जाता है। यहाँ सूक्ष्म उच्चारण भी रहता है। इन विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है—“परिगृहीतरूमा बुद्धिमात्रापादाना सूक्ष्मप्राणवच्यनुगता।” कुछ लोगों का विचार है कि क्रम यहाँ मुख्य नहीं है। सूक्ष्म उच्चारण ही मध्यमा की विशेषता है।

२२३ मध्यमा के विषय में निम्न कारिका को उद्धृत किया है—

‘कवल बुद्ध्युपादाना
क्रम रूपातुपातिनी।
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य
मध्यमा वाक प्रवतत ॥”

स्पष्ट उच्चारण के लिए प्राणवृत्ति का आश्रयण अनिवार्य है। सूक्ष्म उच्चारण में उसकी अनिवार्यता नहीं है। ‘अतः सजल्प रूपत्वात्।’ प्राणवायु का विविध उच्चारण स्थानों में अभिघात नहीं होने से मध्यमा श्रोत्रग्राह्य नहीं होती। इस स्पष्ट करने के लिए कारिका में कहा गया है—“प्राणवृत्तिमतिक्रम्य।” इसकी व्याख्या में कहा गया है—

या पुरतः सद्भ्रूप्यमाना क्रमवती श्रोत्रग्राह्यवणरूपाभिव्यक्तिरहिता वाक् सा ‘मध्यमा इत्युच्यते।” (वही, पृ० १५१) ‘बहरो पर्यत्योमध्ये भावात् मध्यमा यागिति।”

२२४ मध्यमा वक्ता की बुद्धि से आकलित होती है। अतः उसमें प्राणवृत्ति अपेक्षित नहीं है। प्राणवृत्ति से उच्चारण निष्पन्न होता है ता वही वाक् ‘बहरी’ बनती है। यह वक्ता की याग्यता के अनुसार शुद्ध भी हो सकती है या वक्ता की जतना और असमयता के कारण अशुद्ध भी। वक्ता यदि जानी है तो व्याकरण समेत तथा शिष्टपरिगृहीत शब्दों का प्रयोग करेगा। तब उसकी भाषा शुद्ध होगी— प्राप्त साधु भावा।” यदि वक्ता अनभिज्ञ है तो उसकी वाक् व्याकरण विरुद्ध होगी। उसे ‘अशुद्ध या ‘असाधु’ कहते हैं—“भ्रष्टसम्भार।” ‘भ्रष्टसंस्कार वाक्’ अपशब्द है। ‘प्राप्त साधु भावा’ शब्द है। ‘तस्माद्

ग्राहणेन न म्लेच्छितवै वापभाषितवै, म्लेच्छो ह वा एप यदपशब्द ।” भाष्यकार ने इस श्रुति को उद्धृत करके बताया कि अपशब्द को म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छन करने से असुर पराभूत हो गय। पराभव स बचन के लिए म्लेच्छन का वजन अनिवाय है। अपशब्दा स बचना चाहत है ता व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। “म्लेच्छा मा भूमत्यध्यय व्याकरणम् ।” मत हरि ने इसी को आधार मानकर व्याकरण को “त्रय्या वाच पर पदम्” कहा। किंतु मध्यमा म जो दोष होते हैं, वे श्रोता के लिए गोचर नहीं हो सकत। अतः भुवलयी ने वैखरी के प्रसंग में ही लिखा— ‘प्राप्तसाधुभावा अष्टसकारा च ।’ वैखरी के ये दोनो भेद स्पष्ट प्रतीत होते हैं— शुद्ध और अशुद्ध।

२२५ ‘पश्यती’ म कोई क्रम नहीं रहता। ‘प्रतिसहृत्तत्रमा’ का यही अर्थ है। यह ज्ञेयाकारा भी है तथा निराकारा भी। इसमें कुछ परिच्छिन्न अर्थों का प्रत्यवभास—प्रवाश या चान—रहता है, भासमान अर्थों म ससष्टत्व भी हो सकता है, तथा निर्विकल्पक चान की स्थिति म यह प्रशा तसर्वाथ प्रत्यवभासा’ भी हो सकती है। इस ‘पश्यन्ती’ नामक वाक में भेद या क्रम का अस्तित्व नहीं है। “ग्राह्यभेदत्रमादिरहिता स्वप्रकाशा सविद्रूपा वाक । सा ‘पश्यती’ इत्युच्यते ।” (वही, पृ० १५१)। इसके प्रमाण में निम्न कारिका उदाहृत है—

‘अविभागा तु पश्यन्ती
सवत सहृत्तत्रमा।

स्वरूपज्योतिरेवान्त

सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥”

२२६ ‘अविभागा’ का अर्थ है कि इस वाक म वाच्य और वाचक का विभाग नहीं रहता। “सवत सहृत्तत्रमा’ । सजातीय तथा विजातीय सब प्रकार के विभागा स तथा कालकृत क्रम की स्थिति से मुक्त है। देश और काल के कारण जो सीमाएँ बनती हैं उनसे सबथा मुक्त होने स यह वाक ‘क्रमसंहारशालिनी’ होती है। “सहृत्तो वाच्याना वाचकाना च त्रमो देशकालकतो यत्र ।” (वही, पृ० १५२) वाच्य तथा वाचक के भेद या विभाग से मुक्त होने का क्या तात्पर्य है ? सामान्य रूप से हम यही समझते हैं कि शब्द वाचक है, अर्थ वाच्य है। द्रव्य आदि शब्दजय ज्ञान के विषय अर्थ’ कहलात है। वे शब्द नहीं हैं। शब्द तो उनका प्रतिपादक है। किंतु भर्तृ हरि की स्थापना है कि शब्द ही अर्थ बनता है। अर्थ को उहान शब्द का विवत कहा है। वाक्यपदीय का प्रथम श्लोक इस मत का प्रमाण है—

“अनादि निघन ब्रह्म
शब्दतत्त्व यदक्षरम् ।

विवततेऽथभावेन

प्रक्रिया जगतो यत ॥”

(ब्रह्मकाण्ड श्लोक १)

शब्द तत्त्व ही अथ के रूप में विवत को प्राप्त हाता है। विवत' को ही

अथ 'विवत' के अर्थ 'विवृत' भी कहा है—

“शब्दस्य परिणामोऽ-

न्ते मित्याम्नायविदो विदुः ।

छन्दोभ्य एव प्रथम-

मैतव विश्व व्यवतत ॥”

393/1983

(ब्रह्मकाण्ड, श्लोक १२०)

यहां भत हरि ने पूर्वाध म 'परिणाम' शब्द का प्रयोग किया और उत्तराध म उसी अथ में 'व्यवतत' क्रिया का प्रयोग किया। इसमें स्पष्ट है कि उनके मन में विवत और परिणाम अभिनाथक पर्याय हैं। शास्त्रकार तो कहते हैं कि मिथ्याभूत या प्रातिभासिक विकार विवत है—“अतस्वतोऽयथा प्रथा विवत इत्युदीरितः ।” परिणाम तो वस्तु की रूपांतरापत्ति को कहत है—“सतत्त्वतोऽयथा प्रथा विकार इत्युदीयते ।” दूध का परिणाम दही है। दही दूध का विकार है। मूल वस्तु दूध तथा उसका रूपांतर दही दोनों की व्यावहारिक सत्ता है। अतः इस विकार को 'परिणाम' कहते हैं। 'अधिष्ठानसमसत्ताकार्यापत्ति परिणामः ।' शुक्ति को देखकर रजत का भ्रम होता है तो वहां रजत विवत है। 'अधिष्ठान विपमसत्ताकार्यापत्ति विवतः ।' यहाँ शुक्ति अधिष्ठान है। उसकी सत्ता व्यावहारिक है, रजत की सत्ता प्रातिभासिक है। सत्तावपम्य के कारण रजत का विवत कहते हैं। किंतु भत हरि ने विवत और परिणाम को सिर्फ विकार या रूपांतर के अर्थ में प्रयुक्त किया है। यह शब्दतत्त्व ही ब्रह्म है। वही स्फोट के रूप से वाचक है। वाच्य अर्थ भी उसी का रूपांतर है। यह शब्दाद्वतवाणी दृष्टिकोण है। अतः पश्यती को अविभागा आदि विशेषणों से विशिष्ट किया है।

२२७ प्राचीन व्याकरणशास्त्रकारों के तीन भेद मानते थे—“इदमत्रावधेयम् । पश्यती मध्यमा वैखरी चेति त्रिविधव वाक् ।” [ब्रह्मकाण्ड की टीका भावप्रदीप, पृ० १५२] पश्यती को ही सूक्ष्म स्वरूप में परा वाक कहते थे। 'परा' पश्यती से भिन्न नहीं है। ब्रह्म को सगुण तथा निर्गुण, पर तथा अपर कहने पर भी ब्रह्म का एकत्व खंडित नहीं होता। कोई भी शास्त्रकार ब्रह्मद्वित्व को नहीं मानता। उसी प्रकार पश्यती और परा दो विभिन्न शब्द नहीं हैं। 'भावप्रदीप' में कहा गया है—

“पश्यत्येव सूक्ष्मत्वेन परा वाकः । पश्यतीमतिक्रान्ता तदभिनन्त्वा वा सा इति विचारस्तु ध्येय एव । सगुणनिर्गुणादिभेदेन परापरभेदेन वा द्विविधतया

वर्णितस्यापि ब्रह्मणो यथा एकत्व न विरुद्धम् तथा एकैव प्रत्ययमशिनी वाक गुण-
भूमिमतीत्य कदाचित् पश्यतीति कदाचिच्च परेति सज्ञया उपध्वष्यते । प्राचीन-
वैयाकरणं पश्यत्येव परा इति स्वीकृतमासीत् ॥”

(वही प० १५२)

२२८ इस प्राचीन परम्परानुसारी मत का उपलब्ध प्रमाण 'शिव
दृष्टि' नामक ग्रंथ में व्याकरण मत के निरूपण के प्रसंग में यों दिया गया है—

“इत्याहुस्ते पर ब्रह्म

यदनादि तथाऽक्षयम् ।

तदक्षर शब्दरूप

सा पश्यती परा हि वाक् ॥

महान वैयाकरण नागेश भट्ट ने 'पश्य ती' को योगिप्रत्ययक्षगम्य कहकर 'परा'
को चतुर्थ भेद के रूप में स्वीकार किया है। ऋग्वेदभाष्य में माधव ने 'चत्वारि
वाक्' की यही व्याख्या की है। किंतु कैंयट ने उक्त श्रुति की व्याख्या में यही लिखा
है कि नाम आदि चार पदजाती का चतुर्थ भाग ही अवैयाकरणों के व्यवहार में
आता है। कैंयट के ये शब्द द्रष्टव्य हैं— 'तत्र चतुर्णां पदजातानामेकैकस्यचतुर्थ
भाग मनुष्या अवयाकरणा वदन्ति ।" (महाभाष्य, प्रदीप, प० ३२) कैंयट के ये
चार पदजात क्या हैं? परा आदि को यहाँ ग्रहण करना संभव नहीं है। परा
आदि के चतुर्थांश का व्यवहार कैसे हो सकता है? अतः कैंयट की उक्ति से स्पष्ट
है कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात—य चार भेद ही श्रुति में विवक्षित हैं।
यही व्याख्या प्राचीन परंपरा से भी अनुमोदित है। नागोजी भट्ट की व्याख्या तो
तत्र शास्त्र की वासना से प्रेरित है। भावप्रदीप कहता है—'माधवादिव्याख्या-
नस्य तत्रशास्त्रवासनामूलकतया वयाकरणैरनुपादेयत्वात् ॥”

(वही, पृ० १५३)

२२९ भाष्यप्रदीप की व्याख्या में स्वयं नागेश ने भी कहा है—“एक
कस्य नामादिरूपस्य चतुर्थे भागम् । एककस्य चतुरशत्वात् ।" (उदघोत प० ३२)
किंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि नाम आदि पदजाती में प्रत्येक के चार अंश
होते हैं? 'भावप्रदीप' में कहा गया है कि चागब्रह्म के चार पाद श्रुतिसिद्ध हैं।
पुरुषसूक्त में प्रतिपादित हुआ है—“पादोस्य विश्वा भूतानि । त्रिपादस्यामृत
दिवि ।" इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वाक् के चार पाद होते हैं। उनमें
एक पाद—चतुर्थांश—ही लोकव्यवहार में आता है। बाकी तीन अंश व्यवहार में
नहीं आते। नागेश ने इस संदेह में अपनी विचारधारा के अनुसार यह अर्थ भी
बताया कि परा आदि चार भेदों में तीन भेद—परा, पश्यती और मध्यमा—
व्यवहारोपयोगी नहीं हैं। किंतु व्याकरण शास्त्र की सहायता से सम्मत् वागभेदों

को जानता है—“वैयाकरणस्तु शास्त्रबलन तदबललब्धयागेन च गुहा धकार विदाय सब जानातीति भाव ।’

(भाष्यप्रदीपोदघोत, प० ३३)

२ २ १० भाषा की शब्दसंपत्ति अनंत है। ऊह' के कारण लाखों शब्दों का तथा वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। कृत तथा तद्धित प्रत्यय शब्द निर्माण के प्रमुख साधन हैं। समास स भी नवीन शब्दों की रचना की जाती है। इस शब्दभंडार का विस्तार इतना अधिक है कि कोई प्रतिभासंपन्न महाकवि भी भाषा के समस्त शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। महान मेघावी भी उपलब्ध शब्दों में किसी एकदेश—कुछ प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। अधिकांश शब्द अप्रयुक्त ही रह जाते हैं। किंतु वे भी प्रयोगाह हैं। 'तुरीय वाचा मनुष्या वदन्ति' का यह तात्पर्य हो सकता है कि भाषा का शब्दभंडार अक्षय तथा असमापनीय (Inexhaustible) है। हम उसके एक अत्यल्प भाग का ही काम में ला सकते हैं। वास्तव में भाषा में निहित शक्ति अपरिच्छिन्न है, उसकी सभावनाएं असीमित हैं। केवल हमारी सीमित क्षमता के कारण उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार यह भाषा की अपार महिमा की प्रशंसा की गयी है।

३ नाम आदि चार शब्द भेदों को यास्क ने भी स्वीकार किया है। निरुक्त के त्रयोदश अध्याय (परिशिष्ट) में यास्क ने चत्वारि शृङ्गा आदि ऋचा की व्याख्या की है। यास्क के शब्द निम्नांकित हैं—

‘चत्वारि शृङ्गेति वेदा वा एत उक्ता । प्रयोस्य पादा इति सवनानि त्रीणि । द्वे शीर्षे प्रायणीयोदयनीये । सप्त हस्तास सप्त छदासि । त्रिधा बद्ध च्छेधा बद्धो मन्त्रब्राह्मणकल्प । वृषभो रोरवीति । रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्भियजुभि, सामभि, यदेनमृग्भि शसति यजुर्भियजन्ति, सामभि स्तुवन्ति । महो देव इति एष हि महान देवो यद यत् । मर्त्या आविवेशेति । एष हि मनुष्यानाविशति यजनाय ।’

(निरुक्त, १३-७, पृ० २२५, सरूप सस्वरण)

इस व्याख्या में वैयाकरणों के मत का उल्लेख नहीं है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस मंत्र की व्याख्या भाषा के सदम में करके बताया कि यह वषभ शब्द (भाषा) ही है। भत हरि ने भी उही का अनुसरण करके कहा—

“आहुमहान्त मूषभ

येन सायुज्यमिष्यते।”

(चाणक्यप्रदीप, ब्रह्मकांड, कारिका १३१, पृ० १५०)

शब्द ही इस मंत्र में बर्णित ऋषभ है। यास्क की व्याख्या यज्ञपरक है।

३ १ किंतु इसी अध्याय के नवम खंड में यास्क ने 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि' की व्याख्या में इस प्रकार लिखा है—

“चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि । तानि विदुर्ब्राह्मणा य मेधाविन । गुहा-

या त्रीणि निहितानि वाय वेदयन्ते । गुहा गूहते । तुरीय त्वरते । कतपानि तानि चत्वारि पदानि ? ओकारो महाव्याहृतय चेत्यापम । नामाख्याते च उपसगनिपाता चेति वयाकरणा । मत्र कल्पो ब्राह्मण चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकी । ऋचो यजूषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नरवता । सर्पाणा वाग वयसा क्षुद्रस्य सरीसपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीति एके । पशुषु तूणवेषु मनेषु आत्मनि चेति आत्म प्रवादा ।”

(निरुक्त, १३ ६, परिशिष्ट पृ० २२६, सरूप सस्करण)

इसके बाद यास्क ने कौपीतिक ब्राह्मण (KB ६ १२) से कुछ वाक्य अपनी व्याख्या के मध्यम में उद्धृत किए हैं, जिनमें ये अंतिम वाक्य महत्त्वपूर्ण हैं—

‘अयं पशुषु ततो या वागत्यरिच्यतता ब्राह्मणेष्वदधु । तस्माद् ब्राह्मणा उभयो वाच वदति या च देवाना या च मनुष्याणाम ।’

(निरुक्त, १३ ६ पृ० २२६)

३२ यास्क ने ‘चत्वारि पदानि की व्याख्या छ प्रकार से की है ।

१ आप संप्रदाय के अनुसार ये चार पद होते हैं—ओकार तथा तीन महा-व्यादतियाँ । भू, भुव सुव—इन तीनों को महा-व्याहृति’ कहते हैं । ओकार प्रणव है । इस समस्त वेदों का मूल मानते हैं । किंतु इस व्याख्या को स्वीकार करें तो तुरीय वाचो मनुष्या वदति’ की सगति बिठाना कठिन होता है । वीन में तीन पद गुहा में निहित हैं ? वह चतुर्थ पद क्या है जिसका मनुष्य व्यवहार करते हैं ?

२ वयाकरण व्याख्या करते हैं कि नाम, आख्यात उपसग और निपात—ये चार पद हैं । यास्क के कथन से स्पष्ट है कि यह मायता परम्परा प्राप्त थी और यास्क ने निरुक्त के आरम्भ में इस मायता का स्वीकार कर लिया है, यद्यपि निरुक्त संप्रदाय की व्याख्या इससे भिन्न थी ।

३ यानिक संप्रदाय की मायता थी कि मत्र, कल्प, ब्राह्मण और व्यावहारिक भाषा—ये चार पद हैं । मत्र आदि तीन रहस्यात्मक हैं, अतः गुहा में निहित हैं । लौकिक भाषा तो चतुर्थ भेद है, हम इसी का व्यवहार करते हैं । भाटे तीर पर कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के दो भेद हैं—एक वैदिक तथा दूसरा लौकिक । पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ‘छन्दसि’ तथा ‘भाषायाम्’ कहकर इस भेद को पहचाना है । वैदिक भाषा परवर्ती काल में दुर्बोध तथा व्याख्यासापक्ष हो गयी । ‘गुहा में निहित’ कहने से इसी दुर्बोधता का संकेत मिलता है । मत्र आदि क रूप में वैदिक भाषा के ही तीन उपदेश मान लिए जाते हैं ।

४ नरुक्त संप्रदाय की मायता है कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा व्याव-हारिक भाषा—ये चार पद हैं । अथर्ववेद का इस सूची में स्थान नहीं मिला । ऋगादि तीन वेदों को प्रधानता देने की परम्परा है—“इति वेदास्त्रय त्रयो ।” वैदिक भाषा तथा लौकिक भाषा के भेद को ही आधार मानकर यह व्याख्या की

गयी है।

५ 'एषे' का अर्थ है कुछ लोग। उनका मत है कि वाक के चार पद य हैं—सर्वांशो की वाक, पक्षियों की वाक, दृष्ट सजीवता (रेंगन यान जीव) की वाक तथा व्यापहारिक भाषा। पक्षी आदि की वाक हमारे लिए तो बाधगम्य नहीं है। किंतु इन व्यापहारिक विषय में यह आपत्ति है कि पशुओं की वाक की गयी उपेक्षा की गयी ?

६ आत्मप्रवाण की व्याख्या दुर्गाचाम्य ने की—'आत्मानं य प्रवर्द्धति आचार्या ते आत्मप्रवादा ।' आत्मवादी दार्शनिकों का मत है कि पशु-पक्षी मृग और आत्मा की वाणियों ही वाक के चार पद हैं। पशु और मृग का अंतर स्पष्ट करने के लिए टीकाकार बताते हैं कि ग्राम्य पशुओं का पश तथा वय पशुओं की मृग मानना चाहिए। आत्मा की वाक का अर्थ है मानवीय भाषा।

३३ इन छ मतां में व्याकरण तथा नदकों की व्याख्या अधिक सगत तथा मनाक्षरो के अनुकूल प्रतीत होती है। व्याकरणों के मत को यास्क ने प्रथम अध्याय के आरम्भ में ही निम्नोक्त रूप से स्वीकार किया और कहा—

'तव यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते च उपसग निपाता च तानोमानं भवति ।'

(निरुक्त, १-१, सरूप संस्करण, पृ० २७)

४ पहला शब्दभेद है नाम। समा, सयनाम और विशेषण—य तीन प्रकार के शब्द 'नाम' के वर्ग में आते हैं। क्रिया पदों को 'आख्यात' कहते हैं। नाम और आख्यात विकारी शब्द हैं। लिंग, वचन धारक काल पुरुष आदि के कारण इनमें रूपभेद होता है। उपसग और निपात अविकारी शब्द हैं। इन दोनों को 'अव्यय' कहते हैं। लिंगादि के कारण इन शब्दों में रूपभेद नहीं होता। निपाता का स्वतंत्र अर्थ होता है। उपसग सदा परतत्र ही रहते हैं। उनका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अतः उपसगों को निपातों से अलग मानकर एक स्वतंत्र शब्दभेद के रूप में मायता दी गयी है। चार शब्दभेदों का यह एक संक्षिप्त परिचय है।

४१ नाम का वर्ग बहुत बड़ा है। शाकटायन, यास्क आदि आचार्य कहते हैं कि सभी नाम व्युत्पन्न हैं। 'मर्वाणि नामानि आख्यातजानि ।' आख्यात का अर्थ है क्रियावाची धातु। धातु के बाद 'कृत' प्रत्यय को जोड़ने से कृदन्त शब्द बनते हैं। यास्क आदि आचार्यों की यही मायता है कि सभी नाम कृदन्त होते हैं। ग्राम्य पाणिनि आदि अर्थ आचार्य इससे सहमत नहीं हैं। उनकी मायता है कि कुछ नाम कृदन्त होते हैं अवश्य किंतु एम भी कई नाम हैं जो कृदन्त नहीं हैं। ऐसे शब्दों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहते हैं। किंतु यास्क भी मानते हैं कि कई नाम तद्धितात् होते हैं तथा कुछ समासात्मक शब्द भी हात में हैं। यास्क ने निवचन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय यह कहा है—

‘अथ तद्धितसमासोत्प्लेकपवसु घानेकपदंमु घ पूर्व पूर्वपरपरपर प्रविभज्य निर्वृयान् ।’

(निरुक्त २१, पृ० ४५ सरूप मत्करण)

तद्धितान्त नाम का यास्क ने एक उदाहरण दिया है—‘दण्डम पुंस्व । यहा दण्ड्य शब्द तद्धितान्त है। ‘दण्डमहतीनि वा । दण्डन सपद्यत इति वा ।’ (वही पृ० ४५) समास का उदाहरण यह दिया है— राज पुंस्वा राज्पुंस्व । √ × × कल्याणवणस्वैवास्व रूपम् । कल्याण कमनीय भवति । वणो व्रान । स्व रोचते । एव तद्धितममासान निर्वृयान् ।

(वही २-३ पृ० ४५)

इससे स्पष्ट है कि यास्क तद्धितान्त तथा सामासिक शब्दों का स्वीकार करते हैं। किंतु इन्हें भी व आख्यातज ही मानते हैं। यद्यपि ये शब्द कृदन्त नहीं हैं, तथापि कृदन्त प्रवृत्तिक हैं। कृदन्त शब्दों से ही ये निष्पन्न होते हैं। ‘राजपुंस्व’ समास है, दो नामों का ममुदाप है। किंतु इसका दोनों अवयव कृदन्त है। राजा राजत । पुरप पुरि पाद । पुरि जय । पूरयतर्वा । (निरुक्त २-३, पृ० ४५) पहला शब्द—समास का पूर्वपद—‘राज’, धातुसे निष्पन्न कृदन्त है। दूसरा शब्द—समास का उत्तरपद—स्वय एक समास है तथा कृदन्त है। पुरि सीदतीति पुरुष । पुरि शेते इति पुंस्व । इन दो व्युत्पत्तियों के अनुसार ‘पुरप’ उपपद्यमान है। पूरयतीति पुरप । इस तृतीय व्युत्पत्ति के अनुसार यह एक कृदन्त शब्द है समास नहीं। किंतु इस व्याख्या से इतना तो स्पष्ट हो गया कि पूर्वपद तथा उत्तरपद दोनों ही कृदन्त हैं। अतः यह समास कृदन्त शब्दों के योग से निष्पन्न और आख्यातज है। इसी प्रकार ‘दण्ड्य’ शब्द—जो तद्धितान्त है—‘दण्ड’ से बना है। ‘दण्ड’ शब्द तो कृदन्त नाम है। अतः ‘दण्ड्य’ स्वय कृदन्त न होत हुए भी धातु या आख्यात से निष्पन्न ही माना जाएगा। यास्क की धारणा यही है कि सभी नाम इस प्रकार कृदन्त अथवा कृदन्तप्रवृत्तिक—आख्यातज—हैं। ऐसे शब्दों की सद्यः अनन्त है—‘अनन्ता वै शब्दाः ।’

४२ पाश्चात्य परम्परा में शब्दभेद आठ माने जाते हैं। ये हैं—सज्ञा (Noun) सवनाम (Pronoun) विशेषण (adjective), क्रिया (verb), क्रिया विशेषण (adverb) पूर्वसग (Preposition) समुच्चयादिवोधक (conjunction) तथा विस्मयादिवोधक (Interjection)। इनमें से क्रियाविशेषण आदि अंतिम चारों को अविकारी शब्द होने के कारण भारतीय परम्परा में ‘अव्यय’ कहते हैं। सज्ञा, सवनाम तथा विशेषण इन तीनों को ‘नाम’ कहते हैं। अतः स्वाभाविक रूप में यह जिज्ञासा उठती है कि ‘नाम’ की परिभाषा या लक्षण क्या है? यास्क ने निरुक्त के प्रथम अध्याय में—प्रारम्भ में ही—नाम और आख्यात का लक्षण बताया है—

“तत्र एतत् नामाख्यातयोलक्षणं प्रदिशति । भावप्रधानमाख्यातम् । सत्यप्रधानानि नामानि । तद यत्रोभे भावप्रधाने भवत । पूर्वपरीभृत भावमाख्याते नाचष्टे—व्रजति, पचतीति । भूतं सत्यभूत सत्वनामभि—व्रज्या, पक्षितरिति । अद इति सत्वानामुपदेश—गौरदय पुरयो हस्तीति । भवतीति भावस्य—आस्ते शेते, व्रजति, तिष्ठतीति ।”

(निरुक्त, १-१, पृ० २७-२८, सरूप सस्करण)

४३ यास्क का कहना है कि नाम सत्वभूत अथवा वाचक होता है। नामाथ म भाव या क्रिया भी एक अश के रूप में प्रविष्ट है, किंतु वह प्रधान या विशेष्य नहीं है। वह तो सत्व का ही विशेषण है, सत्व विशेष्य या प्रधान है। गौ, अश्व इत्यादि नाम हैं। गच्छतीति गौ। इस व्युत्पत्ति को मानने का कारण ‘गो’ शब्द में ‘गति’ क्रिया—भाव—भी अथ के रूप में ग्राह्य है। अश्नोति अध्वानमिति अश्व। यहा भी ‘अश’ धातु का अथ व्याप्ति—यही भाव है—शब्दाथ का एक अश है। किंतु गति या व्याप्ति यहाँ प्रधान या विशेष्य के रूप में नहीं है। यहाँ तो गाय या घोडा—सत्व—ही क्रियाश्रय के रूप में विवक्षित होने से प्रधान है। सत्वप्रधान होने के कारण ये शब्द नाम हैं। गच्छति” “अश्नोति” आदि पदों में गत्यादि रूप भाव ही प्रधान है। भावप्रधान होने के कारण ये शब्द ‘आख्यात’ कहलाते हैं। ‘कृत’ प्रत्यय तो कर्त्ता, कम आदि विविध अर्थों में प्रवृत्त होते हैं। अतः ऐसे प्रत्ययों के योग से निष्पन्न होनेवाले नाम स्वाभाविक रूप से सत्वप्रधान होते हैं।

४४ कुछ कृत प्रत्यय भावाथ में विहित हैं। घञ् प्रत्यय भावाथक है। ‘पाक, त्याग, भोग, हप’ आदि कई घञ् शब्द प्रयोग में उपलब्ध हैं। कितन् प्रत्यय भी भावाथक है। इस प्रत्यय से निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कितन्त शब्दों के कुछ उदाहरण हैं—“भीति, शांति नीति, गति, मति इत्यादि। ल्युट (अन) प्रत्यय भावाथक है। ल्युट शब्द नपुंसक होते हैं। ‘स्मरण, कीर्तन वदनम अचनम’ आदि उदाहरण हैं। ऐसे भावाथक कृत नाम कई प्रकार के मिलते हैं। इन्हें ‘क्रियाथक सना’ (verbal noun) कहते हैं। यह निर्विवाद है कि ये नाम हैं। पाणिनि ने भी ऐसे शब्दों को कृत प्रातिपदिक कहा है। किंतु ये क्रियावाचक हैं। अतः शका होती है कि ऐसे शब्दों को सत्वप्रधान कहने का औचित्य क्या है? ये तो भावप्रधान हैं। भावप्रधान होने पर भी इन्हें ‘नाम’ कहते हैं तो ‘व्रजति, पचति’ आदि आख्यातों तथा इन नामों में अंतर क्या है? यास्क ने इस प्रश्न को उठाया— तद यत्रोभे भावप्रधान भवत ।” यह पूर्व पक्ष या शका को उपस्थापित करता है। ‘व्रज्या पक्षित’ आदि शब्दों को नाम कहते हैं व्रजति, पचति इत्यादि को आख्यात कहते हैं। दोनों प्रकार के शब्द भावप्रधान ही प्रतीत होते हैं। तो नाम और आख्यात के अंतर की व्याख्या किस

करें? यास्क के सामने यह समस्या है।

४५ यास्क का विचार है कि आख्यात स उक्त 'भाव' असत्त्वरूप होता है और नाम से उक्त 'भाव' मूत या सत्त्वरूप होता है। भाव जहाँ सत्त्वरूप होता है वहाँ शब्द भावायक होते हुए भी सत्त्वप्रधान कहलाता है। 'व्रज्या, पक्ति' आदि भाववृद्धन्त शब्द सत्त्वरूप भाव से वाचक होने के कारण सत्त्वप्रधान नाम हात है। 'व्रजति, पक्ति' इत्यादि आख्यात अमूत यानी असत्त्वरूप भाव के प्रतिपादक हैं। अतः व भावप्रधान ठहरते हैं। यह तिङन्त तथा वृद्धन्त शब्दों में अर्थ की दृष्टि से मौलिक अंतर है।

४६ आख्यातवाच्य क्रिया या भाव का स्वरूप क्या है? 'पूर्वापरीभूत भावमाख्यातेनाचक्षते।' 'व्रजति' गत्ययक है। 'पक्ति' का अर्थ पकाना है। गति और पाक कई क्रियाओं के समुदाय हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो क्या यह जाना—गमन या व्रज्या—केवल एक व्यापार है? इसमें कई व्यापार अंतर्भूत हैं। दिल्ली से बम्बई जाना एक क्रिया तो है, उसमें कई क्रियाओं का समावेश है। टिकट खरीदना, स्थान का आरक्षण करना, रेलवे स्टेशन तक उस या टिकमी से जाना रेल के डिब्बे में अपने स्थान का पता लगाना, वहाँ बैठना और गतव्य स्थान में उतरना—य सब जान की क्रिया के अंग हैं। इन अंगों में एक क्रम भी अनिवार्य है। एक क्रिया पूर्व (पहली) है तो दूसरी अपर (उसके बाद की) है। ऐसे पूर्वापरीभाव या क्रम में अवस्थित विविध क्रियाओं का समूह ही 'आख्यात' का अर्थ है। यह असत्त्वभूत है।

४७ क्रिया के अतएत आन वाले विविध व्यापारों को सामुदायिक रूप से एक ही इकाई (unit) मानकर 'भाव' कहते हैं। उपक्रम (आरम्भ) से लेकर अवबग (समाप्ति) तक के विविध व्यापारों का समुदाय क्रिया है। इस क्रिया को सत्त्व के रूप में विवक्षित करें तो कृद्धन्त 'नाम' का प्रयोग करते हैं। यास्क ने क्रिया के स्वरूप पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर तिङ् वाच्य तथा कृद्धवाच्य क्रिया के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया। किंतु 'सत्त्व और असत्त्व' का अर्थ व स्पष्ट नहीं कर पाये। तिङ्वाच्य क्रिया असत्त्वरूप रहती है।" — इस कथन का क्या अभिप्राय है? 'सत्त्व' शब्द का सही अर्थ क्या है? 'कृद्धवाच्य क्रिया सत्त्वरूप है या मूत है — उस उचित का क्या तात्पर्य है? यास्क ने यहाँ किस प्रकार के भेद की ओर संकेत करना चाहा?

४८ पाणिनीय परम्परा के व्याकरण कहते हैं— 'कृद्धभिहिता भावा द्रयवत प्रकाशते।' यहाँ द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यह यास्क के सत्त्व शब्द का ही पर्याय है। द्रय क्या है? न्यायिकों ने मत्त पदार्थों में सबसे पहल 'द्रव्य' को स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में गुण तथा कम का आश्रय द्रय है। पृथिवी आदि नव द्रयों को उहोने इस वग में स्वीकार किया। द्रव्यत्वजातिमत्त्व

समवायिकारणत्व वा द्रव्यलक्षणम् । किंतु नैयायिका के द्वारा परिभाषित यह द्रव्य यहा—वयाकरणा की चर्चा में—विवक्षित नहीं है । रूप, रस आदि गुण हैं । गमन आगमन आदि कम हैं । गोलत्व, घटत्व आदि जातिया (सामान्य) हैं । समवाय एक सबध है । अभाव एक अलग पदार्थ है । इन विविध प्रकार के पदार्थों के वाचक शब्द—रूप रस, ग घ, गमनम्, आबुञ्चनम्, सामान्यम्, जाति, समवाय, विशेष, अभाव जाति—सभी नाम हैं । इनका अर्थ 'द्रव्य' स्वरूप है । तो इस प्रसंग में 'द्रव्य' अथवा 'सत्त्व' का अर्थ क्या हो सकता है ?

४६ 'द्रव्य' या सत्त्व का इस प्रसंग में यही अर्थ विवक्षित है कि इसमें लिंग, सख्या और कारक का अवयव हो सकता है । लिंग सत्त्वा कारका वययोग्यत्व द्रव्यत्वम् । आख्यात का अर्थ क्रिया द्रव्यरूप नहीं है—अर्थात् उसमें लिंगादि का अर्थ वय नहीं हो सकता । कृदन्त नाम का अर्थ क्रिया द्रव्यरूप है । सत्त्वरूप क्रिया का बोधक होने से भाव कृदन्त शब्द नाम के वग में आते हैं और असत्त्वरूप क्रिया का बोधक होने से आख्यात—तिङन्त रूप या उनके मूलाश धातु—नाम के वग में नहीं आते । कृदवाच्य क्रिया का स्वरूप ऐसा है कि उसमें लिंगादि के अवयव की योग्यता स्वतः सिद्ध है । एक दूसरा उदाहरण लेने से यह बात और स्पष्ट हो सकती है । 'च' एक अवयव है । यह 'निपात' के वग में आता है । पाणिनि ने "चादयोऽसत्त्वे" कहकर निपातमज्ञा का विधान किया है । चकार समुच्चयाद्यक है । किंतु चकार से उक्त समुच्चय लिंगादि से मुक्त है, असत्त्वरूप है । उसी अर्थ का वाचक शब्द "समुच्चय" है । किंतु इस शब्द से उपस्थापित समुच्चयरूप अर्थ में लिंगादि का अर्थ वय हो सकता है । समुच्चय । यह शब्द पुलिग प्रथमाविभक्ति और एकवचन में है । "समुच्चय दशयति" 'समुच्चय वतसे' इत्यादि वाक्यों में विविध कारकों का योग लिखा जा सकता है । चकार से वाधित समुच्चय में लिंगादि की विवक्षा नहीं हो सकती । किंतु 'समुच्चय' शब्द से वाधित समुच्चय में लिंगादि की विवक्षा हो सकती है । इस वचन्य का कारण क्या है ? शब्द स्वभाव ही इसका कारण है । इसी प्रकार आख्यातवाच्य क्रिया में लिंगादि की विवक्षा नहीं होती कृदवाच्य क्रिया में ऐसी विवक्षा हो सकती है । यही आख्यात तथा कृदन्त नाम में मौलिक अंतर है जो स्वभावसिद्ध होने से हेतु तरे निरपेक्ष है ।

४१० पाणिनि ने 'भाव' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया है । 'तस्य भावस्त्वतलौ" (५ १-११६) यहा 'भाव' का अर्थ है प्रवृत्ति निमित्त । जयगत जिस घम के कारण अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति होती है उसे 'भाव' कहते हैं । काशिका वृत्ति में इसकी व्याख्या की गयी है—

"भवताऽस्मादभिधानप्रत्ययाविति भाव । शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त भावशब्दे नोच्यते ।" (काशिका, उत्तराध, पृ० २६) दूसरा सूत्र है—'यस्य च भावन भाव लक्षणम् ।' (२ ३ ३७) यहा 'भाव' का अर्थ है 'क्रिया' । काशिकाकार ने लिखा

है—“भाव क्रिया । यस्य च भावेन यस्य क्रियया क्रियातर लक्ष्यत ततो भाववत् मन्तमी विभक्तिभवति । प्रसिद्धा च क्रिया क्रियातर लक्षयति । गोपु दुह्यमानामु गत ।”

(काशिका, पूर्वाध पृ० १०७)

“भावकमणो ।” (१-३-१३) “भूवो भाव ।” (३-१-१०७) ‘भाव’ (३ ३-१८) इत्यादि सूत्रो म पाणिनि ने क्रिया के अथ म ‘भाव’ शब्द का प्रयोग किया है । किंतु इम भाव के दो भेद हैं । एक भाव ‘साध्यावस्थाप न’ कहलाता है और दूसरा सिद्धावस्थापन’ । धातु का अथ क्रिया ही भाव है । किंतु कही कही वह भाव लिगादिभूक्त रहता है, इसी भाव को ‘साध्यावस्थापन’ कहते हैं । ‘तन भूयते ।’ यह भाव प्रयाग है । भावे प्रयोग म आत्मनेपद होता है । यहा कर्ता के साथ अविक्ति नहीं होती । अत ‘भूयते’ यह क्रियापद सदा अ य पुरुष (संस्कृत व्याकरण म प्रथम पुरुष, Third Person) एक्वचन म ही रहता है । यह एकवचन एक्त्व सत्या का बोधक नहीं है । यह तो शब्दसाधुत्व के लिए प्राप्त औत्सर्गिक एक्वचन है । अतएव, “त्वया भूयते । युष्माभि भूयते । मया भूयते । अस्माभि भूयते ।” इत्यादि म पुरुष या वचन के कारण रूपभेद नहीं हो पाता । किंतु ‘पाक , भोग , हप ” आदि मे घञ प्रत्यय से बोधित भाव ‘सिद्धावस्थापन’ है । ‘भान’ (३-३-१८) की व्याख्या मे काशिका वक्ति म कहा गया है—

“भावे चाच्ये धातो घञ प्रत्ययो भवति । पाक । त्याग । राग । क्रिया-सामायवाची भवति , तेन अयनिर्देश क्रियमाण सवधातुविषय कृतो भवति । धात्वथ च धातुनव उच्यते । यस्तस्य सिद्धता नाम धमस्तत्र घञादय प्रत्यया विधीयते । पुल्लिगवचन चात्र न तत्रम । लिङ्गातरे वचनातरे चान् प्रत्यया भवत्येव—पक्ति पक्वम, पचनम, पाकौ, पाका इति ।

(काशिका, पूर्वाध ३ ३-१८, पृ० २२६)

४११ ‘कमपतिहारे णच म्प्रियाम’ (३-३ ४३), अभिविधो भाव इनुण्’ (३ ३-४४) ‘एरच्’ (३-३ ५६) ‘उपसर्गे घो कि ।’ (३-३ ६२), ‘स्त्रिया कितन’ (३-३-६४), ‘त्रयजोर्भावं कपप’ (३-३ ६८) ‘अप्रत्ययात् (३ १०२) “ण्यासश्चो युच (३ ३ १०७) इत्यादि सूत्रो स सिद्धावस्थापन भाव के अथ म कृत प्रत्यय विहित ह । ‘नपुसके भावे क्त’ (३-२-११४), ‘ल्युट च’ (३-२-११५)—य दो प्रत्यय भावायक हैं और इनम वनन वाले कृदन शब्द नपुसक लिंग के होते हैं । कितन णच आदि प्रत्ययो स निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग हाते हैं । घञन शब्द पुल्लिग होत हैं । इस प्रकार कृत्वाच्य भाव म लिंगयोग स्पष्ट है ।

४१२ ‘पाक ।’ यह अकारात् पुल्लिग प्रातिपदिक है । इसम सग्यायाग हा सवता है । एक पाक । द्वा पाकौ । बहव पाका । इसी प्रकार अय भावकृत मन्तों म भी वचनभेद द्रष्टव्य है । ‘भोति , पुष्टि’ आदि एक्वचन म है । ‘गता-

गतानि' बहुवचन म है। 'प्रवशनिपेधौ।' यह द्विवचन म है। सत्त्वरूप होने के कारण ही द्वन्द्व समास भी संभव हुआ है। कृदन्त शब्द 'प्रातिपदिक' सज्ञा का भागी है। अत एव वह सुवन्त पद के रूप म परिणत होकर समास का अग भी बन सकता है।

४ १३ कृदन्त शब्द कारकयुक्त भाव का अभिधान करते हैं। पाक कुरु। यहा पाक कम है। पाकेन, पाकाय, पाकात्, पाके। कर्ता, करण आदि कारको म भी पाक का प्रयोग संभव है। अत एव तत्पुरुष, बहुव्रीहि आदि म भी एक अग के रूप म 'पाक' शब्द का प्रवेश हो सकता है। 'पाककर्ता' "पाकात्पनम" 'पाकजम्' "प्राप्तपाक" "कृतपाक" आदि समास बन सकते हैं। कारकेतर अर्थों का योग भी संभव है। पाकस्य हेतावसति। पाकाद् न लभ्यते। पाकस्य फलमाप्नोति। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृद्वाच्य भाव लिंग सख्या कारकादि योग क कारण धातुवाच्य भाव स संवथा भिन्न है।

४ १४ यहा शका हा सकती है कि तिङन्त पदो म भी तो विकार पाया जाता है तो तिङ् वाच्य क्रिया को असत्त्वरूप मानने का क्या कारण है? यह सत्य है कि तिङन्त पद विकारी होते ह। काल के कारण रूपभेद होता है—भवति (वतमान), अभवत् (भूत), भविष्यति (भविष्यत्काल)। अथ (Modality) के कारण भी भेद होता है—भवतु (विद्ययादि) भूयात् (आशी), अमविष्यत् (क्रियातिपत्ति)। पुरुष के कारण रूपभेद होता है—भवति भवसि भवामि। वचनभेद भी स्पष्ट है—भवति, भवत, भवति। कर्तरि प्रयोग कमणि प्रयोग आदि के कारण और भी रूपभेद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप्यात म विकार निर्विवाद रूप से सिद्ध है। ता आप्यातवाच्य भाव को असत्त्वरूप क्यों कहत ह? इस शका का उत्तर है कि इन विकारा स पुरुष, काल आदि का तो बोध होता है किंतु इनसे भाव (क्रिया) की सख्या, लिंग या कारक का बोध कदापि नहीं होता। देवदत्त पचति। ति एकवचन ३। उसस कर्ता क एकत्व का बोध होता है। किंतु पाकक्रिया एक है या अनेक? पाकगत सख्या का बोध यहा नहीं होता। देवदत्त न कइ दिन कई बार पकाया हागा। किंतु पचति से क्रिया की सख्या प्रतीत नहीं होती। पाक' शब्द से क्रिया की सख्या का बोध होता है। देवदत्तस्य पाक। पाक —इस एकवचन से पाकगत एकत्व का बोध होता है। दा आदमी मिलकर पाक करें तो भी 'देवदत्तयनदत्तया पाक' म क्रिया के एकत्व की विवक्षा मे एकवचन का प्रयोग होता ह। तिङन्त रूप—आख्यात—को लें तो यहा क्त गत द्वित्वसख्या के कारण द्विवचन होगा—“दत्तयनदत्तो पठत।” ‘सर्वे भगवन्त भजन्त।’ यहा 'भजन क्रिया एक है, फिर भी क्त बहुत्व के कारण तिङ् प्रथम बहुवचन प्रयुक्त है। कर्ता एक ही हो आर उसकी क्रियाएँ अनेक हा तो क्रियागत बहुत्व की विवक्षा म कृदन्त शब्द म बहुवचन लगेगा—‘यस्य उपस्था नान

जनयन्ति ।" इससे स्पष्ट है कि तिष्ठत पदो म क्त गत सख्या के आधान पर वचन की व्यवस्था हाती है और उससे त्रियागत सदया का बाध कदापि नहीं होता ।

४१५ तिष्ठवाच्य त्रिया म लिंग का अवयव तो हाता ही नहीं । तमिल, हिंदी आदि भाषाओ म त्रियापदो म भी लिंगभेद पाया जाता है । किंतु ससृजत म सवनाम और विशेषण मे लिंगभेद हाता है, साा या विशेष्य के लिंग का अनुसरण करने से ऐसा रूपभेद हाता है, किंतु त्रियापदो मे लिंगभेद नहीं हाता । राम गच्छति । सीता गच्छति । वणिजा वृद गच्छति । इन वाक्यो मे 'गच्छति' त्रिया मे लिंगभेद नहीं है । इसी प्रकार 'गच्छति' इत्यादि आख्यातो से उक्त त्रिया मे कारक का अवयव भी सम्भव नहीं है । 'गमन तव श्रेय करिष्यति ।' यहा "गमनम्"—वृत्वाच्य त्रिया—कर्ता के रूप मे निदिष्ट है । "गच्छति" म 'ति' प्रत्यय कर्ता का बोधक है । लेकिन यह कर्ता कोई और है 'गम घातु स उक्त त्रिया को यहा कर्ता नहीं कह सकते । अत रूपभेद के होने पर भी आप्यातवाच्य त्रिया म लिंगादि का अवयव नहीं हाता, यह भाव साध्यावस्थापन या असत्वरूप है ।

४१६ यास्क का यह वाक्य अपूण सा प्रतीत हाता है— तदयत्राभ भाव-प्रधान भवन ।" यहा यच्छब्द क प्रयोग से ज्ञात हाता है कि यह एक आश्रितवाक्य है, इसके बाद तच्छब्दघटिन उत्तरवाक्य अपेक्षित है । "यत्तदानित्यमम्ब घ ।" इसीलिए वाक्य का अर्थ अपूण या अस्पष्ट रह गया है । दुर्गावाय १ इसकी व्याख्या म लिखा है कि जहा नाम तथा आख्यात दोनो का प्रयोग हाता है वहा भाव' ही प्रधान माना जाता है । वाक्य म नाम तथा आख्यात दोना ही साथ प्रयुक्त हाते है । नाम तो अपनी प्रकृति से सत्त्वप्रधान रहता है । आख्यात भावप्रधान है । किंतु वाक्य म किसको प्रधान स्थान देना चाहिए ? दुर्गावाय यास्क क मत की व्याख्या म कहते हैं कि वाक्य म नामाथ विशेषण बनकर आता है और आख्याताथ भाव ही प्रधान या विशेष्य रहता है । वयाकरण "पापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबाध को स्वीकार करते हैं । 'देवदत्त पचति ।' इस वाक्य म पच' घातु का अर्थ—पाकानुकूल व्यापार—ही मुख्य विशेष्य है । देवदत्त इस व्यापार का आशय, कर्ता है । अत वह घातूपात्त व्यापार का विशेषण बनता है । 'देवदत्तकतृ क पाकानुकूलो व्यापार ।' व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध का यह अर्थ हाता है । नैयायिक प्रथमात्त पद से उपस्थापित अर्थ—कर्ता को मुख्य विशेष्य मानत है । व प्रथमात्त मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध को स्वीकार करते हैं । उनकी दृष्टि म कर्ता विशेष्य है, और धात्वय व्यापार उसका विशेषण है । 'वतमानकालिकपाकानुकूलव्यापाराश्रयो देवदत्त ।' शाब्दबोध का यह स्वरूप नैयायिकसमत है । यहा नामाथ—सत्त्व प्रधान है। इसके विपरीत वैयाकरणा के मत म व्यापार—भाव—प्रधान है । दुर्गावाय ने बताया है कि वाक्य म जहा नाम तथा आख्यात दोनो पदा का सह-

प्रयोग होता है यास्व भाव की प्रधानता का स्वीकार करते हैं। किन्तु इन प्रयोगों में ऐसी व्याख्या का प्रकरणानुकूल नहीं कह सकते। यहाँ वाक्य का विपर्यय प्रकृत नहीं है। यदि यास्व का यही अर्थ अभिमत होता, तो यह कहें—“तत्र यत्रोभ सनिपतन, स्तत्र भाव प्रधाना भवति।” फिर एक वाक्य का उदाहरण देकर अपनी बात का स्पष्ट करते। वाक्य में भाव प्रधान होता है तो भी ‘उभे भावप्रधान भवत’ की क्या उपपत्ति है? द्विवचन से स्पष्ट होता है कि नाम भी आद्यगत की भाँति भावप्रधान है। ना गया यास्व यह मानते हैं कि जब नाम केवल—अकेला आद्यगत रहित—हाकर जाता है तब सत्त्वप्रधान रहता है और आद्यगत के साथ आन पर वह भी भावप्रधान बन जाता है? वाक्य में भी नाम की सत्त्वप्रधानता पूर्ववत् बनी रहती है। इसके बाद ‘प्रजति (तिङ्गत) और व्रज्या’ (वृद्धत) का उदाहरण देने का क्या औचित्य है? अतः यास्व का वाक्य के विपर्यय नहीं, अपितु तिङ्गत तथा वृद्धत का के विपर्यय विचार कर रहे हैं। यद्यपि प्रकार के पद भावप्रधान हैं। फिर भी वृद्धत का नाम कहते हैं क्योंकि उसमें प्रतीयमान ‘भाव’ सत्त्वरूप होता है। इस व्याख्या में यास्व के वाक्यों की पूर्वापरसंगति स्पष्ट हो जाती है।

५ नाम और सवनाम का एक षग में रचना उचित है। सवनाम तो नाम का प्रतिनिधि होता है। वह वाक्य में नाम यानी सज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है। ‘सवनाम’ एक अव्यय शब्द है। सर्वेषां वस्तूनां नाम वाचक सवनाम। घट, पट आदि शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के ही वाचक होते हैं। किन्तु सवनाम किसी भी पदार्थ के लिए प्रयुक्त हो सकता है। घट के अर्थ में ‘पट’ शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, इसी प्रकार पट के अर्थ में ‘घट’ का प्रयोग भी अनुचित है। किन्तु ‘स’ आदि सवनाम घट पट आदि सभी अर्थों के परामर्श के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः एक ऐसे शब्दों को ‘सवनाम’ कहना पामस्यत है। किन्तु हिंदी अथवा आदि भाषाओं में ‘सवनाम’ (Pronoun) की जो परिभाषा स्वीकृत है वह संस्कृत भाषा के मदम में माय नहीं हो सकती। संस्कृत के सवनाम सज्ञा के प्रतिनिधि ही नहीं होते, उनमें कुछ विशेषण भी हैं। हिंदी में भी कुछ सवनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। ‘यह लड़का, वह आदमी किस ग्राम में’ आदि में ‘यह’, ‘वह’ और ‘किस’ विशेषण का काम कर रहे हैं। किन्तु इनका सवनाम के रूप में भी प्रयोग होता है। मूलतः ये सवनाम यानी सज्ञा के प्रतिनिधि हैं, कहीं-कहीं सज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण के रूप में काम करते हैं। किन्तु संस्कृत के कुछ शब्द ‘सवनाम’ के षग में स्थान पाकर भी सदा विशेषण के रूप में ही काम करते हैं। अतः एक संस्कृत में सवनाम की परिभाषा कुछ भिन्न प्रकार की दी जाती है।

५१ तो फिर संस्कृत में सवनाम की परिभाषा क्या है? पाणिनि का एक सूत्र इसका उत्तर देता है—“सर्वादीनि सवनामानि।” (१-१ २७) सर्वादि एक

गण है। इस गण में पठित सभी शब्दों को 'सर्वनाम' कहते हैं। भट्टाजि दीक्षित ने इस सूत्र की व्याख्या में सिद्धांतकौमुदी में स्पष्ट कहा कि सर्वादि गण में पँतीम शब्द संकलित हैं—“सर्वादय च पञ्चाशतः।” (पृ० ४९) काशिका में सर्वादि गण के ये शब्द गणपाठ के आधार पर दिये गए हैं—

“सर्वे, विश्व, उभय, उभय, इतर, इतम, इतर, अय, अयतर, त्व, त्व, नेम, सम, सिम, पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर त्व, अतर, त्यद्, तद्, यद्, एतद् इदम अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद् भवतु किम्।”

(काशिका, पूर्वाध, पृ० १३)

‘इतर’ और ‘इतम’ प्रत्यय हैं। वे प्रत्ययात् शब्दों के प्रतिनिधि के रूप में पठित हैं। ‘किं यत्तदो निर्धारण द्वयोरेकस्य इतरच्।’ (५- ६२) ‘वा बहूना जातिपरिप्रश्ने इतमच।’ (५ ३ ६३) “एकाञ्च प्राचाम्।” (५ ३-६४) इन सूत्रों से तद्धितप्रकरण में ‘इतर’ तथा ‘इतम’ प्रत्यय का विधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्ययात् शब्द चार चार हैं। इतर, यतर, ततर और एकतर—य चार शब्द इतरात् हैं। इतम, यतम ततम और एकतम—ये चार शब्द इतमात् हैं। इस प्रकार ये आठो शब्द सर्वादि गण में गृहीत हो जाते हैं। प्रत्यय के हिसाब से इनको ‘दा’ शब्दा के रूप में गिन लिया जाता है।

५२ ‘इतर’ और ‘अयतर’ में जा ‘तर’ है वह प्रत्यय नहीं है। ये दोनों प्रातिपदिक हैं, अव्युत्पन्न हैं। “अयतम” भी इसी प्रकार का अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। ‘इतर’ और “अयतर” गण में पठित हैं। अतः वे सर्वनाम हैं। ‘अयतम’ सर्वनाम नहीं है।

५३ सब, विश्व, इतर, अय, नेम, सम, त्व, पूव, पर आदि शब्द अथ स्वभाव से विशेषण हैं। ‘सर्वे जना मुचिनी भवतु।’ यहाँ सब’ शब्द ‘सर्व’ (All) के अर्थ में विशेषण है। “सर्वो ग्रथ पठित।” यहाँ सब’ शब्द ‘सारा’ (whole, entire) के अर्थ में विशेषण है। ‘नम’ का अर्थ आघात है। इसी प्रकार ‘एक’ द्वि—ये दोनों शब्द सख्यावाचक हैं। ‘एक’ शब्द के तीन अर्थ कोश में बताया गये हैं—‘एके मुन्यायवेवला।’ तीनों अर्थों में यह शब्द विशेषण ही है फिर भी गणपाठ के कारण उसे सर्वनाम कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि संस्कृत में ‘सर्वनाम’ की परिभाषा गणपाठ (listing) पर आधारित है।

५४ सर्वनाम को पाठ के आधार पर निर्धारित करते हैं तो उसे ‘नाम’ के वर्ग में रखने का औचित्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है कि सर्वनाम सज्ञा का आधार गणपाठ है तो इसमें सर्वनाम की रूपरचना में कुछ विशेष अंतर नहीं होता सज्ञा और सर्वनाम की रूपरचना में कोई मौलिक अंतर नहीं है। सुप प्रत्यय जिस प्रकार सज्ञा में लगते हैं उसी प्रकार सर्वनाम में भी लगते हैं। प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियों की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। मत्ता शब्दों में तद्धित प्रत्यय

सगाकर व्युत्पन्न शब्द निमित्त विभ्रं जात हैं। भारतीय, राजकीय, सामाजिक आदि शब्द इस बात के उदाहरण हैं। सवनाम स भी इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय सगाकर व्युत्पन्न शब्दों का निर्माण कर सकत हैं, करत है। त्वन्म, एनाश, इयत्ता आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। सगा शब्द की तरह सवनाम भी समास-रचना म महायक हो सकता है। 'त्वत्पुन, अम्मदगहम् तादात्म्यम्', आदि सामासिक शब्द सवनामघटित हैं।

५५ सवनाम म लिंगभेद पाया जाता है। सब, सर्वा, सबम् । म सा, तत । अयम्, इयम्, इदम् । पुल्लिंग म द्वितीया बहुवचन क रूप हैं—सर्वान्, तान्, इमान् । यहा 'सप्त' प्रत्यय क मकार क स्थान पर नकार हुआ है। "तस्माच्छान न पुंसि ।" कितु स्त्रीलिंग म रूप हैं—सर्वा, ता, इमा । यहा सप्त के सकार का विसर्ग हुआ है। नपुंसक लिंग म इन शब्दों के रूप हैं—सर्वाणि तानि इमानि । जषशतो शि । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सवनाम म लिंगभेद और तनिमित्तक रूपभेद होता है। सत्त्व का एक लक्षण है—लिंगावयवयोग्यत्व । वह सवनाम म पाया जाता है।

५६ सकृश और कारक का अवय भी सवनाम म अवाघिन है। सब सर्वो, सर्वे । तीनों वचन उपलब्ध हैं। स तौ, ते । अयम् इमो, इम । मवम् सर्वेषु, सर्वस्मै, सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन् । सानो विभक्तिया म रूप उपलब्ध हैं। इसी आधार पर यास्क ने त्वत् शब्द को सवनाम घापित किया। उनका तक था— "दुष्टव्यय तु भवति।" (निरुक्त प्रथम अध्याय) 'उतोत्वस्मै ताव विसर्गो' इत्यादि ऋचाओ मे 'त्वत्' शब्द के भिन्नविभक्त्यत् रूप उपलब्ध होते हैं। अत यास्क न निणय किया कि यह सवनाम है, निपात नहीं। लिंग, सख्या और कारक के अवय से प्रमाणित होना है कि सवनाम भी सत्त्वप्रधान 'नाम' है।

५७ तो फिर सनाशान्ते और सवनामो म अतर क्या है? सत्त्वप्रधानता म अतर नहीं है। फिर भी कुछ रूपों की रचना मे थोडा सा अतर पाया जाता है।

(i) प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय 'जस'। पुल्लिंग म इसके स्थान म ईकार का आश होता है। जस शो । सब + जस = सब + ई = सर्वे । सर्वे जना सुखिनो भवतु । यह आदेश स्त्रीलिंग म नहीं होता। सर्वा स्त्रिय । नपुंसकलिंग म भी ईकार—दीध—नही होता। यहा तो इकार—ह्रस्व—ही हाता है। जषशतो शि । सर्वाणि ।

(ii) द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति म कोई रूपभेद 'सवनाम त्व के कारण नहीं होता।

(iii) चतुर्था एकवचन म 'स्म' का आश हाता है। सर्वस्मै । तस्म । अस्म । कितु स्त्रीलिंग म 'स्य' का रूप मिलता है। सर्वस्य । तस्य । अस्य । 'स्म' ता पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों म समान है। अस्मै विप्राय । अस्म कमणे ।

(iv) पञ्चमी एकवचन में पुलिग तथा नपुंसक लिंग में 'स्मात्' का आदेश मिलता है। सवस्मात् । तस्मात् । अस्मात् । स्त्रीलिंग में इसका रूप है 'स्या' । सवस्या । तस्या । अस्या ।

(v) षष्ठी बहुवचन में 'आम्' प्रत्यय के साथ सकार वा आगम होता है । तब प्रत्यय का रूप 'साम्' होता है । पुलिग तथा नपुंसक लिंग में पूर्ववर्ती अकार वा एकार होता है और सकार वा मूघादेश होता है । सर्वेषाम् । तेषाम् । एषाम् । स्त्रीलिंग में स्त्रीप्रत्यय टाप् वा आकार ही रहता है । अत एव और पत्व की प्रवृत्ति नहीं होती । सर्वासाम् । तासाम् । आसाम् ।

(vi) सप्तमी एकवचन में 'स्मिन्' का रूप मिलता है । सवस्मिन् । तस्मिन् । अस्मिन् । यह रूप पुलिग और नपुंसक लिंग में पाया जाता है । स्त्रीलिंग में तो 'स्याम्' का रूप मिलता है । सवस्याम् । तस्याम् । अस्याम् ।

५८ रूपरचना की दृष्टि से ये अंतर पाये जाते हैं । अष्टाध्यायी के निम्नांकित सूत्रों में इनका विधान किया गया है—

१ जस शी । ७ १-१७

२ सवनाम्न स्मै । ७ १-१४

३ सवनाम्न स्याद् ह्रस्व च । ७ ३-११४

४ ङसिङ्यो स्मात्स्मिनो । १७ १-१५

५ आमि सवनाम्न सुट् । ७ १-५२

'अव्ययसवनाम्नामकच् प्राक टे' आदि सूत्रों से कुछ विशेषण वाय विहित हैं । किंतु व्याकरण की दृष्टि से इनका कोई उल्लेखनीय महत्त्व नहीं है । "ह्रस्वस्य गुण, घेदिति" इत्यादि के समान ही ये विशेषण हैं । अत एव सवनाम शब्दों को 'नाम' वग में स्थान दिया गया । उन्हें पृथक् शब्दभेद नहीं माना ।

६ विशेषण को भी सना के साथ 'नाम' के अंतर्गत ही स्थान दिया जाता है । इसका भी कारण स्पष्ट है । विशेषण की भी रूपावली सना की रूपावली के समान बनती है । विशेषण के रूप लिंग, विभक्ति और वचन से प्रभावित होते हैं । संस्कृत के विशेषण सही अर्थ में विकारी शब्द हैं । लिंग, सख्या और कारक का अवयव उनमें स्पष्ट है । इस विषय में वे पूण रूप से सना शब्दों के समान हैं । अतः उनको 'नाम' वग में रखना उचित है ।

६१ हिंदी में केवल आकारात् विशेषण में ही रूपांतर पाया जाता है । अच्छा नाम । अच्छी बात । अच्छे आदमी । अर्थ विशेषणों में रूपांतर नहीं होता । सुंदर सड़का । सुंदर लड़के । सुंदर लड़की । जब तुलना करते हैं, तब भी विशेषण के रूप में अंतर नहीं करते । राम गापाल से अच्छा है । राम सबसे अच्छा है । अथवा इसी अर्थ में कहते हैं—'अच्छे से अच्छा' । अतः हिंदी में विशेषण प्रायः अविकारी रहता है । अंग्रेजी में भी विशेषण की स्थिति ऐसी ही है । लिंग, सख्या या

सगाकर व्युत्पन्न शब्द निर्मित किए जाते हैं। भातीय, ग
आदि शब्द इन बात के उदाहरण हैं। सर्वनाम से भी इसी
सगाकर व्युत्पन्न शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, वरत
इयत्ता आदि शब्द इनके उदाहरण हैं। सगा शब्द की तर
रचना में सहायक हो सकता है। 'त्वत्पुत्र', 'वम्मद्ग'
सामानिक शब्द सर्वनामघटित हैं।

५५ सर्वनाम में लिंगभेद पाया जाता है। स
तन। अपम् इयम् इदम्। पुल्लिंग में द्वितीया बहुवच
इमान्। यहाँ 'इस्' प्रत्यय के मकार के स्थान पर न
न पुल्लि। किंतु स्त्रीलिंग में रूप है—सर्वा, ता
विस्ता हुआ है। नपुंसक लिंग में इन शब्दों के र
अपरमो शि। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लिंग
रूपभेद होता है। सत्त्व का एक सक्षय है—
पाया जाता है।

६४ लिंग, वचन और विभक्ति के ऐसे भेद को आधार बनाकर ही सस्कृत के प्राचीन वैयाकरणों ने विशेषण को 'नाम' वग म स्थान दिया। अव्यय शब्द तो अविकारी होते हैं। अतः उ हे 'नाम' के क्षेत्र म लेना उचित नहीं है। आख्यात तो भावप्रधान है। दूसरी विशेषता आख्यात की यह है कि वह लिंग से मुक्त है। 'पचति, अगच्छत' आदि तिङ्गत क्रिया का कोई लिंग नहीं होता। तिङ् प्रत्यय के तीन अर्थ बताय जाते हैं—कर्ता, कम और भाव। इनमें कर्ता और कम कारक है। लेकिन करण आदि अर्थ कारक तिङ्गत क्रिया से अभिहित नहीं होते। अतः तिङ्वाच्य क्रिया या कारक को सत्त्वरूप नहीं कह सकते। इस प्रकार वैदिक परम्परा के वैयाकरणों ने सज्ञा, सबनाम और विशेषण को एक वग में रखकर उसे 'नाम' शब्द से एक शब्दभेद कहने लगे।

७ अग्नेयी भाषा के व्याकरण ग्रंथों में चार शब्द-भेद ऐसे बताये जाते हैं जा लिंगादिकत रूपभेद से मुक्त रहते हैं। इनके नाम हैं—(१) पूर्वसग (preposition) (२) सबधायक—समुच्चयादिबोधक (conjunction) (३) क्रिया-विशेषण (adverb) और (४) विस्मयादिबोधक (interjection)। इन चारों प्रकार के शब्दों को हम 'अव्यय' कह सकते हैं। रूपात्मक दृष्टि से ये चारों शब्द-भेद समान हैं। इन शब्दों में रूपांतर नहीं होता। व्युत्पादक प्रत्यय लगाकर हम चाह तो शब्दांतर बना सकते हैं। अतः इसके चार भेद मानने के स्थान पर रूपभेद राहित्य के आधार पर इन सबको अविकारी शब्द या 'अव्यय' कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

७१ प्राचीन परम्परा में अव्ययों के भी दो वग बनाय गये। एक वग का नाम है 'उपसग'। दूसरा वग 'निपात' कहलाता है। दोनों को 'अव्यय' कहना उचित तो है, किंतु दोनों में मौलिक अंतर है। इस अंतर की उपेक्षा करना संभव नहीं। अतः एव वैदिक परम्परा चार शब्दभेदों को स्वीकार करती है। 'चत्वारि वाक परिमिता पदानि'। पतञ्जलि आदि आचार्य भी कहते हैं—“नामाख्यातोपसगनिपाता च।” उपसग और निपात को अलग-अलग मानने की प्रथा बहुत प्राचीन है।

७२ यह मौलिक अंतर क्या है? उपसग स्वतंत्र अर्थ के वाचक शब्द नहीं हैं। निपात स्वतंत्र अर्थ देते हैं। उपसग शब्दांतर से अर्चित होकर ही अर्थ दे सकते हैं। वैदिक सस्कृत में उपसगों को स्वतंत्र शब्द के रूप में मान्यता प्राप्त थी। किंतु लौकिक सस्कृत में उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गयी। वदांतर सस्कृत में उपसग आबद्ध रूप ही हैं। उनका प्रयोग धातु से अर्थवहित पूर्व ही किया जाना है। पाणिनि के सूत्र इस विषय के प्रमाण हैं—

१ उपसर्गा क्रियायोगे।

२ ते प्राग् धातोः।

कारक के कारण रूपांतर नहीं होता। Good man, Good men Good woman, Good women He is a good man I saw a good man This is a good thing कितु तुलना म रूपभेद पाया जाता है। Good, Better Best इसको अंग्रेजी व्याकरण म Degree—डिग्री कहा जाता है। स्पष्ट है कि अंग्रेजी म विशेषण प्राय अविकारी है।

६२ कितु सस्कृत मे विशेषण पूण रूप से विकारी शब्द है। वह विशेष्य के अधीन रहता है। विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति का वह अनुसरण करता है। कहा गया है—

“यल्लिङ्ग यद्वचन या च विभक्तिविशेष्यस्य । तल्लिङ्ग तद्वचन सा च विभक्तिविशेषणस्यापि ॥”

इस कारण से विशेषण के रूप लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ उदाहरणों पर अब विचार करें—

- (१) राम सुंदर । पु० प्र० ए०
- (२) सीता सुंदरी । स्त्री० प्र० ए०
- (३) भवन सुंदरम । नपु० प्र० ए०
- (४) बालकी सुंदरी । पु० प्र० द्वि०
- (५) बालिके सुंदरी । स्त्री० प्र० द्वि०
- (६) पुष्पे सुंदरे । नपु० प्र० द्वि०
- (७) बालका सुंदरा । पु० प्र० व०
- (८) बालिका सुंदरी । स्त्री० प्र० व०
- (९) पुष्पाणि सुंदराणि । नपु० प्र० ब०

६३ पूर्वोक्त उदाहरणों मे दिखाया गया है कि लिंग और वचन के भेद के कारण विशेषणों म रूपभेद होता है। कारक के कारण भी रूपभेद पाया जाता है। कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं—

- (१) विद्वान् राम प्रशस्यते ।
- (२) विद्वांस राम जना प्रशसति ।
- (३) विदुषा रामेण लिखितो ग्रन्थ ।
- (४) विदुषे रामाय फल देहि ।
- (५) विदुषा रामात् पुस्तकमानय ।
- (६) विदुषा रामस्येद गृहम् ।
- (७) विदुषि रामे विनय शोभते ।

इन वाक्यों म 'विद्वान्' शब्द सातों विभक्तियों म प्रयुक्त है। विभक्ति तो कारक तथा कारकेतर दोनों तरह के अर्थों मे आती है। अतः म उदाहरण कारक योग को सिद्ध करते हैं, साथ ही विभक्ति भेदवृत्त रूपभेद को भी दिखाते हैं।

8962

६४ लिंग, वचन और विभक्ति के ऐसे भेद को आधार बनाकर ही सस्कृत के प्राचीन वैयाकरणों ने विशेषण को 'नाम' वग म स्थान दिया। अव्यय शब्द तो अविकारी होते हैं। अतः उन्हें 'नाम' के क्षेत्र म लेना उचित नहीं है। आख्यात तो भावप्रधान है। दूसरी विशेषता आख्यात की यह है कि वह लिंग से मुक्त है। 'पचति, अगच्छत' आदि तिङ्गत क्रिया का कोई लिंग नहीं होता। तिङ् प्रत्यय के तीन अय बताये जाते हैं—कर्ता कम और भाव। इनमें कर्ता और कम कारक हैं। लेकिन करण आदि अय कारक तिङ्गत क्रिया से अभिहित नहीं होते। अतः तिङ्वाच्य क्रिया या कारक को सत्त्वरूप नहीं कह सकते। इस प्रकार वैदिक परम्परा के वैयाकरणों ने सना सचनाम और विशेषण का एक वग म रखकर उसे 'नाम' शब्द से एक शब्दभेद कहने लगे।

७ अंग्रेजी भाषा के व्याकरण ग्रंथों में चार शब्द-भेद ऐसे बताये जाते हैं जा लिंगादिकृत रूपभेद से मुक्त रहते हैं। इनके नाम हैं—(१) पूर्वसग (preposition) (२) सबधायक—समुच्चयादिबोधक (conjunction) (३) क्रिया-विशेषण (adverb) और (४) विस्मयादिबोधक (interjection)। इन चारों प्रकार के शब्दों को हम 'अव्यय' कह सकते हैं। रूपात्मक दृष्टि स य चारों शब्द भेद ममान हैं। इन शब्दों म रूपांतर नहीं होता। व्युत्पादक प्रत्यय लगाकर हम चाह तो शब्दांतर बना सकते हैं। अतः इसके चार भेद माना व स्थान पर रूप भेद राहित्य क आधार पर इन सबको 'अविकारी शब्द या अव्यय' कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

७१ प्राचीन परम्परा म अव्ययों के भी दो वग बनाय गय। एक वग का नाम है 'उपसग'। दूसरा वग 'निपात' कहलाता है। दोनों का अव्यय' कहना उचित ता है, किंतु दोनों म मौलिक अंतर है। इस अंतर की उपेक्षा करना समभव नहीं। अतः एक वैदिक परंपरा चार शब्दभेदों को स्वीकार करती है—'चत्वारि वाक परिमिता पदानि'। पतञ्जलि आदि आचार्य भी कहते हैं—'नामाद्यपातोप सगनिपाता च।' उपसग और निपात को अलग-अलग मानन की प्रथा बहुत प्राचीन है।

७२ यह मौलिक अंतर क्या है? उपसग स्वतंत्र अय के वाचक शब्द नहीं हैं। निपात स्वतंत्र अय देते हैं। उपसग शब्दांतर से अचित होकर ही अय दे सकते हैं। वैदिक सस्कृत म उपसगों को स्वतंत्र शब्द के रूप म मानना प्राप्त थी। किंतु मौलिक सस्कृत में उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गयी। वदांतर सम्भृत में उपसग आबद्ध रूप ही हैं। उनका प्रयोग धातु से अव्ययहित पूष ही किया जाता है। पाणिनि क सूत्र इस विषय के प्रमाण हैं—

१ उपसर्गा क्रियायोगे।

२ ते प्राग् धातोः।

३ छन्दसि परेऽपि ।

४ व्यवहिता च ।

७३ 'उपसर्ग' एक पारिभाषिक शब्द है। किसी मूल शब्द से जुड़े हुए पूर्ववर्ती अक्षर को 'उपसर्ग' कहना संस्कृत व्याकरण की परंपरा के विरुद्ध है। पाणिनि ने केवल वार्हसि शब्दा का एक 'गण' बनाया है। शब्दा की सूची को वे 'गण' का नाम देते हैं। इस गण का प्रथम शब्द है 'प्र'। अतः वे इसे 'प्रादिगण' कहते हैं। प्रादिगण में पठित शब्द 'निपात' होते हैं। यह पाणिनि की व्यवस्था है। ये शब्द क्रिया युक्त हैं तो 'उपसर्ग' कहलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि की दृष्टि में 'निपात' एक व्यापक नाम है और उसीका एक अक्षर 'उपसर्ग' कहलाता है। इस विषय की चर्चा आगे करेंगे। यहाँ इतना स्पष्ट करना जरूरी है कि उपसर्ग तो केवल वार्हसि शब्द ही हैं। 'निपात' के वर्ग में अक्षर सभी अक्षर आते हैं। सीमित संख्या में होने के कारण उपसर्गों को निपात से पृथक् करना संभव है।

७४ उपसर्गों के संबंध में प्राचीन काल से ही विद्वानों में मतभेद भी पाया जाता है। 'निबद्ध' के लेखक यास्क ने इस मतभेद की चर्चा की है। आचार्य शाकटायन का मत था कि उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। "न निबद्धा उपसर्गा अर्थात् निराहुरिति शाकटायन । 'प्र, अव, वि' आदि उपसर्गों का क्या अर्थ है? इन उपसर्गों का कोई निश्चित अर्थ बताना संभव नहीं है। 'प्र' का अर्थ प्रकप या अतिशय कहा जाय, तो प्रस्थान, प्रसाद आदि में इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती। आगमन, आदेश, आवेश आदि शब्दों में 'आ' का एक अनुगत अर्थ नहीं है। इसी कारण से कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि उपसर्ग वाचक नहीं हैं, किंतु चोत्क हैं। दूसरे शब्दों में उनका यही तात्पर्य है कि उपसर्गों का अपना अर्थ नहीं होता, व तो समभिव्याहृत पद की शक्ति का प्रकाशित करते हैं। यही चोत्कत्व है। समभिव्याहृतपदांतरनिष्ठशक्त्युदबोधकत्व हि चोत्कत्वम्। आङ्पूर्वक 'गम्' धातु का अर्थ है 'जाना'। केवल 'गम्' का अर्थ है 'जाना'। तो फिर 'आङ्' का अर्थ क्या है? 'राष्ट्रपति' एक समास है। इसमें दो अवयव हैं—राष्ट्र और पति। दोनों का अपना एक निश्चित अर्थ है। अतः इन शब्दों के योग से जो समास बनता है उसका अर्थ निश्चित करने में सहायता मिलती है। किंतु 'आगच्छति' में हम किस आधार पर अर्थविभाजन करें? चोत्कत्ववादी का उत्तर है कि यहाँ 'गच्छति' का ही यह अर्थ है। 'आ' तात्पर्यग्राहक है, 'गच्छति' के सद्भगत् अर्थविशेष की प्रतीति में सहायक है। फलित तो यही हुआ कि उपसर्ग स्वतंत्रार्थ रहित हैं।

७५ आचार्य गार्ग्य का मत है कि उपसर्ग भी साधक शब्द हैं। जिसका अर्थ नहीं होता, उन 'शब्द' मानने का कोई औचित्य नहीं है। भाषा में कई प्रकार के ध्वनिसमुदाय सम्भावित हैं। उनमें कुछ ही साधक हैं यानी उनमें अर्थप्रत्यायन

अव्यय एक व्यापक वर्ग का नाम है। उस वर्ग में दो प्रकार के सदस्य हैं—कुछ निपात हैं और कुछ निपातैतर शब्द। पाणिनि न भी 'निपात' शब्द की ऐसी व्याख्या नहीं की जो व्युत्पत्तिलक्षण अर्थ पर आधारित हो। उ होने तो निपातसज्ञा का विधान कर दिया—'प्राग्नीश्वग्निपाता ।' इसी प्रकार दो और सज्ञाओं का—पारिभाषिक शब्दों का—विधान किया है। गति' और कर्मप्रवचनीय दो शब्द हैं, जो पूर्वाचायपरिगृहीत प्रतीत होते हैं। गति और कर्म प्रवचनीय दोनों ही अव्यय के उपवर्ग हैं। उपसर्ग निपातों का एक उपवर्ग है। प्रादिगण में पठित शब्द निपात तो हैं ही वही त्रियायाग में उपसर्ग' कहतात हैं। चादिगण में पठित शब्द असत्त्ववाची हैं तो निपात' सज्ञा के भागी होते हैं। चाद्याऽसत्त्वे। किंतु वे उपसर्ग के क्षेत्र में नहीं आते। स्वरादि गण में पठित शब्द अव्यय हैं। किंतु वे 'निपात' सज्ञा के भागी नहीं हैं। इस प्रकार पाणिनि न गति उपसर्ग, कर्म प्रवचनीय निपात और अ यय की व्याख्या करके 'अव्यय' को व्यापक वर्ग के रूप में स्वीकार किया है।

८ २ इससे पाणिनीय व्याकरण के अद्यता के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि निपात और अव्यय को पर्याप्त न मानन का क्या कारण है? स्वरादि शब्दों को निपात मान लेते हैं तो क्या हानि हो रही है? यह शंका भाष्यकार ने स्वयं उठायी। उन्होंने ११-३६ की व्याख्या में पूछा—'किमथ पृथग् ग्रहण स्वरादीना कियते, न चादिष्वेव पठ्यरन?' प्रश्नकर्ता का यह आशय है कि स्वरादि शब्दों का भी चादिगण में मिलाकर इन सबको निपात या अव्यय कह दे तो सज्ञाद्वयविधान के क्लेश से बच सकते हैं। अब पहले 'निपात सज्ञा का विधान किया। पुन निपाता की 'अयय सज्ञा का विधान करना पड़ रहा है। स्वरादि को निपात मान लेते हैं तो चाद्योऽसत्त्वे सूत्र से ही हमारा काम चल सकता है। चादिगण में स्वरादि शब्दों का पाठ करना मात्र काफी है। चादि आकृतिगण है। फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए स्वरादि शब्दों का पाठ करने में कोई 'गौरव का दोष प्रसक्त नहीं होता। तब अव्ययसज्ञा-विधायक इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं। अथवा 'निपात' सज्ञा को छोड़कर अव्ययसज्ञा का ही विधान करें। एक ही सज्ञा पर्याप्त है। सज्ञाद्वयविधान का अर्थ निरर्थक है। प्रश्न का यह तात्पर्य बिलकुल स्पष्ट है।

८ ३ भाष्यकार ने उत्तर में कहा—'चादीना वा असत्त्ववचनाना निपात सज्ञा, स्वरादीना पुन सत्त्ववचनानामसत्त्ववचनाना च।' चादि और स्वरादि शब्दों में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है। चादिगण के शब्द असत्त्ववाची हैं तो निपात कहलाते हैं। किंतु स्वरादि शब्द ऐसे नहीं हैं। ये सत्त्ववाची हैं या असत्त्ववाची हैं, दोनों स्थितियों में ये अव्यय ही होते हैं। इन शब्दों को चादिगण में स्थान देंगे तो यह कठिनाई पैदा होगी। 'स्व पश्य स्वरागत आदि में 'स्व शब्द सत्त्ववाची

है। अतः उसको 'निपात' या 'अव्यय' नहीं मान सकेंगे। इस स्थिति में द्वितीया, पंचमी आदि के प्रत्ययों का लोप नहीं होगा। अतः स्वरादि को चादि से पृथक् करके अव्यय सत्ता का विधान करना पड़ेगा।

८४ भाष्यकार ने प्रश्न का आशय उत्तर दिया है। स्वरादि शब्दों को मदा 'अव्यय' सत्ता से गुप्त रचना के लिए तादिगण में उठाया समावेश नहीं किया। ठीक है, आप चादि और स्वरादि दो गणों का पाठ अलग-अलग कीजिए। असत्त्ववाची चादि शब्द निपात हैं। यहाँ तो असत्त्ववाची विशेषण को जोड़न से सत्त्ववाची शब्दों की व्याप्ति सिद्ध है। फिर कहिए—'स्वरादि शब्द निपात हैं।' यहाँ सत्त्ववाची तथा असत्त्ववाची दोनों प्रकार के स्वरादि विवक्षित हैं। निपात को ही अव्यय भी कहते हैं। तो दो सजाआ का विधान किसलिए? यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रह गया। इसलिए भाष्य में प्रश्न को दुहराया गया—“अथ किमथ मुझे सौ श्रियते, न निपातसङ्गैव स्यात्?”

८५ भाष्यकार का उत्तर है कि 'निपात' सत्ता से ही काम नहीं चलेगा। एकाच निपात को प्रगृह्य कहते हैं—प्रगृह्यसज्ञाप्रकरणे मे पाणिनि का सूत्र है—“निपात एकाजनाह”। इह उभे । उ उमेश । आ एव नु मयसे । इन चारों में इ, उ और आ एकाच निपात हैं। प्रगृह्य सत्ता के कारण प्रकृतिभाव हाता है। स्वरादि शब्दों को निपात मानते हैं तो वहाँ भी जो शब्द एकाच हैं उन्हें प्रगृह्य कहना होगा। उनमें भी प्रकृतिभाव प्राप्त होगा। अतः स्वरादि शब्दों को 'निपात' सत्ता से मुक्त अव्यय ही कहना उचित है। भाष्यकार के मत हैं—

'नव शेषम् । निपात एकाजनादिति प्रगृह्यमज्ञा उक्त्वा, स स्वर्गर्णानामपि एकाचा प्रसज्येत । (अथ इयं अथेव ।)'

कथं न स्पष्ट किया है कि 'अन्' प्रत्यय प्रकृत है। वह एकाच है। प्रगृह्य सत्ता होने पर 'अन्' में संधि नहीं होती। अन्-प्रत्यय भी एकाच है। 'अन्' आदि एकाच कृत्प्रत्यय भी हैं। अन्-प्रत्यय नामविवक्षित । कृत्प्रत्यय । इन सूत्रों से 'अन्' आदि शब्दों को 'अव्यय' सत्ता सिद्ध नहीं है। अन्-प्रत्यय निपात नहीं हैं। इस अंतर की रक्षा के लिए अन्-प्रत्यय का विधान आवश्यक हो जाता है।

८६ भाष्यकार ने आगे बतलाया है—“अन्-प्रत्यय अव्ययसत्त्ववत्त्वात् तच्चाशक्यम् । अथत्यतत्—अथान्-प्रकृतिज्ञानेन, मित्रि, एव सत्त्ववत्त्वात् न्यासेन परिगणनं वक्तव्यं स्यात् । तस्मात् प्रकृतत्वात् अन्-प्रत्ययम् । उभे च सत्त्वे कर्त्तव्ये । तात्पर्य यह है कि पाणिनीय व्याकरण में अन्-प्रत्यय और अव्यय का अन्तर्भाव आवश्यक सूत्र विधान में गौरव-दायक प्राप्त होगा। अन्-प्रत्यय की अन्ति के लिए अन्-प्रत्यय का एक उपवग मान लिया गया है।

८७ इस विवरण से अन्-प्रत्यय का अन्ति के लिए अन्-प्रत्यय और

निपात को दो भिन्न वर्गों में रखने का औचित्य समाप्त हो गया। वैदिक परम्परा में चार शब्द भेदों की गणना की गयी थी। उपसर्ग और निपात को एक ही वर्ग में शब्द मान लेते हैं तो इस यदोरत चातुर्विध का निर्वाह कसहा सकता है? पाणिनी ने कहा है कि यह गोवलीवद याय से उपसर्ग माना जाता है। सस्वृत में 'गो' शब्द गाय और बैल दोनों का वाचक है। अय गो। यहाँ सवनाम से पुल्लिङ्ग का बोध होता है। यहाँ तो 'गो' का अय बैल है। इय गो। सवनाम से स्त्रीलिङ्ग का बोध होता है। अतः यहाँ 'गो' का अय गाय है। इस प्रकार गो शब्द गाय तथा बैल दोनों का वाचक है तो उसके साथ 'वलीवद का ग्रहण किसलिए? वलीवद तो 'गो' की अयभ्याति के अन्तर्भूत ही है। यदि गोशब्द को वलीवद का विशेषण मानते हैं, तो भी यहाँ व्यावृत्त के अभाव में यह विशेषण व्यर्थ ही है। किन्तु गोवलीवद याय से शब्दभेदों को चार सिद्ध करना तत्काल प्रतीत नहीं होता। वास्तविकता तो यही है कि पाणिनि ने उपर्युक्त वैदिक परम्परा को अस्वीकार करके दो शब्दभेदों का अपना नया सिद्धांत स्थापित किया है।

६ पाणिनि का मत यह है कि सस्वृत भाषा में शब्दभेद केवल दो ही हैं। एक धातु है और दूसरा प्रातिपदिक है। धातु की परिभाषा दो प्रकार की है— (१) सनाद्यता धातवः। (२) भूवादयो धातवः। सनादि कुछ प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों के योग से निष्पन्न होने वाले शब्द धातु कहलाते हैं। 'कारयति कामयते, पुत्रीयति, पुत्रकाम्यति' आदि त्रियापद सनाद्यत धातु के उदाहरण हैं। 'भवति गच्छति, क्रीणाति, वतते' आदि त्रियापद भूवादिगणपठित धातुओं के उदाहरण हैं। इसी उद्देश्य से पाणिनि ने एक धातुपाठ का निर्माण किया। धातुभिन्त साधक शब्दस्वरूप को पाणिनि ने प्रातिपदिक कहा। धातु प्रत्यय, प्रत्ययात् शब्द, पदवध, उपवाक्य और वाक्य का, इस सज्ञा के विधायक सूत्र में, ग्रहण नहीं होना। अयवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्। समास पदवधात्मक है, फिर भी उसे 'प्रातिपदिक' के वर्ग में स्थान मिलता है। वृद्धत तथा तद्धितात् शब्द भी प्रातिपदिक सज्ञा के भागी हैं। पाणिनि ने इन शब्दों के लिए विशेष सूत्र बनाया—'कृत्तद्धितसमासात् च।' अतः स्पष्ट है कि धातु और प्रातिपदिक दो ही शब्दभेद हैं।

६१ तो फिर अव्ययों की—उपसर्गों और निपातों की—क्या स्थिति है? पाणिनि के अनुसार सभी अव्यय प्रातिपदिक के वर्ग में आते हैं। अव्यय की हम प्रातिपदिक का एक उपवर्ग मान सकते हैं। किन्तु उन्हें स्वतंत्र शब्दभेद के रूप में मान्यता देना अपेक्षित नहीं है। अव्ययों को प्रातिपदिक मानने से यह सुविधा होती है कि सस्कृत में 'पद' की परिभाषा दी जा सकती है। पाणिनि ने कहा कि सुबत्त या तिङन्त शब्द ही पद कहलाता है। प्रातिपदिक के बाद सुप प्रत्यय लगते हैं और धातु के बाद तिङ् यानी आख्यात प्रत्यय लगते हैं। 'सुप्तिङन्त पदम्।' सुबत्त तिङन्त च पदसज्ञ स्यात्। इस व्यवस्था की उपपत्ति के लिए पाणिनि ने अव्यय का

भी प्रातिपदिक माना ।

६२ प्रातिपदिक के बाद सुप प्रत्यय लगते हैं। तो अव्यय भी सुवृत्त होते हैं। किंतु किमो अव्यय म सुप प्रत्यय लिखाई नहीं देता। “वक्षस्य, पर्णानि, भूमो, पतितानि” आदि शब्द सुवृत्त हैं। इन शब्दों के अंत म स्य, इ ओ और इ—ये प्रत्यय दिखाई देते हैं। किंतु ‘अहो सह विना अद्यस्तात, उपरि” आदि अव्ययों म कोई प्रत्यय नहीं है। फिर भी इनको सुवृत्त कैसे मानें? पाणिनि ने बताया कि इन शब्दों म भी कोई ‘सुप्’ प्रत्यय लगा है, किंतु उसका लोप हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता। अदशन लोप। प्रत्यय के अभाव में और लोप म मौलिक अंतर है। प्रत्ययरहित प्रकृतिमात्र को हम ‘प्रातिपदिक’ कहते हैं। प्रत्यययुक्त होने के बाद ही यह ‘पद’ सत्ता का भागी बनता है। किंतु प्रत्यय का लोप हो जाने के बाद भी शब्द को प्रत्ययान्त मानन म कोई बाधा नहीं है। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम। जहा ‘लुक्’ आदि पारिभाषिक शब्दों में लोप का विधान किया जाता है, वहा भी प्रत्ययलक्षण का यह नियम प्रवृत्त होता है। “न लुमनाऽङ्गस्य।” यह निषेध अगाधिकारविहित या अगाश्रित कार्यों के लिए है। पदसज्ञा तो प्रत्ययात् शब्द की होती है केवल अग का वाय नहीं है। इसलिए प्रत्यय का लाप होने पर भी प्रत्ययात्त्वहेतुक पदसज्ञा की प्रवृत्ति निर्बाध है। प्रत्यय के अभाव म केवल प्रातिपदिक को पद नहीं कह सकते, किंतु लुप्तप्रत्ययात् प्रातिपदिक को पद कह सकते हैं। इस अंतर को ध्यान में रखकर पाणिनि ने कहा कि अव्यय के बाद होनेवाले ‘सुप’ प्रत्यय का लोप हो जाता है—“अव्ययादाप्सुप।” ‘आप्’ स्त्रीप्रत्यय है। स्त्रीप्रत्यय का भी लाप विहित है। अत अव्यय को प्रातिपदिक मानना व्याकरण की दृष्टि से उचित है।

६३ इस तरह लुप्त प्रत्यय की कल्पना करना कुछ शब्दों की सिद्धि के लिए अनिवार्य है। हिंदी म भी मारना, पीटना, दौटना, भागना, खेलना, कूदना आदि क्रियाएँ हैं। किंतु मार पीट भाग दौड़, खेल कूद आदि सत्ताएँ हैं। क्रिया की ही सत्ता के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। इसकी उपपत्ति बताने के लिए शून्य प्रत्यय की कल्पना करते हैं। मार + प्रत्यय = मार। प्रत्यय का स्थान रिक्त है। दूसरे शब्दों में कह तो प्रत्यय का लोप हो गया। इस कल्पना के आधार पर ऐसे शब्दों को ‘वृद्धत्’ कह सकते हैं। संस्कृत में पाणिनि ने यही किया है। ‘अग्रणी, ग्रामणी’ आदि प्रातिपदिक हैं। यहा ‘नी’ धातु का रूप स्पष्ट है। इसी धातु में कृत् प्रत्यय जोड़न से नता, नायक, नय, नीति आदि शब्द बनते हैं। उन शब्दों में तृच्, ष्वल् अच् और कितन आदि प्रत्यय वनमान हैं। किंतु अग्रणी आदि शब्दों में कोई प्रत्यय वतमान या श्रूयमाण नहीं है। तो फिर यह वृद्धन्त नहीं है, इसे प्रातिपदिक कैसे कह सकते हैं? पाणिनि का उत्तर है कि यहा भी कृत्प्रत्यय है, उसका लोप हो गया है, अत यह शब्द सुप्तवृद्धन्त है। इसी तरह राजा, रमा, कुमारी, विद्वान्

निपात को दो भिन्न वर्गों में रखने का औचित्य समाप्त हो गया। व
 म चार शब्द भेदा की गणना की गयी थी। उपसर्ग और निपात -
 व शब्द मान लेते हैं ता इस बदोक्त चातुर्विध का निर्वाह बस
 नागेश ने कहा है कि यह गोत्रलीय वाय स उपसर्ग माना जाता
 'गो' शब्द गाय और बल दोनो का वाचक है। अथ गो। यहाँ सब
 का बोध होता है। यहाँ तो गो' का अथ बल है। इय गो। सब
 का बोध होता है। अत यहाँ गो' का अथ गाय है। इस प्रकार ग'
 बल दोनो का वाचक है तो उसका साथ 'बलीवद का ग्रहण कि
 तो 'गो' की अथ-याति के अन्तर्भूत ही है। यदि गोशब्द को ब
 मानत हैं, तो भी यहा व्यावृत्य के अभाव में यह विशेषण
 गोबलीवद वाय से शब्दभेदो को चार सिद्ध करना तरसगत
 वास्तविकता तो यही है कि पाणिनि न उपयुक्त वैदिक परम्प
 रके दो शब्दभेदा का अपना नया सिद्धांत स्थापित किया है।

६ पाणिनि का मत यह है कि ससृज्य भाषा में शब्दभे
 एक धातु है और दूसरा प्रातिपदिक है। धातु की परिभाषा
 (१) सनाद्यता धातव । (२) भूवादयो धातव । सनादि
 प्रत्ययो के योग से निष्पन्न होने वाले शब्द धातु कहलाते हैं।
 पुत्रीयति, पुत्रकाम्यति" आदि त्रियापद सनाद्यत धातु के उ
 गच्छति, क्रीणाति, वतत' आदि त्रियापद भूवादिगणपठि
 हैं। इसी उद्देश्य से पाणिनि ने एक धातुपाठ का निर्माण कि
 शब्दस्वरूप को पाणिनि ने प्रातिपदिक कहा। धातु प्रत्यय,
 उपवाक्य और वाक्य का, इस सना के विधायक सूत्र में,
 वदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् । समास पदबध्वात्मक है, ि
 के वग में स्थान मिलता है। कृदत तथा तद्धितात शब्द
 भागी है। पाणिनि ने इन शब्दो के लिए विशेष सूत्र बन
 च ।" अत स्पष्ट है कि धातु और प्रातिपदिक दो ही शब्द

६१ तो फिर अव्ययो की— उपसर्गों और निप
 पाणिनि के अनुसार सभी अव्यय प्रातिपदिक के वग
 प्रातिपदिक का एक उपवग मान सकते हैं। किन्तु उन्हें
 मा यता देना अपेक्षित नहीं है। अव्ययो का प्रातिपदिक
 है कि सस्कृत में पत् की परिभाषा दी जा सकती है,
 या तिङ्गत शब्द ही पद कहलाता है। प्रातिपदिक के
 धातु के बाद तिङ्ग यानी आख्यात प्रत्यय लगते हैं।
 तिङ्गत च पदसज्ञ स्यात् । इस व्यवस्था की उपपत्ति

आदि शब्दों को 'पद' कहते हैं। य सभी शब्द प्रथमा एकवचन में हैं। एकवचन का प्रत्यय 'सु' इन शब्दों में लुप्त है। राम, कवि, गुरु, गौ आदि शब्दों में 'सु' प्रत्यय का सकार ही विसर्ग के रूप में श्रूयमाण रहता है। राजा आदि शब्द लुप्त प्रत्ययान्त होने के कारण 'पद' बनते हैं। अतः शून्यप्रत्यय की कल्पना व्याकरण में अनिवार्य है। इसी लुप्त प्रत्यय के आधार पर अध्यय को भी 'पद' कहना संभव है।

६४ 'सुप्' और 'तिङ्' दो प्रकार के समापक प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों के बाद और कोई प्रत्यय नहीं आ सकता। इसलिए 'प्रकृति' (stem) भी दो प्रकार की बनती है। सुप् प्रत्यय की प्रकृति प्रातिपदिक है और तिङ् प्रत्यय की प्रकृति धातु। पाणिनि के अनुसार य दो ही शब्दभेद स्वीकार योग्य हैं। "चत्वारि वाक् परिमिता पदानि" "चत्वारि श्रुता त्रयो अस्य पादाः" इत्यादि वाक्यों में चार प्रकार के पदों की व्यवस्था सिद्ध होती है। किंतु उन्हें 'शब्दभेद' (Parts of speech) कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार पाणिनि ने रूपविज्ञान (Morphology) के आधार पर धातु और प्रातिपदिक के नाम से दो शब्दभेदों का सिद्धांत स्थापित किया।

वी० कृष्णस्वामी आर्यागार

इस ग्रंथ के लेखक डॉ० वी० कृष्णस्वामी आर्यागार कर्णाटक निवासी हैं। इनका जन्म १९-४-२४ का बगलौर में हुआ।

बगलौर की श्रीचामराजेंद्र मन्वृत विद्याशाला में शिक्षा प्राप्त की। व्याकरण और साहित्य में विशेष योग्यता पायी, साथ ही कन्नड और हिन्दी का भी अध्ययन किया। हिन्दी और संस्कृत में एम० ए० करने के बाद हिन्दी और कन्नड के अलंकार ग्रंथा पर शोधकाय करके पीएच० डी० की उपाधि पायी।

सन १९६५ तक बगलौर के गेंट जोसेफ कॉलेज में हिन्दी और संस्कृत के अध्यापक रहे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास) के स्नातकोत्तर विभाग में १९६७ तक अध्यापन किया। १९६८ से आगरा के केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में अध्यापन कर रहे हैं।